Azadi Ka Amrit Mahotsav

शाश्वत ऊर्जा
इरेडा IREDA
एक बार इरेडा सदैव इरेडा

G20 भारत 2023 INDIA

LiFE Lifestyle for Environment

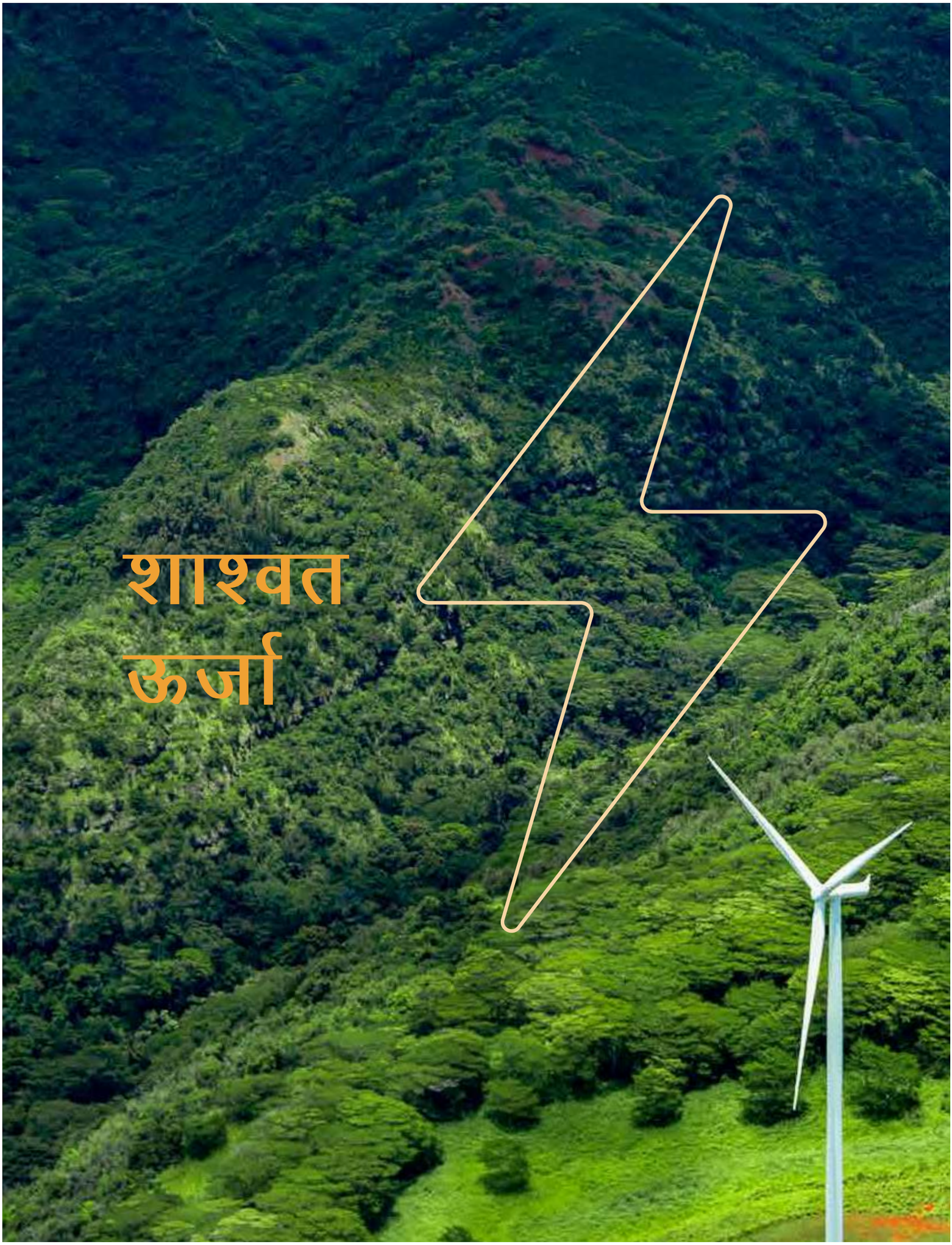
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

36वीं वार्षिक रिपोर्ट



भारतीय
अक्षय
ऊर्जा
विकास
संस्था लिमिटेड

2022-23


शाश्वत
ऊर्जा

हमारे बारे में

इरेडा एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है जिसके पास ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तार करने के क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हम नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और उपकरण निर्माण के लिए परियोजना अवधारणा से लेकर कमीशनिंग के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं।



विजन

देश में किफाइती, स्केलेबिलिटी और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और परिवर्तन / संक्रमण



मिशन

एक बनो

अग्रणी

प्रतिभागी–
अनुकूल

प्रतिस्पर्धी
संस्था

में आत्मनिर्भर निवेश के वित्तपोषण और संवर्धन के लिए

नवीकरणीय
स्रोतों से
ऊर्जा उत्पादन

ऊर्जा
दक्षता

पर्यावरण
प्रौद्योगिकी

सतत विकास के लिए

प्रदर्शन हाइलाइट्स

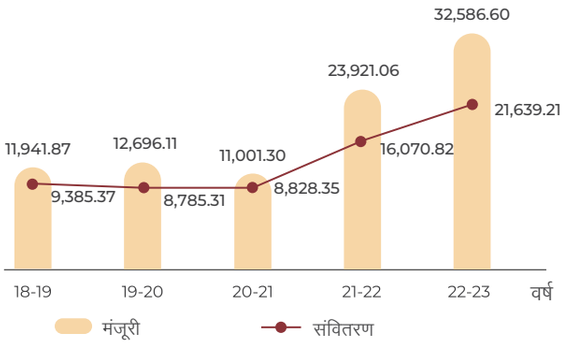
पिछले वर्ष में अनेक असाधारण उपलब्धियाँ

- आईसीआरए से क्रेडिट रेटिंग को एएए (स्थिर) में अपग्रेड किया गया
- आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा। एमएनआरई से डीपीई, भारत सरकार को अनुसूची "ए" सीपीएसई और "नवरत्न" स्थिति की सिफारिश
- अब तक की उच्चतम मंजूरी (₹32.587 करोड़) और संवितरण (₹21,639 करोड़)य एमओयू को पूरा करने की राह पर
- पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे कम शुद्ध एनपीए अनुपात 1.66%
- 25 दिनों के भीतर अपने वार्षिक वित्तीय परिणाम घोषित करने वाला पहला सीपीएसई
- "वर्ष की कंपनी", "वर्ष का सीएमडी" और "परिचालन प्रदर्शन उत्कृष्टता" के लिए पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार (प्रथम रनर अप)" "मिनीरत्न श्रेणी" के अंतर्गत

बढ़ती ऋण बुक

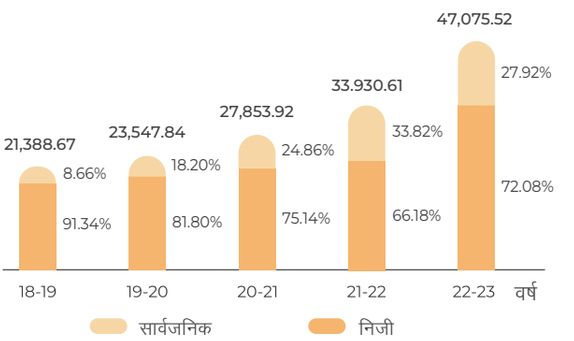
स्वीकृतियाँ, संवितरण

₹ करोड़ में



ऋण संपत्ति (सार्वजनिक और निजी द्वारा विभाजित)

₹ करोड़ में



स्थिर लाभप्रदता

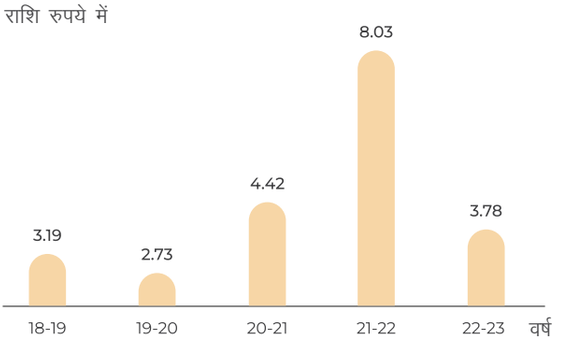
पीबीटी, पीएटी

₹ करोड़ में



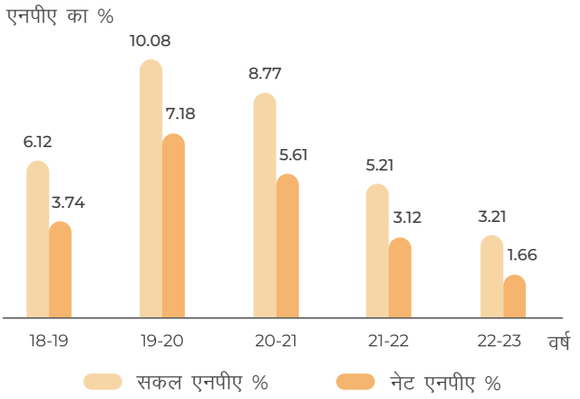
ईपीएस

राशि रुपये में

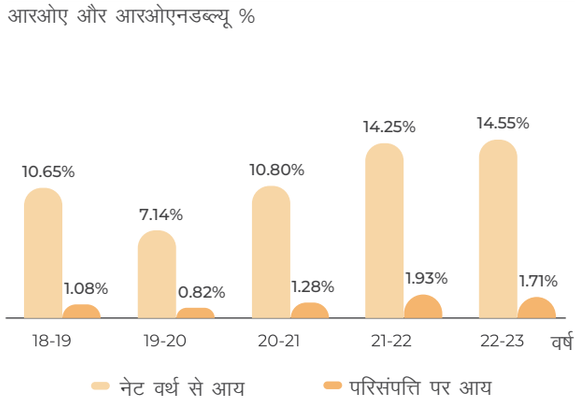


प्रमुख अनुपात और व्यावसायिक मेट्रिक्स

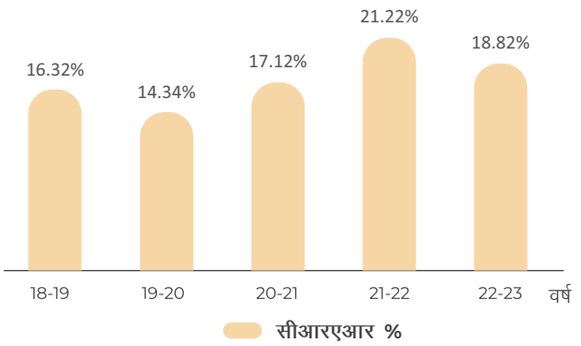
सकल और शुद्ध एनपीए



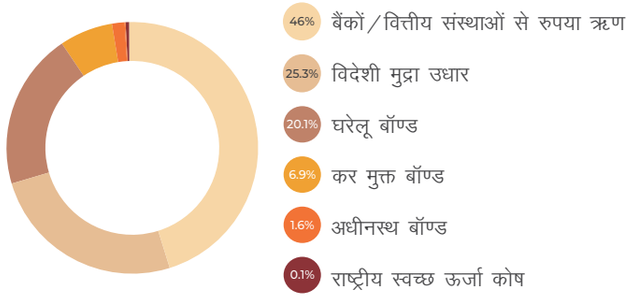
आरओए और आरओएनडब्ल्यू



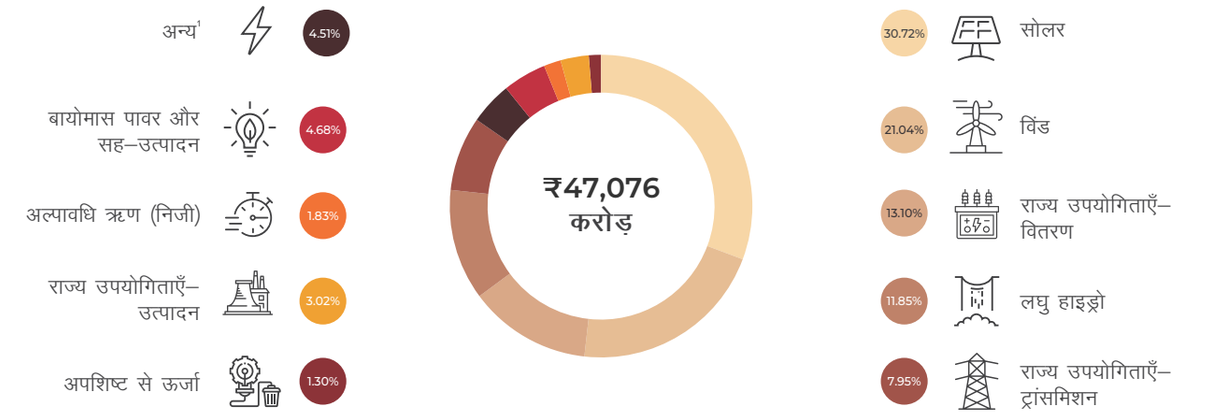
पूंजी पर्याप्तता अनुपात



वित्त प्राप्ति के स्रोत



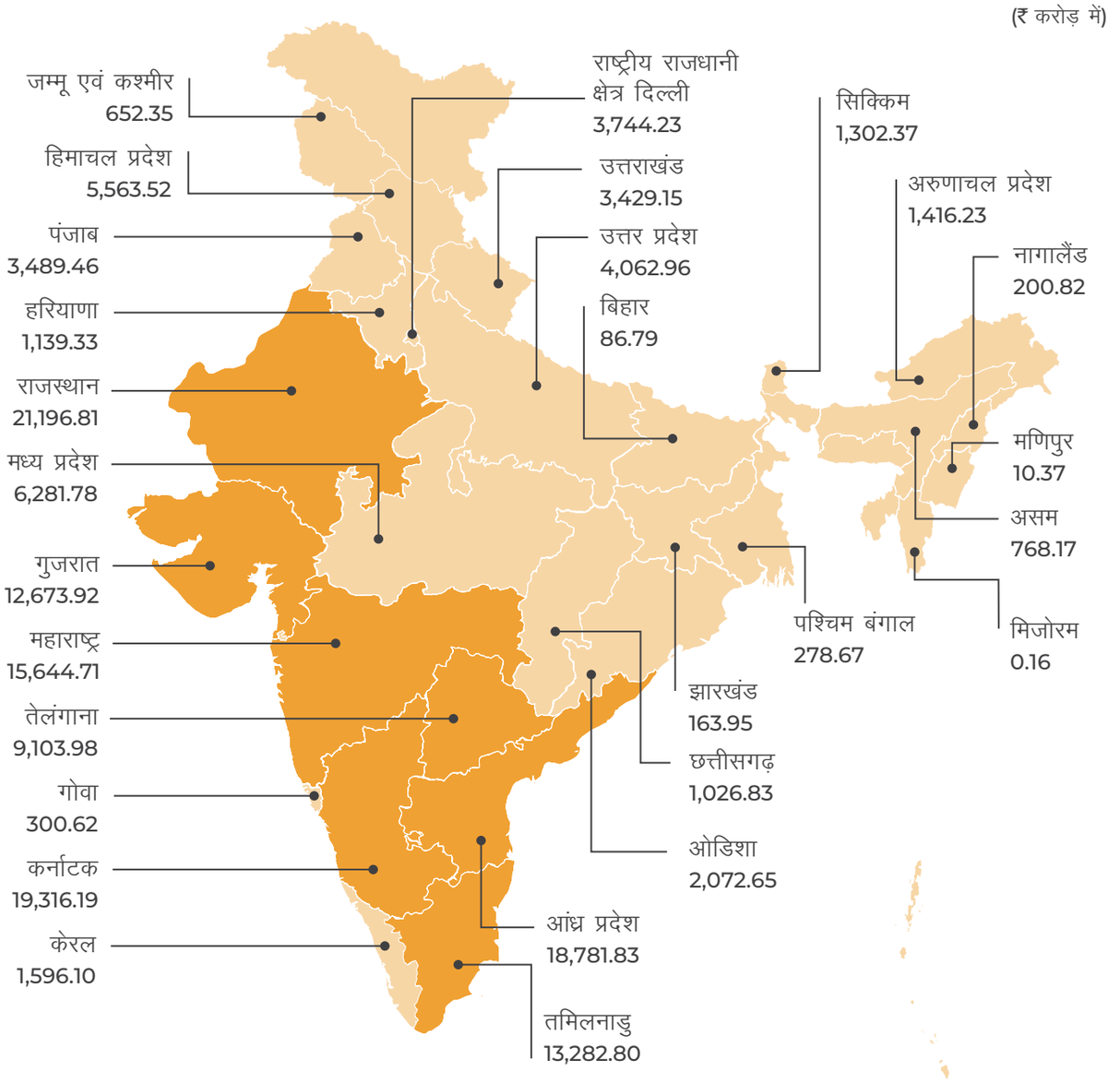
ऋण पोर्टफोलियो वितरण



1. विनिर्माण, ईवी, ट्रांसमिशन, ईई और आईसी डेबिट बैलेंस

1987 से इरेडा की संचयी स्वीकृतियाँ

(₹ करोड़ में)



भारत में प्रमुख आरई राज्य

हमारी अब तक की यात्रा

(₹ करोड़ में)

		बढ़ती ऋण बुक
भारतीय रिजर्व बैंक ने इरेड़ा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया है	2023	47,075.52
भारत सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश नवरत्न स्थिति के साथ अनुसूची ए के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया	2022	33,930.61
ग्रीन मसाला बांड जारी किया	2018	15,820.39
एक आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित कंपनी	2016	10,344.32
"मिनीरत्न" का दर्जा प्राप्त, केरल में 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की	2015	8,908.22
'अनुसूची सी' से 'अनुसूची बी' सीपीएसई में अपग्रेड किया गया	2010	3,033.87
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ प्रमाणन	2005	1,825.10
कंपनी अधिनियम के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित	1996	391.02
तत्कालीन गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक समर्पित वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित	1987	1.55*

*1988

जिन क्षेत्रों में हम सेवा प्रदान करते हैं

हरित ऊर्जा वित्तपोषण क्षेत्र में अग्रणी

- ग्राउंड माउंटेड सोलर
- रूफटॉप सोलर
- फ्लोटिंग सोलर

- तटवर्ती हवा

- छोटा हाइड्रो
- बड़ा हाइड्रो

- हाइब्रिड आरई
- जैव ईंधन (बायोगैस, बायोएथेनॉल)
- बायोमास और सह–उत्पादन
- अपशिष्ट से ऊर्जा

उभरते क्षेत्रों में पहला प्रस्तावक

- ईवी बेड़े (4–पहिया, ई–रिक्शा, 2–पहिया वाहन आदि)

- माइक्रोग्रिड्स
- पारेषण एवं वितरण के लिए राज्य उपयोगिताएँ

- आरई विनिर्माण (सौर पीवी विनिर्माण, डब्ल्यूटीजी विनिर्माण, इलेक्ट्रोलाइजर)

नये विकसित क्षेत्रों में पैर जमाना और विस्तार करना

- बैटरी भंडारण मूल्य–श्रृंखला
- पंप–हाइड्रो भंडारण

- ईवी मूल्य–श्रृंखला (बैटरी, रीसाइक्लिंग)

- ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे डेरिवेटिव

- ऊर्जा दक्षता
- तरंग और ज्वारीय ऊर्जा

उत्पाद जो हम पेश करते हैं

पूर्व कमीशनिंग से

- ऋण सिंडिकेशन
- सावधि ऋण
- कॉम्फोर्ट पत्र

कमीशनिंग के बाद

- मौजूदा ऋण/बांड का पुनर्वित्तयन
- प्रतिभूतिकरण के विरुद्ध सावधि ऋण
- टॉप–अप ऋण
- बांड के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी

दोनों

- काउंटर गारंटी/प्वाइंट ऑन ऑर्डर साधन
- अल्पावधि ऋण सहायता
- ब्रिज ऋण
- एनबीएफसी को ऋण देना

विषय सूची

1.	निदेशक मंडल	9
2.	नोटिस	11
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	21
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	30
5.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	63
6.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	66
7.	कॉरपोरेट सुशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र	71
8.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	101
9.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	117
10.	तुलन–पत्र	135
11.	लाभ और हानि का विवरण	137
12.	नकद प्रवाह का विवरण	139
13.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	142
14.	वित्तीय विवरणी पर नोट	145

कंपनी की जानकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री प्रदीप कुमार दास
कार्यवाहक निदेशक	श्री चिंतन शाह (04.03.2023 तक)
नामांकित निदेशक	श्री पदम लाल (07.02.2023 से प्रभावी) श्री अजय यादव (14.02.2023 से प्रभावी) श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन (25.10.2022 तक) श्री दिनेश दयानंद जगदाले (07.02.2023 तक)
स्वतंत्र निदेशक	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट डॉ जगनाथ सी.एम. जोदीधर श्री राम निहाल (09.03.2023 से प्रभावी) श्रीमती रोहिणी रावत (09.03.2023 से प्रभावी)
मुख्य वित्त अधिकारी	डॉ रमेश चन्द्र शर्मा
कंपनी सचिव	श्री सुरेंद्र सुयाल (31.10.2022 तक) श्रीमती एकता मदान (01.11.2022 से प्रभावी)
सीआईएन	U65100DL1987GOI027265
पंजीकृत कार्यालय	भारत पर्यावास केंद्र कोर 4 'ए', ईस्ट कोर्ट प्रथम तल, लोधी रोड नई दिल्ली -110003
कॉर्पोरेट कार्यालय	तीसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066
सांविधिक लेखा परीक्षक	मैसर्स डीएसपी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट 783, देशबंधु गुप्ता रोड, फैज रोड क्रॉसिंग के पास, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सचिवीय लेखा परीक्षक	मैसर्स पी सी जैन एंड कंपनी कंपनी सचिव #2382, सेक्टर-16, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
बैंकर्स	बैंक ऑफ बड़ौदा येस बैंक भारतीय स्टेट बैंक आईडीबीआई बैंक एचडीएफसी बैंक
स्टॉक एक्सचेंज	बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध बॉण्ड

निदेशक मंडल

(21 जून, 2023 के अनुसार)



श्री प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07448576)



श्री पदम लाल
सरकार नामित निदेशक
(डीआईएन: 10041387)



श्री अजय यादव
सरकार नामित निदेशक
(डीआईएन: 10046617)



श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 09483059)



डॉ जगनाथ सी.एम. जोदीधर
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 09556253)



श्री राम निहाल
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 10064841)



श्रीमती रोहिणी रावत
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 10064820)

वरिष्ठ प्रबंधन

(21 जून, 2023 के अनुसार)



डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और सीएफओ



श्री सोम पाल
महाप्रबंधक (टीएस)



श्रीमती देबजानी भाटिया
महाप्रबंधक (टीएस)



श्रीमती माला घोष चौधरी
महाप्रबंधक (एचआरएम)



श्री भारत सिंह राजपूत
महाप्रबंधक (टीएस)



श्री आर.के. विमल
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री एस.के. डे
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री ए. चंद्रशेखर
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री के.पी. फिलिप
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री राजेंद्र सिंह
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



सुश्री दुर्रे शाहवर
अपर महाप्रबंधक (एचआर)



श्री पल्लव कपूर
प्रमुख जोखिम अधिकारी



श्रीमती एकता मदान
कंपनी सचिव

सूचना

इसके द्वारा **सूचना** दिया जाता है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के सदस्यों की छत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **शुक्रवार, 30 जून, 2023 को दोपहर 12:30 बजे अल्प सूचना पर जुनिपर हॉल, ग्राउंड फ्लोर, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003** पर निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदन करना और अपनाना।

विशेष व्यवसाय:

2. कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में श्री पदम लाल (डीआईएनः 10041387) की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना, एक साधारण संकल्प के रूप में:

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 17 (1 सी) और अन्य लागू कानूनों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है। (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 74 और आदेश संख्या के संदर्भ में, 340/85/2017–इरेडा दिनांक 7 फरवरी, 2023 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा जारी, श्री पदम लाल (डीआईएनः 10041387) जिन्हें कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था। 7 फरवरी, 2023 (डीआईएन आवंटन तिथि) अगले आदेश तक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा, 16 सितंबर, 2020 से कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में 7 फरवरी, 2023 से नियुक्त किया जाता है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में श्री अजय यादव (डीआईएनः 10046617) की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना, एक साधारण संकल्प के रूप में:

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 17 (1 सी) और अन्य लागू कानूनों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है। (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 74 और आदेश संख्या के संदर्भ में, 340/85/2017–इरेडा दिनांक 7 फरवरी, 2023 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा जारी किया गया, श्री अजय यादव (डीआईएनः 10046617) जिन्हें कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था। 14 फरवरी, 2023 (डीआईएन आवंटन तिथि) अगले आदेश तक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा, 14 फरवरी, 2020 से कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में 14 फरवरी, 2023 नियुक्त किया जाता है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री राम निहाल (डीआईएनः 10064841) की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और, यदि उपयुक्त समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 17 (1 सी) और अन्य के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया गया है। लागू कानून (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 74 और आदेश संख्या के संदर्भ में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा जारी 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 6

मार्च, 2023, श्री राम निहाल (डीआईएनः 10064841) जिन्हें अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी का एमएनआरई आदेश दिनांक 6 मार्च, 2023 के संदर्भ में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या एमएनआरई के अगले आदेश तक, निदेशक मंडल की सिफारिश पर, 9 मार्च, 2023 (डीआईएन आवंटन तिथि) नामांकन और पारिश्रमिक समिति, को इसके द्वारा दिनांक 01.10.2017 से कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है। 9 मार्च, 2023 से 8 मार्च, 2026 तक या एमएनआरई के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो; और रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।"

5. श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएनः 10064820) कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और, यदि उपयुक्त समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करनाः

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 17 (1 सी) और अन्य के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया गया है। लागू कानून (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 74 और आदेश संख्या के संदर्भ में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), द्वारा जारी 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 6 मार्च, 2023 को श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएनः 10064820) जिन्हें दिनांक 01.12.2019 से कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। 9 मार्च, 2023 (डीआईएन आवंटन तिथि) उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या एमएनआरई के अगले आदेश तक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 9 मार्च, 2023 से 8 मार्च, 2026 तक या एमएनआरई के अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा और रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।"

6. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़े गए अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, ₹50,000 (केवल पचास हजार रुपये) का पारिश्रमिक तय किया गया है। प्लस लागू कर, (जेब से खर्च सहित), मेसर्स को देय। चंद्रा वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार, (फर्म पंजीकरण संख्या 000239), वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, की पुष्टि और अनुसमर्थन किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के लिए

ह/-
(एकता मदान)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A23391

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2023

टिप्पणियाँ:

1. **वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है। हालाँकि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।**
2. वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
3. बैठक अधिनियम के तहत आवश्यक कम समय का नोटिस देकर बुलाई गई है। सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।
4. नोटिस में उल्लिखित वैधानिक रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेज इस नोटिस के प्रसार की तारीख से एजीएम की तारीख तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
5. एजीएम स्थल के लिए उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इसके साथ संलग्न है।



10 अगस्त, 2022 को आयोजित इरेडा की 35वीं वार्षिक आम बैठक

व्याख्यात्मक विवरण
(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसार)

निम्नलिखित विवरण नोटिस में उल्लिखित विशेष व्यवसाय से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है।

मद संख्या 2

कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में श्री पदम लाल (डीआईएनः10041387) की नियुक्ति।

इरेडा एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति के पास कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्तियां होंगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने आदेश क्रमांक 340/85/2017–इरेडा दिनांक 7 फरवरी, 2023 ने तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, इरेडा के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री पदम लाल की नियुक्ति के बारे में सूचित किया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, श्री पदम लाल को कंपनी के बोर्ड में निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में अगले आदेश तक 7 फरवरी, 2023 (डीआईएन आवंटन तिथि) को नियुक्त किया था। सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी की अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

श्री पदम लाल कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वह संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार (जेएस और एफए), नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार (भारत सरकार) हैं। वह भारत सरकार के रक्षा लेखा विभाग में 1992 के भारतीय रक्षा लेखा सेवा बैच के रूप में शामिल हुए। नागरिक उड्डयन और एमएनआरई मंत्रालय में जेएस और एफए का पद संभालने से पहले, वह दिल्ली कैंट में एकीकृत वित्तीय सलाहकार (बीआर) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अंडमान निकोबार कमान आदि में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को भी संभाला है।

कंपनी को श्री पदम लाल से लिखित में सहमति और घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। श्री पदम लाल द्वारा प्रदान की गई आगे की घोषणा और वचन पर विचार किया गया है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड। श्री पदम लाल रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई आदेश दिनांक 7 फरवरी, 2023 और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी। सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

श्री पदम लाल को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई चिंता या रुचि नहीं है।

कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस का बोर्ड आइटम नंबर 2.पर समाधान की सिफारिश करता है।

मद संख्या 3

कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में श्री अजय यादव (डीआईएनः10046617) की नियुक्ति।

इरेडा एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति के पास कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्तियां होंगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने आदेश क्रमांक 340/85/2017–इरेडा दिनांक 7 फरवरी, 2023 ने तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, इरेडा के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री अजय यादव की नियुक्ति के बारे में सूचित किया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, श्री अजय यादव को कंपनी के बोर्ड में निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में 14 फरवरी, 2023 (डीआईएन आवंटन तिथि) अगले आदेश तक नियुक्त किया था। सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी की अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

श्री अजय यादव, कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं। वह बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। एमएनआरई में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने अपना करियर पटना, बिहार में एक सहायक कलेक्टर के रूप में शुरू किया था और बाद में भारत और राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

कंपनी को श्री अजय यादव से लिखित में सहमति और घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। श्री अजय यादव द्वारा प्रदान की गई आगे की घोषणा और वचन पर विचार किया गया है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड। श्री अजय यादव चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होंगे। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई आदेश दिनांक 7 फरवरी, 2023 और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी। सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है। श्री अजय यादव के पास भारत सरकार की ओर से नामांकित व्यक्ति के रूप में कंपनी के ₹10 प्रत्येक के 100 इक्विटी शेयर हैं।

श्री अजय यादव को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई चिंता या रुचि नहीं है।

बोर्ड आइटम नंबर 3. पर कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के लिए नोटिस का समाधान की सिफारिश करता है।

मद संख्या 4

कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री राम निहाल (डीआईएनः 10064841) की नियुक्ति।

इरेडा एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति के पास कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्तियां होंगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 6 मार्च, 2023 के माध्यम से अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक के रूप में श्री राम निहाल की नियुक्ति के बारे में सूचित किया है (स्वतंत्र निदेशक) इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इरेडा के बोर्ड में। कंपनी के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्री राम

निहाल को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया था। 9 मार्च, 2023 (डीआईएन आवंटन तिथि)। सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी की अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

इसके अलावा सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 25 (2ए) के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

श्री राम निहाल, कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। उनके पास कानून के साथ–साथ वाणिज्य में भी स्नातक की डिग्री है। वह एक वकील हैं और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में योग शिविरों का आयोजन करते हैं और समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं।

संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्ट के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

कंपनी को श्री राम निहाल से लिखित में सहमति और घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के प्रावधान के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। श्री राम निहाल द्वारा प्रदान की गई आगे की घोषणा और वचन पर विचार किया गया है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड। श्री राम निहाल चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई आदेश दिनांक 6 मार्च, 2023 और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी। स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार हैं।

श्री राम निहाल को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को उक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई चिंता या रुचि नहीं है।

कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के लिए नोटिस का बोर्ड आइटम नंबर 4 पर समाधान की सिफारिश करता है।

<u>मद संख्या 5</u>

श्रीमती की नियुक्ति रोहिणी रावत (डीआईएनः 10064820) कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में।

इरेडा एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति के पास कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्तियां होंगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 6 मार्च, 2023 के माध्यम से श्रीमती की नियुक्ति के बारे में सूचित किया है। रोहिणी रावत, इस आदेश के जारी होने की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तीन साल की अवधि के लिए इरेडा के बोर्ड में अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में। कंपनी के निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्रीमती रोहिणी रावत, दिनांक 01.10.2017 से कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 9 मार्च, 2023 (डीआईएन आवंटन तिथि) की नियुक्ति की थी। सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति के लिए, अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

इसके अलावा सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 25 (2ए) के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

श्रीमती रोहिणी रावत, कंपनी की अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। वह रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली (यूपी) से एम.ए. (अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. पूर्व में, वह 2013 से 2018 तक नगर पालिका परिषद जोशीमठ की अध्यक्ष थीं और वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 2004 से 2007 तक महिला आयोग, उत्तराखंड राज्य की सदस्य भी थीं।

संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य

लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

कंपनी को श्रीमती रोहिणी रावत से लिखित में सहमति और घोषणा प्राप्त हुई है। ने कहा कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। श्रीमती रोहिणी रावत द्वारा आगे की घोषणाएं और वचन दिए गए हैं। को कंपनी के निदेशक मंडल ने रिकॉर्ड पर ले लिया है। श्रीमती रोहिणी रावत रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई आदेश दिनांक 6 मार्च, 2023 और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी। स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार हैं।

श्रीमती रोहिणी रावत, को छोड़कर किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को उक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई चिंता या रुचि नहीं है।

कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के लिए नोटिस बोर्ड की आइटम नंबर 5 पर समाधान की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 148 के साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के अनुसार, लागत ऑडिटर की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी जैसा कि अनुमोदित किया जा सकता है। शेयरधारक। कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के तहत, लागत ऑडिटर की नियुक्ति करते समय बोर्ड को उन्हें देय पारिश्रमिक को मंजूरी देनी होगी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा के अनुसार, बोर्ड ने मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी, (फर्म पंजीकरण संख्या 000239), वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में ₹50,000/– (केवल पचास हजार रुपये) (पॉकेट खर्चों सहित) और लागू करों के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया है।

नोटिस में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आइटम संख्या 6 में निर्धारित एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके शेयरधारकों की मंजूरी मांगी जाती है।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल आइटम नंबर 6 में दिए गए प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के लिए

ह/-
(एकता मदान)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A23391

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2023

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

सीआईएन: U65100DL1987GOI027265

पंजीकृत कार्यालय : कोर-4 'ए', प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

फोन: 011-24682214/फैक्स:91-11-24682202. वैबसाइट: www.ireda.in ईमेल: cmd@ireda.in

उपस्थिति पर्ची

36वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 30 जून, 2023 को अपराह्न 12:30 बजे जुनिपर हॉल, भूतल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में होगी

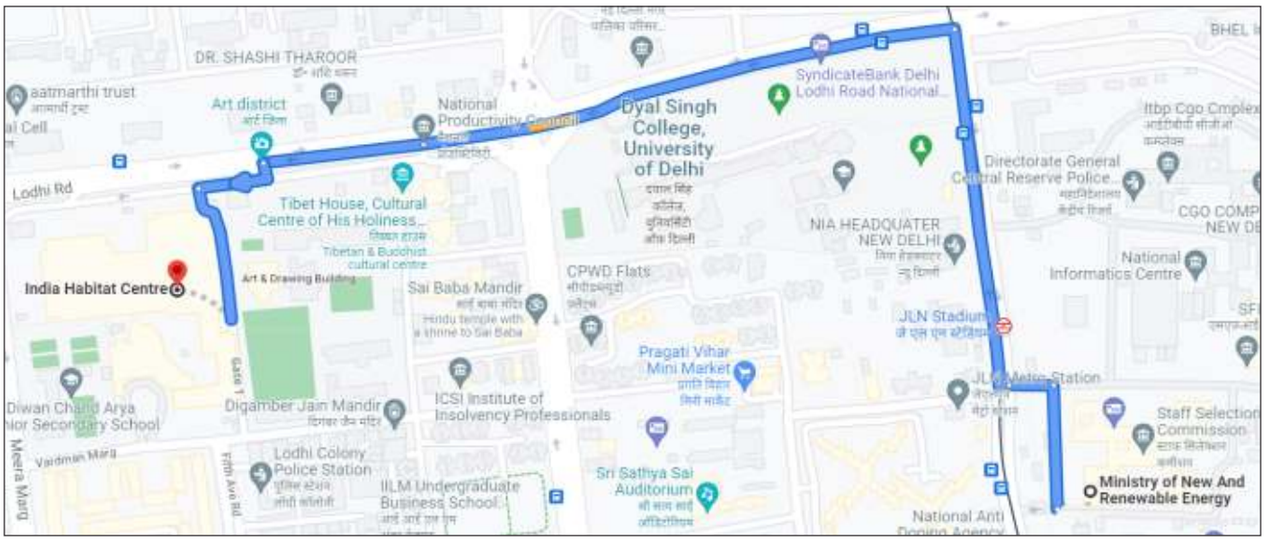
भाग लेने वाले सदस्य का नाम (बड़े अक्षरों में)	
*फोलियो सं.	
डीपी आईडी नंबर–क्लाइंट आईडी नंबर	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (सदस्य के बदले प्रॉक्सी उपस्थिति यदि हो तो बड़े अक्षरों में भरें)	

मैं एतद्द्वारा शुक्रवार, 30 जून, 2023 को अपराह्न 12:30 बजे आयोजित कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

*भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में लागू

एजीएम के स्थान के लिए मार्ग मानचित्र



भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
सीआईएन: U65100DL1987GOI027265
पंजीकृत कार्यालय : कोर-4 'ए', प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोन: 011-24682214/फैक्स:91-11-24682202. वैबसाइट: www.ireda.in ईमेल: cmd@ireda.in

प्रॉक्सी प्रारूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (सदस्यों) का नाम: पंजीकृत पता : ईमेल आईडी: फोलियो नंबर और डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी:

मैं/हम _____ के सदस्य होने के नाते ..... उपरोक्त नामित कंपनी के शेयर, एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं

1. नाम :..... ईमेल आईडी: .....
   पता :..... हस्ताक्षर: ..... या उसके असफल होने पर
2. नाम :..... ईमेल आईडी .....
   पता :..... हस्ताक्षर: .....

मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में **शक्रवार दिनांक 30, जून 2023** को आयोजित होने वाली कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से (मतदान पर) भाग लेने और मतदान करने के लिए अपराह्न 12:30 बजे जूनिपर हॉल, भूतल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे संकल्प के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

मद संख्या	विषय	के लिए	के विरूद्ध
साधारण व्यवसाय:			
1.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदन करना और अपनाना।		
विशेष व्यवसाय:			
2.	कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में श्री पदम लाल (डीआईएन : 10041387) की नियुक्ति।		
3.	कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में श्री अजय यादव (डीआईएन : 10046617)) की नियुक्ति।		
4	कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री राम निहाल (डीआईएन : 10064841) की नियुक्ति।		
5.	श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन : 10064820) की नियुक्ति कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में।		
6.	वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन 2023–24।		

_____, 2023 के दिन पर हस्ताक्षर किए गए.

प्रत्यय राजस्व टिकट

शेयरधारक के हस्ताक्षर _____

प्रतिनिधि धारक(धारकों) के हस्ताक्षर _____

नोट : प्रतिनिधि के इस रूप को प्रभावी होने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत रूप से पूरा और जमा किया जाना चाहिए।

निदेशकों की प्रोफाइल



श्री प्रदीप कुमार दास (डीआईएन: 07448576)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रदीप कुमार दास, 6 मई, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सहायक सदस्य हैं। उनके पास जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। कंपनी में शामिल होने से पहले, वह भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) में निदेशक (वित्त) थे। उन्होंने आरईसी लिमिटेड (पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीएल), भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य संगठन के साथ भी काम किया है। उनके पास सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वित्त, बैंकिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऑडिट, संसाधन जुटाना और ट्रेजरी, ऋण और रिकवरी प्रबंधन, विनिवेशधविनिवेश आदि में विभिन्न पदों पर 36 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। वह सरकार द्वारा गठित विभिन्न उच्च–स्तरीय समितियों, विभिन्न रणनीतिक निर्णयों के लिए भारत के निकाय और उद्योग संघके एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं।।

श्री पदम लाल (डीआईएन: 10041387)

सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री पदम लाल, कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वह संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार (जेएस और एफए), नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार (भारत सरकार) हैं। वह भारत सरकार के रक्षा लेखा विभाग में 1992 के भारतीय रक्षा लेखा सेवा बैच के रूप में शामिल हुए। नागरिक उड्डयन और एमएनआरई मंत्रालय में जेएस और एफए का पद संभालने से पहले, वह दिल्ली कैंट में एकीकृत वित्तीय सलाहकार (बीआर) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अंडमान निकोबार कमान आदि में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को भी संभाला है।



श्री अजय यादव (डीआईएन: 10046617)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री अजय यादव, कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं। वह बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। एमएनआरई में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने अपना करियर पटना, बिहार में एक सहायक कलेक्टर के रूप में शुरू किया था और बाद में सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन: 09483059)



स्वतंत्र निदेशक

श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट 28 जनवरी, 2022 से कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। उनके पास कानून के साथ–साथ वाणिज्य में भी स्नातक की डिग्री है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं।



डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर (डीआईएन: 09556253)

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर, 31 मार्च, 2022 से कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। वह नारायण अस्पताल, थिंडलू और प्रोलाइफ अस्पताल, बयातारायणपुरा, बैंगलोर में एक सलाहकार चिकित्सक और मधुमेह विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एमबीबीएस और एमडी (इंटरनल मेडिसिन) पूरा किया है। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, येलहंका शाखा के कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं/परामर्श प्रदान करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

श्री राम निहाल (डीआईएन: 10064841)



स्वतंत्र निदेशक

श्री राम निहाल, 09 मार्च, 2023 से कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। उनके पास कानून के साथ–साथ वाणिज्य में भी स्नातक की डिग्री है। वर्तमान में, वह एक वकील और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में योग शिविर आयोजित करते हैं और समाज में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं।



श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन: 10064820)

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती रोहिणी रावत, 09 मार्च, 2023 से कंपनी की अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। वह रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली (यूपी) से एमए (अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर हैं। फिलहाल वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पूर्व में, वह 2013 से 2018 तक नगर पालिका परिषद जोशीमठ की अध्यक्ष थीं और वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 2004 से 2007 तक महिला आयोग, उत्तराखंड राज्य की सदस्य भी थीं।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश



प्रिय हितधारकों,

भारतीय हरित वित्तपोषण क्षेत्र में असाधारण वित्तीय प्रदर्शन और योगदान के एक और वर्ष को चिह्नित करते हुए आपकी कंपनी की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना एक बड़ा सम्मान है।

वैश्विक हरित वित्तपोषण परिदृश्य

ब्लूमबर्ग के अनुसार ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक निवेश 2022 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2021 में 849 बिलियन डॉलर और 2011 में केवल 267 बिलियन डॉलर था। इस आंकड़े में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश शामिल है, जैसे कि नवीकरणीय, भंडारण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित हाइड्रोजन, रीसाइक्लिंग, और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ–साथ हीट–पंप और शून्य–उत्सर्जन वाहन, छोटे पैमाने पर सौर प्रणाली जैसे कम कार्बन ऊर्जा उपकरणों की अंतिम उपयोगकर्ता खरीद भी शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा 2022 में 495 बिलियन डॉलर आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र था, जबकि विद्युतीकृत परिवहन क्षेत्र 466 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बनकर उभरा, जो 2021 से 54% अधिक था।

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के अनुमान के अनुसार, वैश्विक नवीकरणीय उत्पादन क्षमताध दिसंबर 2022 तक 3372 गीगावॉट तक पहुंच गई, जिसमें 2021 की तुलना में 9.6% की वृद्धि है, जिसमें स्थापित क्षमता के अनुसार हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा क्रमशः 37%, 31% और 27% की अग्रणी है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप 21) में 196 दलों द्वारा अपनाए गए ऐतिहासिक पेरिस समझौता 2015 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक तापमान में औसत वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के महत्व पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आई ई ए) के अनुमान के अनुसार, इस तापमान सीमा को प्राप्त करने के लिए 2050 तक वैश्विक स्तर पर शुद्ध–शून्य उत्सर्जन की आवश्यकता होगी। इसके लिए, कम–कार्बन के महत्वपूर्ण विकार्बनन स्तंभों, नवीकरणीय–आधारित विद्युतीकरण, ईंधन, ऊर्जा दक्षता, और

कार्बन कैप्चर और भंडारण में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी।

2050 तक अपने वैश्विक नेट–शून्य मानचित्र में, आईईए का अनुमान है कि ऊर्जा निवेश के लिए वार्षिक वैश्विक आवश्यकता 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2050 तक 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिसमें से 85% से अधिक का उपयोग हरित प्रौद्योगिकियों और विद्युतीकरण के लिए किया जाएगा। इस संदर्भ में, जलवायु वित्तपोषण संस्थान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि वैश्विक निधियों को क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकार्बनन निवेश की ओर उचित रूप से प्रवाहित किया जाए।

भारत हरित वित्तपोषण परिदृश्य

पिछला वर्ष भारत में हरित वित्तपोषण उद्योग के लिए घटनापूर्ण था, जो महत्वपूर्ण अवसरों के साथ–साथ कुछ चुनौतियाँ भी लेकर आया।

हमारे देश के हरित परिवर्तन कार्यसूची को भारत के जी20 अध्यक्ष पद पर आसीन होने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा, दूरदर्शी "पंचामृत" लक्ष्यों पर आधारित भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा ने देश के लिए एक स्पष्ट और सामान्य लक्ष्य स्थापित किया– 2030 तक गैर–जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट ऊर्जा और 2070 तक शुद्ध–शून्य उत्सर्जन। भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर साल महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी। आईए के अनुमान के अनुसार, 2070 तक शुद्ध–शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए सालाना औसतन $160 बिलियन की आवश्यकता होगी। एक समर्पित हरित ऋण संस्थान के रूप में, आपकी कंपनी देश भर में वित्तपोषण समाधान प्रदान करके जलवायु परिवर्तन यात्रा में देश का समर्थन करने के लिए नेट–शून्य प्रौद्योगिकियों के स्पेक्ट्रम उत्साहित है।

पिछले वर्ष के दौरान, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा क्योंकि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें तेजी से बढ़ीं, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। वित्त वर्ष 23 के दौरान, भारत की रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि हुई, जो हाल के वर्षों में सबसे तेज वृद्धि में से एक है, जिसने व्यापार वृद्धि के साथ–साथ वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए लाभप्रदता को प्रभावित किया। हालाँकि, चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने वित्तपोषण की मात्रा बढ़ाकर, हमारे उधारकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश करके और नई हरित प्रौद्योगिकियों और उभरते व्यापार मॉडल का समर्थन करने के लिए नए उत्पादों को लॉन्च करके भारत के हरित क्षेत्र की वित्तपोषण आवश्यकताओं का समर्थन करना जारी रखा है।

वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

वित्त वर्ष 23 में, मजबूत व्यापार वृद्धि और लाभप्रदता

आपकी कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक वार्षिक मंजूरी, संवितरण, ऋण पुस्तिका, लाभ और निवल मूल्य हासिल किया। हमारे प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट नीचे देखा जा सकता है:

- ₹32,586.60 करोड़ की मंजूरी (36.23% वृद्धि बनाम वित्त वर्ष 22)
- ₹21,639.21 करोड़ संवितरण (वित्त वर्ष 22 की तुलना में 34.65% अधिक)
- ₹47,076 करोड़ ऋण बुक (38.75% वृद्धि बनाम वित्तीय वर्ष 22)
- ₹1139.25 करोड़ कर पूर्व लाभ और ₹864.63 करोड़ कर पश्चात लाभ (वित्त वर्ष 22 की तुलना में क्रमशः 36.63% और 36.48% अधिक)
- ₹5,935.17 करोड़ नेट वर्थ (12.66% वृद्धि बनाम वित्त वर्ष 22)

स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता

व्यवसाय वृद्धि के साथ–साथ, आपकी कंपनी ने अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार पर भी मजबूत ध्यान केंद्रित किया है। आपकी कंपनी ने मासिक आंतरिक स्थिति समीक्षा और उधारकर्ताओं के साथ त्रैमासिक बातचीत के साथ एक संरचित वसूली और निगरानी तंत्र स्थापित किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए अपनी नीति में संशोधन करके पुनर्प्राप्ति दक्षता को अधिकतम करने के लिए कदम उठाए हैं।

एक ठोस अभियान के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी ₹202.43 करोड़ की वसूली के साथ 18 गैर–निष्पादित परियोजना ऋण खातों को बंद/अपग्रेड करने में सक्षम हुई, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 23 के अंत में एनपीए अनुपात में स्वस्थ सुधार हुआ जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:

- 3.21% सकल एनपीए (वित्त वर्ष 22 में 5.21% की तुलना में)
- 1.66% शुद्ध एनपीए (वित्त वर्ष 22 में 3.12% की तुलना में)

एमएनआरई के साथ एमओयू पर 'उत्कृष्ट' प्रदर्शन की उम्मीद

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 के लिए वित्तीय और परिचालन लक्ष्य निर्धारित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी अपने प्रदर्शन के आधार पर 'उत्कृष्ट' रेटिंग की उम्मीद कर रही है (भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के अधीन))। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 21 और वित्तीय वर्ष 22 में उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की।

मान्यताएँ और पुरस्कार

आपकी कंपनी को हरित वित्तपोषण क्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए कई क्षेत्रों से मान्यता मिली है:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा प्रदान करना;
- इरेडा बांड जारी करने के लिए आई सी आर ए लिमिटेड (मूडीज कंपनी) द्वारा क्रेडिट रेटिंग को एए+ (पॉजिटिव) से एएए (स्थिर) में अपग्रेड किया गया।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 12वें पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 में मिनीरत्न श्रेणी के तहत "कंपनी ऑफ द ईयर", "सीएमडी ऑफ द ईयर" और "परिचालन प्रदर्शन उत्कृष्टता (प्रथम रनर–अप)";
- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए "केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार 2022"; और
- एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसियों ऑफ स्टेट्स (एआरईएएस) द्वारा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में "2021–22 में उच्चतम ऋण मंजूरी और संवितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एनबीएफसी"

प्रस्तुत उत्पाद, नीतियां और सेवाएं

नए उत्पाद लॉन्च किए गए और वित्तपोषण नीतियां अद्यतन की गईं

हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक उत्प्रेरक वित्तपोषण इकाई के रूप में, आपकी कंपनी ने नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने के लिए अपने परिचालन के दायरे को बढ़ाया है। आपकी कंपनी अब बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण, ऊर्जा भंडारण, ई–गतिशीलता, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट मीटरिंग, इथेनॉल और संपीड़ित बायोगैस उत्पादन, आदि के साथ–साथ किसी भी हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से संबंधित अन्य परियोजनाओं, योजनाओं या गतिविधियों में लगी संस्थाओं के लिए वित्तपोषण सहायता प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी ने क्षेत्र की उभरती जरूरतों के जवाब में अपनी वित्तपोषण नीतियों को अद्यतन किया है। कुछ प्रमुख अद्यतन हैं:

- आरई परियोजना विस्तारध्सहायक कंपनियों में निवेश के लिए अल्पावधि ऋण (संपार्श्विक के विरुद्ध);
- चालू परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण विस्तार और पुनर्वित्तीयन;
- ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण;
- पहली उत्पादन के इथेनॉल परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 95% तक बढ़ा हुआ ऋण कवर; और
- सौर, पवन, पनबिजली और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 80% तक उच्च ऋण कवर।

प्रमुख एमएनआरई योजनाओं के लिए कार्यान्वयन सहायता प्रदान की गई

आपकी कंपनी ने चार प्रमुख एमएनआरई योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य किया है, अर्थात:

- एमएनआरई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना, चरण–II (सरकारी उत्पादक योजना);
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम;
- पीएलआई योजना के तहत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, किश्त–I; और
- उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना।

साझेदारों को सह–उधार और परामर्श सेवाएँ प्रदान की गईं

आपकी कंपनी ने इनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

- आरई परियोजनाओं के सह–उधार और सह–उत्पत्ति के लिए बैंक ऑफ इंडिया।

- महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (महाप्रित) आरई परियोजनाओं के लिए तकनीकी–वित्तीय परामर्श प्रदान करना।

प्रमुख परिचालन पहल शुरू की गई

आपकी कंपनी ने अपने प्रमुख हितधारकों के लिए कई प्रमुख पहल शुरू की हैं, जो उधारकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, अपने मानव संसाधनों को विकसित करने, कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने और प्रभावशाली सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए तैयार हैं।

उधारकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने की पहल

- **उधारकर्ताओं के साथ नियमित संपर्क:** उधारकर्ताओं की चिंताओं को समझने और सक्रिय रूप से संबोधित करने, हमारे उधारकर्ताओं के साथ एक मजबूत संबंध बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए उधारकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और आईआरईडीए प्रबंधन के साथ शहरों में भौतिक और आभासी बातचीत आयोजित की गई।

- **डिजिटल रूप से सक्षम प्रक्रिया दक्षता और पारदर्शिता:** हमारे एकीकृत आईटी समाधान (ई–ऑफिस और डायनेमिक्स 365 ईआरपी) के माध्यम से डिजिटल प्रसंस्करण के माध्यम से मंजूरी और संवितरण के लिए चक्र समय में कमी हासिल की गई है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने एक ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां ग्राहक वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और प्रासंगिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से अपलोड और एक्सेस कर सकते हैं।

मानव संसाधन विकसित करने की पहल

- **श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी–वित्तीय कर्मचारी प्रशिक्षण:** आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी आंतरिक क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है कि हमारे कर्मचारियों को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्राप्त हों। उभरती हरित प्रौद्योगिकियों और नवीन वित्तपोषण संरचनाओं को समझने के साथ–साथ नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए कर्मचारियों ने प्रमुख शिक्षाविदों और पेशेवरों से प्रशिक्षण के 1,671 दिनों को पूरा किया।

- **नई और पार्श्व भर्ती:** हम अपनी मजबूत वृद्धि के अनुरूप अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। इस वर्ष कार्यकारी–प्रशिक्षु से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक 10 नए कर्मियों को नियुक्त किया गया। हम आईआईटी, आईआईएम इत्यादि जैसे प्रमुख संस्थानों से नई नियुक्तियों के माध्यम से अपने कर्मचारी आधार को और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, और बड़े पैमाने पर/नवीकरणीय वित्तपोषण में महत्वपूर्ण अनुभव के साथ पार्श्व नियुक्तियों का चयन करते हैं।

- **विविधता को बढ़ावा:** आपकी कंपनी में महिला कर्मचारी 26.87% कार्यबल हैं। हम एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिभा आकर्षण, कर्मचारी जुड़ाव और प्रतिधारण प्रथाओं के साथ उचित प्रतिनिधित्व और विविधता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- **कर्मचारी कल्याण के लिए नियमित गतिविधियाँ:** मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के लिए दैनिक ध्यान सत्र और योग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। घनिष्ठ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ष स्वास्थ्य शिविर और मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच और साइक्लोथॉन जैसे खेल कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए पहल

आपकी कंपनी व्यवसाय के कुशल और नैतिक आचरण के लिए व्यावसायिकता, अखंडता, जवाबदेही, निष्पक्षता, पारदर्शिता, सामाजिक जवाबदेही और व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

वित्त वर्ष 22 में, आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर वार्षिक लेखापरीक्षित परिणाम प्रकाशित करने वाली पहली सीपीएसई थी जबकि सेबी 60 दिनों की अनुमति देता है। वित्तीय वर्ष 23 में, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 25 दिनों के भीतर अपने लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम प्रकाशित किए जो इसकी सुव्यवस्थित आंतरिक प्रक्रियाओं और डिजिटलीकृत डेटा प्रबंधन का प्रमाण है।

आपकी कंपनी अपने ग्राहकों के लिए प्रतिबंधों के लिए भौतिक दौरे की आवश्यकता के बिना, व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए अपने संचालन और सेवाओं का डिजिटलीकरण कर रही है।

बढ़ी हुई पारदर्शिता के लिए किसी भी चिंता को उठाने में हितधारकों को सक्षम करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल होस्ट किया गया है।

प्रभावशाली निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए पहल

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 में सीपीएसई के लिए "स्वास्थ्य और पोषण" की वार्षिक थीम के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ खुद को जोड़ लिया है।

वित्त वर्ष 23 के दौरान स्वीकृत कुल 13 सीएसआर परियोजनाओं में से आपकी कंपनी ने 10 परियोजनाएं शुरू की हैं जो विशेष रूप से "स्वास्थ्य और पोषण" के डीपीई विषय पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने उत्तर प्रदेश के चंदौली और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का सौर्यीकरण किया है। परिव्यय के संदर्भ में, आपकी कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में सीएसआर परियोजनाओं पर कुल ₹697.44 लाख खर्च किए।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

भारत के हरित वित्तपोषण क्षेत्र और प्रमुख सरकारी पहलों पर नजर

हाल ही में जारी राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारत के बिजली मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी और ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए ऊर्जा भंडारण क्षमता के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। एनईपी द्वारा उल्लिखित वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 30 तक गैर–जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 10–वर्षीय मानचित्र के आधार पर, लगभग ₹21 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी।

चूँकि यह क्षेत्र तकनीकी प्रगति, ग्रिड संवर्द्धन और वित्तपोषण की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, भारत सरकार एक स्थायी और हरित भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए एक अनुकूल नीति वातावरण बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में लागू भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ और पहल इस प्रकार हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन/खरीद और ऊर्जा भंडारण के लिए दायित्व;
- राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा के आसान संचरण के लिए हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम;
- नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) योजना;
- विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करने के लिए सौर छत नीति और पीएम कुसुम योजना;
- अपशिष्ट से ऊर्जा, ब्रिकेट और बायोमास सह–उत्पादन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता;
- एकीकृत सौर पीवी विनिर्माण और मॉड्यूल विनिर्माण से जुड़े निविदाओं आदि के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देने और आपूर्ति–श्रृंखला लचीलेपन को बढ़ावा देने की योजनाएं;
- भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से घरेलू हरित हाइड्रोजन और डेरिवेटिव उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन;
- पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश; और
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हरित डे–अहेड और टर्म–अहेड बाजारों का उद्घाटन।

विकास के लिए समग्र रणनीति

शुद्ध–शून्य उत्सर्जन के लिए पारंपरिक और नई प्रौद्योगिकियों के पैमाने को बढ़ाने के लिए स्थायी वित्तपोषण की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी।

सौर, पवन और जल विद्युत से पारंपरिक आरई उत्पादन के अलावा, भारत सरकार कई उभरती और नई हरित प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा दे रही है। प्रमुखता हासिल करने के लिए तैयार उच्च क्षमता वाले उभरते क्षेत्रों में से कुछ हैं हरित हाइड्रोजन और अन्य व्युत्पन्न आधारित ईंधन, ऊर्जा भंडारण (बैटरी भंडारण और पंप स्टोरेज हाइड्रो सहित), ई–गतिशीलता, आदि।

मौजूदा कार्बन उत्सर्जन स्रोतों (जैसे ऊर्जा दक्षता उपकरण) आदि को सीमित करने के लिए शमन उपाय और पहले से हो रहे जलवायु परिवर्तन को प्रबंधित करने के लिए अनुकूलन समाधान (जैसे जलवायु–प्रतिरोधी और हरित बुनियादी ढाँचा, सूखा प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, प्रथाएँ, आदि) शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित मिशन लाइफ पहल के अनुरूप भी अधिक प्रचलित हो गया है जो जलवायु स्थिरता के लिए समग्र और व्यवहार–परिवर्तन संचालित दृष्टिकोण अपनाता है।

भारत की उत्प्रेरक हरित वित्तपोषण एजेंसी के रूप में, आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि क्षेत्र की (क) सही वित्तीय उत्पादों (ख) वित्त की सही लागत, और (ग) सही समय पर वित्तपोषण की आवश्यक मात्रा तक पहुंच हो।

आपकी कंपनी हरित ऊर्जा डेवलपर्स के साथ मिलकर उनकी बढ़ती वित्तीय उत्पाद आवश्यकताओं की पहचान करने और नए उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रही है। हमने पहले ही कई उभरते क्षेत्रों जैसे ई–मोबिलिटी, हरित हाइड्रोजन, हरित ट्रांसमिशन आदि के लिए वित्तपोषण उत्पाद लॉन्च किए हैं।

आपकी कंपनी उधारकर्ताओं के लिए धन की सही लागत सुनिश्चित करने के लिए परियोजना जोखिम के सटीक मूल्यांकन के लिए नए और उभरते क्षेत्रों में अपनी क्रेडिट मूल्यांकन विशेषज्ञता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। हमारी तकनीकी टीम पहले से ही भारत और विदेशों में अग्रणी संस्थानों में विशेषज्ञों के साथ सत्रों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नई हरित प्रौद्योगिकियों और व्यवसाय मॉडल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।

आपकी कंपनी सर्वोत्तम श्रेणी की प्रथाओं के अनुरूप क्रेडिट मूल्यांकन के लिए अपनी वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रियाओं और वितरण के बाद की निगरानी के लिए मेट्रिक्स को भी लगातार उन्नत कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान किए गए चेक के अलावा परियोजना व्यवहार्यता वित्तीय, अनुपालन प्रमाणीकरण और अन्य परियोजना से संबंधित दस्तावेजीकरण के लिए सत्यापन की एक अतिरिक्त परत के रूप में काम करने के लिए एक समर्पित वित्तीय सहमति टीम की स्थापना की है।

आपकी कंपनी हरित बॉन्ड सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार निर्गमों के साथ–साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय विकास संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तपोषण जुटाने के अपने प्रयास जारी रखेगी। इसके अलावा, आपकी कंपनी हरित डेवलपर्स की विदेशी मुद्रा ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईएफएससी गिफ्ट सिटी में एक कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। आपकी कंपनी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से कम लागत वाली और धैर्यवान पूंजी हासिल करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) स्थापित करने पर भी विचार कर रही है।

आपकी कंपनी के खजाना प्रबंधन, कानूनी दस्तावेजीकरण, वसूली, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालनध्शासन के सक्षम कार्यों को इसके विकास का समर्थन करने के लिए समवर्ती रूप से मजबूत किया जा रहा है।

आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए अनुमोदन

वर्तमान में, आपकी कंपनी ऋण–सूचीबद्ध है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अपनी दिनांक 17.03.2023 की बैठक में कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और कंपनी के नई इक्विटी शेयर पूंजी जारी करके आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

"नवरत्न" दर्जे में उन्नयन के लिए अनुमोदन मांगा गया

आपकी कंपनी को अनुसूची "ए" सीपीएसई में अपग्रेड करने और "नवरत्न" का दर्जा देने के प्रस्ताव की सिफारिश एमएनआरई द्वारा डीपीई, भारत सरकार को की गई है।

आभार

मैं हमारे संगठन को उनके अटूट समर्थन के लिए भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रति हार्दिक आभार और सराहना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं पूंजी निवेश और पूंजी वृद्धि के लिए लाभांश छूट के संदर्भ में उनकी सहायता के लिए विशेष रूप से आभारी हूं।

मैं अन्य सरकारी संस्थाओं जैसे सार्वजनिक उद्यम विभाग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों को धन्यवाद देता हूं।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और अन्य नियामक प्राधिकरणों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं देश भर के संस्थानों में शासन के मानकों में लगातार सुधार लाने की दिशा में उनके योगदान के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रति अपनी गहरी सराहना व्यक्त करना चाहता हूं।

राज्य सरकारों, राज्य बिजली उपयोगिताओं, हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी उद्यमियों और हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भागीदारों सहित हमारे ग्राहकों और ऋणदाताओं के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता है। हमारी कंपनी में उनका निरंतर विश्वास वास्तव में मूल्यवान है और हमारे लिए प्रेरक है।

मैं हमारी कंपनी को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों की सराहना करना चाहता हूं।

अंतिम लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण, मैं अपने समर्पित कर्मचारियों के अथक प्रयासों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी प्रतिबद्धता ने इरेडा को साल दर साल उत्कृष्टता के नए मानक हासिल करने में मदद की है।

इसके साथ ही, मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाने का अनुरोध करता हूं।

हार्दिक सम्मान के साथ,

धन्यवाद

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः– 07448576

दिनांकः 28 जून, 2023
स्थानः नई दिल्ली



माननीय केंद्रीय ऊर्जा और एनआरई मंत्री ने "मिनी–रत्न श्रेणी" के तहत "कंपनी ऑफ द ईयर", "सीएमडी ऑफ द ईयर" और "ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस (प्रथम रनर अप)" के लिए 12वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार, 2022 जीतने के लिए इरेडा की प्रशंसा की। ।



इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास को 17 मार्च 2023 को मिनी–रत्न श्रेणी के तहत "12वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2022" में इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार "सीएमडी ऑफ द ईयर" प्राप्त हुआ।



इरेडा को 17 मार्च 2023 को "12वें पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022" में इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मिनी–रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित पुरस्कार "ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस (प्रथम रनर–अप)" प्राप्त हुआ।



इरेडा को 17 मार्च 2023 को "12वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2022" में इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मिनी–रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित पुरस्कार "कंपनी ऑफ द ईयर" प्राप्त हुआ।

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्य,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 36वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं। (वित्त वर्ष 23)।

1. प्रदर्शन का सारांश:

पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलनात्मक स्थिति के साथ, वित्त वर्ष 23 के लिए आपकी कंपनी के प्रदर्शन की मुख्य बातें यहां दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22
1.	संस्वीकृत ऋण	32,586.60	23,921.06
2.	संवितरित ऋण	21,639.21	16,070.82
3.	निवल मूल्य	5,935.17	5,268.11
4.	प्रचालनों से राजस्व	3,481.97	2,859.90
5.	अन्य आय	1.07	14.26
6.	वित्त लागत (निवलपरिवर्तन / लेन–देन विनिमय हानि सहित)	2,112.46	1,633.14
7.	कर पूर्व लाभ	1,139.25	833.84
8.	घटायें : आयकर	253.17	311.20
9.	आस्थगित कर	21.45	(110.88)
10.	करोपरांत लाभ	864.63	633.53
11.	अन्य व्यापक आय	(38.74)	(77.80)
12.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ / (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय सहित)	825.89	555.73
	विनियोग:		
13.	डिबेंचरशोधन आरक्षिति (डीआरआर) में अंतरण	46.29	46.29
14.	विशेष आरक्षिति में अंतरण	155.55	115.64
15.	एनबीएफसी आरक्षित में अंतरण	173.00	127.00
16.	सामान्य आरक्षिति में अंतरण	487.50	345.00

वित्तीय विशिष्टताएं

लाभप्रदता

- वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी के संचालन से राजस्व बढ़कर ₹3,481.97 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के राजस्व ₹2,859.90 करोड़ से 21.75% की वृद्धि दर्ज करता है।
- वित्त वर्ष 23 के अंत में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) बढ़कर क्रमशः ₹1,139.25 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 36.63% वृद्धि) और ₹864.63 (पिछले वर्ष की तुलना में 36.48% वृद्धि) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

ऋण संवितरण एवं ऋण बुक

- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान वितरित ऋण बढ़कर ₹21,639.21 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की वितरित राशि ₹16,070.82 करोड़ की तुलना में 34.65% की वृद्धि दर्ज करता है, जो कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक वितरण है।
- कंपनी की ऋण बुक 31 मार्च 2022 को ₹33,931 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹47,076 करोड़ हो गई है, जो 39% का वृद्धि दर्ज कर रही है।

निवल मूल्य, सीआरएआर और अन्य वित्तीय विशेषताएं

- वित्त वर्ष 23 के अंत में कंपनी की नेट वर्थ बढ़कर ₹5,935. 17 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की नेट वर्थ ₹5,268.11 करोड़ से 12.66% की वृद्धि दर्ज करती है।
- आपकी कंपनी की पूंजी जोखिम–भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2023 तक 18.82% थी, जो आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के अनुसार एनबीएफसी के लिए निर्धारित 15% की न्यूनतम सीमा से ऊपर है।
- वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की 98.48% उपलब्धि के मुकाबले उपलब्ध कुल धनराशि का 97.40% वितरित किया।
- शुद्ध गैर–निष्पादित संपत्ति (एनपीए) वित्त वर्ष 22 में 3.12% से घटकर वित्त वर्ष 23 में 1.66% हो गई है, जो साल–दर–साल आधार पर 46.80% (प्रतिशत के संदर्भ में) की महत्वपूर्ण कमी है।



एमएनआरई के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला और इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने 20 जनवरी 2023 को एमएनआरई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 22 के लिए कंपनी के प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं:

विवरण	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 22
औसत नेट वर्थ पर रिटर्न (%)	14.55	14.25
प्रति शेयर पुस्तक मूल्य (₹)	25.98	17.66
प्रति शेयर आय (₹)	3.78	8.03
ऋण इक्विटी अनुपात (समय)	6.77	5.24
ब्याज कवरेज अनुपात (समय)	1.55	1.53

- औसत निवल मूल्य और प्रति शेयर बुक वैल्यू पर रिटर्न साल दर साल लगातार बढ़ रहा है।
- प्रति शेयर आय (ईपीएस) में वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 22 में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या में वृद्धि के कारण गिरावट देखी गई है, क्योंकि वित्त वर्ष 22 के अंत के दौरान भारत सरकार द्वारा इक्विटी निवेश किया गया था। परिणामस्वरूप कर के बाद अब तक का सबसे अधिक लाभ (पीएटी) दर्ज करने के बाद भी, चालू वित्त वर्ष में परिणामी ईपीएस में कमी आई है।
- बढ़ती ऋण पुस्तिका के साथ ऋण–इक्विटी अनुपात बढ़कर 6.77 गुना हो गया है, हालांकि, लाभप्रदता में वृद्धि के साथ ब्याज कवरेज अनुपात में भी सुधार हुआ है।

अन्य मुख्य बातें

- वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, आईसीआरए लिमिटेड ने आपकी कंपनी के बांड की रेटिंग को एए+ (सकारात्मक आउटलुक) से एएए (स्थिर आउटलुक) में अपग्रेड किया।
- वित्त वर्ष 23 के अंत में, आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आई एफ सी) का दर्जा दिया गया है।
- वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने आर ई परियोजनाओं के लिए "महापरेइत" को तकनीकी–वित्तीय परामर्श प्रदान करने के लिए महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (महापरेइत) के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।
- वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सह–ऋण और सह–उत्पत्ति के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने बीकानेर, राजस्थान में 1,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ सिंडिकेशन और ₹4,445 करोड़ की मंजूरी के लिए एक ऐतिहासिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।



इरेडा ने आरई परियोजनाओं के लिए सह–उधार और सह–उत्पत्ति के लिए 22 अगस्त 2022 को बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अपनी दिनांक 17.03.2023 की बैठक में कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नई इक्विटी शेयर पूंजी जारी करके आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2 व्यापार का संचालन

स्वीकृतियाँ एवं संवितरण

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹32,586.60 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए, जिससे पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि ₹23,921.06 करोड़ की तुलना में 36.23% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 23 के दौरान वितरित ऋण ₹21,639.21 करोड़ थे, जो पिछले वर्ष की वितरित राशि ₹16,070.82 करोड़ की तुलना में 34.65% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 23 के दौरान स्वीकृतियों और संवितरण का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	स्वीकृति	%	संवितरण (पिछले वर्ष के स्वीकृति सहित)	%
पवन ऊर्जा	5,395.92	16.56	3,501.61	16.18
सौर ऊर्जा	11,236.04	34.48	7,074.71	32.69
अल्पकालिक ऋण	849.18	2.61	654.54	3.02
जल विद्युत ऊर्जा	4,310.17	13.23	1,731.23	8.00
बायोमास	117.82	0.36	53.02	0.25
बायोमास ऊर्जा और सह–उत्पादन	6.84	0.02	23.97	0.11
अपशिष्ट से ऊर्जा	80.94	0.25	65.74	0.30
ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण (ऊर्जा पहुंच सहित)	-	-	6.49	0.03
गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन	98.45	0.30	104.31	0.48
विद्युत वाहन	302.57	0.92	332.02	1.54
राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा	3,750.00	11.51	4,950.00	22.88

क्षेत्र	स्वीकृति	%	संवितरण (पिछले वर्ष के स्वीकृति सहित)	%
हाइब्रिड पवन और सौर	1,651.47	5.07	1,006.75	4.65
इथेनॉल	2,571.34	7.89	1,130.52	5.23
उत्पादन	1,692.86	5.20	1,004.30	4.64
विविध (गारंटी सहायता) (152) + मध्यम अवधि निजी (370.99)	522.99	1.60	-	-
कुल	**32,586.60**	**100**	**21,639.21**	**100**

31 मार्च, 2023 को संचयी मंजूरी और संवितरण क्रमशः ₹1,53,108.85 करोड़ और ₹1,00,827.63 करोड़ था। संचयी राज्य–वार और क्षेत्र–वार स्वीकृतियों और संवितरण का विवरण **अनुलग्नक I से IV** में दिया गया है।

स्वीकृत उत्पादन क्षमता:

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने बिजली उत्पादन क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उपकरण के निर्माण और अन्य आरई पहलों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की है:

क: विद्युत उत्पादन: स्वीकृत क्षमता:

क्षेत्र	स्वीकृत क्षमता (मेगावाट)
सौर ऊर्जा	2,655.07
पवन ऊर्जा	1,341.28
जल विद्युत ऊर्जा	297.85
अपशिष्ट से ऊर्जा	5.00
विद्युत उत्पादन क्षमता	4,299.20

ख: अन्य क्षेत्र: स्वीकृत क्षमता:

क्षेत्र	स्वीकृत क्षमता
सौर विनिर्माण	3,784 MWp
जैव ईंधन इथेनॉल	4,070 KLPD
बायोमास (बायोगैस)	54.16 TPD
अपशिष्ट से ऊर्जा (अपशिष्ट से बायोगैस)	10.14 TPD



इरेडा ने मैसर्स एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्रा. लिमिटेड चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक में स्थित 50.4 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित किया।

- **ऋण बुक बकाया**

आपकी कंपनी की ऋण पुस्तिका, जो 39% की वृद्धि दर्ज करती है, 31 मार्च 2022 के अंत तक बकाया ऋण पुस्तिका ₹33,931 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 ₹47,075.52 करोड़ हो गई है । वित्त वर्ष 23 को सार्वजनिक और निजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

विवरण	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण पुस्तिका का %
सार्वजनिक	13,143.75	28%
निजी	33,931.77	72%
कुल	**47,075.52**	**100%**

- **संसाधन जुटाना**

आपकी कंपनी ने धन की लागत को अनुकूलित करने के लिए एक विविध उधार मिश्रण बनाए रखा है। आपकी कंपनी की कुल उधारी वित्त वर्ष 23 तक ₹40,165.28 करोड़ थी, जबकि वित्त वर्ष 22 के अंत में यह ₹27,613.07 करोड़ थी। आपकी कंपनी की स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा (कैश क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/एसटीएल) 4,500 करोड़ तक है।

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने नीचे दिए गए विभिन्न स्रोतों से ₹16,824.40 करोड़ (अल्पकालिक ऋण के साथ–साथ विदेशी मुद्रा ऋण सहित) जुटाए हैं:

(₹ करोड़ में)

क. रुपया उधार (घरेलू संसाधन)	
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण	11,930.00
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पकालिक ऋण	1,000.00
अप्रतिभूत करयोग्य बांड कुल	3,863.40
कुल (क)	**16,793.40**
ख. विदेशी मुद्रा उधार (अंतर्राष्ट्रीय संसाधन)	
केएफडब्ल्यू VI क्रेडिट लाइन	31.00
कुल (ख)	**31.00**
कुल (क+ख)	**16,824.40**

- **हरित बांड**

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान क्रमशः ₹700 करोड़ और ₹865 करोड़ के घरेलू कर योग्य ग्रीन बांड जुटाए थे जो एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध हैं। ऋण की आय का उपयोग कंपनी के ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क में परिभाषित पात्र परियोजनाओं के पुनर्वित्त सहित सौर और पवन क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए किया गया था। इसने सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी योगदान दिया है। केपीएमजी, भारत ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किए गए ₹865 करोड़ मूल्य के ग्रीन बांड के लिए अपनी पोस्ट–सत्यापन स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी और मेसर्स इमर्जेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान जारी किए गए 700 करोड़ मूल्य के ग्रीन बांड के लिए अपनी सत्यापन के बाद की स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की है।

ये आश्वासन रिपोर्ट आपकी कंपनी के ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क पर आधारित हैं, जिसे 5 अक्टूबर, 2016 को क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव (सीबीआई) द्वारा प्रमाणित किया गया है। आपकी कंपनी अपने ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रीन बांड के माध्यम से जुटाई गई राशि पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई के साथ लाइन में रहें। कंपनी द्वारा जारी किए गए ये ग्रीन बांड सेबी परिचालन परिपत्र की निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं: सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2021/613 दिनांक 10 अगस्त, 2021। ग्रीन बांड पर वार्षिक रिपोर्ट पर देखी जा सकती है: https://www.ireda.in/compliance-of-bonds.

- **वित्तपोषण योजनाएँ और पहल**

आपकी कंपनी बाजार की आवश्यकताओं, कॉर्पोरेट उद्देश्यों और लागू वैधानिक आवश्यकताओं के साथ उचित रूप से संरेखित करने के लिए समय–समय पर अपनी नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है। आपकी कंपनी आरई परियोजनाओं और उपकरण निर्माताओं के लिए प्रोजेक्ट अवधारणा से लेकर पोस्ट–कमीशनिंग चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने न केवल कंपनी के विकास को बनाए रखने के लिए विभिन्न नई योजनाएं शुरू की हैं और मौजूदा योजनाओं को संशोधित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण में बाजार हिस्सेदारी, बल्कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए समर्थन का विस्तार करना, जिसमें बिजली उत्पादन/पारेषण, विनिर्माण/ऊर्जा दक्षता/कमीशन परियोजनाओं के पुनः

वित्तपोषण/पहली पीढ़ी के इथेनॉल के उत्पादन, स्विस चुनौती नीलामी विधि, आदि से संपत्ति की बिक्री से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को एमएनआरई की निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है:

- एमएनआरई सीपीएसयू योजना – चरण– II
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम
- पीएलआई योजना के तहत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, किश्त–I
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना

3 पुनर्प्राप्ति और तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन

आपकी कंपनी के पास परियोजनाओं की नियमित निगरानी और संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने और एनपीए को कम करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समीक्षा के लिए एक समर्पित रिकवरी और समीक्षा निगरानी विभाग है। इसमें एक व्यापक परियोजना/ऋण समीक्षा और निगरानी तंत्र है जो मूल्यांकन, मंजूरी, दस्तावेजीकरण, संवितरण, कमीशनिंग और संचालन चरणों के दौरान परियोजना/ऋण अनुप्रयोगों की परियोजना निगरानी और ट्रैकिंग से संबंधित पहलुओं को पकड़ता है। यह लगातार उधारकर्ताओं की देरी और चूक और उनकी वसूली पर नजर रखता है। एनपीए खातों सहित संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो की समय–समय पर समीक्षा और निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। यह देरी से भुगतान और अंतर्निहित कारणों जैसे शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और जहां भी आवश्यक हो, समय पर समाधान/वसूली कार्रवाई शुरू करना सुनिश्चित करता है।

उधारकर्ता के खाते में डिफॉल्ट होने पर, कंपनी आवश्यक कदम उठाती है जिसमें कार्रवाई शामिल हो सकती है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, पत्र/ई–मेल के माध्यम से खाते (खातों) को नियमित करने के लिए कंपनी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना, बैठकें बुलाना शामिल है। आरबीआई को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट (सीआरआईएलसी), सीआईबीआईएल आदि पर सूचना के केंद्रीय भंडार को क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग, ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की नियमित निगरानी, जहां भी संभव हो ऋण खातों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण और बकाया राशि की वसूली के लिए टिकाऊ, उपयुक्त समाधान योजनाएं जैसे प्रबंधन में बदलाव, प्रतिभूतियों का आह्वान और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त कानूनी कार्रवाइयों के लिए मामले को संदर्भित करने जैसे अन्य वसूली तंत्र। आपकी कंपनी लगातार तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके समर्पित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां और शुद्ध गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) कम हो गई हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है:

विवरण	वित्त वर्ष 22		वित्त वर्ष 23	
	₹ करोड़	%	₹ करोड़	%
सकल एनपीए	1,768	5.21	1,513	3.21
निवल एनपीए	1,035	3.12	768	1.66

एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, वित्त वर्ष 23 के दौरान एनपीए सूची से अठारह (18) एनपीए खातों की शुद्ध कमी के माध्यम से सकल एनपीए में ₹255 करोड़ की कमी महसूस की गई है, जिससे कुल संख्या में कमी आई है। एनपीए ऋण खातों की संख्या 64 हो गई है। इसके अलावा, एनपीए ऋणों से ₹202.43 करोड़ की वसूली की गई है, जिसमें मूलधन के ₹89.03 करोड़ और ब्याज आय के ₹113.40 करोड़ शामिल हैं।

तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान और एनपीए को कम करने के समग्र दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लिए सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए दोनों प्रतिशत पिछले 10 वित्तीय वर्षों में सबसे निचले स्तर पर हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 23 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/नुकसान वाली संपत्तियों से ₹19.59 करोड़ की वसूली भी पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक रही। इसके अलावा, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) पद्धति (आईसीआरए द्वारा किया जा रहा है) के आधार पर ऋण पुस्तिका का क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन करती है। उसी आधार पर, चरण और अपेक्षित हानि के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया जाता है।

वित्त वर्ष 23 के लिए संपत्ति गुणवत्ता

(₹ करोड़ में)

	चरण 1 और 2	चरण 3	कुल
सार्वजनिक/सरकारी	13,143.75	-	13,143.75
निजी	32,418.41	1,513.35	33,931.77
कुल बकाया ऋण	**45,562.17**	**1,513.35**	**47,075.52**
कुल प्रावधान	**1,007.14**	**745.33**	**1,752.48**
निवल संपत्ति	**44,555.02**	**768.02**	**45,323.05**

चरण 3 परिसंपत्ति प्रावधान का सारांशः

सार्वजनिक क्षेत्र	शून्य
निजी क्षेत्र	3.21%
कुल चरण 3 (सकल ऋण का %)	**3.21%**
शुद्ध चरण 3 (सकल ऋण का %)	**1.66%**

4 क्रेडिट रेटिंग

वित्त वर्ष 23 के दौरान, कंपनी के घरेलू ऋण उपकरणों को आईसीआरए द्वारा "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गई है; केयर एज और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा "एए+" "पॉजिटिव"। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सावधि ऋणों और अल्पावधि ऋणों को एक्यूइट रेटिंग्स द्वारा "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गई है। ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बकाया बांडों के लिए "एएए नकारात्मक" रेटिंग और "एएए (सीई)" रेटिंग दी है।

कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपकरण यानी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई आईएफएससी के अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटीज मार्केट (आईएसएम) खंड पर सूचीबद्ध ग्रीन मसाला बांड को "बीएए 3" और "बीबीबी–" की संप्रभु रेटिंग के बराबर मूल्यांकित किया गया था। "अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से अर्थात। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस और फिच रेटिंग्स, क्रमशः। हालाँकि, 10 अक्टूबर, 2022 को मसाला बांड की परिपक्वता के परिणामस्वरूप, ये रेटिंग वापस ले ली गईं और अब मान्य नहीं हैं।

भारत सरकार के पूर्ण–सेवा वाले बांडों के लिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और केयर एज द्वारा "एएए (स्थिर)" की रेटिंग की पुष्टि की गई है।

5 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2023 को आपकी कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹6,000 करोड़ और ₹2,284.60 करोड़ थी। संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है।

आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अपनी दिनांक 07.06.2017 की बैठक में आपकी कंपनी को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से बुक–बिल्डिंग आधार पर जनता को इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी थी। उक्त अनुमोदन के अनुसार, आपकी कंपनी ने 2017 और 2019 में सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दायर किया, हालांकि, एनबीएफसी और आरई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों, नियामक दिशानिर्देशों में बदलाव और पूंजी बाजार में बदलाव के कारण परिदृश्य में आईपीओ 2017 और 2019 में पूरा नहीं हुआ था।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अपनी दिनांक 17.03.2023 की बैठक में कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और कंपनी की नई इक्विटी शेयर पूंजी जारी करके आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

6 लाभांश

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के ओ.एम. के अनुसार पूंजी पुनर्गठन पर दिनांक 27.05.2017, लाभांश के भुगतान के लिए दिशानिर्देशों का विवरण देते हुए, आपकी कंपनी को कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% या नेट वर्थ का 5%, जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना आवश्यक है। वित्त वर्ष 23 के लिए, आपकी कंपनी ने कंपनी के विकास को समर्थन देने के लिए पूंजी वृद्धि के लिए दीपम से लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त की है।

7 आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी आई एस ओ 9001:2015 और आई एस ओ 27001:2013 प्रमाणित संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सेवाओं (आईसीएस) द्वारा आईएसओ 27001:2013 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। उपरोक्त मानकों के तहत आवश्यक विभिन्न सुरक्षा उपायों के अनुपालन ने डेटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रवाह के लिए एक मजबूत सुरक्षित नेटवर्क सुनिश्चित किया है।

8 जोखिम प्रबंधन नीति अवलोकन

आपकी कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में विकसित की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन समिति एक बोर्ड स्तरीय समिति है जिस पर संगठन के जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी होती है। उभरते बाजार रुझानों और कंपनी के अपने अनुभव के आधार पर जोखिम प्रबंधन नीति को समय–समय पर परिष्कृत किया जाता है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में स्वतंत्र जोखिम निरीक्षण और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। आरबीआई दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो आपकी कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शासी ढांचा बनाते हैं।

आपकी कंपनी को अपने व्यवसाय संचालन के दौरान जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करना पड़ता है वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम। कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन किया जाता है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी का मुख्य ऋण व्यवसाय विभिन्न प्रकार के क्रेडिट जोखिमों के संपर्क में है, विशेष रूप से पुनर्भुगतान विफलता का जोखिम और गैर–निष्पादित ऋणों में वृद्धि।

आपकी कंपनी तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रावधान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनिवार्य विवेकपूर्ण मानदंडों का सख्ती से पालन करती है। यह शेयरधारक मूल्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रावधान के लिए एक सख्त दृष्टिकोण अपनाता है। वर्ष के दौरान, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो को हल करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिससे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की मात्रा में कमी आई है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (कॉर्पोरेट स्तर) की स्थापना की है।

क्रेडिट जोखिमों को कम करने के लिए, आपकी कंपनी एक व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इस प्रक्रिया में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति का संचालन करना, जोखिमों की पहचान करना और उपयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन उपायों को लागू करना शामिल है। आपकी कंपनी ने क्रेडिट जोखिम मापदंडों के निरंतर मूल्यांकन और माप को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्वतंत्र आंतरिक रेटिंग फ्रेमवर्क भी स्थापित किया है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

सिस्टम की विश्वसनीयता या अखंडता में महत्वपूर्ण कमियों के कारण नुकसान की संभावना से परिचालन संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसे अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। आपकी कंपनी में एक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति है, जो परिचालन जोखिमों की पहचान, समीक्षा और प्रबंधन करने के लिए एक कार्यात्मक स्तर की समिति है। कंपनी के परिचालन नियंत्रण ढांचे का मूल्यांकन कार्यात्मक प्रमुखों द्वारा किया जाता है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति प्रक्रियाओं में संभावित विफलता के कारण होने वाले नुकसान और ग्राहक असंतोष को कम करने के लिए नए जोखिमों की पहचान करने और इन जोखिमों के लिए उचित नियंत्रण डिजाइन करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने का प्रयास करती है। मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करके, आपकी कंपनी परिचालन संबंधी व्यवधानों को कम करने और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने का प्रयास करती है।

तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जो एक कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों की कमी या धन की उपलब्धता के कारण अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन में देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी, विपणन योग्य प्रतिभूतियों और प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं का उचित स्तर बनाए रखना शामिल है। आपकी कंपनी में, प्रबंधन ब्याज आय और व्यय सहित अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर तरलता की स्थिति के पूर्वानुमान और नकदी और नकदी समकक्षों की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करता है।

व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा तरलता जोखिम प्रबंधन के ढांचे की भी रूपरेखा तैयार करता है। आपकी



इरेडा ने मैसर्स बीटा विंड फार्म प्रा. लिमिटेड ताड़ीपत्री, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में स्थित 241 मेगावाट पवन फार्म परियोजना को वित्त पोषित किया।

कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप, तरलता कवरेज अनुपात की आवश्यकता का अनुपालन कर रही है और उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति बनाए रख रही है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम को किसी लेन–देन या समझौते में निर्धारित दरों या कीमतों से दूर बाजार कीमतों या दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी वित्तीय संस्थान के बाजार जोखिम प्रबंधन में ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, कमोडिटी मूल्य जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम का प्रबंधन शामिल होता है। ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है।

आपकी कंपनी समय–समय पर बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उपज, प्रसार और प्रतिस्पर्धी दरों के आधार पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, आपकी कंपनी समय–समय पर अपनी उधार दरों और उधार लेने की भारित औसत लागत और प्रचलित बाजार दरों के आधार पर उधार लेने की वृद्धिशील लागत की समीक्षा करती है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति मौजूदा और भविष्य के विदेशी मुद्रा ऋण या उधार से प्राप्त किसी अन्य विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन को कवर करती है। नीति का उद्देश्य विदेशी मुद्रा से संबंधित जोखिमों से बचाव के लिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करना है।

विनिमय दर में उतार–चढ़ाव विदेशी मुद्रा उधार के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो आपकी कंपनी के ₹40,165.28 करोड़ के कुल उधार का 25.23% है। आपकी कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को कम करने/कम करने के लिए सामान्य और संरचित दोनों उपकरणों के माध्यम से हेजिंग लेनदेन में प्रवेश कर सकती है, न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए।

31 मार्च, 2023 को, आपकी कंपनी के पास 18.62% का खुला विदेशी मुद्रा एक्सपोजर था, यानी, 10,132.93 करोड़ की कुल विदेशी मुद्रा उधार के मुकाबले ₹1,886.30 करोड़

(आंशिक हेज सहित), जो कि विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है। जोखिम प्रबंधन नीति. उक्त खुले एक्सपोजर में से, आंशिक हेजिंग यूरो 30.38 मिलियन और जेपीवाई 2,371.50 मिलियन के लिए की गई है।

31 मार्च 2023 तक कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधार 576.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जेपीवाई 57,043.16 मिलियन और 208.62 मिलियन यूरो है, जो ₹10,132.93 करोड़ के बराबर है; जिसमें से 1,003.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर ₹8,246.63 करोड़ का बचाव किया गया है, जो कुल विदेशी मुद्रा उधार का 81.38% है।

आपकी कंपनी अपनी समग्र रणनीति के अनुसार विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज दरों से जुड़े जोखिमों से बचाव के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों का उपयोग करती है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न अनुबंधों का उपयोग नहीं करती है।

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलसीओ) ढांचा तैयार किया है। आपकी कंपनी के पास एक आलको है, जो तरलता का प्रबंधन करने और ब्याज दर जोखिमों को संबोधित करने के लिए एक प्रबंधन–स्तरीय समिति है। आपकी कंपनी विसंगतियों की समीक्षा करने के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन की एक रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन करती है, जिसके अनुसार, उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। आपकी कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति लागू कर रखी है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति का उद्देश्य बाजार जोखिम प्रबंधन को समग्र रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना, वर्तमान ब्याज दर दृश्य को स्पष्ट करना और परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य निर्धारण, मिश्रण और परिपक्वता प्रोफाइल का निर्धारण करना है।

आलको समिति समय–समय पर व्यवसाय और कामकाजी परिणामों, एएलएम बेमेल, बजट आदि को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णय लेती है/समीक्षा करती है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति में तरलता अंतर रिपोर्ट की तैयारी और विश्लेषण और निवारक और सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करना शामिल है। एएलएम प्रणाली को लागू करने और एएलएम नीति का पालन करके, आपकी कंपनी का लक्ष्य तरलता और ब्याज दर जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, बाजार जोखिम प्रबंधन को रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना और अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवेकपूर्ण प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के अनुपालन में एक आईटी रणनीति समिति स्थापित की है। समिति कॉर्पोरेट रणनीति और बोर्ड नीति के अनुरूप आईटी रणनीतियों की समीक्षा करती है, और एक प्रभावी और मजबूत प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आईटी जोखिमों, नियंत्रणों, साइबर सुरक्षा व्यवस्था और आईटी प्रशासन से संबंधित अन्य मामलों की निगरानी करती है। आईटी रणनीति समिति का गठन आरबीआई मास्टर डायरेक्शन – एनबीएफसी सेक्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क के अनुसार किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के अनुरूप, आपकी कंपनी ने परिवर्तन प्रबंधन, सूचना सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर अपनी आईटी नीति और अन्य नीतियों को लागू किया है।

9 सौर ऊर्जा परियोजना

आपकी कंपनी ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और केरल राज्य में 50 मेगावाट की एक सौर परियोजना शुरू की है। परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर केरल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं और केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) के आदेश के अनुरूप, परियोजना से उत्पादन आय/3.83 प्रति यूनिट रखी गई है। यह प्लांट मार्च 2021 में आपकी कंपनी को सौंप दिया गया है और यह पूरी क्षमता यानी 50 मेगावाट पर चल रहा है।

10 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

पारदर्शिता बढ़ाने और मानवीय भागीदारी को कम करने के लिए, आपकी कंपनी सक्रिय रूप से अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर रही है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने हाल ही में अपने मौजूदा ईआरपी समाधान को क्लाउड पर नवीनतम संस्करण में परिवर्तित किया है। इस प्रवासन के परिणामस्वरूप व्यावसायिक प्रक्रियाओं का स्वचालन और एकीकरण मजबूत हुआ है, जिसमें नई संवर्द्धन और सुविधाएँ शामिल हुई हैं। इसके अलावा, यह बैंकों के साथ भुगतान एकीकरण



इरेडा ने 6 अक्टूबर 2022 को साइबर जागरूकता दिवस मनाया।

की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करेगा। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एक शिकायत पोर्टल पेश किया। यह पोर्टल शिकायतों का पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करता है और कंपनी द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों की बेहतर निगरानी की अनुमति देता है।

आपकी कंपनी ने अपनी आईटी अवसंरचना सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें विभिन्न सुरक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन और आईटी ऑडिट का नियमित संचालन और हमारे सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए टिप्पणियों को बंद करना शामिल है। इसके अलावा, कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने साइबर जागरूकता दिवस के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 23 के दौरान कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इन सत्रों का उद्देश्य साइबर सुरक्षा प्रणालियों और खतरों के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना था।

आपकी कंपनी ने एक नई ईआरपी प्रणाली लागू करके डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है, जिससे उसके सभी व्यावसायिक कार्यों का डिजिटलीकरण संभव हो गया है। इस डिजिटलीकरण ने ऋण देने की प्रक्रिया में क्रांति ला दी है, कागज की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल निगरानी को बढ़ावा दिया है। डिजिटल प्रारूप में ऐतिहासिक डेटा का संरक्षण और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, लगभग। वित्त वर्ष 23 के दौरान 80 लाख (8 मिलियन) पृष्ठों को स्कैन और डिजिटलीकृत किया गया। कागज रहित वातावरण में परिवर्तन की सुविधा के लिए, आपकी कंपनी ने पहले ही एक ई–ऑफिस प्रणाली अपना ली है।

आंतरिक निर्णय लेने के संबंध में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने ई–ऑफिस को क्लाउड वातावरण में स्थानांतरित करने की पहल की है। इससे डेटा सुरक्षा और आपदा पुनर्प्राप्ति क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे ई–ऑफिस में संग्रहीत महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सूचनाओं की अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर, ई–ऑफिस का क्लाउड पर स्थानांतरण आपकी कंपनी को एक आधुनिक, स्केलेबल और सुरक्षित डिजिटल कार्यक्षेत्र के साथ सशक्त बनाएगा जो निर्बाध सहयोग का समर्थन करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है।

11 ग्राहक संबंध

आपकी कंपनी के पास ब्रांड जागरूकता पैदा करने, उभरते व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश करने और अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए एक अलग व्यवसाय विकास समूह है। आरई क्षेत्र के लिए खुद को एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी नियमित रूप से अपने उधारकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करती है और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। इस फीडबैक का उपयोग न केवल इसकी नीतियों बल्कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, कंपनी ने 4 (चार) ऐसी 'उधारकर्ता बैठकें' बुलाईं, जिनमें हमारे मौजूदा और संभावित उधारकर्ताओं के बहुमत ने भाग लिया।

आपकी कंपनी ने अपने हितधारकों के लिए एक डिजिटल इंटरफेस बनाया है जो भौतिक बैठकों के बिना आभासी बातचीत को सक्षम बनाता है। इसने हमारे ग्राहकों को कंपनी के आभासी वातावरण में विभिन्न ऋण और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाया है। कंपनी की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल उपलब्ध है, जिससे उधारकर्ता अपने आवेदन की स्थिति और अन्य प्रासंगिक विवरणों पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कंपनी ने अपने काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक चार्टर भी अधिसूचित किया है।

आपकी कंपनी द्वारा निरंतर ब्रांड निर्माण के लिए पारंपरिक मीडिया उपस्थिति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं, नई प्रौद्योगिकियों और नीतिगत परिवर्तनों पर सूचना का प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरई प्रौद्योगिकियों के विकास पर कई व्याख्यान भी आयोजित किए गए।

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने चार अलग–अलग शहरों में बिजनेस प्रमोशन के लिए कार्यशाला भी आयोजित की है और अपने उत्पादों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में भी भाग लिया है, जिसमें मिस्र में सीओपी–27 और विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 (सहित) शामिल हैं। अबू धाबी में इरेना की 13वीं महासभा)। आपकी कंपनी ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों जैसे बैंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 और लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में भाग लेकर अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया है। आपकी कंपनी ने 26 जनवरी को अबू धाबी में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में भी भाग लिया है, जिसमें आपकी कंपनी ने चर्चाओं और एक छोटी फिल्म के माध्यम से आरई विकास में अपने योगदान को प्रदर्शित किया है।

12 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में विवरण

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण

आपकी कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करना है। आंतरिक आवश्यकताओं के लिए, आपकी कंपनी ने 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश किया है। आपकी कंपनी माइक्रोग्रिड, ईवी के बेड़े आदि जैसे नवीन परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से उद्योग ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण पर भी व्यापक प्रभाव डालती है।

इस प्रकार, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वित्त वर्ष 23 के दौरान, विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज के कारण कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं हुई, जबकि ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय के कारण ₹189.45 करोड़ का विदेशी मुद्रा व्यय हुआ।

13 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समाज में सक्रिय रूप से योगदान देती है। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल सकारात्मक प्रभाव डालने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और सतत विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के सिद्धांत में गहराई से निहित है।

इन पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी का लक्ष्य सामुदायिक विकास को संबोधित करना और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के नियमावली 2014 प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण, हरित और



श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने विकलांग बच्चों के लिए दूसरी मोबाइल मेडिकल वैन "थेरेपी ऑन व्हील्स" को 4 नवंबर, 2022, इरेडा की सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और वंचित क्षेत्रों के विकास जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है।

कंपनी ने एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति स्थापित की है। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/csr-policy-of-ireda. पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 में सीपीएसई के लिए "स्वास्थ्य और पोषण" की सामान्य वार्षिक थीम के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ खुद को जोड़ लिया है। वित्त वर्ष 23 के दौरान स्वीकृत कुल 13 सीएसआर परियोजनाओं में से, आपकी कंपनी ने 10 परियोजनाएँ शुरू कीं जो विशेष रूप से "स्वास्थ्य और पोषण" विषय पर केंद्रित हैं। आपकी कंपनी ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं का सौर्यीकरण किया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र।

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने परियोजना की प्रगति के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं पर कुल ₹697.44 लाख खर्च किए। वितरित किए गए कुल सीएसआर फंड में से, ₹448.43 लाख का उपयोग वित्त वर्ष 23 में परियोजना व्यय के लिए किया गया था, जबकि शेष ₹249.01 लाख का उपयोग पिछले वर्षों की परियोजनाओं के लिए किया गया था।

हमारी सीएसआर गतिविधियों और प्रत्येक गतिविधि के लिए संबंधित व्यय का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।



श्रीमती मनीषा सक्सेना, सीवीओ, इरेडा ने 22 मार्च 2023 को राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, राजघाट, नई दिल्ली में कंपनी द्वारा वित्त पोषित सीएसआर परियोजना का दौरा किया।

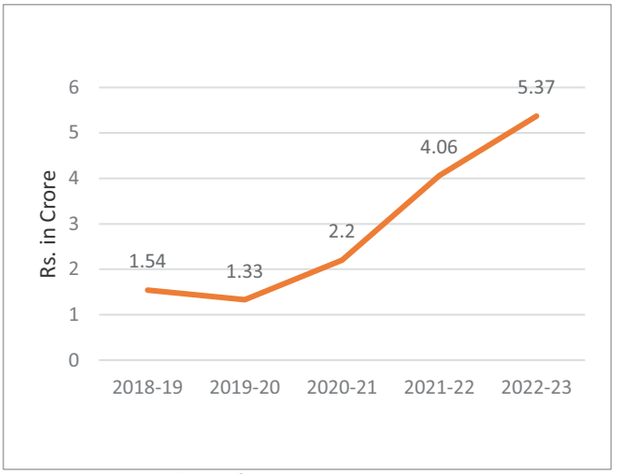
एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका लक्ष्य राष्ट्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाना है।

14 मानव संसाधन विकास

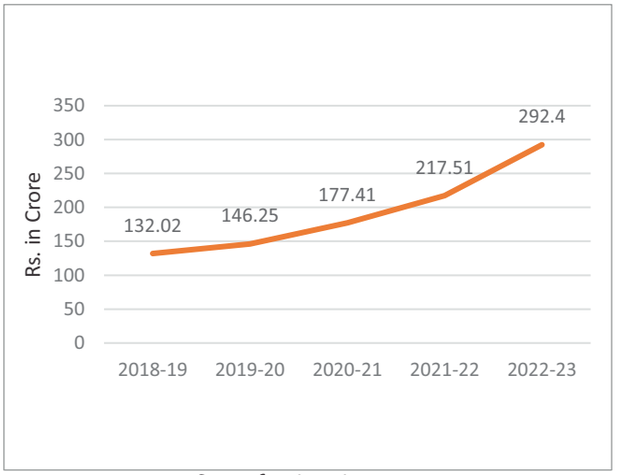
मानव संसाधन

आपकी कंपनी की उच्च–प्रदर्शन संस्कृति हमारे अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधनों द्वारा संचालित है। मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 160 थी, जबकि बोर्ड स्तर के कार्यकारी को छोड़कर, मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 156 थी। सेवानिवृत्ति के मामलों को छोड़कर कंपनी की नौकरी छोड़ने की दर 1.26% थी। 31.03.2023 तक कर्मचारियों की औसत आयु ~44 वर्ष है। आपकी कंपनी का विस्तार हो रहा है और वित्त वर्ष 23 के दौरान 10 नए कर्मचारी हमारे कार्यबल में शामिल हुए हैं। नए कर्मचारियों में कार्यकारी–प्रशिक्षु से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक के कर्मचारी शामिल हैं।

कंपनी लगातार अपने मानव संसाधनों को पुनर्जीवित करती रहती है, ताकि हर समय पेशेवर उत्कृष्टता और कर्मियों को प्राप्त किया जा सके। कर्मचारियों की उत्पादकता तथ्यात्मक रूप से प्रति कर्मचारी स्वीकृत ऋण और प्रति कर्मचारी लाभ जैसे मैट्रिक्स की लगातार वृद्धि से प्रदर्शित होती है।



प्रति कर्मचारी कर पश्चात लाभ



प्रति कर्मचारी स्वीकृत ऋण

प्रशिक्षण और विकास

अपनी मानव पूंजी की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण सत्रों के अलावा, भारत और विदेशों में विभिन्न प्रीमियम संस्थानों/संगठनों से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए हैं। कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास से अद्यतन रखा जाता है। आपकी कंपनी ने आईआईटी, आईआईएम, एक्सआईएम इत्यादि जैसे प्रीमियम संस्थानों के सहयोग से आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा – व्यवहारिक प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के अलावा, सकारात्मक सुदृढीकरण प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और निगरानी भी की अन्य आवश्यकता–आधारित कार्यक्रमों के साथ–साथ अनुकूलित वर्चुअल इन–हाउस कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे कुछ कार्यक्रम नीचे सूचीबद्ध हैं:

क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सामान्य प्रबंधन/रणनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम

ख) नए भर्तियों के लिए प्रेरण कार्यक्रम

ग) जोखिम प्रबंधन

घ) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग

ङ) तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन और आईबीसी 2016

च) सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सार्वजनिक खरीद

छ) प्राकृतिक चिकित्सा और योग आदि के माध्यम से स्वास्थ्य और तनाव का प्रबंधन करना।



21 जून 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया



एमएनआरई के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने 12 मार्च 2023 को इरेडा के साइक्लोथॉन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई।

ज) गैर–आईटी अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा

झ) लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

ञ) निवारक सतर्कता

इसके अलावा, समय–समय पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग से नए और उभरते क्षेत्रों पर मास्टरक्लास आयोजित की गईं। आपकी कंपनी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित 'आरई में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' सत्र में भी भाग लिया। इसके अलावा, इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमन और साइबर सुरक्षा कानून के तहत फिनट्रैक और यूपीएसआई मॉड्यूल पर सत्र आयोजित किए गए।

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न व्याख्यान श्रृंखला, केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिससे 1,671 प्रशिक्षण मानव–दिवस की उपलब्धि हासिल हुई।

आरक्षण और रोजगार

आपकी कंपनी एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2023 तक कुल संख्या में से एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का समूह–वार विवरण इस प्रकार है:

समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
क	136	16	07	23
ख	08	03	-	-
ग	16	03	01	03
घ	-	-	-	-
कुल	**160**	**22**	**08**	**26**

कल्याण

कार्यालयों में प्रतिदिन योग एवं ध्यान सत्र आयोजित किये जा रहे हैं। कर्मचारियों को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष के दौरान हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने वाले स्वास्थ्य शिविर और मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच, साइक्लोथॉन आदि खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

कंपनी में 26.87% कार्यबल महिलाएं हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी, एक जिम्मेदार नियोक्ता के रूप में, महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी ने 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।

आपकी कंपनी एक सकारात्मक कार्यस्थल के माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो किसी भी प्रकृति के उत्पीड़न से मुक्त है और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्टिंग की स्थिति में मजबूत और कड़ाई से कार्रवाई करती है। कंपनी के पास एक आंतरिक शिकायत समिति है, जो "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, इस विषय पर कोई शिकायत नहीं मिली है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

कार्यस्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमुख चिंताओं में



8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

से एक है। एक सुरक्षित काम का माहौल प्रदान करने और कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्व दिया जाता है। आपकी कंपनी एक देखभाल के माहौल के लिए प्रयास करती है और अपने कर्मचारियों का पोषण करती है। एक कार्यस्थल में, जहां कर्मचारी समर्थित और खुश महसूस करते हैं, वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कर्मचारियों के साथ संचार बैठकें वर्ष के दौरान समय –समय पर आयोजित की गईं। दोनों कर्मचारियों और प्रबंधन ने कंपनी के हितों के साथ –साथ इसके हितधारकों को आगे बढ़ाने के लिए एक –दूसरे के प्रयासों को पूरक किया, समग्र सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंधों को दर्शाया और उजागर किया।

शिकायत निवारण

आपकी कंपनी के पास बड़े पैमाने पर जनता की शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली है। सिस्टम कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सुलभ हैं। अनुमेय समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है। आपकी कंपनी के पास अपनी कार्य गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचित नागरिक चार्टर है। आसान पहुंच की सुविधा के लिए चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

15. पुरस्कार एवं मान्यता

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी को निम्नलिखित प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	दिया गया (एजेंसी / संस्था का नाम)	प्राप्ति की तिथि
1	12वीं पीएसई उत्कृष्टता: मिनी–रत्न श्रेणी के तहत पुरस्कार 2022 कंपनी ऑफ द ईयर	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स	17 मार्च 2023
2	12वीं पीएसई उत्कृष्टता: मिनी–रत्न श्रेणी के तहत वर्ष का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		
3	12वीं पीएसई उत्कृष्टता: मिनी–रत्न श्रेणी के तहत परिचालन प्रदर्शन उत्कृष्टता (प्रथम रनर–अप)		
4	नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार 2022'	केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड	3 मार्च 2023
5	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2021–22 में उच्चतम ऋण मंजूरी और संवितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एनबीएफसी	राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों का संघ (क्षेत्र)	27 अगस्त 2022



श्री आर.के. सिंह, माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 3 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में इरेडा को 'नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में उत्कृष्ट योगदान' के लिए 'केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार 2022' प्रदान किया।



एनआरई और सी एंड एफ के माननीय राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने 27 अगस्त 2022 को आरई सेक्टर में 2021–22 में उच्चतम ऋण मंजूरी और संवितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनबीएफसी का पुरस्कार केरल के माननीय बिजली मंत्री के. कृष्णनकुट्टी और एमएनआरई के सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी की उपस्थिति में श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा को प्रदान किया।



इरेडा ने 14 से 29 सितंबर 2022 के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया।

16 राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और नराकास द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों और निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 23 के लिए राजभाषा ज्ञान फैलाने के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी का उपयोग आपकी कंपनी में प्रोत्साहित किया जाता है। आधिकारिक काम में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजी अर्थ के साथ हिंदी शब्दों के बारे में जागरूकता दैनिक एसएमएस सूचनाओं के माध्यम से की जाती है। ई–ऑफिस और दैनिक टाइपिंग कार्य में हिंदी के उपयोग को सक्षम करने के लिए सभी कंप्यूटरों में हिंदी टाइपिंग फोंट भी उपलब्ध हैं। आधिकारिक भाषा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के अनुपालन के एक भाग के रूप में, नियमित हिंदी कार्यशालाओं और हिंदी बैठकों आदि को समय –समय पर आयोजित किया जाता है। 4 (चार) हिंदी कार्यशालाओं को वित्त वर्ष 23 के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

हिंदी पखवाड़ा को 14–29 सितंबर 2022 से मनाया गया था। हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस के अवसर पर ई–पत्रिका जारी किया गया था। हिंदी पखवाड़ा के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए, ई–पत्रिका 'अक्षय क्रांति' को कंपनी में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है, और यह आपकी कंपनी की हिंदी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

17 सतर्कता

आपकी कंपनी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है और निवारक और प्रशासनिक सतर्कता का संचालन करती है जिससे कंपनी की प्रणालियों को मजबूत किया जाता है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा कई नई पहल की गई, जिसमें सिस्टम और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए दिशानिर्देशों की अधिसूचना शामिल थी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंतराल को खत्म करना था।

आपकी कंपनी सतर्कता की शिकायतों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के लिए कुछ सीपीएसई में से एक है।



इरेडा द्वारा 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022' मनाया गया।

उसी को https://onlinela.ireda.in/VigilanceComplaints/VigilanceComplaints/ComplaintForm.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 पर एक्सेस किया जा सकता है?

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरुकता सप्ताह 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक उत्साह और उत्साह के साथ देखा गया था। सतर्कता जागरुकता सप्ताह का विषय था "एक विकसित राष्ट्र के लिए" "भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत"। आपकी कंपनी ने सभी पात्र अनुबंधों के लिए सीवीसी अनिवार्य अखंडता संधि को लागू किया है। सतर्कता आयोग को अखंडता संधि के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है।

18 सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने और जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना अधिनियम 2005 का अधिकार लागू किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और फर्स्ट अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) को नामित किया है। मूल सूचना आयोग (www.cic.gov.in) की वेबसाइट पर निर्धारित समयसीमा के भीतर समय –समय पर तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट जैसी अनिवार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत सू–मोटू के खुलासे के साथ सभी प्रासंगिक विवरणों को बड़े पैमाने पर जनता की बेहतर समझ के लिए कंपनी की वेबसाइट (www.ireda.in) पर होस्ट किया गया है।

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 154 आवेदनों को प्राप्त किया गया था और उन सभी को आरटीआई अधिनियम के अनुसार, निर्धारित समयरेखा के भीतर निपटाया गया है।

19 पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान है जिसने एक व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को अपनाया है, जो प्रभावों (यदि कोई हो)

की पहचान करने और कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्त पोषित परियोजनाओं को कम करता है। ईएसएमएस का दूसरा संस्करण नवंबर 2019 में अपनाया गया था और इसके बाद प्रभावी है।

ईएसएमएस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा, विभिन्न परियोजनाओं और उनकी संबंधित प्रौद्योगिकियों के पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) पहलुओं से संबंधित प्रभावों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी है, आपकी कंपनी की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की इकाई (ESSU) की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, ई एंड एस स्क्रीनिंग और लगभग 85 परियोजनाओं के वर्गीकरण को कंपनी द्वारा वित्त पोषित सभी प्रौद्योगिकियों में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं के साथ नियमित बातचीत को उनकी ई एंड एस आवश्यकताओं को समझने के लिए बनाए रखा जाता है। इसने आपकी कंपनी को अपने ई एंड एस दायित्वों को पूरा करने में मदद की है और उधारकर्ताओं को उनकी परियोजनाओं से जुड़े ई एंड एस जोखिमों के प्रबंधन में मदद की है।

वित्त वर्ष 23 में, आपकी कंपनी ने विश्व बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत "पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचे – आरई पार्क" को अपडेट किया, जिसका शीर्षक सौर पार्क प्रोजेक्ट (SISPP) के लिए साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नवीकरणीय की स्थापना करके अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाना है ऊर्जा पार्क। उक्त ढांचा वेबसाइट पर उपलब्ध है और https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/ESMF.pdf पर पहुँचा जा सकता है

20 निदेशक

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (के एम पी)

31 मार्च, 2023 को, कंपनी के बोर्ड में 7 निदेशक शामिल थे, जिसमें 1 (एक) कार्यात्मक निदेशक, 2 (दो) अंशकालिक सरकार के नामित निदेशक और 4 (चार) अंशकालिक, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (आईडी) शामिल हैं। वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	नाम और निदेशक पद की प्रवृत्ति	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	नियुक्ति / समाप्ति
1.	श्री विमलेन्द्र ए पटवर्धन निदेशक (सरकार नामित) डीआईएन: 08701559	26.10.2022	समाप्ति
2.	श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकार नामित) डीआईएन: 03344721	07.02.2023	समाप्ति
3.	श्री पदम लाल निदेशक (सरकार नामित) डीआईएन: 10041387	07.02.2023	नियुक्ति
4.	श्री अजय यादव निदेशक (सरकार नामित) डीआईएन: 10046617	14.02.2023	नियुक्ति
5.	श्री चिंतन एन शाह निदेशक (तकनीकी) डीआईएन: 07795952	05.03.2023	समाप्ति
6.	श्री राम निहाल स्वतंत्र निदेशक डीआईएन: 10064841	09.03.2023	नियुक्ति
7.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक डीआईएन: 10064820	09.03.2023	नियुक्ति

वित्त वर्ष 23 के दौरान, श्री पदम लाल, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एम एन आर ई को कंपनी के निदेशक (सरकारी नामांकित) के रूप में 07 फरवरी, 2023 एमएनआरई ऑर्डर नंबर 340 / 85 / 2017–इरेडा दिनांक 07 फरवरी, 2023, द्वारा श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन, पूर्व–संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमएनआरई के स्थान पर, श्री अजय यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई को 14 फरवरी, 2023 एमएनआरई कंपनी ऑर्डर नंबर 340 / 85 / 2017–इरेडा दिनांक 07 फरवरी, 2023, श्री दिनेश डी जगदले, संयुक्त सचिव, एमएनआरई के स्थान पर नियुक्त किया ।

श्री चिंतन शाह, निदेशक (तकनीकी) ने 04 मार्च, 2023 (ए / एन) को अपना कार्यकाल पूरा किया। तदनुसार, 5 मार्च, 2023 से इरेडा के निदेशक के रूप में उन्होंने सेवा देना बंद कर दिया है।

बोर्ड ने श्री विमालेंद्र ए पटवर्धन, और श्री दिनेश डी जगदले, सरकारी नामांकित निदेशक और श्री चिंतन एन शाह, निदेशक (तकनीकी) द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान को स्वीकार किया, जो कंपनी के विकास और शासन में उनके कार्यकाल के दौरान उनके कार्यकाल के

दौरान एक सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके कार्यकाल के दौरान उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी के विकास और शासन में कंपनी के निदेशक मंडल।

श्री राम निहाल और श्रीमती रोहिणी रावत को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 09 मार्च, 2023, वीडियो एम एन आर ई ऑर्डर नंबर 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 06 मार्च, 2023 से नियुक्त किया गया था।

श्री प्रदीप कुमार दास को निदेशक (वित्त), इरेडा डब्ल्यू.एफ. एफ. 06.05.2020 जो कि समय –समय पर एम एन आर ई द्वारा बढ़ाया गया था और अंतिम बार 06.05.2022 से 05.11.2022 छह महीने के लिए विस्तारित किया गया था । इसके बाद, एमएनआरई ऑफिस ऑर्डर सं. 1/13/2017–इरेडा ने 10 अप्रैल, 2023 को दिनांकित किया, निदेशक (तकनीकी), इरेडा को श्री प्रदीप कुमार दास को तीन महीने के लिए 05.03.2023 से या एक नियमित अवलंबी की नियुक्ति तक, या आगे के आदेशों तक, जो भी जल्द से जल्द हो।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी), सी एफ ओ, और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के एम पी) हैं। सीईओ की भूमिका कंपनी के सीएमडी द्वारा की जाती है और सीएफओ के कार्यों और कर्तव्यों को कंपनी के जीएम (एफ एंड ए) द्वारा किया जाता है। श्री सुरेंद्र सुयाल, कंपनी के सचिव और अनुपालन अधिकारी ने वित्त वर्ष 23 के दौरान पूर्व–परिपक्व सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है और 31 अक्टूबर, 2022 (ए/एन) को आपकी कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) और बनना बंद कर दिया है और इसके बाद, श्रीमती एकता मदन को आपकी कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 01 नवंबर, 2022. श्री सुरेंद्र सुयाल भी 30 मई, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक सी सी ओ का कार्यालय आयोजित कर रहे थे। श्री सोम पाल को 01 नवंबर, 2022 से आपकी कंपनी के सी सी ओ के रूप में नियुक्त किया गया था ।

श्री सोम पाल, महाप्रबंधक (टीएस) 31 अक्टूबर, 2022 तक कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) थे। श्री पल्लव कपूर, डीजीएम (जोखिम प्रबंधन) को सीआरओ डब्ल्यू.ई.एफ.एफ 1 नवंबर, 2022 के रूप में नियुक्त किया गया था।

वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अपेक्षित घोषणा दी है, कि वे स्वतंत्रता के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और निदेशकों में से कोई भी संबंधित अंतर–एसई नहीं है।

बोर्ड और इसकी समितियां

कंपनी ने परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट कमेटी, सीएसआर कमेटी, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों की संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और अन्य समिति का गठन किया है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में समितियों की रचना और गुंजाइश प्रदान की जाती है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। 25 (पच्चीस) निदेशक मंडल की बैठकें वर्ष के दौरान आयोजित की गईं। ऑडिट कमेटी की रचना कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में भी प्रदान की जाती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां बोर्ड द्वारा ऑडिट कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।

21 निदेशकों की नियुक्ति/पारिश्रमिक और प्रदर्शन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड के अनुसार, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, एक निदेशक की स्वतंत्रता और उप के तहत प्रदान किए गए अन्य मामलों का निर्धारण करने के लिए निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक मानदंडों पर नीति के प्रकटीकरण की आवश्यकता धारा 178 के अधिनियम (3) के तहत सरकारी कंपनियों के लिए 5 जून, 2015 को कॉर्पोरेट मामलों की अधिसूचना मंत्रालय के लिए छूट दी गई है। सुशासन के रूप में और सेबी लिस्टिंग नियमों का पालन करने के लिए, कंपनी ने विविधता पर एक नीति बनाई है। बोर्ड की, निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति/पारिश्रमिक, और निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन। उक्त नीति https://www.ireda.in/corporate-governance पर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है

आपकी कंपनी के बोर्ड में अच्छी तरह से योग्य निदेशक शामिल हैं, जो कंपनी को चलाने में आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता लाते हैं और बोर्ड और उसकी समितियों में प्रभावी योगदान देते हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, एम एन आर ई और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) के माध्यम से अभिनय करने वाले भारत के माननीय अध्यक्ष के साथ चयन, नियुक्ति और निदेशकों की प्रेरण की प्रक्रिया है। नियुक्ति प्राधिकारी आपकी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशक के रूप में

नामांकित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की अखंडता, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट मामलों द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशक के डेटाबैंक के साथ अपना नाम दर्ज किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के प्रावधानों के अनुपालन में, आपकी कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में खुलासा करने के लिए छूट दी गई है, एक बयान यह दर्शाता है कि बोर्ड के प्रदर्शन का औपचारिक मूल्यांकन कैसे, इसकी समितियों में और व्यक्तिगत निर्देशक बनाए गए हैं। कंपनी हर साल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एम एन आर ई) मंत्रालय के साथ एक ज्ञापन (एम ओ यू) में प्रवेश करती है, जिसमें कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर–वित्तीय मापदंडों पर किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने के हकदार हैं। सरकार के नामांकित निदेशकों को कंपनी द्वारा किसी भी पारिश्रमिक/बैठने की फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। आपके निर्देशक वित्तीय विवरणों के 38 (10) (भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पार्टियों के खुलासे" के संबंध में 38 (10) (भारतीय लेखांकन मानक 24 "संबंधित पार्टियों के खुलासे" के बारे में ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि को स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की दिशा में निर्धारित करते हैं।

22 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणाएँ

वित्त वर्ष 23 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सेबी (एलओडीआर) विनियमों की विनियमन 16 (1) (बी) के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है। और प्रत्येक 'स्वतंत्र निदेशक' से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, मैसर्स पी सी जैन एंड कंपनी ने कंपनी के सचिवों ने निदेशकों के गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया है, जो वित्त वर्ष 23 के दौरान निदेशक मंडल में थे और वही वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है।

23 सांविधिक खुलासे

क) वित्त वर्ष 23 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।

ख) रिजर्व में स्थानांतरित की गई राशि का उल्लेख "प्रदर्शन के सारांश" के तहत किया गया है।

ग) कंपनी ने वित्त वर्ष 23 के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है और वित्त वर्ष 24 के दौरान भी किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं करेगी।

घ) भविष्य में जाने वाली चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों की अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए थे।

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –186 (11) के अनुसार, वित्तपोषण कंपनियों के व्यवसाय में लगे कंपनी द्वारा प्रदान की गई या प्रतिभूतियों को दिए गए ऋण, गारंटी दी गई या अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए लागू नहीं हैं। कंपनी के लिए। इसलिए, किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

च) कंपनी ने निदेशक या कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

छ) कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। विवरण के लिए, कृपया 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

ज) एमएसएमई के लिए दिशानिर्देशों का पालन कंपनी में किया जा रहा है और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत आवश्यक रूप से प्रकटीकरण का उल्लेख वित्तीय विवरणों के नोट– 38 (5) के तहत किया गया है।

झ) वित्त वर्ष 23 के दौरान, कंपनी, वित्तीय लेनदार की क्षमता में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से पहले इन्सॉल्वेंसी एंड दिवालियापन कोड, 2016 के तहत अपने उधारकर्ताओं के

खिलाफ बकाया ऋणों की वसूली के लिए, कॉर्पोरेट देनदार और कॉर्पोरेट गारंटर होने के नाते चार आवेदन दायर किए हैं। अनुप्रयोगों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

कार्पोरेट देनदार	ऋण राशि
मैसर्स वमसी रबर लिमिटेड	54.13
मैसर्स सिद्धार्थ शुगर मिल्स लिमिटेड	48.27
मैसर्स शालिवाहन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	7.62
मैसर्स सरोज एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	24.16
कुल	**134.18**

ओटीएस राशि प्राप्त करने के बाद, मैसर्स सरोज एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, आवेदन वापस ले लिया गया है। अन्य 3 (तीन) एप्लिकेशन माननीय एनसीएलटीएस से पहले उप–न्याय हैं।

झ) वित्त वर्ष 23 के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एक बार के निपटान का कोई उदाहरण नहीं था।

ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के साथ पढ़ी गई धारा 92 (3) के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिटर्न (एस) कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और एचटीटीपीएस पर एक्सेस किया जा सकता है। https://www.ireda.in/annual-reports

ट) संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता पर नीति और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/corporate-governance पर एक्सेस किया जा सकता है

ठ) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि एक सतर्क तंत्र/सीटी ब्लोअर नीति जगह में है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है। कंपनी की व्हिसल–ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे www.ireda.in पर एक्सेस किया जा सकता है

ड) 5 जून, 2015 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एम सी ए) की सूचना दी गई है, ने सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों की प्रकटीकरण आवश्यकता से छूट दी है। इसलिए, कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

ढ) अपेक्षित जानकारी समय पर एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई है और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ण) कंपनी भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

त) कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के क्लॉज 7.5 के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाती है।

24 ऑडिट और खातों का निरीक्षण

सांविधिक लेखा – परीक्षा

मैसर्स डीएसपी और एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्याः 006791N) को भारत के कमट्रोलर और ऑडिटर जनरल (सी एंड एजी) द्वारा वित्त वर्ष 23 के लिए आपकी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है और बिना किसी योग्यता, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के बिना अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है। ऑडिट रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के प्रावधानों के अनुसार, न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने समीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना दी है।

भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की टिप्पणियाँ

कंपनी को भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (सी एंड एजी) से वित्त 23 के लिए वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। (सी एंड एजी) की रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट के लिए तैयार है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

आपकी कंपनी के पास एक स्वतंत्र आंतरिक ऑडिट फंक्शन है जो लगातार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का जिसमें पर्याप्तता की उपयुक्त निगरानी और नीतियों, प्रक्रियाओं, योजनाओं और नियामक और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन सहित मूल्यांकन करता है। आपकी कंपनी की ऑडिट पॉलिसी है। यह सुनिश्चित

करने के लिए कि सभी चेक और बैलेंस जगह में हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्रम में हैं, नियमित और संपूर्ण आंतरिक ऑडिट और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षाएं चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुभवी फर्मों द्वारा कंपनी के अपने आंतरिक ऑडिट डिवीजन के साथ निकट समन्वय के साथ आयोजित की जाती हैं।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी, एल एल पी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त किया था। ऑडिट कमेटी समय –समय पर ऑडिट के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा निर्धारित किया गया है और लागू आरबीआई दिशानिर्देश आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ, आपकी कंपनी ने 16 मार्च 2022 को जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट (आरबीआईए) नीति को लागू किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा

मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी के सचिवों को निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 23 के लिए कंपनी के सचिवीय ऑडिट का संचालन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत आवश्यक है और इसके नियम। वित्त वर्ष 23 के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में संलग्न है इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–VI** और वही आत्म–व्याख्यात्मक है।

सचिवीय ऑडिटर का अवलोकन इस प्रकार है:

1. कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस और रेगुलेशन 17 (1) (ए), 17 (1) (बी) के सेबी (एलओडीआर) विनियमों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी के पास अपेक्षित संख्या नहीं थी (50%) 8 मार्च, 2023 तक बोर्ड और महिला निदेशक पर स्वतंत्र निदेशकों का

2. कंपनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के एनसीटी, ने अपने आदेश को 30 सितंबर, 2022 को दिनांकित किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 डब्ल्यू.आर.टी. महिला निर्देशक की गैर–नियुक्ति।

3. कंपनी ने पूरे बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(10) और 25(4) का अनुपालन नहीं किया है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा

   उपरोक्त के संबंध में बताया गया कि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास है। 9 मार्च, 2023, से कंपनी के बोर्ड में दो और स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति के साथ बोर्ड की संरचना कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत क्रम में है। इसके अलावा, निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन सरकार द्वारा किया जाता है। भारत का, नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते। महिला निदेशकों के लिए जुर्माने के संबंध में, कंपनी ने 14 अक्टूबर, 2022 को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के कार्यालय के समक्ष अपील दायर की, जो दंड की छूट की मांग करने वाले न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता प्राधिकारी है। मामले में अपील आज तक एमसीए के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के कार्यालय में लंबित है।

लागत लेखापरीक्षा

आपकी कंपनी ने केरल राज्य में कासारगोड में स्थित 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लागत रिकॉर्ड के संबंध में वित्त वर्ष 23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स चंद्र वधवा एंड कंपनी को नियुक्त किया है। आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनियों (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियमों, 2014 के तहत निर्धारित लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

25 कॉर्पोरेट प्रशासन

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी लागू आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015,

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के तहत, इसके दायरे के भीतर हैं, 2010, सार्वजनिक उद्यमों और सचिवीय मानकों के विभाग द्वारा जारी किया गया, भारत के कंपनी सचिवों के सचिवों द्वारा जारी किया गया। आपकी कंपनी नैतिक व्यावसायिक निर्णयों के लिए प्रतिबद्ध है और मूल्य सृजन और हितधारकों की अपेक्षा के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यापार का संचालन कर रही है।

आपकी कंपनी कंपनी के संचालन और प्रदर्शन, नेतृत्व और शासन के संबंध में समय पर और सटीक जानकारी का खुलासा करना एक अंतर्निहित जिम्मेदारी मानती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट **अनुलग्नक–IX** में संलग्न है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा ई के अनुसार प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी इस रिपोर्ट के लिए प्रमाणपत्र क्रमशः **अनुलग्नक–VII** और **VIII** में संलग्न है।

26 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्त वर्ष 23 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया है, इसलिए फॉर्म एओसी –2 में कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के 'लेखा पर नोट्स' के नोट 38 (10) की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पार्टी के खुलासे निर्धारित करता है।

27 सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (यदि कोई हो) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करना जो कि वित्त वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुआ है

कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है जो वित्त वर्ष 23 के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई है।

28 भारत सरकार (भारत सरकार) के साथ समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) के मंत्रालय के साथ एक ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 23 के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। एमओयू मापदंडों के अनुसार कंपनी की उपलब्धि इस प्रकार है:

क्र. सं.	पैरामीटर	31.03.2023 तक उपलब्धि
1	संचालन से राजस्व (₹ करोड़ में)	3,481.97
2	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए (%)	33.38
3	निवल मूल्य पर रिटर्न (%)	14.55
4	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	7.00
5	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात (%)	6.90
6	कुल उपलब्ध निधि के लिए वितरित ऋण (%)	97.40
7	कुल ऋणों के लिए अतिदेय ऋण (%)	0.62
8	कुल ऋण के लिए एनपीए (%)	1.66
9	समान रेटिंग वाले सीपीएसई की तुलना में बांड के माध्यम से धन जुटाने की लागत	-29 bps
10	टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति (%)	100
11	कुल खरीद के % के रूप में जीइएम से खरीद (%)	33
12	प्रति शेयर कमाई (₹ में)	3.78

आपकी कंपनी ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में लगातार एमओयू मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है। वित्त वर्ष 23 के लिए भी, यह भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए उत्कृष्ट रेटिंग विषय को बनाए रखने की उम्मीद है।

29 निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

निदेशक अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) और धारा 134 (5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, निदेशकों के जिम्मेदारी विवरण के संबंध में, कंपनी के निदेशक मंडल इसके द्वारा पुष्टि करते हैं:

क) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का



एमएनआरई के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने 20 जनवरी, 2023 को भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में इरेडा के कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा किया और इरेडा के प्रदर्शन और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा की।



नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर सहयोग के लिए ईआईबी के वैश्विक निदेशक ने 2 मार्च, 2023 को सीएमडी, इरेडा से मुलाकात की।

पालन किया गया है और उसी से कोई सामग्री प्रस्थान नहीं हैं:

ख) निदेशकों ने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान बनाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। वित्त वर्ष 23 के लिए कंपनी का लाभ:

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है:

घ) निदेशकों ने वित्त वर्ष 23 के लिए वार्षिक खातों को तैयार किया है, जो कि जागरण के आधार पर है:

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पीछा किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे: और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया है और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से संचालित थे।

30 स्वीकृति

आपके निदेशक बहुत आभारी हैं और भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, रिजर्व द्वारा कंपनी के लिए विस्तारित उत्कृष्ट समर्थन को स्वीकार करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड और अन्य नियामकों। आपके निदेशक भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समर्थन और सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा रिकॉर्ड करते हैं, अर्थात् एशियाई विकास बैंक (ए डी बी), एगेंस फ्रैंकेज डे डेवलपमेंट (ए एफ डी), यूरोपीय निवेश बैंक (EIB), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), क्रिडनस्टाल्ट फर विडेरॉफबाऊ (केएफडब्ल्यू), और विश्व बैंक।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल (सी एंड एजी), वैधानिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के लिए उनके मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं।

बोर्ड कंपनी में दोहराए गए ट्रस्ट और विश्वास के लिए शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता है और कंपनी को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए तत्पर है।

आपके निर्देशक कंपनी की प्रगति और समृद्धि के लिए उत्कृष्टता की खोज में लगातार काम करने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिबद्ध सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा की गहरी समझ को रिकॉर्ड करने की इच्छा रखते हैं।

धन्यवाद और जय हिंद!

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/-
(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:07448576)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जून, 2023

विशेष घटनाएं



श्री अरविंद कुमार शर्मा, माननीय ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इरेडा पवेलियन का दौरा किया।



सीएमडी, इरेडा ने "एमएसएमई बैंकिंग कॉन्क्लेव 2022" को संबोधित किया



एमएनआरई के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इरेडा पवेलियन का दौरा किया।



श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने 6 फरवरी, 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटक में "इंडिया एनर्जी वीक 2023" में इरेडा मंडप का उद्घाटन किया।



सीएमडी, इरेडा के साथ श्री आर.के. सिंह, माननीय केंद्रीय बिजली और एनआरई मंत्री और एमएनआरई के अधिकारी आईआरईएनए असेंबली की स्लाइडलाइन पर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में थे।



इरेडा ने 16 से 18 जनवरी, 2023 तक अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएफईएस) में भाग लिया।

विशेष घटनाएं



इरेडा ने 30 नवंबर से 4 दिसंबर, 2022 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित द मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव'22 में भाग लिया।



डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर, स्वतंत्र निदेशक, इरेडा ने मेसर्स एमवी फोटोवोल्टिक लिमिटेड की 500 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई का दौरा किया।





श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट एवं डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर, स्वतंत्र निदेशक, इरेडा ने 9 अगस्त, 2022 को इरेडा के सीएसआर फंड के तहत राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, दिल्ली में स्थापित 40 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी प्लांट का दौरा किया।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान इरेडा कर्मचारियों के बच्चों की भागीदारी



सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में डीकेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लोधी एस्टेट लोधी रोड, नई दिल्ली में निबंध और ड्राइंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार स्वीकृति

अनुलग्नक-I

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		1987 से संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क	**राज्य**												
1	आंध्र प्रदेश	8	1,801.90	4	1,666.72	9	593.21	6	1,491.12	14	4,593.56	342	18,781.83
2	अरूणाचल प्रदेश	1	33.42	0	0.00	2	133.39	2	85.00	2	82.00	14	1,416.23
3	असम	4	20.65	1	34.50	0	0.00	2	403.62	0	0.00	11	768.17
4	बिहार	2	11.42	0	0.00	0	0.00	1	31.00	1	7.71	14	86.79
5	छत्तीसगढ	1	29.95	1	33.58	2	126.47	3	173.67	2	225.20	18	1,026.83
6	गुजरात	13	1,068.50	9	1,147.88	13	1,322.65	12	1,513.27	10	4,120.62	200	12,673.92
7	गोवा	1	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	300.62
8	हरियाणा	2	11.05	4	288.17	4	232.35	1	1.95	4	456.49	43	1,139.33
9	हिमाचल प्रदेश	3	51.09	3	62.80	13	312.70	8	252.30	8	2,193.19	124	5,563.52
10	जम्मू व कश्मीर	0	0.00	1	312.42	1	6.00	1	60.00	1	252.00	8	652.35
11	झारखंड	1	0.54	0	0.00	1	0.99	1	13.00	1	9.53	11	163.95
12	कर्नाटक	14	1,060.47	22	1,384.56	20	954.19	12	3,882.11	13	3,137.15	428	19,316.18
13	केरल	0	0.00	0	0.00	0	-	5	839.99	1	500.00	39	1,596.10
14	मध्य प्रदेश	1	142.48	4	940.00	2	337.23	2	924.11	4	1,760.43	103	6,281.78
15	महाराष्ट्र	7	1,138.97	12	942.50	13	1,130.03	8	2,566.70	17	1,196.66	440	15,644.71
16	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	1	9.91	0	0.00	0	0.00	4	10.37
17	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.16
18	नागालैंड	1	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	200.82
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2	500.00	12	233.67	9	60.87	3	280.88	4	173.68	98	3,744.23
20	उड़ीसा	1	18.90	2	65.00	3	41.22	9	669.66	4	313.00	43	2,072.65
21	पंजाब	3	8.91	0	0.00	3	804.03	6	927.61	0	0.00	70	3,489.46
22	राजस्थान	7	1,254.28	5	1,326.38	7	823.49	12	3,636.76	8	8,571.59	155	21,196.81
23	सिक्किम	0	0.00	1	140.00	0	0.00	1	796.73	0	0.00	6	1,302.37
24	तमिलनाडु	13	2,323.09	11	2,368.85	7	925.25	8	1,045.98	7	1,987.43	499	13,282.80
25	तेलंगाना	7	594.52	14	1,402.23	23	1,890.04	11	3,291.12	5	294.97	81	9,103.98
26	उत्तर प्रदेश	8	515.08	5	291.46	8	691.09	5	467.51	4	333.54	124	4,062.96
27	उत्तराखंड	1	3.75	1	8.40	16	556.31	7	79.38	5	1,479.60	60	3,429.15
28	पश्चिम बंगाल	1	3.33	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	58	278.67
29	एनसीईएफ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	156.56
30	ब्रिज ऋण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	47	170.99
31	बहु राज्य परियोजना	5	847.71	0	0.00	3	49.88	2	473.59	4	898.27	30	5,047.39
32	बिल रियायत	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	79.63
	कुल 'क'	**107**	**11,939.99**	**113**	**12,659.13**	**160**	**11,001.30**	**128**	**23,907.06**	**119**	**32,586.60**	**3107**	**153041.34**
ख	**केन्द्रशासित प्रदेश**												
1	अंडमान निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.11
2	दमन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.13
3	पांडिचेरी	1	1.88	1	36.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	45.27
4	लद्दाख	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.00	0	0.00	1	14.00
	कुल 'ख'	**1**	**1.88**	**1**	**36.98**	**0**	**0.00**	**1**	**14.00**	**0**	**0.00**	**9**	**67.51**
ग	**कुल 'क' + 'ख'**	**108**	**11,941.87**	**114**	**12,696.11**	**160**	**11,001.30**	**129**	**23,921.06**	**119**	**32,586.60**	**3,116**	**153,108.85**

अनुलग्नक-II

विगत पांच वर्षों के दौरान सेक्टरवार स्वीकृतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	1,524.94	1,610.55	524.72	2,538.90	5395.92	34596.76
2	हाइड्रो ऊर्जा	134.36	295.28	806.82	2,169.04	4,310.17	15,731.52
3	बायोमास ऊर्जा और सह उत्पादन	24.87	44.12	146.87	42.79	6.84	5,537.38
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	0.00	5.00	9.91	95.70	0.00	1,381.71
5	सौर ऊर्जा	5,748.62	4,042.09	2,289.49	4,880.24	11,236.04	43,899.38
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	327.14	118.38	93.01	0.00	80.94	1,042.23
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.57
8	बिल डिस्काउंटिंग	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	181.97
9	सेतु ऋण	4.79	85.50	10.81	0.00	0.00	223.86
10	अल्पकालिक ऋण	2,530.00	5,030.00	4,042.00	10,860.00	849.18	29,787.57
11	इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)	0.00	0.00	0.00	267.79	302.57	570.36
12	बायोमास	0.00	0.00	0.00	0.00	117.82	222.19
13	(जीईसीएल) के लिए गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन	0.00	0.00	206.55	260.10	98.45	565.10
14	राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा*	1300.00	30.00	673.49	894.26	3,750.00	6,647.75
15	हाइब्रिड पवन और सौर	0.00	0.00	0.00	0.00	1651.47	1651.47
16	इथेनॉल	80.00	193.00	123.05	307.06	2,571.34	3,274.45
17	उत्पादन	62.40	418.75	830.49	1024.99	1,692.86	4,029.49
18	विविध (निजी क्षेत्र को मध्यम अवधि का ऋण+ गारंटी सहायता एलओसी+ट्रांसमिशन)	102.40	823.44	1,244.08	580.19	522.99	3,609.07
	कुल	**11,941.87**	**12,696.11**	**11,001.30**	**23,921.06**	**32,586.60**	**153,108.85**

नोट:– **राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा पहले 'अल्पकालिक ऋण' क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई जाती थी। अब अलग सेक्टर बनाया गया है और उसी हिसाब से पिछले 4 साल का समायोजन किया गया है।*



इरेडा ने मैसर्स काकतीय इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की 9.00 मेगावाट लघु जलविद्युत परियोजना को वित्त पोषित किया ग्राम–रेंगाली, तालुक–अत्ताबीरा, जिला–बारागढ़, ओडिशा के पास महानदी पर हीराकुंड बांध पर स्थित है।

अनुलग्नक-III

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22	1987 से संचयी
क	राज्य						
1	आंध्र प्रदेश	1,680.61	1,416.93	840.60	469.00	4,586.87	15,436.02
2	अरूणाचल प्रदेश	55.69	3.92	34.89	35.71	37.50	286.42
3	असम	118.47	110.90	79.87	360.00	3.22	672.67
4	बिहार	10.11	1.13	0.00	29.45	7.32	73.63
5	चंडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
6	छत्तीसगढ़	187.33	30.70	0.00	159.60	5.56	570.27
7	दादर एवं नगर हवेली	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51.47
8	गुजरात	536.04	129.14	412.00	947.97	1,914.51	5,879.66
9	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
10	हरियाणा	6.05	1.73	6.50	44.31	236.68	415.85
11	हिमाचल प्रदेश	130.23	113.14	383.92	130.38	77.63	2,687.17
12	जम्मू व कश्मीर	5.23	1.02	4.44	61.54	0.00	87.23
13	झारखंड	0.00	0.54	0.99	9.00	9.05	87.83
14	कर्नाटक	1,290.87	717.25	729.48	2,507.27	2,505.67	13,096.41
15	केरल	4.70	0.00	0.00	824.27	508.00	1,507.01
16	मध्य प्रदेश	183.66	324.18	319.96	604.67	820.59	3,271.50
17	महाराष्ट्र	1,285.21	631.71	710.95	1,361.51	1,869.69	11,887.77
18	मणिपुर	0.00	0.00	9.41	0.00	0.00	9.41
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	460.00	0.00	6.09	40.91	297.52	3,263.45
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21	उड़ीसा	168.20	17.27	15.63	384.47	380.21	1,448.84
22	पंजाब	4.99	4.47	802.91	814.23	12.71	2,810.28
23	राजस्थान	701.59	1,468.08	700.48	2,027.52	5,033.77	13,129.31
24	सिक्किम	22.94	102.70	37.30	688.85	0.00	1,169.48
25	तमिलनाडु	1,534.89	2,159.91	1,646.52	1,147.91	1,910.81	10,526.56
26	तेलंगाना	575.91	1,047.44	1,382.90	2,409.73	413.63	6,962.47
27	उत्तर प्रदेश	235.76	112.85	148.97	467.16	115.65	2,223.50
28	उत्तराखंड	9.26	10.75	473.31	61.30	885.11	2,006.27
29	पश्चिम बंगाल	3.33	0.00	7.00	2.15	0.00	62.21
30	बहुराज्य परियोजना	144.65	379.56	37.80	472.59	0.80	1,142.80
	कुल 'क'	**9,385.37**	**8,785.31**	**8,791.92**	**16,061.49**	**21,632.52**	**100,767.55**
ख	**केन्द्रशासित क्षेत्र**						
1	दमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2	पांडिचेरी	0.00	0.00	36.43	2.23	0.19	45.00
3	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	7.10	6.49	13.59
	कुल 'ख'	**0.00**	**0.00**	**36.43**	**9.33**	**6.68**	**60.08**
ग	**कुल 'क' + 'ख'**	**9,385.37**	**8,785.31**	**8,828.35**	**16,070.82**	**21,639.21**	**100,827.63**

अनुलग्नक-IV

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	1,557.16	1,057.11	900.65	2,114.38	3,501.61	23,892.65
2	हाइड्रो ऊर्जा	352.65	295.97	682.91	1,195.09	1,731.23	8,571.13
3	बायोमास ऊर्जा और सह उत्पादन	21.83	59.04	41.03	9.24	23.97	3,493.24
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	2.47	0.54	14.16	77.85	6.49	441.54
5	सौर ऊर्जा	3,640.85	2,555.84	1,785.46	3,406.15	7,074.71	25,667.21
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	143.79	78.12	147.17	107.20	74.80	604.40
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.14
8	बिल डिस्काउंटिंग	92.03	10.10	0.00	0.00	0.00	161.76
9	अल्पकालिक ऋण	1,177.54	290.92	509.55	198.15	645.49	6,160.70
10	राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा*	2,150.00	4,180.00	4,240.00	8,125.00	4,950.00	25,695.00
11	हाइब्रिड उर्जा एवं सोलर	0.00	0.00	62.50	25.53	1006.75	1,094.78
12	सेतु ऋण	4.79	5.82	4.00	0.00	0.00	152.90
13	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	0.00	9.07	3.37	7.33	53.02	147.41
14	(जीईसीएल) के लिए गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन	0.00	0.00	145.17	290.36	104.31	539.84
15	इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)	0.00	0.00	0.00	35.71	332.02	367.73
16	उत्पादन	29.65	86.00	81.47	269.84	1004.30	1,787.14
17	इथेनॉल	25.00	50.00	131.04	205.20	1130.52	1,541.76
18	विविध (ट्रांसमिशन)	187.62	106.77	79.87	3.80	0.00	381.30
	कुल	**9,385.37**	**8,785.31**	**8,828.35**	**16,070.82**	**21,639.21**	**1,00,827.63**

*नोटः– *राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा पहले 'अल्पकालिक ऋण' क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई जाती थी। अब अलग सेक्टर बनाया गया है और उसी हिसाब से पिछले 4 साल का समायोजन किया गया है।*



इरेडा ने मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड को ईवी बेड़े का वित्तपोषण प्रदान किया।

अनुलग्नक-V

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति का लक्ष्य सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं में आत्मनिर्भर निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ाना है। सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को उसके प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ पूरक करना होगा।

शुरू की गई या शुरू करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का अवलोकनः

आपकी कंपनी ने ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं या शुरू करने का प्रस्ताव किया है जो–

- ऊर्जा दक्षता/संरक्षण और स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने में समय–समय पर समुदायों और परिणामों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है।
- अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें।
- इरेडा के लिए सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करें और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में इरेडा की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करें।
- लिंग संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण को प्रोत्साहित करना।
- आपदा लचीलेपन के प्रति समुदायों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करें।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद/निदेशक की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	
			आयोजित	में भाग लिया
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष	9	9
2.	श्री चिंतन एन. शाह	सदस्य (04.03.2023 तक)	8	7
3.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य	9	9
4.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य (20.03.2023 से प्रभावी)	1	1

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

सीएसआर नीति :https://www.ireda.in/csr-policy-of-ireda

सीएसआर समिति की संरचना :https://www.ireda.in/doc/Committees-of-Board-21032023_1.doc.pdf

सीएसआर परियोजनाएं :https://www.ireda.in/doc/CSR-project-in-FY-2022-23.pdf

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।

*शून्य।

**डीपीई द्वारा जारी सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के आदेशों के अनुसार प्रभाव मूल्यांकन उन मामलों में परियोजना–वार किया जाएगा जहां तत्काल पूर्ववर्ती न्यूनतम औसत सीएसआर दायित्व ₹10 करोड़ या उससे अधिक वाली कंपनियां होंगी। 3 वित्तीय वर्ष और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाएं प्रभाव मूल्यांकन शुरू करने से कम से कम 1 वर्ष पहले पूरी की गई हों।*

चूंकि, इरेडा ने वित्त वर्ष 2021–22 में आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रमों को छोड़कर न्यूनतम एक करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऐसी किसी भी सीएसआर परियोजना को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए किसी भी सीएसआर परियोजना के लिए प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया था। जहां तक आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रमों का सवाल है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि चल रही परियोजना अभी भी प्रगति पर है और परियोजनाओं के पूरा होने पर इन परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाएगा।

5. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः **₹52,886.68 लाख**

(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः **₹1,057.73 लाख**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई होः **₹333.32 लाख**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [ख+ग– घ]: **₹724.41 लाख**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों): **₹448.43 लाख**

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशिः **शून्य**

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: ₹448.43 लाख

(ङ) वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च राशि (₹ लाख में)	अव्ययित राशि (₹ लाख में)				
	धारा 135 की उपधारा (1) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि।		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
448.43*	275.99	24.04.2023	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*परियोजना की प्रगति के आधार पर पूर्ण और चालू परियोजनाओं के लिए वितरित की गई राशि।

(च) मुआवजा देने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	1057.73
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि*	1057.73
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]**	शून्य

*इसमें ₹448.43 लाख वास्तव में खर्च किए गए, ₹275.99 लाख अव्ययित खाते में स्थानांतरित किए गए और ₹333.32 लाख पिछले वर्षों के अतिरिक्त खर्च से अलग किए गए शामिल हैं।

**वित्त वर्ष 2023 के अतिरिक्त खर्च से अगले वित्तीय वर्षों में सेटऑफ के लिए उपलब्ध ₹28.93 लाख शामिल नहीं हैं।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹लाख में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹लाख में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी धनराशि (लाख में)	धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ लाख में)	कमी, यदि कोई हो
					(₹ लाख में)	स्थानांतरण की तिथि		
1.	2019-20	शून्य	शून्य	1919.04	लागू नहीं	लागू नहीं	373.96*	लागू नहीं
2.	2020-21	शून्य	शून्य	1641.60	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
3.	2021-22	शून्य	शून्य	872.93	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
	कुल			**4433.57**				

*पिछले वर्षों से 19–20 तक संबंधित 31.03.2023 तक खर्च न की गई राशि का निपटान पूर्व–संशोधन ढांचे के अनुसार किया जा रहा है। सीएसआर परियोजनाओं के लिए पूरी राशि स्वीकृत कर दी गई है और परियोजना की प्रगति के आधार पर वितरित की जाएगी।

8. **क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है:** नहीं
यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें– लागू नहीं
वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं

क्र. सं.	संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या संपत्ति का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी फील्ड को राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए अनुसार लिया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ–साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. **यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें:** लागू नहीं
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आवश्यक राशि का 100% खर्च कर लिया है

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एवं अध्यक्ष सीएसआर समिति
डीआईएनः 07448576

अनुलग्नक-VI

प्रपत्र संख्या एमआर–3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार और कंपनी
(नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9,]

सेवा मे,

सदस्य
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र
पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4–ए
लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

प्रिय सदस्यों,

हमने सी आई एन : U65100DL1987GOI027265 (इसके बाद इसे "कंपनी" कहा जाएगा) वाली **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करें कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2023** को समाप्त समीक्षाधीन अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह इसके बाद की गई रिपोर्टिंग का तरीका और विषय भी कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद हैं:

हमने **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और दाखिल रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी कारोबार का निषेध) विनियम, 2015;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और

(घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

प्रबंधन द्वारा दिए गए और हमारे द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे। :–

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी शेयर) विनियम, 2021

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 जमा न लेने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी–एनडी–एसआई) पर लागू सीमा तक

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय–समय पर संशोधित सचिवीय मानक जारी किए जाते हैं।

(i) लिस्टिंग समझौते और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

(iii) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी ओ.एम.एफ संख्या 5/2/2016–नीति दिनांक 27 मई 2016 में निर्धारित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है: –

(i) कंपनी ने नियुक्ति न होने के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 17 (1) (बी) के तहत 8 मार्च, 2023 तक समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड में कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक की निदेशक मंडल की आवश्यक संरचना का अनुपालन नहीं किया है।

हालाँकि, वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में दो और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए। 9 मार्च, 2023, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत बोर्ड की संरचना को क्रमबद्ध करना।

(ii) 8 मार्च, 2023 समीक्षाधीन अवधि के दौरान महिला निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) का अनुपालन नहीं किया है।

हालाँकि, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक को 9 मार्च 2023 से नियुक्त किया गया था। 9 मार्च, 2023 को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) की आवश्यकता के अनुसार बोर्ड की संरचना बनाई गई।

(iii) कंपनी ने पूरे बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन और समीक्षा के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) का अनुपालन नहीं किया है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर–स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन।

हालाँकि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, सभी निदेशकों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जाती हैं। भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से और तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते निदेशकों का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल को विधिवत कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठित किया जाता है। समीक्षा के तहत अवधि के दौरान होने वाले निदेशक मंडल की रचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे, सिवाय अनुवर्ती: –

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में 8 मार्च, 2023 तक महिला निदेशक शामिल नहीं थे। हालांकि, कंपनी ने बोर्ड में एक महिला निदेशक नियुक्त किया। 9 मार्च, 2023 को कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1) की आवश्यकता के अनुसार बोर्ड की रचना को आदेश दे रही है।

दिल्ली के रजिस्ट्रार एनसीटी और हरियाणा के रजिस्ट्रार के कार्यालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक आदेश जारी किया, जो 30/09/2022 VIDE ऑर्डर नंबर ROC/D/ADJ/2022/धारा 149 (1)/5781 को लागू करता है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के उल्लंघन के लिए जुर्माना रु. 2,62,000/– कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सहायक कार्यवाही में। हालांकि, कंपनी ने 14 अक्टूबर, 2022 को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए, अपीलकर्ता प्राधिकरण के कार्यालय के समक्ष अपील दायर की है। न्यायिक निर्णय अधिकारी पेनल्टी की छूट की मांग कर रहा है। इस मामले में अपील क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के कार्यालय के समक्ष अभी भी लंबित है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोटों को कम से कम सात दिन पहले भेजने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है, और बैठक से पहले और सार्थक के लिए एजेंडा वस्तुओं पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बैठक में भागीदारी।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जैसा कि बोर्ड के निदेशक मंडल या समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया गया है, जैसा कि मामला हो सकता है।

कंपनी आम तौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नियामक अधिकारियों के साथ ई–फॉर्म/दस्तावेज दाखिल करने में नियमित रही है

हम आगे की रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के साथ मिलती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई विशेष घटना/कार्रवाई नहीं की गई, जिसका कंपनी के मामलों पर उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बड़ा असर हो, सिवाय इसके कि–

समीक्षाधीन अवधि के दौरान घरेलू और/या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार से इरेडा घरेलू कर योग्य बांड, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण (अल्पावधि ऋण सहित) के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी ने कुल रु. 16,824.40 करोड़ रुपये का फंड जुटाया है। वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि में निम्नलिखित घरेलू कर योग्य बांड जारी करना शामिल है:

क) कंपनी ने कुल मिलाकर रु. 648.40 करोड़ रुपये 10 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में "समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी प्लेसमेंट के आधार पर, 7.46% इरेडा कर योग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय, असुरक्षित बांड श्रृंखला–XII–ए" ("बांड"), का आवंटन किया है।

ख) कंपनी ने कुल मिलाकर समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी प्लेसमेंट के आधार पर रु 1200 करोड़ रुपये 10 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में "7.85% इरेडा करयोग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय, असुरक्षित बांड श्रृंखला–XII–B" ("बांड") का आवंटन किया है।

ग) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी प्लेसमेंट के आधार पर कुल मिलाकर रुपये 515 करोड़ रु 10 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में "7.79% इरेडा करयोग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय, असुरक्षित बांड श्रृंखला–XII–C" ("बांड") का आवंटन किया है।

घ) कंपनी ने कुल मिलाकर समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1500 करोड़ रुपये रु 1 लाख प्रत्येक, के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में "7.94% इरेडा करयोग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय, असुरक्षित बांड श्रृंखला–XII–D" ("बांड") का आवंटन किया है।

पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव,
(एफआरएनः P2016HR051300)

ह./-
(पी.सी. जैन)
प्रबंध भागीदार
सीपी नं. 3349
एम नं. 4103

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 24/05/2023
यूडीआईएनः F004103E000369017

'अनुलग्नक क'

सेवा मे,

सदस्य
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र
पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4–ए
लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

महोदय,

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की सम तारीख की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों/टिप्पणियों/कमजोरियों को कवर नहीं कर रही है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन और हमारी राय देने तक सीमित थी कि क्या कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद हैं या नहीं।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव,
(एफआरएन: P2016HR051300)

ह./-
(पी.सी. जैन)
प्रबंध भागीदार
सीपी नं. 3349
एम नं. 4103

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 24/05/2023
यूडीआईएन: F004103E000369017

अनुलग्नक-VII

कॉरपोरेट सुशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा मे,

सदस्य
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र
पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4–ए
लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

प्रिय महोदय/महोदया,

हमने **सीपीएसई**, मंत्रालय के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग **(डीपीई)** द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों **("दिशानिर्देश")** की अनुपालन स्थिति को प्रमाणित करने के उद्देश्य से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड **("कंपनी")** के सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है।

दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक ही सीमित है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हमारी राय में और प्रस्तुत रिकॉर्ड, स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी की जांच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है। ***कंपनी ने 8 मार्च तक समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड में कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के तहत आवश्यक निदेशक मंडल की संरचना का अनुपालन नहीं किया है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में 9 मार्च, 2023 को दो और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए। ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 की आवश्यकता के अनुसार बोर्ड की संरचना बनाई गई।***

पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव,
(एफआरएन: P2016HR051300)

ह./-
(पी.सी. जैन)
प्रबंध भागीदार
एम नं. एफ4103
सीपी नं. 3349

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 24/05/2023
यूडीआईएन: F004103E000369094

अनुलग्नक-VIII

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

सेवा मे,

सदस्य
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र
पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4–ए
लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

प्रिय सदस्यों,

हम, पी सी जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") के सचिवीय लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि प्रतिभूतियों में निर्धारित है, और भारतीय विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, संशोधित (सामूहिक रूप से "सेबी लिस्टिंग विनियम / सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015" के रूप में संदर्भित), और कंपनी पर लागू।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन भी कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार करना और सभी प्रासंगिक सहायक रिकॉर्ड और दस्तावेजों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है। हमने गुणवत्ता पर मानक की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

राय

प्रक्रियाओं में परीक्षण के आधार पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में विवरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट के तहत हमारे काम के दायरे में किसी भी वित्तीय जानकारी या समग्र रूप से ली गई कंपनी के वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता या सटीकता पर एक राय व्यक्त करने के प्रयोजनों के लिए ऑडिट परीक्षण करना शामिल नहीं था।

प्रासंगिक रिकॉर्डों की हमारी जांच और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और कंपनी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने लिस्टिंग विनियम 17 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सेबी लिस्टिंग विनियमों के 27, सिवाय इसके कि निदेशक मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के अनुसार नहीं है।) विनियमन 2015 स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण 8 मार्च,2023 तक विनियमन 17(1)(ए) और 17(1)(बी) का अनुपालन नहीं हुआ। हालाँकि, महिला निदेशक सहित दो और स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बोर्ड में 9 मार्च, 2023 से नियुक्त किया गया था। ही सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के अनुसार बोर्ड की संरचना बनाई जाएगी।

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियमन 17 (10) और 25 (4) के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा भी नहीं की है। कंपनी के स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन और स्वतंत्र निदेशकों की प्रदर्शन समीक्षा भारत सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में हमारा आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव,
(एफआरएन: P2016HR051300)

ह./-
(पी.सी. जैन)
प्रबंध भागीदार
एम नं. एफ4103
सीपी नं. 3349

दिनांक : 15 जून, 2023
स्थान : फरीदाबाद
यूडीआईएनः F004103E000490534

अनुलग्नक-IX

कॉरपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

निगमित प्रशासन शेयरधारक मूल्य को कानूनी, नैतिक और स्थायी रूप से अधिकतम करने के बारे में है। निगमित प्रशासनके सिद्धांत पारदर्शिता, जवाबदेही और लंबी अवधि में कंपनी की स्थायी सफलता पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित हैं। निगमित प्रशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं का एक साधन है जिसके द्वारा एक कंपनी को कानून की अक्षरशः भावना सुनिश्चित करने और प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का पालन करने के लिए निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। कॉर्पोरेट प्रशासन सभी हितधारकों के हित को सुनिश्चित करता है।

आपकी कंपनी ने हमेशा निगमित प्रशासन मानदंडों के उच्च मानकों को लागू करने और बनाए रखने का प्रयास किया है और अपने निगमन के बाद से अच्छे निगमित प्रशासन के सिद्धांतों का अभ्यास कर रही है।

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में – सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों का कंपनी द्वारा पालन किया जाता है। समय–समय पर संशोधित (इसके बाद सेबी एलओडीआर विनियम के रूप में संदर्भित) और निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक रिपोर्ट। डीपीई दिशानिर्देश निदेशक की निगमित प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों मेसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ नीचे दिए गए हैं।

1. निगमित प्रशासन पर कंपनी का दर्शन

हमारा निगमित प्रशासन दर्शन इस प्रकार लिखा गया है:

कंपनी अच्छे निगमित प्रशासन में दृढ़ विश्वास रखती है और लगातार उसका पालन करती है। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करती है और इस तरह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों और समग्र रूप से समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है।

आपकी कंपनी एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक–अनुकूल और विकास–उन्मुख संगठन बनने, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण और प्रचार के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की निगमित संरचना, व्यवसाय संचालन और प्रकटीकरण प्रथाओं को इसके निगमित प्रशासन दर्शन के अनुरूप बनाया गया है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल ('बोर्ड') के पास समग्र रूप से व्यवसाय के प्रबंधन, सामान्य मामलों, दिशा, प्रदर्शन और दीर्घकालिक सफलता की अंतिम जिम्मेदारी है। बोर्ड रणनीतियाँ और नीतियां बनाता है, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है और समय–समय पर कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है।

आपकी कंपनी का बोर्ड सभी हितधारकों के प्रति हर समय जवाबदेह रहते हुए नेतृत्व, वस्तुनिष्ठ निर्णय, रणनीतिक मार्गदर्शन और कंपनी पर नियंत्रण प्रदान करता है। बोर्ड अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और कंपनी अधिनियम, कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते, आरबीआई दिशानिर्देशों, डीपीई दिशानिर्देशों और आंतरिक कोड/प्रक्रियाओं में निर्धारित ढांचे के भीतर कंपनी के मामलों का प्रबंधन करता है। कंपनी आदि। 31 मार्च, 2023 तक, आपकी कंपनी के बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप है। 31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के बोर्ड में 7 निदेशक शामिल थे जिनमें 1 (एक) कार्यात्मक निदेशक, 2 (दो) अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक और 4 (चार) अंशकालिक गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (आईडी) शामिल थे। इस रिपोर्ट में सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

❖ निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत कंपनी एक सरकारी कंपनी है क्योंकि भुगतान की गई शेयर पूंजी का 100% भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के स्वामित्व में है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की

शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और बोर्ड की ताकत 3 निदेशकों से कम नहीं और 15 निदेशकों से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2023 तक बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम और डीआईएन	पद	निदेशक तब से
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)			
1.	श्री प्रदीप कुमार दास डीआईएनः 07448576	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	06.05.2020
पदेन अंशकालिक निदेशक (गैर–कार्यकारी निदेशक)			
2.	श्री पदम लाल डीआईएनः 10041387	निदेशक (सरकारी नामित)	07.02.2023
3.	श्री अजय यादव डीआईएनः 10046617	निदेशक (सरकारी नामित)	14.02.2023
अंशकालिक गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (गैर–कार्यकारी निदेशक)			
4.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट डीआईएनः 09483059	स्वतंत्र निदेशक	28.01.2022
5.	डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर डीआईएनः 09556253	स्वतंत्र निदेशक	31.03.2022
6.	श्री राम निहाल डीआईएनः 10064841	स्वतंत्र निदेशक	09.03.2023
7.	श्रीमती रोहिणी रावत डीआईएनः 10064820	स्वतंत्र निदेशक	09.03.2023

श्री प्रदीप कुमार दास को इरेडा के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 06.05.2020 जिसे एमएनआरई द्वारा समय–समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम बार छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। 06.05.2022 से 05.11.2022. इसके बाद, एमएनआरई ने 10 अप्रैल, 2023 के कार्यालय आदेश संख्या 1/13/2017– इरेडा के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार दास को तीन महीने की अवधि के लिए निदेशक (तकनीकी), इरेडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। 05.03.2023 या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

❖ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2022–23 (इसके बाद वित्तीय वर्ष 23 के रूप में संदर्भित) और पिछले वित्तीय वर्ष 2021–22 (इसके बाद वित्तीय वर्ष 22 के रूप में संदर्भित) के दौरान आयोजित बोर्ड की संरचना में परिवर्तन नीचे उल्लिखित हैं:

क्र. सं.	नाम एवं निदेशक की प्रकृति	नियुक्ति/समाप्ति की प्रभावी तिथि	परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति/समाप्ति)
वित्तीय वर्ष 23 में निदेशकों में परिवर्तन			
1.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 08701559	26.10.2022	एमएनआरई आदेश संख्या के तहत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में पद समाप्त कर दिया गया। 340/85/2017–इरेडा दिनांक 31 अक्टूबर 2022।
2.	श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 03344721	07.02.2023	एमएनआरई आदेश संख्या के तहत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में पद समाप्त कर दिया गया। 340/85/2017–इरेडा दिनांक 07 अक्टूबर 2023।

क्र. सं.	नाम एवं निदेशक की प्रकृति	नियुक्ति / समाप्ति की प्रभावी तिथि	परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति / समाप्ति)
3.	श्री पदम लाल निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 10041387	07.02.2023	एमएनआरई आदेश संख्या 2023 340 / 85 / 2017–इरेडा दिनांक 07 फरवरी 2023 के अनुसार 07 फरवरी, 2023 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
4.	श्री अजय यादव निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 10046617	14.02.2023	एमएनआरई आदेश संख्या 340 / 85 / 2017–इरेडा दिनांक 07 फरवरी 2023 के अनुसार 14 फरवरी, 2023 से सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया यानि डीआईएन आवंटन तिथि (डीआईएनः 10046617)।
5.	श्री चिंतन एन. शाह निदेशक (तकनीकी) डीआईएनः 07795952	05.03.2023	04 मार्च, 2023 (अपराह्न) को इरेडा में अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण निदेशक (तकनीकी) के रूप में पद समाप्त हो गया।
6.	श्री राम निहाल स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 10064841	09.03.2023	एमएनआरई आदेश संख्या 340–11 / 1 / 2018–इरेडा दिनांक 06 मार्च 2023 के अनुसार 09 मार्च, 2023 यानी, डीआईएन आवंटन तिथि (डीआईएनः 10064841) से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
7.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 10064820	09.03.2023	एमएनआरई आदेश संख्या 340–11 / 1 / 2018–इरेडा दिनांक 06 मार्च 2023 के अनुसार 09 मार्च, 2023 से यानी, डीआईएन आवंटन तिथि (डीआईएनः 10064820) स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
वित्त वर्ष 22 में निदेशकों में बदलाव			
1.	श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 03344721	08.07.2021	एमएनआरई आदेश संख्या 340 / 85 / 2017–इरेडा दिनांक 8 जुलाई, 2021 द्वारा 8 जुलाई, 2021 से कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्त किया गया।
2.	श्री भानु प्रताप यादव निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 07835275	08.07.2021	एमएनआरई आदेश संख्या 340 / 85 / 2017–इरेडा दिनांक 8 जुलाई, 2021 द्वारा 8 जुलाई, 2021 से कंपनी के निदेशक (सरकारी नामिती) के रूप में पद समाप्त हो गया।
3.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 09483059	28.01.2022	एमएनआरई आदेश संख्या 340–11 / 1 / 2018–इरेडा दिनांक 21 जनवरी, 2022 द्वारा 28 जनवरी, 2022 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
4.	डॉ. चेन्नाकेसवा एम. जगनाथ स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 09556253	31.03.2022 (अपराह्न)	एमएनआरई आदेश संख्या 340–11 / 1 / 2018–इरेडा दिनांक 28 मार्च, 2022 के माध्यम से 31 मार्च, 2022 (अपराह्न) से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

❖ वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या।

निदेशक मंडल की बैठकें उचित अग्रिम सूचना देकर बुलाई जाती हैं। किसी भी तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के लिए, कभी–कभी वैधानिक प्रावधानों के पालन के अधीन बोर्ड की बैठकें कम सूचना पर भी बुलाई जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, प्रस्ताव भी परिसंचरण के माध्यम से पारित किए जाते हैं, बैठक में सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चा की सुविधा के लिए विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बयान आम तौर पर बोर्ड बैठक से कम से कम

एक सप्ताह पहले बोर्ड सदस्यों के बीच वितरित किए जाते हैं। बोर्ड के लिए एजेंडा पत्रों को एक सुरक्षित वेब–आधारित ऑनलाइन एप्लिकेशन पर प्रासंगिक कागजात अपलोड करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है, जिससे मुद्रित एजेंडा पत्रों का प्रसार समाप्त हो गया है। बदलते परिवेश के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रयास जारी रखती है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी कंपनी अधिनियम और सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बोर्ड के अन्य सदस्यों की सहमति से किसी भी मामले को बोर्ड की बैठक में चर्चा के एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लेते हैं। यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड की बैठकों में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए विभागाध्यक्षों (एचओडी)/वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो बोर्ड को कुछ एजेंडा मदों पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी जाती है। बैठक के बाद, ड्राफ्ट मिनट्स और हस्ताक्षरित मिनट्स की एक प्रति निर्धारित समय के भीतर निदेशकों को वितरित की जाती है।

वित्त वर्ष 23 के दौरान 25 (पच्चीस) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। 18.04.2022, 26.04.2022, 30.04.2022, 09.05.2022, 23.05.2022, 14.07.2022, 28.07.2022, 10.08.2022, 30.08.2022, 12.09.2022, 28.09.2022, 21.10.2022, 01.11 .2022, 11.11.2022, 24.11.2022, 15.12.2022, 30.12.2022, 11.01.2023, 31.01.2023, 09.02.2023, 28.02.2023, 04.03.2023, 15.03.2023, 24.03.2023 और 29.03.2023 . किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 3 दिन और 51 दिन था।

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूरी पहुंच है, जिसमें निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित जानकारी भी शामिल है।

❖ **बोर्ड की बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड और अन्य निदेशकों/समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं की संख्या।**

वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति (10 अगस्त, 2022 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक सहित) और प्रत्येक निदेशक की अन्य निदेशकशिप/समिति सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम और पदनाम	वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकें (कार्यकाल के अनुसार)		31.03.2023 तक अन्य कंपनियों में अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद, निदेशकों की श्रेणी	31.03.2023 तक अन्य कंपनियों में समिति में पदों की संख्या*		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों और परिवर्तनीय उपकरणों की संख्या (कंपनी सहित)	अंतिम एजीएम में उपस्थिति (10.08.2022)
	आयोजित	में भाग लिया			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में		
श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (06.05.2020 से)	25	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित हुए
श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी) (05.03.2018 से 04.03.2023 तक)	22	21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित हुए
श्री विमलेन्द्र ए पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामांकित व्यक्ति) (17.02.2020 से 25.10.2022 तक)	12	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं उपस्थित हुए

निदेशक का नाम और पदनाम	वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकें (कार्यकाल के अनुसार)		31.03.2023 तक अन्य कंपनियों में अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद, निदेशकों की श्रेणी	31.03.2023 तक अन्य कंपनियों में समिति में पदों की संख्या*		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों और परिवर्तनीय उपकरणों की संख्या (कंपनी सहित)	अंतिम एजीएम में उपस्थिति (10.08.2022)
	आयोजित	में भाग लिया			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में		
श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकारी नामित) (08.07.2021 से 06.02.2023 तक)	19	16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100	उपस्थित हुए
श्री पदम लाल निदेशक (सरकारी नामित) (07.02.2023 से)	5	3	6	शून्य	1	3	शून्य	लागू नहीं
श्री अजय यादव निदेशक (सरकारी नामित) (14.02.2023 से)	5	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक (28.01.2022 से)	25	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित हुए
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक (31.03.2022 से प्रभावी)	25	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित हुए
श्री राम निहाल स्वतंत्र निदेशक (09.03.2023 से)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक (09.03.2023 से)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:

- *इसमें ऑडिट समिति और शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति के अलावा बोर्ड समितियों में अध्यक्ष पद / सदस्यता शामिल नहीं है।
- कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक–दूसरे से संबंधित नहीं है।
- एन.ए. इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति संबंधित तिथि पर कंपनी में निदेशक नहीं था।
- बोर्ड में कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वे सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 26 के तहत निर्धारित निदेशक हैं।
- श्री दिनेश दयानंद जगदाले, कंपनी के पूर्व निदेशक (सरकारी नामिती), जो 16 सितंबर, 2019 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। 07.02.2023, कंपनी में ₹10 / – प्रत्येक के 100 शेयर हैं

❖ **निदेशक मंडल को उपलब्ध जानकारी:**

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूरी पहुंच है। बोर्ड को नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली जानकारी में आम तौर पर शामिल हैं:

- वार्षिक परिचालन योजनाएं, बजट और उसमें कोई भी अपडेट।
- पूंजीगत बजट और उसमें कोई भी अपडेट।
- तिमाही वित्तीय परिणाम।
- कंपनी के लिए त्रैमासिक एमओयू उपलब्धियां/परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती की जानकारी।
- सामग्री कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, यदि कोई हो।
- कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पर्याप्त गैर–भुगतान।
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- निवेश।
- त्रैमासिक विदेशी मुद्रा जोखिम और प्रतिकूल विनिमय दर आंदोलन के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण हो।
- कंपनी पर लागू नियामक या वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन/गैर–अनुपालन पर रिपोर्ट।
- बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट जो ऐसे सभी लंबित मामलों पर अद्यतन स्थिति प्रदान करती है।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- सूचना और/या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली कोई अन्य जानकारी।

❖ **निदेशकों के बीच परस्पर संबंध**

कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

❖ **गैर–कार्यकारी निदेशकों द्वारा रखे गए शेयर और परिवर्तनीय उपकरण**

31 मार्च, 2023 तक, किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं है। श्री दिनेश दयानंद जगदाले, कंपनी के पूर्व निदेशक (सरकारी नामिती), जो 07.02.2023 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। कंपनी में ₹10/– प्रति शेयर के 100 शेयर थे।

❖ **बोर्ड सदस्यों को परिचय/प्रशिक्षण कार्यक्रम**

बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। वित्त वर्ष 23 के दौरान, डीपीई ने 11 जुलाई, 2022 से 12 जुलाई, 2022 तक सीपीएसई के गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों के लिए दो दिवसीय अभिविन्यास और शिक्षण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कंपनी के तत्कालीन स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। अन्य बातों के अलावा, कंपनी के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियमों में परिभाषित निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में निदेशकों को परिचित कराने के लिए आंतरिक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण कार्यक्रम पूरा होने के बाद कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। विवरण https://www.ireda.in/doc/FamiliarisationDirectors-27032023.pdf पर देखा जा सकता है।

❖ **स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी**

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत की है, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्त/नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशक. स्वतंत्र निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 23 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

❖ **स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक**

वित्त वर्ष 23 के दौरान 21.10.2022 और 4.03.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई।

❖ **बोर्ड के पहचाने गए कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं को निर्धारित करने वाला एक चार्ट या मैट्रिक्स और ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं वाले निदेशकों के नाम, जो उसके व्यवसाय(ओं) और क्षेत्र (क्षेत्रों) के संदर्भ में और कुशल कामकाज के लिए आवश्यक हैं।**

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कार्यात्मक/आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों/गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं को ध्यान में रखते हैं। नियुक्ति के समय पदस्थापित निदेशकों की. निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल जिसमें उनकी योग्यता और अनुभव शामिल है, वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है।

❖ **आचार संहिता**

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/CodeOfBusinessConductAndEthics.pdf पर उपलब्ध है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक घोषणा

इरेडा के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के 'बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07448576

3. निदेशक मंडल की समितियाँ

विनियामक आवश्यकताओं के संदर्भ में और कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचार और केंद्रित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, बोर्ड ने विशिष्ट भूमिका, जवाबदेही और अधिकार के साथ बोर्ड स्तर की समितियों का गठन किया है। 31 मार्च, 2023 तक ऐसी समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:

3.1 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति;

3.2 निदेशकों की ऋण समिति;

3.3 निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति;

3.4 निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;

3.5 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति;

3.6 आईटी रणनीति समिति

3.7 जोखिम प्रबंधन समिति

3.8 एनपीए एवं तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति

3.9 असहयोगी उधारकर्ताओं और जानबूझकर चूक करने वालों के लिए समीक्षा समिति

समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

3.1 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस

पर डीपीई के दिशानिर्देशों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और आरबीआई के कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के तहत आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने विधिवत एक का गठन किया है। निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति। 31 मार्च, 2023 तक, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री पदम लाल निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
3.	श्री राम निहाल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), जीएम (एफ एंड ए)/ सीएफओ बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करते समय कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और लागत लेखापरीक्षकों को भी क्रमशः लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

❖ **लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें:**

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का खुलासा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की मंजूरी।

4. विशेष संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना:

   (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;

   (ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;

   (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

   (घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

   (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

   (च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासाय और

   (छ) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय।

5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

6. प्रबंधन के साथ वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

7. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।

8. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

9. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना।

10. ऑडिट शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ ऑडिट की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए ऑडिट के बाद की चर्चा के बारे में चर्चा।

11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना।

12. व्हिसिल ब्लोअर तंत्र के कार्य की समीक्षा और निगरानी करना।

13. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देनाय बशर्ते कि जहां निदेशक (वित्त) को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया हो वह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगाय

14. सीएजी ऑडिट की ऑडिट टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

15. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

16. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करें।

17. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन।

18. कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन बनाना।

19. अनावश्यक प्रयासों की कवरेज कटौती की पूर्णता और सभी ऑडिट संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र ऑडिटर के साथ समीक्षा करें।

20. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:

    - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और
    - संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें और स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक, प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ।

21. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:

    - वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली ऑडिट सिफारिशों की स्थिति भी शामिल है; और
    - ऑडिट कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध शामिल है।

22. लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

    I. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का विश्लेषण।

    II. द्वितीय. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण (जैसा कि ऑडिट समिति द्वारा परिभाषित किया गया है)।

    III. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों का पत्र।

    IV. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

    V. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

    VI. बोर्ड द्वारा नामित मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा।

    VII. विचलन का विवरण:

    (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम के विनियमन 32(1) के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो, 2015 ("लिस्टिंग विनियम"); और

    (ii) लिस्टिंग विनियमों के विनियम 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

23. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

24. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच।

25. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन।

26. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

27. प्रबंधन के साथ, किसी इश्यू (सार्वजनिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू, आदि) के माध्यम से जुटाए गए फंड के उपयोग/आवेदन का विवरण, ऑफर दस्तावेज में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड के विवरण की समीक्षा करना। प्रॉस्पेक्टस/नोटिस और निगरानी एजेंसी द्वारा सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली रिपोर्ट और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

28. सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति आकार के 10% से अधिक के ऋण औरध्या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना, जो 1 अप्रैल 2019 तक मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित कम हो।

29. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डिमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजना के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभावों पर विचार करें और टिप्पणी करें।

30. समय–समय पर कंपनी पर लागू होने वाले डीपीई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित किसी भी अन्य कार्य को करना और बोर्ड द्वारा समय–समय पर सर्वोत्तम हित में निर्धारित किए गए किसी भी अन्य कार्य को करना। कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारक।

31. लेखापरीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

    (क) इसके संदर्भ की शर्तों के भीतर निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के मामलों की जांच करना;

    (ख) कंपनी के किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगने के लिए;

    (ग) यदि आवश्यक हो तो बाहरी स्रोतों से कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना;

    (घ) यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना;

    (ङ) व्हिसिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए; और

    (च) कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी तक पूरी पहुंच प्राप्त करना।

उपरोक्त संदर्भ शर्तों के प्रयोजन के लिए:

(क) समिति निदेशक (वित्त) या वित्त समारोह के प्रमुख और वैधानिक लेखा परीक्षक के एक प्रतिनिधि और कंपनी के किसी अन्य ऐसे अधिकारी को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है। बशर्ते कि कभी–कभी ऑडिट समिति कंपनी के किसी अधिकारी की उपस्थिति के बिना भी बैठक कर सकती है।

(ख) समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और वित्तीय विवरण की समीक्षा सहित लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और आंतरिक के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा कर सकती है। और कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक और प्रबंधन।

(ग) कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सुनने का अधिकार होगा जब वह लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट, एक ऑडिट समिति की संरचना का खुलासा करेगी और जहां बोर्ड ने ऑडिट समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, उसे ऐसी रिपोर्ट में खुलासा किया जाएगा। उसके कारणों सहित।

जब तक अन्यथा परिभाषित न किया जाए, उपरोक्त लेखापरीक्षक की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, इसमें वैधानिक लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक शामिल होंगे।

❖ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है और उस वर्ष दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। वित्त वर्ष 23 के दौरान, 13 (तेरह) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। 26.04.2022, 30.04.2022, 09.05.2022, 14.07.2022, 10.08.2022, 28.09.2022, 11.11.2022, 24.11.2022, 15.12.2022, 30.12.2022, 9.02.2023, 15.03.2023 और 29.03.2023. विस्तृत एजेंडा और व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को पहले ही वितरित कर दिए गए थे।

वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	अध्यक्ष (04.02.2022 से)	13	13	शून्य
2.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन	अध्यक्ष (30.07.2021 से 03.02.2022 तक) सदस्य (04.02.2022 से 25.10.2022 तक)	6	5	शून्य
3.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य (18.04.2022 से 19.03.2023 तक)	12	12	शून्य
4.	श्री दिनेश दयानंद जगदाले	सदस्य (30.07.2021 से 17.04.2022 तक एवं 01.11.2022 से 06.02.2023 तक)	4	4	100*
5.	श्री पदम लाल	सदस्य (16.02.2023 से)	2	1	शून्य
6.	श्री राम निहाल	सदस्य (20.03.2023 से)	1	1	शून्य
7.	श्रीमती रोहिणी रावत	सदस्य (20.03.2023 से)	1	1	शून्य

टिप्पणियाँ: श्री दिनेश दयानंद जगदाले, पूर्व निदेशक (सरकारी नामिती) के पास भारत सरकार की ओर से नामिती के रूप में कंपनी के 100 इक्विटी शेयर हैं।

लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त को जानकारी हेतु बोर्ड के समक्ष रखा गया।

3.2 निदेशकों की ऋण समिति

कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स में निहित प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल के पास प्रतिनिधिमंडल संरचना और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदेशकों की एक विधिवत गठित ऋण समिति (एलसीओडी) है। 31 मार्च, 2023 तक, निदेशकों की ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री पदम लाल निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
3.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	निदेशक (वित्त)*	सदस्य

नोट:– *वर्तमान में पद रिक्त है

❖ **निदेशकों की ऋण समिति के संदर्भ की शर्तें:**

1) प्रतिनिधिमंडल के अनुसार परियोजनाओं के लिए ऋण की मंजूरी पर विचार करना। (वर्तमान में व्यक्तिगत ऋण / परियोजना के लिए अतिरिक्त / ऋण में वृद्धि सहित ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक)।

2) प्रतिनिधिमंडल के अनुसार ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावों और उनसे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना। (वर्तमान में व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक)।

3) प्रतिनिधिमंडल के अनुसार ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्तावों और उनसे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹125 करोड़ तक)।

4) एलसीओडी के दायरे में आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्त, साइट, गारंटी, वैधता और ऋण के अन्य नियमों और शर्तों में बदलाव पर विचार करना।

❖ **निदेशकों की ऋण समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 23 के दौरान, निदेशकों की ऋण समिति की 9 (नौ) बैठकें यानी 07.07.2022, 28.07.2022, 30.08.2022, 28.09.2022, 24.11.2022, 30.12.2022, 04.03.2023, 15.03 को आयोजित की गईं। 2023 एवं 22.03.2023। व्याख्यात्मक नोट्स के साथ विस्तृत एजेंडा समिति को पहले ही वितरित कर दिया गया था। वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष (06.05.2020 से)	9	9	शून्य
2.	श्री चिंतन एन. शाह	सदस्य (05.03.2018 से 04.03.2023)	7	7	शून्य
3.	श्री दिनेश डी. जगदाले	सदस्य (30.07.2021 से 06.02.2023 तक)	6	6	100*
4.	श्री पदम लाल	सदस्य (16.02.2023 से)	3	3	शून्य
5.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य (20.03.2023 से)	1	1	शून्य

नोट: *श्री दिनेश दयानंद जगदाले, पूर्व निदेशक (सरकारी नामिती) के पास भारत सरकार की ओर से नामिती के रूप में कंपनी के 100 इक्विटी शेयर हैं।

एलसीओडी के कार्यवृत्त को जानकारी के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

3.3 निदेशकों का नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)।

आपकी कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और तदनुसार सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश, सेबी एलओडीआर विनियम और आरबीआई के निगमित प्रशासन मानदंडों के अनुसार, आपकी कंपनी ने विधिवत एनआरसी का गठन किया है। 31 मार्च, 2023 तक, समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री राम निहाल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

❖ **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें:**

कंपनी पर लागू सीमा तक संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

1) किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करना;

2) एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति:

   क) यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें;

   ख) विविधता को उचित सम्मान देते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करें; और

   ग) उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें।

3) स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;

4) निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना;

5) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

6) स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाए या जारी रखी जाए।

7) वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो, की बोर्ड को अनुशंसा करना।

8) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास नए निदेशकों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए कार्यक्रम मौजूद हैं;

9) आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशकों की 'फिट और उचित' स्थिति/मानदंड सुनिश्चित करना।

10) समय–समय पर संशोधन होने पर सेबी लिस्टिंग विनियम, डीपीई दिशानिर्देश, आरबीआई दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना;

इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है।

❖ **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठकों की संख्याः**

वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, एनआरसी की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं। 18.04.2022, 23.05.2022, 12.09.2022, 21.10.2022, 01.11.2022, 24.11.2022, 28.02.2023 और 15.03.2023 को। विस्तृत एजेंडा और व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को पहले ही वितरित कर दिए गए थे।

वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित एनआरसी की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	अध्यक्ष (डब्ल्यूईएफ 18.04.2022)	7	7	शून्य
2.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	अध्यक्ष/सदस्य (अध्यक्ष प्रभावी 04.02.2022 से 17.04.2022 तक) (सदस्य प्रभावी 18.04.2022 से 19.03.2023 तक)	8	8	शून्य
3.	श्री दिनेश डी. जगदाले	सदस्य (डब्ल्यूईएफ 30.07.2021 तक 06.02.2023)	6	2	100*
4.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन	अध्यक्ष/सदस्य (अध्यक्ष प्रभावी 29.04.2021 को 03.02.2022) (सदस्य प्रभावी 04.02.2022 तक 17.04.2022)	1	1	शून्य
5.	श्री अजय यादव	सदस्य 16.02.2023 से तक 19.03.2023)	2	2	शून्य
6.	श्री राम निहाल	सदस्य डब्ल्यूईएफ (20.03.2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
7.	श्री रोहिणी रावत	सदस्य (20.03.2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

नोटः *श्री दिनेश दयानंद जगदाले, पूर्व निदेशक (सरकारी नामिती) के पास भारत सरकार की ओर से नामिती के रूप में कंपनी के 100 इक्विटी शेयर हैं।

निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और जीएम (एफएंडए)/सीएफओ बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य

हैं। एनआरसी के कार्यवृत्त को जानकारी के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

❖ **निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन**

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) और अनुसूचित IV के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी है। आपकी कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

3.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निदेशकों की समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2023 तक, निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	अध्यक्ष
2.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य
3.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य
4.	निदेशक (वित्त)*	सदस्य

नोट:– *वर्तमान में पद रिक्त है

❖ **निदेशकों की सीएसआर समिति के संदर्भ की शर्तें:**

1. कंपनी के सीएसआर और स्थिरता एजेंडे को वांछित दिशा में आगे ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियां और रणनीति बनाने में निदेशक मंडल की सहायता करना;
2. परियोजनाओं के चयन, योजना, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करना;
3. नीति ढांचे और दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का चयन;
4. लक्ष्यों के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए वार्षिक बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करना;
5. परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों का निर्माण।

❖ **सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या**

वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, सीएसआर समिति की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं। 14.07.2022, 12.09.2022, 28.09.2022, 21.10.2022, 11.11.2022, 24.11.2022, 31.01.2023, 04.03.2023 और 24.03.2023 को। समिति के सदस्यों को व्याख्यात्मक विवरण के साथ विस्तृत एजेंडा पहले ही वितरित कर दिया गया था।

वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष (06.05.2020 से)	9	9	शून्य
2.	श्री चिंतन एन. शाह	सदस्य (05.03.2018 से 04.03.2023 तक)	8	7	शून्य
3.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य (04.02.2022 से)	9	9	शून्य
4.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य (20.03.2023 से)	1	1	शून्य

निदेशकों की सीएसआर समिति के कार्यवृत्त को जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

3.5 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास एक विधिवत गठित हितधारक संबंध समिति है। 31 मार्च, 2023 तक, निदेशकों की हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधार (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष
2	श्री राम निहाल (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य
3.	श्रीमती. रोहिणी रावत (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य
4.	निदेशक (वित्त)*	सदस्य

नोटः– *वर्तमान में पद रिक्त है

❖ निदेशकों की हितधारक संबंध समिति के संदर्भ की शर्तें:

1) शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाए गए तंत्र की समीक्षा करना।

2) सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण / संचरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, घोषित लाभांश न मिलना, नए / डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

3) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

4) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

5) दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

6) कॉर्पोरेट से संबंधित निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार और / या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के तहत आवश्यक ऐसे अन्य मामलों की समीक्षा करें और उन्हें पूरा करें। शासन, समय–समय पर संशोधित होने के साथ–साथ किसी भी अन्य लागू वैधानिक नियमों और विनियमों के तहत।

❖ हितधारक संबंध समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 23 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की 3 (तीन) बैठकें आयोजित की गईं। 30.04.2022, 14.07.2022 और 24.11.2022 को। वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	श्री विमलेन्द्र ए पटवर्धन	अध्यक्ष 29.04.2021 से 25.10.2022 तक)	2	2	शून्य
2.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	अध्यक्ष (डब्ल्यूईएफ 01.11.2022 तक)	1	1	शून्य
3.	श्री चिंतन एन. शाह	सदस्य 05.03.2018 से 04.03.2023 तक)	3	2	शून्य
4.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य (04.02.2022 से 19.03.2023 तक)	3	3	शून्य
5.	श्री प्रदीप कुमार दास*	सदस्य 06.05.2020)	1	1	शून्य
6.	श्री राम निहाल	सदस्य (20.03.2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
7.	श्रीमती रोहिणी रावत	सदस्य (20.03.2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

नोटः– *श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) के रूप में बैठक में भाग लेते हैं।

निदेशकों की हितधारक संबंध समिति के कार्यवृत्त को जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

31 मार्च, 2023 तक, श्रीमती एकता मदान कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करती हैं। वह सेबी एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में कंपनी की अनुपालन अधिकारी भी हैं।

❖ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों पर शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर

एजेंट के समन्वय से निवेशकों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया है। कंपनी को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों से कोई शिकायत नहीं मिली है। वित्त वर्ष 23 के लिए डिबेंचर धारकों आदि से प्राप्त शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	59
वित्तीय वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया	59
31 मार्च, 2023 तक अनसुलझा रहा	शून्य

3.6 आईटी रणनीति समिति

कंपनी के पास 8 जून, 2017 को एनबीएफसी सेक्टर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन–सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क की आवश्यकता के अनुसार एक विधिवत गठित आईटी रणनीति समिति है। 31 मार्च, 2023 तक, आईटी रणनीति समिति में शामिल हैं निम्नलिखित सदस्य:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष
2.	जीएम (टीएस)(प्रभारी आईटी का) / सीआईओ*	सदस्य
3.	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य
5.	डीजीएम (आईटी) / आईटी समूह प्रमुख / सीटीओ (*)	सदस्य
6.	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)	सदस्य

नोट: *आईटी के प्रभारी जीएम (टीएस) को मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। आईटी समूह प्रमुख को मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) के रूप में नामित किया गया है।

वरिष्ठ आईटी सलाहकार और इरेडा के भीतर और बाहर कोई भी अन्य व्यक्ति बैठक में विशेष आमंत्रित व्यक्ति हैं।

❖ आईटी रणनीति समिति के संदर्भ की शर्तें:

1. आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;
2. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाएं और प्रथाएं लागू की हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करता है;
3. यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट स्वीकार्य हैं;
4. उस पद्धति की निगरानी करना जो प्रबंधन रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय दिशा प्रदान करने के लिए उपयोग करता है।
5. एनबीएफसी के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जागरूक होना।

❖ आईटी रणनीति समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 23 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की 2 (दो) बैठकें 14.06.2022 और 14.12.2022 को आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित आईटी रणनीति समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (04.02.2022 से)	2	2	शून्य
2.	श्री चिंतन एन. शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (05.03.2018 से 04.03.2023 तक)	2	2	शून्य
3.	श्री सोम पाल जीएम (टीएस) एवं सीआरओ	सदस्य (29.04.2021 से 31.10.2022 तक)	1	1	शून्य
4.	श्री पल्लव कपूर डीजीएम (आरएमडी) एवं सीआरओ	सदस्य (01.11.2022 से)	1	1	शून्य
5.	डॉ. आर.सी. शर्मा जीएम (एफ एंड ए) और सीएफओ	सदस्य (29.04.2021 से)	2	2	शून्य

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
6.	श्रीमती कंचन भल्ला डीजीएम (टीएस/आईटी) और सीआईओ/सीटीओ	सदस्य (04.02.2022	2 से)	1	शून्य
7.	श्री संजय कुमार डीजीएम (आईटी) और सीआईएसओ	सदस्य (29.04.2021 से)	2	2	शून्य

आईटी रणनीति समिति के कार्यवृत्त को जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

3.7 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर डायरेक्शन और सेबी विनियमों की आवश्यकता के अनुसार एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है। 31 मार्च, 2023 तक, निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री राम निहाल स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री जगनाथ सी.एम. जोड़ीधार स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	निदेशक (वित्त)*	सदस्य

नोटः– *वर्तमान में पद रिक्त है

❖ **निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तें:**

क) कंपनी के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों के समाधान के लिए एंटरप्राइज–व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को मंजूरी देना।

ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी जिसे परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति – एएलसीओ के रूप में भी जाना जाता है), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) के कार्यों की देखरेख करना।

ग) क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के माप, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना।

घ) तीनों जोखिमों के संबंध में जोखिम शमन और स्टॉप–लॉस पैरामीटर निर्धारित करना।

ङ) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाएं (लोगों, सिस्टम, संचालन, सीमाएं और नियंत्रण सहित) सुनिश्चित करना।

च) कंपनी के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों के आकलन के लिए वित्तीय/रेटिंग मॉडल और उनके मूल्यांकन प्रणालियों की मजबूती और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

छ) नियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा और अनुमोदन करना।

ज) आंतरिक/बाह्य रेटिंग, उधारकर्ता श्रेणी/समूह आदि के आधार पर क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया का अनुमोदन/समीक्षा, विभिन्न प्रकार के एक्सपोजर आदि के लिए एक्सपोजर छत का निर्धारण।

झ) कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग में योग्य और सक्षम अधिकारियों और जोखिम प्रबंधकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ञ) जोखिम प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी/उचित और पर्याप्त एमआईएस प्रणाली को अपनाने का निर्णय/अनुमोदन।

ट) पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन की संस्कृति और जागरूकता को सुदृढ़ करना जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन और मजबूत आंतरिक नियंत्रण के पालन को उच्च प्राथमिकता देगा।

ट) नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करना।

ठ) बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता सीमा के संबंध में इरेडा के प्रदर्शन की निगरानी करना।

❖ **जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 23 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं, अर्थात 29.06.2022, 27.09.2022, 01.11.2022, 29.12.2022 और 29.03.2023। वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	अध्यक्ष (04.02.2022 से 19.03.2023 तक)	4	4	शून्य
2.	श्री चिंतन शाह	सदस्य (30.07.2020 से 04.03.2023 तक)	4	4	शून्य
3.	श्री जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य (01.11.2022 से प्रभावी)	3	3	शून्य
4.	श्री विमलेन्द्र ए पटवर्धन	सदस्य (29.04.2021 से 25.10.2022 तक)	2	2	शून्य
5.	श्री राम निहाल	अध्यक्ष (20.03.2023 से प्रभावी)	1	1	शून्य
6.	श्रीमती रोहिणी रावत	सदस्य (20.03.2023 से प्रभावी)	1	1	शून्य

निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त को जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

3.8 एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति

कंपनी की तनावग्रस्त संपत्तियों और एनपीए की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कंपनी के पास एक विधिवत गठित एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति है। 31 मार्च, 2023 तक, निदेशकों की एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री राम निहाल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	निदेशक (वित्त)*	सदस्य

नोट:– *वर्तमान में पद रिक्त है

❖ एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति के संदर्भ की शर्तें

एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति का मुख्य कार्य / जिम्मेदारियां कार्रवाई रिपोर्ट के साथ तनावग्रस्त संपत्ति और एनपीए की स्थिति की समीक्षा करना है।

❖ एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 23 के दौरान, एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति की तीसरी (तीन) बैठक 22.08.2022, 28.12.2022 और 29.03.2023 को आयोजित की गई थी। वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	श्री दिनेश डी. जगदाले	अध्यक्ष (30.07.2021 से 06.02.2023 तक)	2	2	100*
2.	श्रीमती रोहिणी रावत	अध्यक्ष (20.03.2023 से प्रभावी)	1	1	शून्य
3.	श्री विमलेन्द्र ए पटवर्धन	सदस्य (05.03.2020 से 25.10.2022 तक)	1	0	शून्य
4.	श्री चिंतन शाह	सदस्य (05.03.2020 से 04.03.2023 तक)	2	2	शून्य
5.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य 01.11.2022 से 19.03.2023 तक)	1	1	शून्य
6.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य 20.03.2023 से प्रभावी)	1	1	शून्य
7.	श्री राम निहाल	सदस्य 20.03.2023 से प्रभावी)	1	1	शून्य

नोट: *श्री दिनेश दयानंद जगदाले, पूर्व निदेशक (सरकारी नामिती) के पास भारत सरकार की ओर से नामिती के रूप में कंपनी के 100 इक्विटी शेयर हैं।

निदेशकों की एनपीए और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति के कार्यवृत्त को जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

3.9 असहयोगी उधारकर्ताओं और जानबूझकर चूक करने वालों के लिए समीक्षा समिति

वित्त वर्ष 23 के दौरान, कंपनी ने आरबीआई सर्कुलर के अनुसार, 18 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी 357वीं बोर्ड बैठक में गैर–सहकारी उधारकर्ता और विलफुल डिफॉल्टर के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2023 तक, गैर–सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूक करने वाले निदेशकों की समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री राम निहाल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

❖ **असहयोगी उधारकर्ताओं और जानबूझकर चूक करने वालों के लिए समीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें**

गैर–सहकारी उधारकर्ता और विलफुल डिफॉल्टर के लिए समीक्षा समिति का मुख्य कार्यधजिम्मेदारियां उधारकर्ता की समीक्षा करना और उसे विलफुल डिफॉल्टर या गैर–सहकारी उधारकर्ता घोषित करना है।

❖ **असहयोगी उधारकर्ताओं और जानबूझकर चूक करने वालों के लिए समीक्षा समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 23 के दौरान, गैर–सहकारी उधारकर्ता और विलफुल डिफॉल्टर के लिए समीक्षा समिति की दूसरी (दो) बैठक 30.12.2022 और 28.02.2023 को आयोजित की गई थी। वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित गैर–सहकारी उधारकर्ताओं और जानबूझकर चूक करने वालों के लिए समीक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तब से समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
			आयोजित	में भाग लिया	
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष (18.04.2022 से प्रभावी)	2	2	शून्य
2.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य (18.04.2022 से 19.03.2023 तक)	2	2	शून्य
3.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य (18.04.2022 से प्रभावी)	2	2	शून्य
4.	श्री राम निहाल 20.03.2023 से प्रभावी)	सदस्य	शून्य	शून्य	शून्य

असहयोगी उधारकर्ता और विलफुल डिफॉल्टर के लिए समीक्षा समिति के कार्यवृत्त को जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

4. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) का पारिश्रमिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से तय किया जाता है। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कंपनी की ओर से कोई पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है।

वर्तमान में, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000 / – और प्रत्येक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000 / – का भुगतान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और केएमपी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण और बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण क्रमशः **तालिका क और तालिका ख** में दिया गया है।

तालिका कः वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भुगतान किए गए कार्यात्मक निदेशकों और केएमपी का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	अन्य लाभ	नियोक्ता पीएफ अंशदान	राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस)	आयोग	कुल
कार्यात्मक निदेशक								
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	40.73	17.29	2.77	3.87	2.9	_	67.56
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)*	39.06	15.00	2.29	3.21	2.41	_	61.97
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)								
3.	डॉ. आर. सी. शर्मा मुख्य वित्तीय अधिकारी	48.05	13.73	2.83	3.94	2.95	_	71.5
4.	श्री सुरेंद्र सुयाल कंपनी सचिव[$]	25.46	9.45	1.41	1.96	1.47	_	39.75
5.	श्रीमती एकता मदान कंपनी सचिव[$]	7.51	0	0.96	0.57	0.42	_	9.46

टिप्पणियाँ:–

- कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया था।
- नोटिस अवधि और विच्छेद शुल्क, यदि कोई हो, सहित कार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और शर्तों के अनुसार नियंत्रित होती हैं।
- प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- *श्री चिंतन शाह, पूर्व निदेशक (तकनीकी) 04 मार्च, 2023 (अपराह्न) को अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
- [$]श्री सुरेंद्र सुयाल अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण 31.10.2022 को कंपनी के कंपनी सचिव नहीं रहे। श्रीमती एकता मदान को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुपालन में 01.11.2022 से कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

तालिका खः वित्त वर्ष 23 के दौरान आयोजित बैठकों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (₹)
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	23,30,000/-
डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर	18,10,000/-
श्री राम निहाल	2,10,000/-
श्रीमती रोहिणी रावत	2,10,000/-
कुल	**45,60,000/-**

टिप्पणियाँ:–

- बैठक शुल्क के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए वाहन व्यय का भी भुगतान/प्रतिपूर्ति की जाती है।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, को छोड़कर, गैर–कार्यकारी निदेशकों का वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/TC%20for%20appointment%20of%20ID.pdf पर उपलब्ध हैं।

5. आम सभा की बैठकें

आयोजित पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, समय और स्थान का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	दिवस और दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकलप पारित किया गया था
2019–20	बुधवार 11.11.2020	दोपहर 12.30 बजे	कॉन्फ्रेंस रूम I, प्रथम तल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मैक्स मुलर मार्ग, नई दिल्ली–110003	नहीं
2020–21	मंगलवार 28.09.2021	दोपहर 12.30 बजे	तामरिंद हॉल, प्रथम तल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	नहीं
2021–22	बुधवार 10.08.2022	दोपहर 12.30 बजे	तामरिंद हॉल, प्रथम तल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	नहीं

इसके अलावा, असाधारण आम बैठक मंगलवार, 26.04.2022 को शाम 5.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई और निम्नलिखित दो विशेष प्रस्ताव पारित किए गए:

i. कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट की नियुक्ति।

ii. कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री चेन्नाकेशव मूर्ति जगनाथ की नियुक्ति।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और वर्तमान में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का भी प्रस्ताव नहीं है।

7. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम सेबी एलओडीआर विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.ireda.in) पर उपलब्ध हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस के तहत कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खुलासों को शेयरधारकों द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर समर्पित अनुभाग "निवेशक सूचना https://www.ireda.in/home के तहत देखा जा सकता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णयों और गतिविधियों पर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियाँ कंपनी की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

त्रैमासिक/वार्षिक परिणाम निम्नलिखित तिथियों पर आवश्यकताओं के अनुसार प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं:

त्रैमासिक/वर्ष समाप्ति	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्रों के नाम (हिन्दी एवं अंग्रेजी)
30.06.2022	11 अगस्त, 2022	• नवभारत टाइम्स (हिन्दी) • द टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी) • द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी)) • बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी)
30.09.2022	13 नवम्बर, 2022 14 नवम्बर, 2022	• नवभारत टाइम्स (हिन्दी) • द टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी) • द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी) • बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी)
31.12.2022	10 फरवरी, 2023	• नवभारत टाइम्स (हिन्दी) • द टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी) • द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी) • बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी)
31.03.2023	26 अप्रैल, 2023	• नवभारत टाइम्स (हिन्दी) • हिंदुस्तान (हिन्दी) • जनसत्ता (हिन्दी) • द टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी) • हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) • द हिंदू (अंग्रेजी) • द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) • द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी) • द फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) • द हिंदू बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) • बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) • मिंट (अंग्रेजी)

8. सामान्य शेयरधारक जानकारी

❖ **वित्तीय वर्ष 23 के लिए वार्षिक आम बैठक**

कंपनी के शेयरधारकों की आगामी 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित तिथि, समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी:

तारीख	शुक्रवार, 30 जून 2023
समय	दोपहर 12.30 बजे
स्थान	जुनिपर हॉल, ग्राउंड फ्लोर, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

❖ **वित्तीय वर्ष**

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

❖ **लाभांश का भुगतान**

वित्त वर्ष 23 के लिए, कंपनी ने डीआईपीएएम से लाभांश के भुगतान पर छूट प्राप्त की है।

❖ **प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता, जिस पर सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं और ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क के भुगतान की पुष्टि।**

कंपनी के डिबेंचर (बॉन्ड) निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) पहली मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, काला घोड़ा, किला, मुंबई – 400 001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई – 400 051
स्क्रिप कोड बीएसई: 935618, 961839, 935612, 961837, 935620, 935616, 961841, 961833, 961835, 961831, 935614, 973828, 974087, 974244, 974411, 974559, 955697, 955805, 955858, 956136, 956143, 958523, 958551, 958616, 959012, 959352, 959484	

बांड के लिए, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान एनएसई और बीएसई को किया गया है।

❖ **पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महीने के दौरान बाजार मूल्य डेटा–उच्च, निम्न, बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल इंडेक्स आदि जैसे व्यापक–आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन। यदि प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित कर दिया जाता है, तो निदेशक रिपोर्ट उसका कारण बताएगी**

चूँकि कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं इसलिए उपरोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 23 के दौरान किसी भी बांड (डिबेंचर) को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया था।

❖ **किसी इश्यू का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट।**

बांड के लिए	
लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400 083। फोन : 022 - 4918 6270 ई-मेल: team.bonds@linkintime.co.in	**केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर– 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरी लिंगमपल्ली हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500 032, भारत +91 40 6716 2222, umesh.pandey@kfintech.com

❖ **शेयर स्थानांतरण प्रणाली**

सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के भौतिक हस्तांतरण और केवल डीमैट मोड के माध्यम से अनिवार्य हस्तांतरण पर रोक लगा दी। तदनुसार, इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जाता है। कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता सरकार के स्वामित्व में है। भारत और उसके नामांकित व्यक्ति की, अभौतिकीकृत मोड में।

❖ **शेयरधारिता का वितरण और शेयरों और तरलता का डिमटेरियलाइजेशन**

कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता (कुल मिलाकर ₹10 में से 2,28,46,00,000) ₹2284,60,00,000) भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय और इसके 7 (सात) नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से डिमटेरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं।

❖ **बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर) और अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर) वारंट या**

कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट/परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किए गए हैं।

❖ **कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ**

कंपनी वस्तुओं का व्यापार नहीं करती इसलिए खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति बनाई है। कंपनी फॉरवर्ड, विकल्प और स्वैप जैसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए हेजिंग लेनदेन में प्रवेश करती है।

❖ **संयंत्र स्थान**

कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है और इसका कोई संयंत्र नहीं है।

❖ **पत्राचार के लिए पता**

पंजीकृत कार्यालय पहली मंजिल, कोर–4ए, ईस्ट कोर्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110 003 टेलीफोन नंबर 011-24682206-19 ई–मेलः cmd@ireda.in
कॉर्पोरेट कार्यालय तीसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली– 110 066 टेलीफोन नंबर 011-26717400-12 ई–मेलः cmd@ireda.in

❖ **ऐसी इकाई के सभी ऋण साधनों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या सूचीबद्ध इकाई की किसी योजना या प्रस्ताव के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची, जिसमें भारत या विदेश में धन जुटाना शामिल है।**

कंपनी के घरेलू ऋण उपकरणों को आईसीआरए द्वारा "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गई हैय केयर एज और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा "एए+" "पॉजिटिव"। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सावधि ऋणों और अल्पावधि ऋणों को एक्यूइट रेटिंग्स द्वारा "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गई है।

ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बकाया बांडों के लिए "एएए नेगेटिव" रेटिंग और "एएए (सीई)" रेटिंग दी है।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट (आईएसएम) सेगमेंट और एनएसई आईएफएससी पर सूचीबद्ध कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपकरण यानी ग्रीन मसाला बॉन्ड को "बीएए 3" और "बीबीबी" की संप्रभु रेटिंग के बराबर दर्जा दिया गया था। –"अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस और फिच रेटिंग्स क्रमशः। हालाँकि, 10 अक्टूबर, 2022 को मसाला बांड की परिपक्वता के परिणामस्वरूप, ये रेटिंग वापस ले ली गईं और अब मान्य नहीं हैं।

भारत सरकार के पूर्णतः सेवा प्राप्त बांडों के लिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और केयर एज द्वारा "एएए (स्थिर)" की रेटिंग की पुष्टि की गई है।

8. खुलासे

- इंडस्ट्रीज एएस 24 ष्संबंधित पक्ष प्रकटीकरणष् के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के नोट 38(10) में दिया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/IREDA_Policy%20on%20Materality%20of%20Related%20Party%20Transections(1).pdf. पर देखी जा सकती है।

- **पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के गैर–अनुपालन और आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड, सख्तियों का विवरण। पिछले तीन वर्षों के दौरानः**

कंपनी ने वर्ष के कुछ भाग के लिए स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति से संबंधित अनुपालनों को छोड़कर, सेबी विनियमन के रेग 17 से 27 सहित कंपनी अधिनियम, लेखांकन और सचिवीय मानक और सेबी एलओडीआर विनियमों के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अलावा, निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन का रेगुलेशन 46 कंपनी पर लागू नहीं होता है। सेबी एलओडीआर के विनियमन 62 के तहत आवश्यक सभी आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे www.ireda.in पर देखा जा सकता है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज या

सेबी या पूंजी बाजार से संबंधित किसी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई। हालाँकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के उल्लंघन (महिला निदेशक की नियुक्ति न करना) के लिए ₹2,62,000/– का जुर्माना लगाया। इस संबंध में जुर्माना माफ करने की मांग करते हुए एक अपील क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के पास दायर की गई है और मामला लंबित है। इसके अलावा, महिला निदेशक को कंपनी के बोर्ड में 9 मार्च 2023 से नियुक्त किया गया है।

- सेबी विनियमों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा "सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति पर नीति" तैयार की गई थी और वही लागू है। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/doc/policy/ policy-1-familiarisation-programme-of-independent-director.pdf. पर उपलब्ध है। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया है।

- पिछले 3 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को कोई राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया था।

- कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है इसलिए सामग्री सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए कोई नीति नहीं है।

- कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट तरजीही आवंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

- व्यवहार में कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी, एमसीए या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। प्रमाणपत्र **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है।

- वित्त वर्ष 23 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां निदेशक मंडल ने कंपनी की किसी भी बोर्ड–स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो।

- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण उप–शीर्ष 'सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान' के तहत 'नोट 38 (28) – खाते के नोट्स' में दिखाया गया है।

- निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए, कंपनी ने कंपनी के निदेशकों, केएमपी, महाप्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए एक निदेशक और अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी प्राप्त की है।

- आपकी कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त, सकारात्मक कार्यस्थल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर कड़ी और कड़ी कार्रवाई करती है। कंपनी ने "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई है। वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

- कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा विस्तारित सेवा शर्तों के एक हिस्से के अलावा निदेशकों को कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

- **गैर–अनिवार्य आवश्यकताएँ**

  1. बोर्डः कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष करता है।

  2. शेयरधारक अधिकारः कंपनी के वित्तीय परिणाम (त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक) वेबसाइट https://www.ireda.in/ पर अपलोड किए जाते हैं।

  3. ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित रायः वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय जारी की है।

  4. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अलग पदः अध्यक्ष और सीईओ का कोई अलग पद नहीं है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ की भूमिका अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निभाई जाती है।

  5. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंगः आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

- कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भौतिक प्रकृति का लेनदेन नहीं किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। गैर–कार्यकारी निदेशक का अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था।

- कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सभी सुझाई गई वस्तुओं को अपनाया है और रिपोर्ट में अपेक्षित प्रकटीकरण दिया है। डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 के अनुसरण में, तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट एमएनआरई को प्रस्तुत की गई थी। साथ ही, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर एमएनआरई को प्रस्तुत की गई थी।

- बैलेंस शीट, इक्विटी में बदलाव का विवरण और लाभ और हानि का विवरण एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें इंड एएस का अनुपालन करना आवश्यक है। नकदी प्रवाह का विवरण इंडस्ट्रीज 7–कैश प्रवाह विवरण की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

- कंपनी ने ऐसा कोई व्यय नहीं किया है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है।

- वित्त वर्ष 23 के लिए कुल खर्चों का 2.69% प्रतिशत प्रशासनिक और कार्यालय व्यय है (पिछले वर्ष 6.01%) और वित्त वर्ष 23 के लिए वित्तीय व्यय का प्रतिशत 3.02% (पिछले वर्ष 7.73%) है।

- जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 17(8) के तहत आवश्यक है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था और **अनुलग्नक–2** के रूप में संलग्न किया गया था।

- प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

9. सचिवीय लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 23 के लिए सचिवीय ऑडिट मेसर्स पी.सी. द्वारा आयोजित किया गया है। जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव और उन्होंने अपनी सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनती है।

10. लेखापरीक्षा योग्यता

वित्तीय वर्ष 23 से संबंधित कोई वैधानिक लेखा परीक्षक की योग्यता नहीं है।

11. डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण

कंपनी ने समय–समय पर डिबेंचरध्बॉन्ड जारी किये हैं। डिबेंचर ट्रस्टी की वर्तमान श्रृंखला का विवरण नीचे उल्लिखित है:

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण	शृंखला
1	**एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड तल–122, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400020	• कर मुक्त बांड श्रृंखला–XIII और XIII–आईसी • करयोग्य बांड श्रृंखला XI–ए, XII–ए, XII–बी, XII–सी, XII–डी
2	**विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड** विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड, ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 110024	• कर योग्य बांड श्रृंखला IIIबी, IV, Vए, Vबी, VI-ए, VI-ए, VII-ए, VII-बी, VIII, IX-ए, IX-बी, X • कर मुक्त बांड श्रृंखला XIV और XIV–सी • भारत सरकार–पूरी तरह से सेवायुक्त बांड I, Iए और Iबी

****

अनुलग्नक-1

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्य
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
इंडिया हैबिटेट सेंटर, पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4–ए, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (सीआईएन: U65100DL1987GOI027265) के निदेशकों और इंडिया हैबिटेट सेंटर, पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4–ए में पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है। लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10 के साथ पढ़े गए विनियमन 34(3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2015 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन के अनुसार निदेशक/अधिकारी, हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड में नीचे दिए गए किसी भी निदेशक को भारतीय विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, या ऐसा कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण प्रतिभूतियों द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री प्रदीप कुमार दास	07448576	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	06/05/2020	लागू नहीं
2	श्री शब्दशरण एन ब्रह्मभट्ट	09483059	स्वतंत्र निदेशक	28/01/2022	लागू नहीं
3	श्री जगनाथ सी एम जोड़ीधर	09556253	स्वतंत्र निदेशक	31/03/2022	लागू नहीं
4	श्री पदम लाल	10041387	सरकार नामित निदेशक	07/02/2023	लागू नहीं
5	श्री अजय यादव	10046617	सरकार नामित निदेशक	14/02/2023	लागू नहीं
6	श्रीमती रोहिणी रावत	10064820	स्वतंत्र निदेशक	09/03/2023	लागू नहीं
7	श्री राम निहाल	10064841	स्वतंत्र निदेशक	09/03/2023	लागू नहीं
8	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन	08701559	नामित निदेशक	17/02/2020	26/10/2022
9	श्री दिनेश डी. जगदाले	03344721	नामित निदेशक	08/07/2021	07/02/2023
10	श्री चिंतन एन. शाह	07795952	निदेशक (तकनीकी)	05/03/2018	05/03/2023

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव,
(एफआरएन: P2016HR051300)

ह./-
(पी.सी. जैन)
प्रबंध भागीदार
सीपी नं. 3349
एम नं. 4103

दिनांक : 19.06.2023
स्थान : फरीदाबाद
यूडीआईएन: F004103E000500797

अनुलग्नक-2

निदेशक मंडल
इरेडा लिमिटेड

अनुपालन प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार

निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है:

क. 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

  क. इन कथनों में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

  ख. ये कथन मिलकर कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन कर रहे हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31.03.2023 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी, अवैध या आचार संहिता का उल्लंघन है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक के डिजाइन या संचालन में कमियों का खुलासा किया है। नियंत्रण, यदि कोई हो, जिसके बारे में हम जानते हैं, और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है:

  क. इस अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

  ख. 31.03.2023 को समाप्त अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा किया गया है; और

  ग. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में हमें पता चला है और यदि कोई है तो इसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह./-
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ
डीआईएन:- 07448576

दिनांक : 25.04.2023

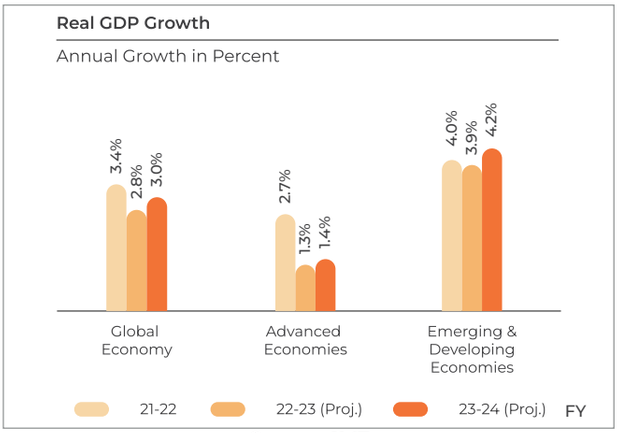
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आपकी कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन सहित उद्योग परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न है।

1. वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) बाजार

समग्र आर्थिक आउटलुक

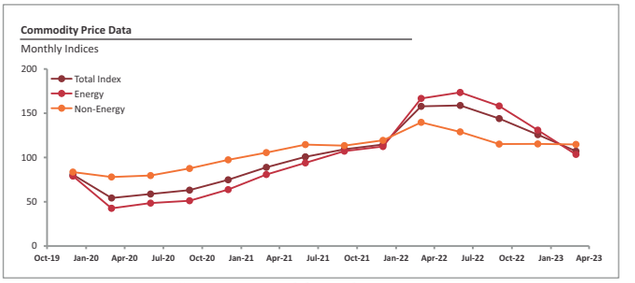
हाल के दिनों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई उल्लेखनीय चुनौतियों और कारकों का सामना करना पड़ा है जिन्होंने इसके वर्तमान परिदृश्य को आकार दिया है। कोविड–19 महामारी अपने साथ विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व व्यवधान लेकर आई और जबकि दुनिया सुधार की राह पर है, रूस–यूक्रेन संघर्ष जैसी अन्य उल्लेखनीय घटनाओं ने वैश्विक दृष्टिकोण पर अपनी छाप छोड़ी है।



Source : IMF

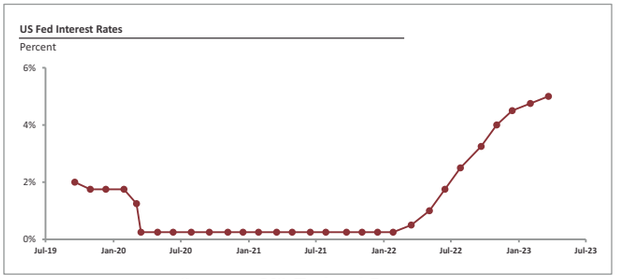
आईएमएफ का अनुमान है कि परिणामी अनिश्चितता के कारण विकास दर 2022 में 3.4% से घटकर 2023 में 2.8% हो जाएगी, 2024 में 3% तक सुधरने से पहले। प्रभाव उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है, जबकि भारत जैसी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं और चीन के और अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

इस बीच, आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2022–23 में 8.7% से घटकर वित्त वर्ष 23–24 में 7.0% होने की उम्मीद है, मुख्य रूप से कमोडिटी की कम कीमतों के कारण जो रूस–यूक्रेन संघर्ष के बाद तेजी से बढ़ी थी। कीमतें, विशेष रूप से ऊर्जा की, तब से काफी कम हो गई हैं। साथ ही, मांग और ब्याज दरों को प्रबंधित करने के केंद्रीय बैंकों के प्रयासों और नीतियों के कारण अंतर्निहित मुख्य मुद्रास्फीति धीरे–धीरे कम होने की उम्मीद है।



Source : World Bank

दुनिया भर के देशों ने मुद्रास्फीति में वृद्धि से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर एक समान रणनीति का पालन किया है – ब्याज दरें बढ़ाकर जो विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए उधार लेने की लागत में वृद्धि करती है, साथ ही आपूर्ति और मांग के पुनर्संतुलन और कीमतों को स्थिर करने की अनुमति देती है। मार्च 2023 तक, जापान और चीन जैसे देशों को छोड़कर, जी20 के अधिकांश देशों ने 2021 से दरें बढ़ा दी हैं।



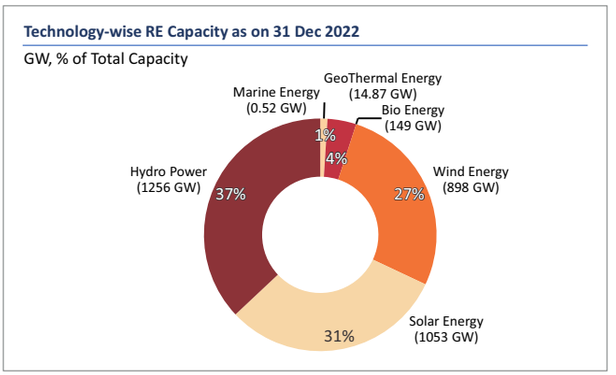
Source : US Federal Reserve

अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक की विफलता के साथ–साथ यूरोप में क्रेडिट सुइस पर बाजार का विश्वास भी कम हुआ है। इसे अमेरिका में बैंक नियामकों ने एक नए बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम के माध्यम से बिना बीमा वाली जमाओं की गारंटी और तरलता के प्रावधान द्वारा निपटाया था। स्विट्जरलैंड में, स्विस नेशनल बैंक ने क्रेडिट सुइस को आपातकालीन तरलता सहायता प्रदान की, इससे पहले कि इसे यूबीएस द्वारा राज्य समर्थित अधिग्रहण में ले लिया गया था।

वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार का अवलोकन

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के अनुमान के अनुसार, दिसंबर 2022 के अंत में, वैश्विक नवीकरणीय उत्पादन क्षमता कुल 3,372 गीगावॉट थी। 1,256 गीगावॉट (37%) की क्षमता के साथ हाइड्रो पावर का वैश्विक

कुल में सबसे बड़ा हिस्सा है। पवन और सौर ऊर्जा क्रमशः 898 गीगावॉट (27%) और 1,053 गीगावॉट (31%) की क्षमता के साथ शेष क्षमता के लिए जिम्मेदार है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में बायोएनर्जी, जियो–थर्मल ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा में फैला हुआ 165 गीगावॉट (5%) शामिल है।



स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए)

इसके अलावा, आईआरईएनए के अनुसार, 2022 में नवीकरणीय उत्पादन क्षमता में 295 गीगावाट (+9.6%) की वृद्धि हुई। सौर ऊर्जा ने 191 गीगावाट की वृद्धि के साथ क्षमता विस्तार का नेतृत्व करना जारी रखा, इसके बाद 75 गीगावाट पर पवन ऊर्जा का स्थान रहा। पवन और सौर ऊर्जा में इस वृद्धि से नवीकरणीय उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि हुई और प्रतिशत के संदर्भ में रिकॉर्ड पर दूसरी सबसे अधिक वृद्धि हुई। 2022 में नई क्षमता में एशिया का हिस्सा ~60% था, जिससे इसकी नवीकरणीय उत्पादन क्षमता में 175 गीगावॉट की वृद्धि हुई।

इस बीच, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में क्षमता में क्रमशः 57.3 गीगावाट (+8.8%) और 29.1 गीगावाट (+6.3%) का विस्तार हुआ। ओशिनिया ने 5.2 गीगावॉट (+10.6%) के विस्तार के साथ अपनी दोहरे अंक की वृद्धि जारी रखी, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में विस्तार के कारण, दक्षिण अमेरिका ने 18.2 गीगावॉट (+7.4%) की क्षमता विस्तार के साथ ऊपर की ओर रुझान जारी रखा। 2022 में 3.2 गीगावॉट नई क्षमता (+12.8%) चालू होने के साथ, मध्य पूर्व ने भी रिकॉर्ड पर अपना उच्चतम विस्तार दर्ज किया।

शीर्ष 5 देश – सौर पीवी और पवन ऊर्जा क्षमता

शीर्ष 5 देश–सौर पीवी और पवन ऊर्जा क्षमता			शीर्ष 5 देश–पवन ऊर्जा क्षमता		
देश रैंक	देश नाम	दिसंबर–22 तक स्थापित क्षमता (लगभग) (जीडब्ल्यू)	देश रैंक	देश नाम	दिसंबर–22 तक स्थापित क्षमता (लगभग) (जीडब्ल्यू)
1	चीन	393	1	चीन	365
2	यूएसए	113	2	यूएसए	140
3	जापान	78	3	जर्मनी	66
4	जर्मनी	66	4	भारत	42
5	भारत	63	5	स्पेन	29

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए)

ब्लूमबर्ग एनईएफ के अनुमान के अनुसार, 2022 में, निम्न–कार्बन ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक निवेश कुल 1.1 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2021 में 849 बिलियन डॉलर और 2011 में केवल 267 बिलियन डॉलर था। इस आंकड़े में नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, चार्जिंग बुनियादी ढांचे जैसी परियोजनाओं में निवेश शामिल है। , हाइड्रोजन उत्पादन, परमाणु, रीसाइक्लिंग और कार्बन, कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) परियोजनाएं – साथ ही कम कार्बन ऊर्जा उपकरणों की अंतिम–उपयोगकर्ता खरीद, जैसे कि छोटे पैमाने पर सौर प्रणाली, ताप पंप और शून्य–उत्सर्जन वाहन।

2022 में सबसे बड़ा क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा था, जिसने नई परियोजनाओं और लघु–स्तरीय प्रणालियों के लिए $495 बिलियन आकर्षित किया (2021 से 17% अधिक), लेकिन विद्युतीकृत परिवहन क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ा और $466 बिलियन (54% अधिक) तक पहुंच गया। ऊर्जा परिवर्तन निवेश को आकर्षित करने में चीन अब तक अग्रणी देश था, जिसका योगदान $546 बिलियन या वैश्विक कुल का लगभग आधा था। जबकि अमेरिका $141 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर था

देश के अनुसार ऊर्जा परिवर्तन में निवेश (अरब अमेरिकी डॉलर) 2022

देश	निवेश (यूएसडी बीएन)	देश	निवेश (यूएसडी बीएन)
चीन	546	जापान	23
संयुक्त राज्य अमेरिका	141	कोरिया (गणराज्य)	19
जर्मनी	55	भारत	17
फ्रांस	29	स्पेन	17
यूनाइटेड किंगडम	28	इटली	16

स्रोतः ब्लूमबर्गएनईएफ

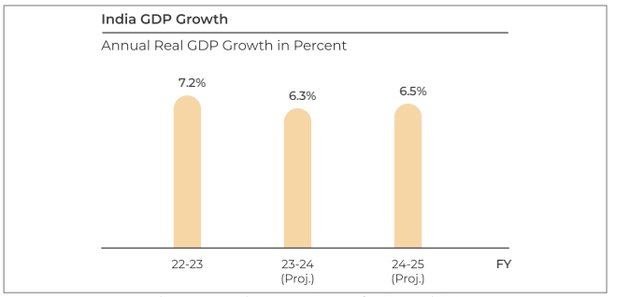
संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम (आईआरए) 2022 जैसी नीतियों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में अधिक धन का निर्देश दिया है। इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता में निवेश को बढ़ावा देना और कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण घटकों और अनुसंधान एवं विकास की खरीद को प्रोत्साहित करना है। और स्वच्छ हाइड्रोजन. इस बीच, ईयू ग्रीन डील के साथ, यूरोप पहला जलवायु–तटस्थ महाद्वीप बनने का प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य 1990 के स्तर के मुकाबले 2030 तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% कम करना है।

2. भारत व्यापार दृष्टिकोण और पुनः बाजार

समग्र आर्थिक आउटलुक

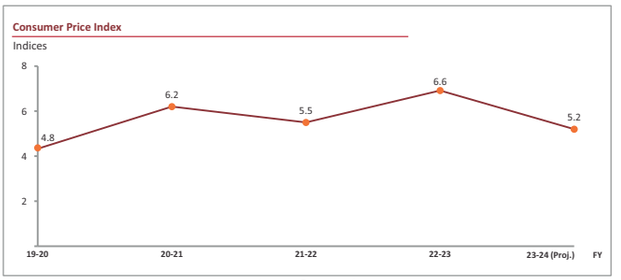
जबकि वैश्विक दृष्टिकोण कुछ अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बीच सुधार के धीमे संकेत दिखाता है, भारत जैसे उभरते और विकासशील देशों में स्थिति काफी बेहतर है। उम्मीद है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 23 के लिए अपेक्षित विकास दर 7.2% है। इसके अलावा, फिच रेटिंग्स के पूर्वानुमानों के अनुसार, भारत के वित्त वर्ष 24 में 6.3% और वित्त वर्ष 25 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

ये परिवहन बुनियादी ढांचे, रसद और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए सरकारी नीतियों के पीछे निजी उपभोग और निजी निवेश द्वारा संचालित हैं। वित्त वर्ष 23–24 में भारत की विकास दर में नरमी मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी, कड़ी मौद्रिक स्थितियों और ऊंची तेल की कीमतों पर आधारित है। हालाँकि, वित्त वर्ष 23–24 में निवेश में तेजी से वृद्धि देखने की उम्मीद है, जिसका श्रेय सहायक सरकारी नीतियों और मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, बैंकों में कम गैर–निष्पादित ऋणों और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट डिलीवरेजिंग को दिया जाएगा, जिससे बैंक ऋण में वृद्धि होगी।



स्रोतः एम ओ एस पी आई, फिच रेटिंग

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाना जारी रखा है। और जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, विश्व बैंक का अनुमान वित्त वर्ष 23–24 में सीपीआई में औसतन 5.2% की गिरावट की ओर इशारा करता है, जिससे वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में कमी और घरेलू मांग में कमी से मदद मिली है। मुद्रास्फीति का दबाव कम होने पर वित्त वर्ष 24–25 में इसके और धीमी होकर 4.5% तक पहुंचने की उम्मीद है।

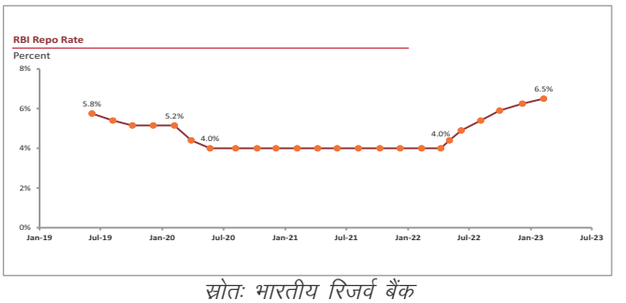


स्रोत: विश्व बैंक

विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 23–24 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% और वित्त वर्ष 24–25 में 1.9% तक घटने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24–25 में सुधार से पहले माल निर्यात में वृद्धि मध्यम होने का अनुमान है, क्योंकि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं और सुव्यवस्थित श्रम नियमों जैसे कारोबारी माहौल में सुधार के प्रयासों से इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण विकास के अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन में सुधार होता है। सेवा निर्यात वृद्धि मजबूत रही है और उम्मीद है कि भारत के समग्र भुगतान संतुलन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

कई वैश्विक पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियां और अन्य वित्तीय संस्थान (एफआई), निजी इक्विटी, घरेलू संस्थान/बैंक आदि इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। भारत सरकार के 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट बिजली क्षमता के लक्ष्य को देखते हुए, क्षेत्र की वित्त पोषण आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई है। इस परिदृश्य मेंय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ), इनवीआईटी, वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ), ताजा परियोजनाओं में निवेश के लिए धन निकालने के लिए बांड आदि जैसे नए उपकरणों के संदर्भ में मुद्रा बाजार को मजबूत करना समग्र आरई– को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य.

आरबीआई ने पिछले वित्तीय वर्ष में रेपो दर में कई बार बढ़ोतरी की है, जो वित्तीय वर्ष के अंत में 250 बीपीएस बढ़कर 6.50% तक पहुंच गई है। इस कदम से उधार दरों में वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देश में मांग और आपूर्ति में कमी आई है। यह उम्मीद की जा रही थी कि कोविड–19 महामारी के दौरान रेपो दर में काफी कमी की गई थी, इससे पहले कि रूस–यूक्रेन संघर्ष जैसे कारकों ने बढ़ती मुद्रास्फीति में योगदान दिया, जिसके कारण अंततः आरबीआई द्वारा दर बढ़ाई गई। इस बीच, एनबीएफसी क्षेत्र के लिए बैंक क्रेडिट ने वित्तीय वर्ष के अंतिम छह महीनों में से प्रत्येक में 30% से अधिक की साल–दर–साल वृद्धि दर्ज की है, जबकि आरबीआई ने 2022 में एनबीएफसी क्षेत्र के लिए विशिष्ट 27 से अधिक नियामक अपडेट भी जारी किए हैं। अकेला।

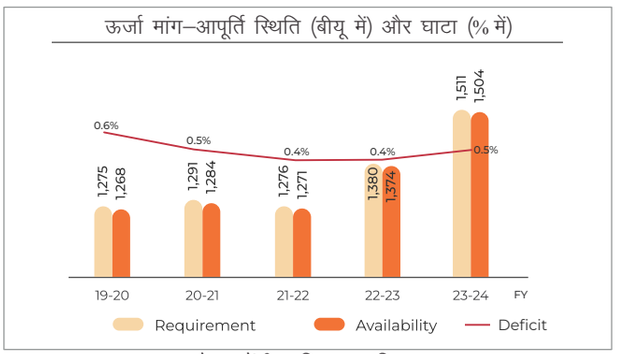


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

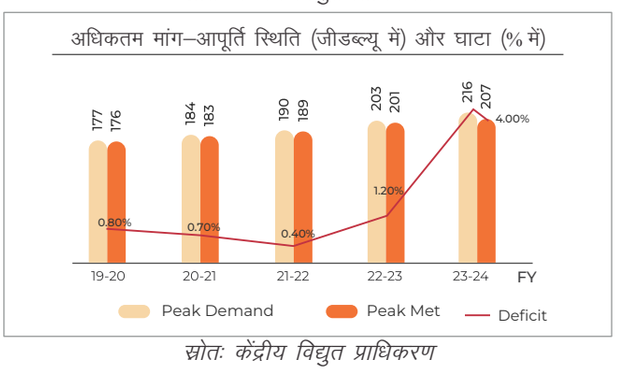
भारतीय अक्षय ऊर्जा बाजार और विकास का अवलोकन

पिछले कुछ वर्षों में, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। जबकि थर्मल पावर क्षमता वृद्धि में मंदी देखी गई है, पवन और सौर ऊर्जा क्षेत्र ने गति पकड़ी है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने सीओपी 26 में घोषणा की कि भारत वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500–गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले कुछ वर्षों में 3.46% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) के साथ मांग और आपूर्ति में काफी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, पिछले 5 वर्षों में अधिकतम मांग और अधिकतम उपलब्धता/पूरा 3.37% की सीएजीआर के साथ बढ़ी है।



स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण



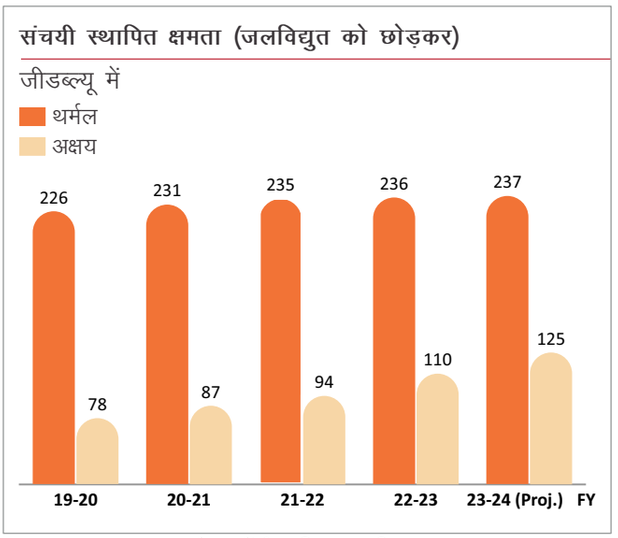
स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आगे चलकर, बिजली के भारत की जीडीपी वृद्धि में एक प्रमुख इनपुट बने रहने की उम्मीद है और देश के समग्र ऊर्जा पोर्टफोलियो में नवीकरणीय ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होगी। आरई क्षमता के लिए काफी ऊंचे लक्ष्य अधिक ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर ऊर्जा पहुंच और रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति के साथ, ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के माध्यम से पूरी होने की संभावना है।

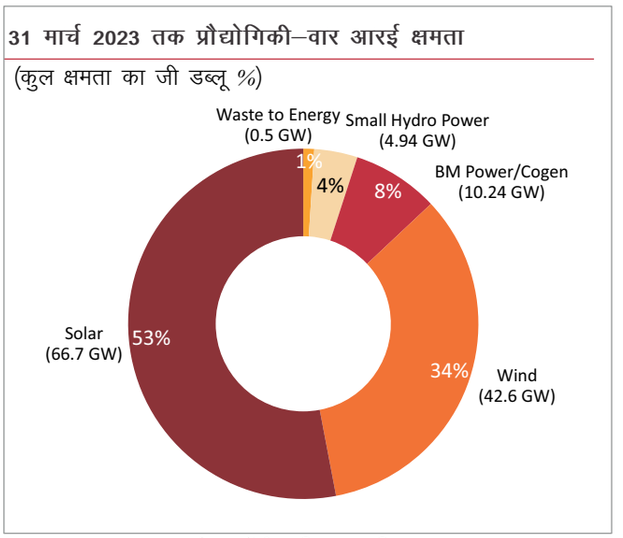
आरई क्षेत्र न केवल टिकाऊ और पर्यावरण–अनुकूल विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि ऊर्जा पहुंच और अंतिम–मील कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में जैव ईंधन, सौर, पवन–सौर संकर, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव और भंडारण प्रणालियों जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आरई क्षेत्र की ओर भारत सरकार के बढ़ते फोकस से इस क्षेत्र में निवेश के साथ–साथ रोजगार के भी जबरदस्त अवसर पैदा हुए हैं। नवंबर 2022 में ईवाई द्वारा जारी 60वें ई वाय "नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक (रेकाई)" में भारत को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के लिए 7वां सबसे आकर्षक देश का दर्जा दिया गया है।

इसके अलावा, भारत को सतत विकास के लिए अपनी स्वैच्छिक और कार्रवाई–उन्मुख नीति, कार्यान्वयन और सार्वजनिक कनेक्ट ढांचे की मान्यता के रूप में ऊर्जा 2021 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च–स्तरीय वार्ता में "ऊर्जा संक्रमण" के लिए वैश्विक थीम चैंपियन के रूप में चुना गया है। ऐसे में, निवेशक पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की विकास कहानी से उत्साहित हैं और भारतीय आरई बाजार में और निवेश करने के इच्छुक हैं। दिसंबर 2022 में, भारत ने इंडोनेशिया से पदभार ग्रहण करते हुए जी 20 फोरम की अध्यक्षता भी संभाली। भारत की जी 20 प्राथमिकताओं का हिस्सा हरित विकास और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर देना है, साथ ही विकासशील देशों के लिए उचित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करना है।

मार्च 2023 तक, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 41% से अधिक है, (यानी, 416 गीगावॉट में से 172 गीगावॉट), जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा (हाइड्रो पावर को छोड़कर) 125 है। 416 गीगावॉट में से गीगावॉट यानी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता। विश्व स्तर पर भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में शीर्ष 5 देशों में स्थान पर है। आरई क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में स्थापित क्षमता और देश की कुल बिजली उत्पादन में आरई की बढ़ती हिस्सेदारी दोनों के संदर्भ में परिवर्तनकारी विकास देखा गया है। जबकि थर्मल क्षेत्र की क्षमता पिछले 6 वर्षों में 1.02% प्रति वर्ष की सीएजीआर से बढ़ी है, आरई क्षमता 10.4% की सीएजीआर से बढ़ी है। इसके अलावा, आरई क्षमता में वृद्धि का अधिकांश हिस्सा सौर (सौर छत सहित) और पवन ऊर्जा के कारण है, जिसमें कुल आरई स्थापित क्षमता का ~86% शामिल है।

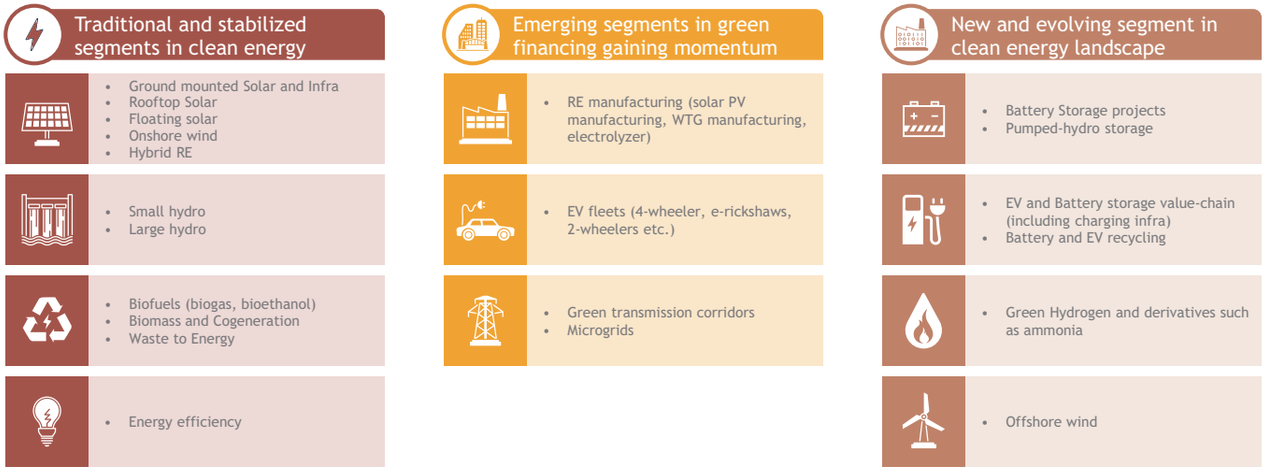


स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण



स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

3. भारत में नवीकरणीय और नई ऊर्जा परिदृश्य पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण



समग्र विद्युत क्षेत्र के लिए प्रमुख घोषणाएँ एवं भारत में आरई क्षेत्रः

विद्युत क्षेत्र

- बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और 2024–25 तक एटी एंड सी घाटे को 12–15% तक कम करने के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता के रूप में ₹3,03,758 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 21–22 में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई थी। 9 फरवरी 2023 को एमओपी की घोषणा के आधार पर, निगरानी समिति ने 46 डिस्कॉम के लिए कार्य योजनाओं और डीपीआर को मंजूरी दी थी, और 20.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट उपभोक्ता मीटर, 54 लाख स्मार्ट डीटी मीटर और 2 लाख स्मार्ट फीडर मीटर को मंजूरी दी थी। इस योजना से एटीएंडसी घाटे में कमी आई और दक्षता में सुधार हुआ।

- एमओपी ने जून 2022 में डिस्कॉम को बकाया राशि को समेकित राशि में जोड़कर भुगतान करने में सहायता करने के लिए देर से भुगतान अधिभार योजना (एलपीएस) की शुरुआत की, जिसका भुगतान समान ब्याज मुक्त ईएमआई में किया जा सकता है। डिस्कॉम को 48 किस्तों में बकाया भुगतान करने की छूट दी गई है। प्राप्ति पोर्टल के अनुसार, मई 2023 तक डिस्कॉम अपने बकाया को एक तिहाई बढ़ाकर लगभग 93,000 करोड़ रुपये तक चुकाने में सक्षम थीं। यह इंगित करता है कि यह योजना डिस्कॉम को उनके बकाया बकाया को साफ करने और नियंत्रित करने में मदद करेगी।

आरई सेक्टर

- सरकार ने "प्राथमिकता पूंजी निवेश" के लिए ₹35,000 करोड़ निर्धारित किए हैं। सरकार का यह कदम ऊर्जा परिवर्तन, शुद्ध शून्य उद्देश्य और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन है।

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत स्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। कार्यक्रम कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और धीरे–धीरे नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में मदद करेगा।

स्वच्छ ऊर्जा में पारंपरिक और स्थिर खंड

➢ **सौर और पवन**

सौर और पवन ने स्थापना क्षमता में भारी वृद्धि दिखाई है और उम्मीद है कि आरई क्षेत्र में अग्रणी वृद्धि जारी रहेगी। अकेले पिछले वर्ष में, सोलर की क्षमता में 12.8जी डब्लू (23%) की वृद्धि हुई है और वित्तीय वर्ष 31–32 तक 66.8 जी डब्लू के वर्तमान स्तर से 364जी डब्लू क्षमता तक बढ़ने की योजना है। नवीकरणीय ऊर्जा पर्याप्तता की भारत की महत्वाकांक्षी दौड़ में सौर ऊर्जा क्षेत्र अग्रणी बनने की उम्मीद है।

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) के अनुसार, सौर मॉड्यूल में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निविदाओं में देरी और अनुमोदन में देरी जैसे मुद्दों के कारण छत पर सौर क्षमता स्थापना 2022 में अपेक्षा से बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी और डिस्कॉम द्वारा नेट–मीटर की स्थापना। मंत्रालय ने इनसे निपटने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं, जिनमें मंजूरी और स्थापना में तेजी लाना, आवासीय क्षेत्र में स्थापना प्रक्रिया का सरलीकरण और जुलाई 2022 में राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करना शामिल है।

गीगावाट में

बुनियादी स्रोत	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 26-27	वित्त वर्ष 31-32
सौर–उपयोगिता	46.4	57.9	185	364
सौर–छत	7.6	8.9		
तट पर हवा	40.3	42.6	73	122

स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

सौर और पवन क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख चालकः

- **बजटीय सहायताः** माननीय वित्त मंत्री ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को ₹10,222 करोड़ के बजटीय आवंटन की घोषणा की है, जो इस वित्तीय वर्ष में खर्च होने वाले ₹7,033 करोड़ से 45% अधिक है।
  - o इस वर्ष सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट ₹5,331.5 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के ₹3,365 करोड़ के आवंटन की तुलना में 53.65% अधिक है।
  - o ऑफ–ग्रिड सौर परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष के लिए ₹360 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- **पवन–सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्रों के लिए अपार संभावनाएंः** पवन–सौर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एमएनआरई के माध्यम से 2018 में राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति जारी की, जिसे दिशानिर्देशों की अधिसूचना के साथ पूरक किया गया है। अक्टूबर 2020 में ग्रिड से जुड़ी पवन–सौर ऊर्जा हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिजली की खरीद की गई।
- **बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) लगानाः** भारत के विशाल सौर क्षेत्र लक्ष्यों और आरई क्षेत्र की रणनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, सौर मॉड्यूल और कोशिकाओं पर 40% बीसीडी लगाया गया है। क्रमशः 25%, प्रभावी, 01.04.2022, सरकार ने सौर मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माताओं (एएलएमएम) की अनुमोदित सूची जारी की है। एएलएमएम सूची में शामिल निर्माता और उनके सत्यापित मॉड्यूल देश में स्थापित सरकारी परियोजनाओं/सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/ सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं/ओपन एक्सेस/नेट–मीटरिंग परियोजनाओं में उपयोग के लिए पात्र होंगे, जिसमें बिक्री के लिए स्थापित परियोजनाएं भी शामिल हैं। हालाँकि, सरकार के आदेश के अनुसार, सरकार को बिजली का केवल घरेलू स्तर पर स्वीकृत मॉड्यूल का उपयोग 31 मार्च, 2024 तक स्थगित रखा जाएगा।
- **आरटीएस पर सरलीकृत प्रक्रियाः** कार्यान्वयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय पोर्टल (solarrooftop.gov.in) विकसित किया है, जिसमें देश के किसी भी हिस्से से कोई भी आवासीय उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने और विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने की प्रतीक्षा किए बिना रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन कर सकता है।.

➢ **जल विद्युत**

भारत में जलविद्युत क्षमता काफी है, जो भारतीय बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जलविद्युत परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर बड़ी और छोटी जलविद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न देशों में लघु जल विद्युत परियोजनाओं को वर्गीकृत करने के लिए अलग–अलग आकार के मानदंड हैं। भारत में, 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाले जलविद्युत संयंत्रों को छोटे जलविद्युत के रूप में वर्गीकृत किया गया है और आरई के दायरे में माना जाता है। 2019 में भारत सरकार की अधिसूचना के बाद 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (एलएचपी) को भी नवीकरणीय ऊर्जा के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है। हालांकि यह बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को कुछ सब्सिडी के दायरे में लाता है, एलएचपी स्वचालित रूप से इसके लिए पात्र नहीं होंगे। लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) के लिए उपलब्ध वैधानिक मंजूरी के लिए कोई अंतर उपचार।

गीगावाट में

बुनियादी स्रोत	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 26-27	वित्त वर्ष 31-32
लघु हाइड्रो	4.8	4.9	5.2	5.5
बड़े हाइड्रो	42.0	42.1	52.4	62.2

स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियां:

- **हाइड्रो खरीद दायित्व (एचपीओ):** भारत सरकार ने गैर–सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के तहत एचपीओ को एक अलग इकाई के रूप में मंजूरी दे दी है।

- **टैरिफ युक्तिकरण:** टैरिफ युक्तिकरण उपायों में प्रोजेक्ट जीवन को 40 साल तक बढ़ाने के बाद टैरिफ की बैक लोडिंग द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के लिए डेवलपर्स को लचीलापन प्रदान करना, ऋण चुकौती अवधि को 18 साल तक बढ़ाना और 2% की बढ़ती टैरिफ पेश करना शामिल है।

➢ **जैव ऊर्जा**

एमएनआरई द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में बायोमास की उपलब्धता प्रति वर्ष 750 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अध्ययन में अनुमानित अधिशेष बायोमास उपलब्धता लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष बताई गई है, जो लगभग 28 गीगावॉट की क्षमता के अनुरूप कृषि अवशेषों को कवर करती है। वित्त वर्ष 31–32 तक, देश 15.5 गीगावॉट की कुल क्षमता तक पहुंचने के लिए वित्त वर्ष 21–22 की जैव ऊर्जा क्षमता से 45% की वृद्धि का लक्ष्य बना रहा है।

(गीगावाट में)

बुनियादी स्रोत	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 26-27	वित्त वर्ष 31-32
बायोमास	10.21	10.25	13.0	15.5
डब्ल्यूटीई	0.47	0.55		

स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियां:

- **बायोमास पेलेट:** 08.10.2021 को जारी विद्युत मंत्रालय की नीति में थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) में कोयले के साथ मुख्य रूप से कृषि–अवशेषों से बने 5% बायोमास पेलेट्स का उपयोग जारी होने की तारीख से एक वर्ष से प्रभावी होना अनिवार्य है। इस नीति के जारी होने की तारीख के दो साल बाद टीपीपी में बायोमास छर्रों का उपयोग करने की बाध्यता से बढ़कर 7% हो जाएगी। वित्त वर्ष 22–23 के बजट में इस पर जोर दिया गया है, जिसमें सरकार ने थर्मल पावर प्लांटों में 5–7 प्रतिशत बायोमास छर्रों को सह–फायर करने का प्रस्ताव दिया है। इससे सीओ 2 उत्सर्जन में कमी, किसानों के लिए आय सृजन, पेलेट निर्माताओं द्वारा रोजगार सृजन, मिट्टी की संस्कृति का संरक्षण और पराली जलाने में कमी के कारण वायु प्रदूषण में कमी सहित कई लाभ होंगे।

- **राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम:** भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 2 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। एमएनआरई ने वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम जारी रखा है। कार्यक्रम को दो चरणों में लागू करने की अनुशंसा की गई है। कार्यक्रम के चरण–I को ₹858 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में निम्नलिखित उप–योजनाएँ शामिल होंगी:

  - बड़े बायोगैस, बायोसीएनजी और पावर प्लांट (एमएसडब्ल्यू से पावर परियोजनाओं को छोड़कर) की स्थापना का समर्थन करने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम)।

  - बायोमास कार्यक्रम (बिजली उत्पादन और गैर–खोई–आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए छर्रों और ब्रिकेट की स्थापना का समर्थन करने के लिए ब्रिकेट और छर्रों के निर्माण और उद्योगों में बायोमास {गैर–खोई} आधारित सह–उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना)।

  - ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक और मध्यम आकार के बायोगैस की स्थापना में सहायता के लिए बायोगैस कार्यक्रम।

- **इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमः** भारत सरकार ने तेल आयात बोझ को कम करने के लिए 20% इथेनॉल मिश्रण (ई20) के लिए ईबीपी की लक्ष्य तिथि को 2030 से बढ़ाकर 2025 कर दिया है। इस सम्मिश्रण अधिदेश का समर्थन करने के लिए नवंबर 2026 तक अपेक्षित क्षमता की आवश्यकता ~1500 करोड़ लीटर प्रति वर्ष होगी। यह ईबीपी के लिए आवश्यक 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल और अन्य उपयोगों के लिए 334 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त होगा। जबकि एक सफल ई20 कार्यक्रम देश के तेल आयात बिल में कटौती कर सकता है, इथेनॉल भी कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है और पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समकक्ष दक्षता प्रदान करता है।

ग्रीन फाइनेंसिंग में उभरते क्षेत्र गति पकड़ रहे हैं

➢ **आरई सोलर पीवी विनिर्माण क्षमता**

आईईईएफए के अनुसार, वित्तीय वर्ष 26–27 तक भारत सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में 110 गीगावाट के आंकड़े तक पहुंच जाएगा, जो इसकी मांग के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद यह विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जहां मांग अधिक रहने की उम्मीद है।

(गीगावाट में)

बुनियादी स्रोत	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 26-27
पॉलीसिलिकॉन	लागू नहीं	लागू नहीं	38
वेफर	लागू नहीं	लागू नहीं	56
सेल	3	4.3	59
मॉड्यूल	15	18	110

स्रोतः ऊर्जा अर्थशास्त्र संस्थान और वित्तीय विश्लेषण (आईईईएफए)

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियांः

- **उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पीएलआईः** सरकार ने उच्च दक्षता के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत ₹14,007 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 11 कंपनियों को 39,600 मेगावाट की घरेलू सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता आवंटित की है। सौर पीवी मॉड्यूल (किश्त–II)। कुल 7400 मेगावाट की विनिर्माण क्षमता अक्टूबर 2024 तक, 16,800 मेगावाट क्षमता अप्रैल 2025 तक और शेष 15,400 मेगावाट क्षमता अप्रैल 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। एमओपी अनुमान के अनुसार, ट्रेंच–II में ₹93,041 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। इससे कुल 1,01,487 नौकरियाँ भी पैदा होंगी जिनमें 35,010 को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 66,477 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

➢ **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)**

भारत सरकार ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उसी के अनुरूप, भारत सरकार ईवी निर्माताओं को पैठ बढ़ाने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी में और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

ईवी फ्लीट अपनाने की दर

	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 30-31
ईवी पेनेट्रेशन	<2%	>30%

स्रोतः भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवर्तन (नीति आयोग)

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियांः

- **प्रसिद्धि (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाना और विनिर्माण):** सरकार द्वारा शुरू की गई योजना ईवी निर्माताओं को पैठ बढ़ाने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी में और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वित्त वर्ष 2022–23 के बजट के दौरान, यह घोषणा की गई थी कि ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार के लिए अंतर–संचालन मानकों के साथ एक बैटरी स्वैपिंग नीति की जल्द ही घोषणा की जाएगी।

➢ **ग्रीन ट्रांसमिशन**

हरित ट्रांसमिशन पर ध्यान देने के साथ, सरकार का लक्ष्य नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रनाइज करना है। नवीकरणीय ऊर्जा निकासी की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ग्रिड को नया आकार देने के लिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

जीईसी योजना के तहत ट्रांसमिशन क्षमता

इंस्टालेशन	जीईसी चरण I	जीईसी चरण II
सीकेएम	9700	20,450 (पीएच 1 सहित)

स्रोतः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियांः

- **हरित ऊर्जा गलियाराः** इंट्रा–स्टेट जीईसी चरण–I में 9700 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनों और 22,600 एमवीए क्षमता के उप–स्टेशनों की लक्ष्य क्षमता है। 31.10.2022 तक, 8651 सीकेएम इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण किया गया है और 19558 एमवीए इंट्रा–स्टेट सबस्टेशनों को चार्ज किया गया है। परियोजना के दूसरे चरण में अतिरिक्त 10,750 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनों की लक्ष्य क्षमता है।

नए और विकसित हो रहे खंड

➢ **भंडारण**

ग्रिड के साथ बिजली का आदान–प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, प्रयुक्त सामग्री के आधार पर विभिन्न प्रकारों में आती हैं। सीईए के अनुमान के अनुसार, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) सबसे अधिक अपनाई जाने वाली स्टोरेज तकनीक (90%) हैं और वित्त वर्ष 2031–32 तक 26.7 गीगावॉट की क्षमता तक योजनाबद्ध उन्नयन के साथ, अगले दशक में इसके बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच वित्त वर्ष 31–32 तक 47.2 गीगावाट तक की क्षमता के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने की योजना है।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियांः

- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 4,000–मेगावाट घंटे की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधि के साथ समर्थन दिया जाएगा।
- **चौबीसों घंटे आरई आपूर्ति और ऊर्जा भंडारण प्रणालीः** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी और आरटीसी (चौबीस घंटे) आपूर्ति और ग्रिड स्थिरता, चौबीसों घंटे और ऊर्जा भंडारण समाधान से संबंधित चिंताओं के साथ सक्रिय रूप से प्रचारित किया जा रहा है। इस संबंध में, वित्त वर्ष 23 में, कई राउंड–द–क्लॉक और सोलर–प्लस–स्टोरेज निविदाएं जारी की गईं।
- **ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने फरवरी 2023 के बजट भाषण के बाद देश में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी)** को बढ़ावा देने के लिए अपने दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देश पीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं को प्रोत्साहित करने, डेवलपर्स को हाइड्रो पीएसपी साइटों के आवंटन के लिए मॉडल निर्धारित करने, पीएसपी के लिए पर्यावरण मंजूरी को तर्कसंगत बनाने और उन्हें मुफ्त बिजली दायित्वों से छूट देने के लिए सुधारों का प्रस्ताव करते हैं।

➢ **बैटरी विनिर्माण**

भारत सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थिर भंडारण के लिए बैटरी भंडारण की मांग पैदा करने की सुविधा के लिए घरेलू बैटरी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। इससे संपूर्ण घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाने और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियांः

- **एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाः** एसीसी की 50 गीगावॉट और आला एसीसी क्षमता की पांच गीगावॉट की स्थानीय विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 181 बिलियन रुपये के परिव्यय से बैटरी भंडारण निर्धारित किया गया है। तीन बोलीदाताओं – रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड और राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने 30जी डब्लू एच की संयुक्त सम्मानित क्षमता के लिए कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

➢ **ग्रीन हाइड्रोजन**

भारत की पहली हरित हाइड्रोजन नीति जारी होने के बाद, कई खिलाड़ियों – निजी और राज्य के स्वामित्व वाली – दोनों ने हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिससे अंततः देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली जनरेटर एनटीपीसी का लक्ष्य 2025–2026 तक उत्पादन लागत को 2 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से कम करने का है, जबकि आरआईएल जैसे निजी खिलाड़ियों का लक्ष्य दशक के अंत तक उस लागत को आधा करने का है। इसके अतिरिक्त, भारत और मिस्र ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में 20,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की वार्षिक क्षमता के साथ एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 8 बिलियन

अमरीकी डालर का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियां:

- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन केंद्र बनाने के लिए, ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ लागत–प्रतिस्पर्धी हरित हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। ₹19,744 करोड़ में से, सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए ₹17,490 करोड़, आगामी पायलट परियोजनाओं के लिए ₹1,466 करोड़, अनुसंधान एवं विकास के लिए ₹400 करोड़ और अन्य मिशन घटकों के लिए ₹388 करोड़ आवंटित किए हैं। मिशन का लक्ष्य 2070 तक भारत के नेट–शून्य लक्ष्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 2030 तक 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना है।

- **हरित हाइड्रोजन नीति:** भारत सरकार द्वारा घोषित हरित हाइड्रोजन नीति के अनुसार, कई सक्षम प्रावधान हैं जैसे:

  - 30 जून 2025 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं से ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को 25 साल की अवधि के लिए अंतर–राज्य ट्रांसमिशन शुल्क से छूट देना।

  - ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया निर्माता 30 दिनों तक अपनी उपभोग न की गई नवीकरणीय ऊर्जा को वितरण कंपनी के पास जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस ले सकते हैं।

  - नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जा सकती है।

- भारत सरकार का विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जहां ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा सकता है।

➢ **अपतटीय पवन**

अपतटीय पवन ऊर्जा अवसरों के दोहन के लिए गुजरात और तमिलनाडु में संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। एन.आई.डब्लू.ई. द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में किए गए प्रारंभिक आकलन से अकेले गुजरात के तट पर 36 गीगावाट क्षमता की संभावित क्षमता का पता चलता है। सीईए के अनुमान के अनुसार, 2030 तक, पवन–अपतटीय ऊर्जा के माध्यम से ~30 गीगावाट बिजली का लक्ष्य वर्तमान में मूल्यांकन के अधीन है।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियां:

- अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए व्यावसायिक मॉडल सहित अपतटीय पवन रणनीति पेपर जारी किया गया है। प्रारंभिक 3 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹14283 करोड़ की वीजीएफ योजना का एक अवधारणा नोट 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेजा गया है। वित्त वर्ष 2029–30 तक 37 गीगावॉट क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों की बोली लगाने का एक प्रक्षेप पथ जारी किया गया है।

4. वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन

पिछले वित्तीय वर्ष में, आपकी कंपनी ने लाभप्रदता, नकदी प्रवाह, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता सहित प्रमुख आयामों में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ महत्वपूर्ण ऋण पुस्तिका वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
मंजूरी	32,586.60	23,921.06
संवितरण	21,639.21	16,070.82
कुल आय	3,483.04	2,874.15
परिचालन लाभ	1,235.76	1,054.88
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	864.63	633.53
नेट वर्थ	5,935.17	5,268.11
शुद्ध एनपीए	1.66%	3.12%
औसत निवल मूल्य पर रिटर्न	14.55%	14.25%
सीआरएआर (टियर 1)	15.71%	17.60%
सीआरएआर (टियर 2)	3.11%	3.62%
ब्याज कवरेज अनुपात	1.55 गुना	1.53 गुना
ऋण–इक्विटी अनुपात	6.77 गुना	5.24 गुना

व्यापार वृद्धि

- वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 32,586.60 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए और 21,639.21 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए, जिससे वित्त वर्ष 23 के अंत में ऋण पुस्तिका का आकार 47,076 करोड़ रुपये हो गया।

- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 23 के लिए स्वीकृत राशि का ~70% और वितरित राशि का ~56% योगदान देकर सौर, पवन और जलविद्युत परियोजना वित्तपोषण के साथ अपने पारंपरिक रूप से मजबूत बाजार में अपना प्रदर्शन जारी रखा। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने नए और उभरते क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई आरई प्रौद्योगिकी वित्तपोषण, विशेष रूप से, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहन और बेड़े वित्तपोषण, ई–मोबिलिटी बी2सी एनबीएफसी को उधार आदि जैसे नवीन उत्पादों के माध्यम से विनिर्माण वित्तपोषण।

- आपकी कंपनी ने उधारकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखी है; इसे मौजूदा ग्राहकों से आने वाले 80% से अधिक प्रतिबंधों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने अपने बिक्री आउटरीच प्रयासों को दोगुना कर दिया है, जिससे वित्त वर्ष 23 में 25 से अधिक नए ग्राहक जुड़े हैं।

- आपकी कंपनी क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों की प्रत्याशा में नवीन वित्तपोषण उपकरण लॉन्च करने में हमेशा सबसे आगे रही है। इस वर्ष, आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लिए सावधि ऋण, ट्रांसमिशन परियोजनाओं के वित्तपोषण, ऋणों के पुनर्वित्त और परिसंपत्तियों की बिक्री में स्विस चुनौती नीलामी को शामिल करने जैसी नीतियों को लॉन्च और संशोधित किया है।

- आपकी कंपनी ने अपनी निवल संपत्ति को बढ़ाया है वित्त वर्ष 23 में ₹5,935.17 करोड़ और उच्चतम वार्षिक संवितरण, लिखित/हानि परिसंपत्तियों से वसूली के कारण ₹864.63 करोड़ का सर्वकालिक उच्च पीएटी दर्ज किया गया और शुद्ध एनपीए में 1.66% की कमी सुनिश्चित की गई।

- आपकी कंपनी के लिए पूंजी पर्याप्तता 18.82% सीआरएआर के साथ आरबीआई नियमों के अनुरूप है, जबकि न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 15% है। इसके अलावा, नेट वर्थ में वृद्धि से आपकी कंपनी को अपनी एक्सपोजर सीमाएं बढ़ाने में भी मदद मिलेगी जिसमें व्यवसाय को बढ़ाने की क्षमता है।

- वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन में निरंतर सुधार के साथ, आपकी कंपनी लगातार 3 वर्षों तक उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग बनाए रखने में सक्षम होगी (वित्त वर्ष 22–23 के लिए रेटिंग के अनुमोदन के अधीन)

(गीगावाट में)

	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 20-21
एमओयू रेटिंग	बहुत बढ़िया*	बहुत बढ़िया	बहुत बढ़िया

**रेटिंग भारत की सरकार के संपत्ति की गुणवत्ता मूल्यांकन के अधीन है।*

संपत्ति की गुणवत्ता

- आपकी कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाला परिसंपत्ति आधार सुनिश्चित किया है जो काफी हद तक जोखिम रहित है।

- इसके अलावा, ऋण पुस्तिका के 85% में 3 वर्ष से अधिक की ऋण अवधि वाली संपत्तियां शामिल हैं जो आने वाले वर्षों के लिए भी निरंतर लाभप्रदता सुनिश्चित करेगी।

(गीगावाट में)

कार्यकाल के अनुसार ओ/एस ऋण पुस्तिका का विभाजन	ऋण पुस्तिका का %
अल्पावधि (<1 वर्ष)	2%
मध्यम अवधि (1-3 वर्ष)	13%
दीर्घावधि (>3 वर्ष)	85%
कुल	**100%**

संसाधन जुटाना और पुनर्प्राप्ति

- बढ़ती ब्याज दरों के साथ एक चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक माहौल के बावजूद, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी मूल्य वाली फंडिंग लाइनें खींचने के लिए बाजार में अपनी क्रेडिट रेटिंग और प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर फंड की लागत में अस्थिरता को बनाए रखने और कम करने में सक्षम थी।

- आपकी कंपनी अपने ब्याज प्रसार और शुद्ध ब्याज मार्जिन में केवल मध्यम संकुचन के साथ उधारकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवा देने में सक्षम थी, जिससे 3,483 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक कुल आय हुई।

- समवर्ती रूप से, आपकी कंपनी वित्त वर्ष 23 के अंत में अपने

शुद्ध एनपीए अनुपात को दस साल के निचले स्तर 1.66% (वित्त वर्ष 22 के अंत में 3.12% की तुलना में) पर लाकर अपनी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को महत्वपूर्ण रूप से हल करने में सक्षम थी। एनपीए सूची से अठारह ऋण खातों की शुद्ध कमी हुई और एनपीए ऋणों से ₹202.43 करोड़ की वसूली हुई, जिसमें मूलधन के ₹89.03 करोड़ और ब्याज आय के ₹113.40 करोड़ शामिल हैं।

5. ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे (एसडब्ल्यूओटी)

ताकतः

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आपकी कंपनी 36 वर्षों के परिचालन अनुभव के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी है। कंपनी बिजली क्षेत्र में अपने ग्राहकों को परियोजना अवधारणा से लेकर कमीशनिंग के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के साथ–साथ संबंधित नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं भी शामिल हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी को 'इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IFC)' का दर्जा प्रदान किया है। आईएफसी स्थिति के साथ, आपकी कंपनी आरई वित्तपोषण में अधिक जोखिम लेने में सक्षम होगी। आईएफसी स्थिति से कंपनी को धन जुटाने के लिए व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप धन उगाहने के लिए प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त होंगी।

कमजोरियाँः

कंपनी के पास अपने छोटे पूंजी आधार के कारण उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की सीमाएं हैं। बाजार की परिपक्वता के कारण बढ़ते समेकन के कारण आरई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खरीदारी के साथ, क्रेडिट एक्सपोजर बाधाएं कंपनी की वित्तपोषण क्षमता को प्रभावित करती हैं। इन बाधाओं को कम करने के लिए, आपकी कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है, और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सह–उधार, सह–उत्पत्ति और ऋण सिंडिकेशन के लिए अन्य बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन शुरू किया है।

इसके अलावा, यह देखते हुए कि कंपनी एक गैर–जमा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (एनडी–एसआई) एनबीएफसी है, खुदरा निवेशकों से जमा का प्रावधान अनुपलब्ध है, जिससे बैंकों की तुलना में उधार लेने की लागत थोड़ी अधिक हो गई है। आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी मूल्य वाली फंडिंग लाइनें तैयार करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करके फंड की लागत को और कम करने के लिए सक्रिय उपाय कर रही है।

अवसरः

36 वर्षों के परिचालन अनुभव के साथ, आपकी कंपनी भारत में आरई क्षेत्र पर केंद्रित एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है। इसके अलावा, कंपनी ने आरई क्षेत्र के शुरुआती चरणों से ही भारत में आरई परियोजनाओं के विकास और वित्तपोषण में रणनीतिक भूमिका निभाई है। भारतीय आरई क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है और भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख ऊर्जा स्रोत होने की संभावना के साथ, आरई वित्तपोषण में बड़े अवसर उपलब्ध हैं।

माननीय प्रधान मंत्री के 'पंचामृत' लक्ष्य, जिसमें 2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता के क्षमता वृद्धि लक्ष्य शामिल हैं, कंपनी को प्रमुख व्यावसायिक अवसर प्रदान करने की संभावना है। यह देखते हुए कि कंपनी के पास आरई क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है, कंपनी इस लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड लाभ और संवितरण दर्ज किया, जो माननीय प्रधान मंत्री के 'पंचामृत' लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उसी के अनुरूप, कंपनी तेजी से बाजार की आवश्यकताओं को अपना रही है और विभिन्न वित्तीय उत्पादों के माध्यम से फंड और गैर–फंड–आधारित क्रेडिट सहायता प्रदान कर रही है। आपकी कंपनी के पास बाजार की जरूरतों को

समझने के लिए एक समर्पित व्यवसाय विकास टीम है जो उसे नवीन वित्तीय उत्पादों को विकसित करने के मामले में प्रथम–प्रस्तावक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा ईबीपी और किफायती परिवहन के लिए सतत वैकल्पिक (एसएटीएटी) योजना पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी के लिए इथेनॉल और बायोगैस परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के बेहतरीन अवसर पैदा हुए हैं। कंपनी के पास ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण में अच्छा अनुभव है जो प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बढ़त प्रदान करता है। सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं की शुरूआत कंपनी को अपने पोर्टफोलियो और राजस्व का विस्तार करने का अवसर प्रदान करती है।

कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग/प्रवेश को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण और विभिन्न नई और उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को पूरा करने के लिए हरित गतिशीलता खंड के वित्तपोषण के लिए एक व्यापक नीति पेश की है। इसके अलावा, कंपनी का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण में प्रारंभिक लाभ प्राप्त करना है, जो संगठन को नए बाजारों में प्रवेश करने और अपनी राजस्व धाराओं में विविधता लाने में मदद करेगा।

धमकियाँ, जोखिम और चिंताएँ:

कंपनी को अन्य वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हैं। इन संस्थानों के पास धन की कम लागत या पूंजी तक बेहतर पहुंच हो सकती है, जो परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर कंपनी को नुकसान में डाल सकती है। इसलिए, कम लागत पर संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से जुटाना और विभिन्न प्रौद्योगिकियों और विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में इन फंडों की सबसे अधिक उत्पादक तैनाती सुनिश्चित करना कंपनी की लाभप्रदता और विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है।

कंपनी के संचालन को एक ही क्षेत्र तक सीमित रखना अनिवार्य है, अर्थात। केवल स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र का विकास उत्साहजनक नीति ढांचे और उसके तहत उपलब्ध संबंधित राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों पर अत्यधिक निर्भर है। जिन क्षेत्रों में कंपनी का जोखिम है, उनसे लाभ में कमी या वापसी से कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, अपने समृद्ध अनुभव पर भरोसा करते हुए, आपकी कंपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के भीतर विभिन्न उप–क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, जिसमें अन्य उभरते क्षेत्रों के साथ–साथ इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन ट्रांसमिशन और विनिर्माण क्षेत्र भी शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

6. जोखिम प्रबंधन ढांचा

क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, आपकी कंपनी ने एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में विकसित की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन समिति एक बोर्ड उप–समिति है जिसके पास संगठन के जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी है। उभरते बाजार रुझानों और आपकी कंपनी के अपने अनुभव के आधार पर जोखिम प्रबंधन नीति को समय–समय पर परिष्कृत किया जाता है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में स्वतंत्र जोखिम निरीक्षण और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। आरबीआई दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो आपकी कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सरकारी ढांचा बनाते हैं।

आपकी कंपनी को अपने व्यवसाय संचालन के दौरान जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करना पड़ता है वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम। कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन किया जाता है। जोखिम

अधिकारी का व्यावसायिक कार्यक्षेत्र/व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं है। कुल मिलाकर, जोखिम प्रबंधन फंक्शन की कार्यप्रणाली ने कंपनी में प्रमुख निर्णय स्थितियों के लिए एक 'आरंभकर्ता–समीक्षक' मैट्रिक्स बनाया है।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

नीतियों, प्रक्रियाओं, योजनाओं, विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं की पर्याप्तता और अनुपालन की उपयुक्त निगरानी सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी के पास एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जांच और संतुलन सही जगह पर हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां क्रम में हैं, कंपनी के अपने आंतरिक के साथ निकट समन्वय के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की अनुभवी फर्मों द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा और समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रभाग. आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 के लिए मेसर्स रवि राजन एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। लेखा परीक्षा समिति समय–समय पर ऑडिट के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) द्वारा निर्धारित किया गया है।) विनियम, 2015 और लागू आरबीआई दिशानिर्देश। आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की ऑडिट समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

कंपनी के पास आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) नीति है।

8. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

कंपनी की उच्च–प्रदर्शन संस्कृति हमारे अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधनों द्वारा संचालित है। हम लगातार अपने मानव संसाधनों को पुनः सक्रिय करते रहते हैं, ताकि हर समय पेशेवर उत्कृष्टता और कार्मिकता प्राप्त हो सके। बोर्ड स्तर के कार्यकारी को छोड़कर, कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 31.3.2023 तक 160 थी, जबकि 31.3.2022 तक 156 थी। सेवानिवृत्ति के मामलों को छोड़कर कंपनी की नौकरी छोड़ने की दर 1.26% थी।

अपनी मानव पूंजी की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण सत्रों के अलावा, भारत और विदेशों में विभिन्न प्रीमियम संस्थानों/संगठनों से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए हैं। कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास से अद्यतन रखा जाता है। कंपनी ने सकारात्मक सुदृढीकरण के रूप में आयोजित व्यवहारिक प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के अलावा आईआईटी, आईआईएम, एक्सआईएम आदि जैसे प्रीमियम संस्थानों के सहयोग से आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और निगरानी भी की।.

वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न व्याख्यान श्रृंखला, केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिससे 1,671 प्रशिक्षण मानव–दिवस की उपलब्धि हासिल हुई।

9. पर्यावरण संरक्षण एवं देखरेख

कंपनी की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) के पास ईएसएमएस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा, विभिन्न परियोजनाओं और उनकी संबंधित प्रौद्योगिकियों के पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) पहलुओं के प्रभावों की सुरक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, कंपनी द्वारा वित्त पोषित सभी प्रौद्योगिकियों में लगभग 85 परियोजनाओं की ईएंडएस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण किया गया। उनकी ईएंडएस आवश्यकताओं को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ नियमित बातचीत बनाए रखी जाती है। इससे आपकी कंपनी को अपने ई और एस दायित्वों को पूरा करने में मदद मिली है और उधारकर्ताओं को उनकी परियोजनाओं से जुड़े ई और एस जोखिमों के प्रबंधन में मदद मिली है।

वित्त वर्ष 23 में, कंपनी ने वर्ल्ड बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत "पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क– आरई पार्क" को सोलर पार्क प्रोजेक्ट (एसआईएसपीपी) के लिए साझा बुनियादी ढांचे के शीर्षक से अपडेट किया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करके नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ऊर्जा पार्क.

10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समाज में सक्रिय रूप से योगदान देती है। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल सकारात्मक प्रभाव डालने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और सतत विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के सिद्धांत में गहराई से निहित है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 में सीपीएसई के लिए "स्वास्थ्य और पोषण" की आम वार्षिक थीम के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ खुद को जोड़ लिया है। वित्त वर्ष 23 के दौरान स्वीकृत कुल 13 सीएसआर परियोजनाओं में से, कंपनी ने 10 परियोजनाएँ शुरू कीं जो विशेष रूप से "स्वास्थ्य और पोषण" विषय पर केंद्रित हैं। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के चंदौली और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का सौर्यीकरण किया है।

वित्त वर्ष 23 के दौरान, कंपनी ने परियोजना की प्रगति के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं पर कुल ₹697.44 लाख खर्च किए। वितरित किए गए कुल सीएसआर फंड में से, ₹448.43 लाख का उपयोग वित्त वर्ष 23 में परियोजना व्यय के लिए किया गया था, जबकि शेष ₹249.01 लाख का उपयोग पिछले वर्षों की परियोजनाओं के लिए किया गया था।

11. खंड–वार या उत्पाद–वार प्रदर्शन

कंपनी भारत में परिचालन करती है इसलिए इसे केवल घरेलू क्षेत्र में परिचालन करने वाला माना जाता है। कंपनी के सभी परिचालनों को एक ही व्यवसाय खंड के रूप में माना जाता है, इसलिए कंपनी के पास कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

चेतावनीपूर्ण वक्तव्य

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले विवरण वर्तमान कारोबारी माहौल पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम भारत और विदेश दोनों में भविष्य के आर्थिक और अन्य विकासों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

****

डीएसपी एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)

783, देश बन्धु गुप्ता रोड,
नियर फैज रोड क्रॉसिंग
करोल बाग, नई दिल्ली–110 005
22684423, 23622076
टेलीफैक्स : 23622094, 41545550
ई–मेल : dspdelhi@dspdelhi.in
aksinghal@dspdelhi.in
वेबसाइट : www.dspdelhi.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया गया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), परिवर्तनों का विवरण शामिल है। समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी और नकदी प्रवाह के विवरण में, और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 (संशोधित) की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।) (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133, यथासंशोधित ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत, 31 मार्च,2023, तक कंपनी के मामलों की स्थिति, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और कुल व्यापक आय इक्विटी और उसके नकदी प्रवाह में बदल जाती है।

राय का आधार

हमने अपना लेखापरीक्षण अधिनियम की धारा 143(10) ("एसए") के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके तहत नियम, के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का जोर

1. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38 (42) में वर्णित है, माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार, कंपनी ने कुछ खातों को चरण III/गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में चरण II/मानक के रूप में वर्गीकृत किया है, जिनका कुल योग रु. 89312.93 लाख है। इस संदर्भ में वैधानिक खुलासे तदनुसार किए गए हैं। हालाँकि, सावधानी के तौर पर, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए बनने वाले ऐसे खातों पर ब्याज आय को संग्रह के आधार पर मान्यता दी गई है और तदनुसार खातों में हानि के लिए भत्ता दिया गया है।

2. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38 (40) में वर्णित है, कंपनी ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविद –19 महामारी से संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें वित्तीय और गैर–वित्तीय संपत्तियों की वहन राशि की वसूली भी शामिल है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले माना है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की हानि – अपेक्षित ऋण हानि** नोट संख्या देखें. 38 (37 (ए) (ए) (ii)) लेखांकन नीति संख्या 5 (ii) – 'वित्तीय उपकरण' के साथ पढ़े गए वित्तीय विवरण) फाइनेंसिंग कंपनी का प्रमुख व्यवसाय है और हानि के कारण होने वाले नुकसान के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का खुलासा करना सबसे महत्वपूर्ण है। कंपनी एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का पालन करती है जिसमें भत्ते के लिए मूल्यांकन एक बाहरी एजेंसी द्वारा कुछ मानदंडों/ढांचे के आधार पर किया जाता है जो परिसंपत्तियों को क्रेडिट जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करता है। परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता (ईसीएल) की माप के लिए भविष्य की आर्थिक स्थितियों और क्रेडिट व्यवहार (उदाहरण के लिए, ग्राहकों के डिफॉल्ट होने और परिणामी नुकसान की संभावना) के बारे में जटिल मॉडल और महत्वपूर्ण धारणाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। कंपनी ईसीएल का आकलन करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और ईसीएल में अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर निगरानी और समीक्षा की जाती है। ऐसी धारणाओं का उचित अनुप्रयोग ऋण परिसंपत्तियों के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की हानि के कारण होने वाली हानि को हमारे ऑडिट में प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।	हमारी ऑडिट प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और ऋण परिसंपत्तियों की क्षति के लिए लेखांकन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे – अपेक्षित क्रेडिट हानि में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने इंडस्ट्रीज एएस 109 "वित्तीय उपकरण", विभिन्न नियामक अपडेट, आईसीएआई के मार्गदर्शन और ईसीएल के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित ऑडिट प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा। ऋण परिसंपत्तियों में वसूली को उस पर तनाव के स्तर और वित्तीय विवरणों में हानि भत्ते पर प्रभाव का पता लगाने के लिए सत्यापित किया जाता है। किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए दस्तावेजीकरण, संचालन/प्रदर्शन, उपलब्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और तनावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी का सत्यापन/समीक्षा। कंपनी ईसीएल घटकों के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की सेवाएं लेती है। हानि भत्ते के अध्ययन में तीसरे पक्ष द्वारा की गई गणना पर हम भरोसा करते हैं और उसी के लिए परीक्षण जांच की जाती है। तीसरे पक्ष के साथ साझा किया गया डेटा प्रस्तुत किए जा रहे भौतिक घटकों की शुद्धता के लिए हमारे द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसमें हमारी ऑडिट प्रक्रिया ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ मापदंडों और सॉफ्टवेयर को ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माने जाने के कारण साझा नहीं करने के कारण सीमित है।

		हमने भारतीय रिजर्व बैंक के लागू निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रावधान के साथ ईसीएल की तुलना भी की और तदनुसार हानि भत्ते की पर्याप्तता सुनिश्चित की।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखा नीति संख्या 5 (ii) के साथ पढ़े गए वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 38 (36) देखें)। विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के प्रति कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर–रुपया नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और हेजिंग उद्देश्य के लिए व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किए जाते हैं। डेरिवेटिव को इंडस्ट्रीज एएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। हेज अकाउंटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करना। हेजिंग संबंध को इंड एज के अनुसार कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हेज अकाउंटिंग के परिणामस्वरूप इसके लेखांकन/धारणाओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए कई मापदंडों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन डेरिवेटिव पर लाभ/हानि को इंड एएस द्वारा प्रदान की गई अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि में पहचाना जाता है। ऐसे लेनदेन का आकार कंपनी के संचालन के अनुसार महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों को देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	**हमारी ऑडिट प्रक्रियाएं जिसके आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचे प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और डेरिवेटिव के लिए लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित भ्रम शामिल हैं:** प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना और जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना। इंडस्ट्रीज एएस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन, डेरिवेटिव लेनदेन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण। व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। 31 मार्च, 2023 तक बकायाधनिपटान के लिए लंबित विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों का विवरण प्राप्त किया। उन वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और व्युत्पन्न उपकरणों के लिए नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में डेरिवेटिव पर लाभध्हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। इंडस्ट्रीज एएस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की गई।
3.	**आयकर सहित कराधान के लिए दायित्व** नोट 38 (3 ए) देखें कंपनी के पास विवाद के तहत मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चित कर मांगें हैं जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 1997–1998 से वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए आयकर मामले माननीय उच्च न्यायालय / आईटीएटी के निर्देश पर वापस भेज दिए गए थे और वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक के आयकर मामले अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित हैं। वित्त वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए परिवर्धन के माध्यम से पर्याप्त मांगें की गई हैं जो स्पष्ट गलतियाँ हैं और अभी तक ठीक नहीं की गई हैं। ऐसी देनदारियों का उचित प्रावधान और खुलासा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है। सेवा कर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं और हाल ही में कई पिछली अवधियों से मांगें उठाई हैं, जिनका विरोध किया जा रहा	**हमारी ऑडिट प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम खुलासे की तर्कसंगतता और आयकर के लिए दायित्व के लेखांकन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:** हमारी ऑडिट प्रक्रिया में आयकर विभाग के साथ विवाद वाले विषय पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय आईटीएटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनाई। अन्य कर मामलों के लिए, तथ्यों और कानूनी घोषणाओं का विश्लेषण और समीक्षा की गई। हमने इंडस्ट्रीज 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति" के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।

	है। इन मांगों का संभावित परिणाम पर्याप्त है। इसे देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	
4.	**नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनुदान एवं सब्सिडी का लेखा–जोखा** कंपनी को भारत सरकार और अन्य संगठनों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और निगरानी करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इसमें नियमित व्यावसायिक लेनदेन से अलग ऐसे लेनदेन का लेखा–जोखा, राजस्व पहचान और भारतीय कर कानूनों के तहत कर निहितार्थ का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे लेनदेन की आवृत्ति और मात्रा बढ़ रही है, जिसे देखते हुए हमने इसे प्रमुख ऑडिट मैटर के रूप में पहचाना है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और अनुदान और सब्सिडी के लेखांकन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:** ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संदर्भ की शर्तों और लेखांकन में उनके निहितार्थ को समझना। इंडस्ट्रीज एएस 20 के संदर्भ में कर निहितार्थ और लेखांकन का विश्लेषण – सरकारी अनुदान और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के लिए लेखांकन

इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के अनुबंध शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर बताई गई अन्य जानकारी इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या हमारे ज्ञान के दौरान प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऑडिट के दौरान या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। जब हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक आवश्यक कार्रवाइयों का वर्णन करना होगा।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन

सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण होंय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं। चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसए) के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भीः

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है;

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चालू कारोबार के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू स्थिति में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। चिंता। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, के संबंध में कंपनी के प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और

अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (श्आदेशश) के अनुसार, हम देते हैं "**अनुलग्नक–क**", आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण, लागू सीमा तक और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (5) के संदर्भ में, हम "**अनुलग्नक–ख**" में देते हैं। कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में जानकारी।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं, जहां तक उन किताबों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जिन पर हमने दौरा नहीं किया है।;

   ग) बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट से संबंधित नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं;

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

   ङ) अधिसूचना संख्या के संदर्भ में। जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

   च) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. के अनुसार। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "**अनुलग्नक–ग**" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   ज) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 ('ऑडिट नियम') के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के लिए:

      i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 (3) देखें।

      ii. कंपनी ने डेरिवेटिव सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर यदि कोई हो, अनुमानित हानि के लिए लागू विधिक या भारतीय लेखा मानको के तहत आवश्यक उचित प्रावधान किया है। अनुबंध–वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(37)(ग) II (ग) देखें।

      iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

      iv.(क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है (नोट 38(53 देखें)) कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या

निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से)) कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करना;

(ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है (नोट 38(53) देखें) कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टीज") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। यह समझ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या कोई गारंटी प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से सुरक्षा या ऐसा ही कुछ; और

(ग) निष्पादित ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर जिसे परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. वर्ष के दौरान, कंपनी को कंपनी (लेखा) नियम 2014 (संशोधित) के अनुसार ऑडिट ट्रेल (संपादित लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा वाले खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसके मद्देनजर हम असमर्थ हैं लेखापरीक्षा नियमों के खंड 11(जी) के तहत उस पर रिपोर्ट करें।

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 अप्रैल 2023

यूडीआईएन : 23084906BGWRRB6185

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के तहत अनुलग्नक "क" रिपोर्ट, वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित है।

(i) (क) (क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है;

(ख) कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रबंधन द्वारा सालाना भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में उचित है। कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भौतिक सत्यापन और परिणामी समायोजन पर पाई गई विसंगतियों को खातों की पुस्तकों में किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, यह सामग्री नहीं है और खातों की पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया नहीं गया है;

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड और हमें प्रदान किए गए टाइटल डीड के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, सभी अचल संपत्तियों के टाइटल डीड, (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी है) पट्टेदार और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है) वित्तीय विवरणों में खुलासा कंपनी के नाम पर किया जाता है, सिवाय नीचे बताए गए :–

क्र. सं	संपत्ति का विवरण {प्रकृति}	सकल वहन मूल्य (रु.लाख में)	किस नाम पर	चाहे प्रमोटर निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि– जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
1	कार्यालय परिसर–इंडिया हैबिटेट सेंटर कॉम्प्लेक्स (आईएचसी) {संपत्तियों के उपयोग का अधिकार}	172.34	आईएचसी द्वारा आवंटन पत्र के आधार पर कब्जा कर लिया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	इरेडा सहित IHC में सभी आवंटित संस्थानों के संबंध में इंडिया हैबिटेट सेंटर (आई एच सी) द्वारा त्रिपक्षीय कन्वेयंस डीड/समझौते का निष्पादन [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल और डी ओ), आई एच सी और आवंटी संस्थानों के बीच, लंबित है। आईएचसी लीज डीड के निष्पादन के लिए एलएंडडीओ के साथ बातचीत कर रहा है। लीज डीड के ड्राफ्ट को एलएंडडीओ ने मंजूरी दे दी है।
2	अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में कार्यालय परिसर {संपत्तियों के उपयोग का अधिकार}	2110.10	हुडको द्वारा स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का पालन किया जा रहा है।
3.	जंगपुरा दिल्ली में आवासीय फ्लैट (निवेश संपत्ति के रूप में रखा गया)	8.75	एचपीएल द्वारा विक्रय अनुबंध के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण एलएंडडीओ के साथ हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद डीड का निष्पादन होगा।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति का अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

(ङ) बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

(ii) (क) कंपनी के पास कोई सूची नहीं है इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को कुछ मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है और कंपनी द्वारा कंपनी के खाते की ऐसे बैंकों के साथ दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण इसके अनुरूप हैं।

(iii) वर्ष के दौरान अपने लेनदेन के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते गारंटी और सुरक्षा प्रदान की है, सुरक्षित और असुरक्षित दी गई है। कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम। इस संबंध में, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं –

(क) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, ऋण पर रिपोर्टिंग या ऋण की प्रकृति में किसी भी अग्रिम, या गारंटर के रूप में खड़े होने, या सुरक्षा के प्रावधान के लिए यह खंड लागू नहीं है। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(iii) (क) (क) और (ख) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(ख) हमारी राय में और हमारे द्वारा निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, प्रदान की गई गारंटी, दी गई सुरक्षा और सभी ऋणों और अग्रिमों के अनुदान की शर्तें और ऋण और गारंटियां कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।;

(ग) हमारे द्वारा निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के संबंध में, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और चरण 2 और के रूप में पहचाने गए मामलों को छोड़कर पुनर्भुगतान आम तौर पर नियमित है। चरण 3 और कुछ मामले चरण 1 के रूप में प्रकट किए गए लेकिन अदालत के आदेशों के मद्देनजर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में प्रकट नहीं किए गए खवित्तीय विवरणों के लिए क्रमशः नोट 38(58) एल और 38(42) देखें;

(घ) हमारे द्वारा निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38 (58) एल में बताया गया है, नब्बे दिनों से अधिक के लिए अतिदेय कुल राशि रु. 1,51,335.42 लाख. हमारी राय में, एक एनबीएफसी होने के नाते मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम आम तौर पर इसके द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार होते हैं और उचित होते हैं;

(ङ) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, यह खंड 3(iii)(ई) वर्ष के दौरान देय ऋणों आदि पर रिपोर्टिंग के लिए है और अधिक बकाया राशि का निपटान करने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण दिए गए हैं। दिए गए मौजूदा ऋण कंपनी पर लागू नहीं हैं;

(च) हमारे द्वारा निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने, वर्ष के दौरान, मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसे देखते हुए, इस खंड 3(iii)(च) के अनुसार संबंधित पक्षों को ऋण के संबंध में अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएं लागू नहीं हैं;

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत निर्दिष्ट है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (iv) के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 या किसी के प्रावधान अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसे देखते हुए, ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन या आदेश के खंड (v) के अनुसार अधिकारियों/न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vi) हमने कंपनी के व्यवसाय के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की बाहियों की व्यापक रूप से समीक्षा की है। नियमों को लागू किया गया है और उनकी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से उक्त अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के पास कोई अन्य वैधानिक बकाया। उपरोक्त वैधानिक बकाया राशि के संबंध में वर्ष के अंत में उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त उल्लिखित वैधानिक बकाया का विवरण, जो वर्ष के अंत तक किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, इस प्रकार है:

संविधि का नाम	करों की प्रकृति	विवादित राशि (लाख रुपए में)	संबंधित वित्तीय वर्ष	जमा की गई राशि+	वह मंच जहां मामला लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1344.16	2009-10	1344.16	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1496.52	2010-11	1496.52	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1519.54	2011-12	1519.54	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2216.55	2012-13	2216.55	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1547.05	2013-14	1547.05	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2310.96	2014-15	2310.96	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2761.20	2015-16	1904.51	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	5337.19	2016-17	1134.45	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	जुर्माना	0.10	2016-17	-	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2678.78	2017-18	2678.78	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1154.23	2019-20	91.89	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1410.20	2020-21	72.55	सीआईटी (अपील)
वित्त अधिनियम (एफए)1994, एफए 2004, एफए 2015	सेवा कर और जुर्माना	11709.10	2012-13 to 2015 -16	786.35	सेस्टैट, नई दिल्ली
वित्त अधिनियम (एफए)1994, एफए 2004, एफए 2015	सेवा कर और जुर्माना	4145.78	2016-17 & 2017-18	338.34	सेस्टैट, मुंबई
सीजीएसटी अधिनियम 2017 और दिल्ली माल एवं, सेवा कर अधिनियम 2017	जीएसटी और जुर्माना	3050.66	2017-18 & 2018-19	197.21	वैधानिक अवधि के भीतर दायर करने की अपील
कंपनी अधिनियम, 2013	जुर्माना	2.62	2021-22 & 2022-23	-	क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), दिल्ली के पास अपील दायर की गई

+विरोध / प्रीपेड करों के तहत जमा किया गया

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कोई भी लेनदेन ऐसा नहीं है जिसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो। (1961 का 43)। इसे देखते हुए, आदेश के खंड 3 (viii) के संदर्भ में पहले से दर्ज न की गई आय का कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। कोई ऋणदाता. इसे देखते हुए, आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत आवश्यक अन्य रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। कंपनी। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ई) वर्ष के दौरान, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी नहीं है। इसे देखते हुए खंड 3(ix)(e) और 3(ix)(f) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) (क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या शेयरों की आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण उपकरणों (सार्वजनिक पेशकश या अन्यथा) के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए वे जुटाए गए थे।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आवंटन या कोई निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (क) हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (ऑडिट और) के नियम, 2014 नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी। लेखा परीक्षक)

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वर्ष के दौरान कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत नहीं मिली है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xiii) (क), (ख) या (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरण; का खुलासा किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप।

(ख) हमने ऑडिट अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(xv) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvi) (क) कंपनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ख) कंपनी द्वारा की जाने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के तहत हैं।

(ग) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ग) और (घ) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(xvii) कंपनी को न तो इस वित्तीय वर्ष में और न ही ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है;

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार इस खंड के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर हमारी राय है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब भी वे बैलेंस शीट से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। तारीख। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग हमारी ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा चुकाई जाएंगी। जब वे देय हो जाते हैं;

(xx) (क) हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी को किसी भी अव्ययित राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम में;

(ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी चालू परियोजना के तहत खर्च न की गई शेष राशि 275.99 लाख रुपये को उप के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना है। – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की धारा (6) [वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38(27) देखें]

(xxi) कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xxi) लागू नहीं है।

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 अप्रैल 2023

यूडीआईएन : 23084906BGWRRB6185

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश जारी किए गए।

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।

   उत्तरः

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे ऑडिट के आधार पर, कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के उधारकर्ता खातों (कुल अग्रिमों का 1% से कम) के लेखांकन को छोड़कर, सभी लेखांकन लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित आईटी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत के वित्तीय विवरण आईटी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफलाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमारे ऑडिट के दौरान हमें कोई लेखांकन लेनदेन मिला है, जिसका वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव पड़ा है, जिन्हें आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया है। हालाँकि, सिस्टम को संशोधित करना बेहतर है ताकि ऐसे लेनदेन को मानक निर्देशों के आधार पर आईटी प्रणाली के माध्यम से भी संसाधित किया जा सके ताकि गलत रिपोर्टिंग की संभावना कम हो।

2. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब–किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।

   उत्तरः

   i) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी के किसी भी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

   ii) एक ऋणदाता के रूप में कंपनी के संचालन के संबंध में, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी ने ऐसे मामलों का उचित हिसाब लगाया है जहां दिए गए मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं और ऐसे मामलों का वित्तीय प्रभाव का कोई सामग्री नहीं है

3. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

   उत्तरः

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी ने योजनाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का हिसाब–किताब किया है और उसका उपयोग किया है।

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 अप्रैल 2023

यूडीआईएन : 23084906BGWRRB6185

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (कंपनी) की स्टैंडअलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट के. इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करने तथा इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया और कंपनियों की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम पर आंतरिक नियंत्रण आधारों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी / हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:

1. उन रिकॉर्ड्स के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है सिद्धांत, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, साथ ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान भी लगाया जा सकता है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, यहां बताए गए मामलों के अलावा, कंपनी को सभी भौतिक मामलों में, 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में और सुधार करने की आवश्यकता है, जो कि स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है:

क) विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर नियंत्रण को सक्षम करने के लिए इंड एएस लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

ख) विविध शीर्षों और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) के तहत आय के संबंध में आईटी सक्षम प्रक्रिया की तैयारी प्रगति पर है।

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्या: 006791N

ह./–
संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 अप्रैल 2023

यूडीआईएन : 23084906BGWRRB6185

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
नई दिल्ली–110066

प्रिय महोदय,

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), परिवर्तनों का विवरण शामिल है। समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी और नकदी प्रवाह के विवरण में, और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 (संशोधित) की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।) (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

कंपनी पर लागू सीमा तक उसमें निर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसके पास पंजीकरण के पिछले प्रमाणपत्रों 14.000012 दिनांक 23 जनवरी, 2008 एक निवेश क्रेडिट कंपनी (आईसीसी) के रूप में और पहले प्रमाणपत्र संख्या के तहत पंजीकृत 14.000012 दिनांक 10 फरवरी 1998, के बदले , भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए कंपनी के आवेदन के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में दिनांक 13 मार्च, 2023 को जारी किया गया पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र सं 14.000012 है।

2. कंपनी 31 मार्च, 2023 तक अपने सिद्धांत व्यवसाय मानदंड (वित्तीय संपत्ति / आय पैटर्न) के संदर्भ में ऐसे सीओआर को जारी रखने की हकदार है।

3. कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी पर लागू शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है जैसा कि मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में निर्धारित है।

4. निदेशक मंडल ने 18 अप्रैल, 2022 को निर्णय लिया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

6. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में परिभाषित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के संबंध में:

   कंपनी पर लागू सीमा तक उसमें निर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) बैंक को प्रस्तुत त्रैमासिक रिटर्न स्टाइल डीएनबीएस – 3 में बताए गए पूंजी पर्याप्तता अनुपात का सही अनुमान लगाया गया है और ऐसा अनुपात बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा फॉर्म एन बी एस –7 में त्रैमासिक रिटर्न जमा करना बंद कर दिया गया है।

ख) कंपनी ने अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए डीएनबीएस – 3 में पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्तियों / एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का वार्षिक विवरण बैंक को प्रस्तुत किया है।

7. गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8. वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के तहत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। तदनुसार, कंपनी अपनी ऋण परिसंपत्तियों के प्रावधान और उनके वर्गीकरण के लिए क्षति भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का पालन कर रही है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए एक तंत्र को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के विनियामक अनुपालन के मद्देनजर, कंपनी को इंडस्ट्रीज एएस 109 के अनुसार हानि का प्रावधान करना आवश्यक है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने और (आईआरएसीपी मानदंड) निर्देश 2016 के संदर्भ में खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इस संबंध में, आरबीआई अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) के अनुपालन में सी सी .पी डी .सं .109 / 22.10.106 / 2019–20 दिनांक 13 मार्च 2020, कंपनी ने आईआरएसीपी मानदंडों (मानक संपत्ति प्रावधानों सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की गणना की है और कंपनी को "हानि रिजर्व" के लिए किसी भी राशि को उपयुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 अप्रैल 2023

यू डी आई एन : 23084906BGWRRE4536

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा दिनांक **25.04.2023** की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखापरीक्षण किया है। यह पूरक लेखापरीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह./–
(गुरवीन सिधू)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23/06/2023

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2023 तक की तुलनपत्र

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I	**परिसम्पत्तियां**			
क	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समतुल्य	2	13,853.08	13,117.48
	(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष	3	81,624.05	39,551.85
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें	4	57,405.20	39,833.00
	(घ) प्राप्य			
	(I) कारोबारी प्राप्य	5	491.42	452.68
	(ङ) ऋण	6	4,622,692.33	3,317,444.77
	(च) निवेश	7	9,930.26	9,926.84
	(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8	3,180.56	3,182.09
	कुल (क)		**4,789,176.90**	**3,423,508.71**
ख	**गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	9	14,392.42	12,984.52
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	10	30,100.18	32,205.88
	(ग) निवेश सम्पत्ति	11	2.97	3.55
	(घ) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	21,284.30	23,010.64
	(ड.) चालू पूंजीगत कार्य	13	13,926.35	12,833.28
	(च) प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति	14	1,585.82	1,765.30
	(छ) अमूर्त परिसम्पत्तियां विकासाधीन	15	485.57	311.16
	(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां	16	1.44	4.50
	(झ) अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	17	173,742.39	164,212.81
	कुल (ख)		**255,521.44**	**247,331.64**
	कुल परिसम्पत्तियां (क+ख)		**5,044,698.34**	**3,670,840.35**
II	**देनदारियां और इक्विटी**			
	देनदारियां			
क	**वित्तीय देनदारियां**			
	(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें	4	15,146.86	18,257.49
	(ख) देय			
	(I) कारोबार देय	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		25.25	62.26
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से अन्य लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		465.90	454.69

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	1,084,328.34	922,913.87
	(घ) उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	2,867,266.36	1,773,467.47
	(ड.) अधीनस्थ देनदारियां	21	64,933.29	64,925.97
	(च) अन्य वित्तीय देनदारियां	22	133,500.73	83,559.91
	कुल (क)		**4,165,666.73**	**2,863,641.67**
ख	**गैर–वित्तीय देनदारियां**			
	(क) प्रावधान	23	111,815.80	105,596.56
	(ख) आस्थगित कर देनदारी (निवल)	24	173,698.86	174,790.81
	कुल (ख)		**285,514.66**	**280,387.37**
ग	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	228,460.00	228,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	26	365,056.95	298,351.31
	कुल (ग)		**593,516.95**	**526,811.31**
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख+ग)		**5,044,698.34**	**3,670,840.35**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां 1

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार 38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

ह./–
पदम लाल
निदेशक (सरकार नामित)
डीआईएन सं. 10041387

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25.04.2023

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह./–
एकता मदान
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. 23391

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2023	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2022
I	**प्रचालनों से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	337,382.67	271,322.13
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	3,733.28	10,638.61
iii)	डेरिवेटिवों पर उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	29	1,242.79	(147.35)
iv)	सौर संयंत्र प्रचालनों से निवल राजस्व	30	5,838.75	4,176.55
	प्रचालनों से कुल राजस्व (I)		**348,197.49**	**285,989.94**
II	अन्य आय	31	106.93	1,425.54
III	**कुल आय (I+II)**		**348,304.42**	**287,415.48**
IV	**व्यय**			
i)	वित्त लागत	32	208,843.82	158,725.13
ii)	निवल परिवर्तन /संव्यवहार विनिमय हानि	33	2,402.56	4,588.99
iii)	वित्तीय लिखतों पर अक्षमता	34	6,657.91	17,989.84
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	6,309.29	5,881.83
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और अक्षमता	36	2,349.84	2,324.31
vi)	अन्य व्यय	37	7,118.64	13,570.90
vii)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38(27)	697.44	950.60
	कुल व्यय (IV)		**234,379.50**	**204,031.61**
V	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		113,924.92	83,383.87
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**113,924.92**	**83,383.87**
VIII	**कर व्यय**			
	(i) चालू कर		25,317.27	31,119.55
	(ii) आस्थगित कर	38(29)	2,144.82	(11,088.33)
IX	निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		86,462.83	63,352.65
X	**अवधि के लिए लाभ/(हानि)**		**86,462.83**	**63,352.65**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन:-		(155.44)	(72.85)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		39.12	18.34

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2023	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2022
	उप–योग (क)		**(116.32)**	**(54.52)**
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा :-			
	-कैश फ्लो हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		(5,021.14)	(10,323.14)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		1,263.72	2,598.13
	उप–योग (ख)		**(3,757.42)**	**(7,725.01)**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**(3,873.74)**	**(7,779.53)**
XII	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)**		**82,589.09**	**55,573.12**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर प्रचालनों के लिए) वार्षिक)**			
	मूल (₹)	38(13)	3.78	8.03
	विरलित (₹)		3.78	8.03

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां 1
हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार 38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

ह./–
पदम लाल
निदेशक (सरकार नामित)
डीआईएन सं. 10041387

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25.04.2023

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह./–
एकता मदान
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. 23391

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को वर्ष समाप्ति		31 मार्च, 2022 को वर्ष समाप्ति	
क	**प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाहः**				
	कर पूर्व लाभ	113,924.92		83,383.87	
	निम्न के लिए समायोजनः				
	1 स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/समायोजन पर हानि (निवल)	13.01		4.09	
	2 विनिवेश पर लाभ	0.00		(12.00)	
	3 वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता	6,657.91		17,989.84	
	4 मूल्यह्रास और परिशोधन	2,349.84		2,324.31	
	5 लीज देनदारी पर ब्याज	38.24		6.69	
	6 निवल परिवर्तन /संव्यवहार विनिमय हानि	2,402.56		4,588.99	
	7 बट्टे खाते डाला गया प्रावधान	-		(6.55)	
	8 अशोध्य ऋण	0.00		1,301.96	
	9 बट्टे खाते डाला गया राशि	1.21		1,410.31	
	10 कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	87.67		295.58	
	11 ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज	136.41		287.71	
	12 ऋण प्रतिभूतियों से अन्य राशियों पर प्रभावी ब्याज	1.39		2.05	
	13 उप ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	7.33		6.77	
	14 ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर	6,468.14		2,967.82	
	15 अप्रत्यक्ष कर और अन्य के लिए प्रावधान	900.56		7,411.15	
	16 डेरिवेटिवों पर उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ	1,242.79		147.35	
	प्रचालनिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**134,231.98**		**122,109.94**	
	प्रचालनिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों में वृद्धि/(कमी)				
	1 ऋण	(1,313,299.25)		(612,690.01)	
	2 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	(18,816.88)		(601.67)	
	3 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	(9,529.57)		(100.86)	

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को वर्ष समाप्ति		31 मार्च, 2022 को वर्ष समाप्ति	
	4 कारोबार प्राप्य	(38.75)		(155.63)	
	5 अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	(1,091.96)		2,663.91	
	6 अन्य वित्तीय देनदारियां	41,809.04		(2,924.00)	
	7 पट्टा देयता	(12.97)		-	
	8 कारोबार प्राप्य	(25.80)		(1,731.03)	
	9 नकद और नकद समतुल्य के अतिरिक्त अन्य बैंकशेष	(42,072.20)		(1,322.56)	
		(1,343,078.35)		**(616,861.84)**	
	असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह	**1,208,846.37**		**(494,751.90)**	
	असाधारण मद	-		-	
	कर पूर्व प्रचालनों से उत्पादित नकद	**1,208,846.37**		**(494,751.90)**	
	आयकर	125,461.44		(30,659.93)	
	प्रचालनों से उत्पादित निवल नकद	**(1,234,307.81)**		**(525,411.83)**	
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	1 परिसम्पत्तियों प्लांट, उपकरणों की खरीद	(462.66)		(501.77)	
	2 अमूर्त संपत्ति की खरीद	(0.59)		-	
	3 परिसम्पत्तियों प्लांट, उपकरणों की बिक्री	9.86		3.72	
	4 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	(174.41)		(311.16)	
	5 प्रतिभूतियों में निवेश	-		(9,902.84)	
	6 पूंजीगत व्यय/सीडब्ल्यूआईपी के लिए अग्रिम	(1,093.06)		0.00	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**(1,720.87)**		**(10,712.05)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	1 इक्विटी अंशदान	-		150,000.00	
	2 ऋण प्रतिभूतियों को जारी किया जाना (मोचन का निवल)	161,278.06		10,600.00	
	3 ऋण प्रतिभूतियों के अन्य प्रतिभूतियां जुटाना (पुनर्भुगतान का निवल)	1,075,511.48		366,620.87	
	4 लीज देनदारी के लिए भुगतान	(25.27)		(81.35)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**1,236,764.27**		**527,139.53**
	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि		**735.59**		**(8,984.35)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य		13,117.48		22,101.83
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		13,853.09		13,117.48

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को वर्ष समाप्ति		31 मार्च, 2022 को वर्ष समाप्ति	
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि		**735.59**		**(8,984.35)**
			-		(0.00)
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के घटक				
	बैंकों की भारतीय शाखा में चालू खातों में		4,084.12		7,785.57
	बैंकों की विदेशी शाखा में चालू खातों में		2.72		2.51
	बैंकों में ओवरड्राफ्ट खातों में		9,608.77		18.35
	बैंकों में जमा खातों में		0.00		4,401.25
	बैंकों में बचत खातों में हस्तगत और		157.47		909.56
	वसूली के तहत हस्तगत चेक/डीडी और डाक अग्रदाय		0.00		0.26
	कुल:		**13,853.09**		**13,117.48**

नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

1 कैश फ्लो का इंड एएस 7 विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत कैश फ्लो का विवरण तैयार किया गया है।

2 संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण और सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अन्य उद्देश्यों पर खर्च की गई राशि के लिए नोट 38 (27) देखें।

3 पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनः व्यवस्थित और पुनः समूहगत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

ह./–
पदम लाल
निदेशक (सरकार नामित)
डीआईएन सं. 10041387

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25.04.2023

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह./–
एकता मदान
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. 23391

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
01.04.2021 को शेष	78,460.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
01.04.2021 के अनुसार पुनः विवरणी शेष	78,460.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	150,000.00
31.03.2022 को शेष	228,460.00
01.04.2022 को शेष	228,460.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
01.04.2022 के अनुसार पुनः विवरणी शेष	228,460.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31.03.2023 को शेष	228,460.00

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षिति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति	डिबेंचर शोधन आरक्षिति	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–I सी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति		
01.04.2021 को शेष	**107,798.33**	**104,590.98**	**30,539.26**	**16,182.69**	**233.40**	**(63,875.83)**	**25,589.66**	**221,058.50**
लेखांकन नीति/पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2021 के अनुसार पुनः विवरणी शेष	**107,798.33**	**104,590.98**	**30,539.26**	**16,182.69**	**233.40**	**(63,875.83)**	**25,589.66**	**221,058.50**
वर्ष के लाभ	-	-	-	-	63,352.65	-	-	**63,352.65**
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन (कुल कर)	-	-	-	-	(54.52)	-	-	**(54.52)**
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों के स्वयं के ऋण जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	-	-		-	-	-

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षिति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति	डिबेंचर शोधन आरक्षिति	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–I सी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति		
ओसीआई द्वारा मान्यता (कुल कर)	-	-	-	-	-	-	(7,725.01)	**(7,725.01)**
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**63,298.13**	**-**	**(7,725.01)**	**55,573.12**
वर्ष के दौरान आरक्षितियों में अंतरण	34,500.00	11,564.29	4,629.11	12,700.00	(63,393.40)	-	-	**-**
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानि	-	-	-	-	-	17,133.73	-	**17,133.73**
वर्ष के दौरान शोधन	-	-	-	-	-	4,585.96	-	**4,585.96**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	**-**
कॉरपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31.03.2022 को शेष	**142,298.33**	**116,155.27**	**35,168.37**	**28,882.69**	**138.14**	**(42,156.14)**	**17,864.65**	**298,351.31**
लेखांकन नीति/पूर्व अवधि की त्रृटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
01.04.2022 के अनुसार पुनः विवरणी शेष	**142,298.33**	**116,155.27**	**35,168.37**	**28,882.69**	**138.14**	**(42,156.14)**	**17,864.65**	**298,351.31**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	86,462.83	-	-	**86,462.83**
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन (कुल कर)	-	-	-	-	(116.32)	-	-	**(116.32)**
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों के स्वयं के ऋण जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ओसीआई द्वारा मान्यता (कुल कर)	-	-	-	-	-	-	(3,757.42)	**(3,757.42)**
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,346.51**	**-**	**(3,757.42)**	**82,589.09**
वर्ष के दौरान आरक्षितियों में अंतरण	48,750.00	15,555.00	4,629.11	17,300.00	(86,234.11)	-	-	**-**

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षिति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति	डिबेंचर शोधन आरक्षिति	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–I सी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति		
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानि	-	-	-	-	-	(17,889.10)	-	**(17,889.10)**
वर्ष के दौरान शोधन	-	-	-	-	-	2,005.65	-	**2,005.65**
प्रदत्त लाभांश					-			**-**
कॉरपोरेट लाभांश कर					-			**-**
31.03.2023 को शेष	**191,048.33**	**131,710.27**	**39,797.48**	**46,182.69**	**250.54**	**(58,039.59)**	**14,107.22**	**365,056.95**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां नोट संख्या 1
वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां नोट संख्या 38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या 006791N

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25.04.2023

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
पदम लाल
निदेशक (सरकार नामित)
डीआईएन सं. 10041387

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07448576

ह./–
एकता मदान
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. 23391

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

1) कॉर्पोरेट सूचना

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न (श्रेणी– I) भारत सरकार का उद्यम है। इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत गैर–जमा लेने वाली गैर–बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। 1987 से, इरेडा ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता / संरक्षण के आदर्श वाक्यः "शाश्वत ऊर्जा" से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगा हुआ है। कंपनी के पास केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट की सौर परियोजना है।

" से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगा हुआ है। कंपनी के पास केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट की सौर परियोजना है।

2) तैयारी का आधार

(i) इंड एएस के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण धारा के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के 133 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुपालन में और आगे संशोधित।

वित्तीय विवरण सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर और लेखांकन के उपार्जन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी ने ऐतिहासिक लागत परिपाटी को अपनाया है सिवाय कुछ मदों के जिन्हें भिन्न आधार पर मापा गया है और ऐसे आधार को प्रासंगिक लेखांकन नीति में प्रकट किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखा मानक शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

(ii) अनुमानों का उपयोग

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता के अनुमान में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

(क) महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

<u>आस्थगित कर संपत्तियों / देयता की मान्यता</u> – जिस सीमा तक आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जा सकती है, वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर संपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए गए और बनाए गए विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और बनाए गए विशेष रिजर्व

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

को उलटने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी उक्त रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

संपत्ति की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – संपत्ति की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

खराब क्रेडिट ऋणों पर ब्याज आय की गैर–मान्यता – खराब क्रेडिट ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेक के मामले के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है, दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

पूर्व अवधि मद की भौतिकता

पूर्व अवधि की मदें जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें तुलनात्मक राशियों के पुनर्कथन के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जाता है और चालू वर्ष में हिसाब लगाया जाता है।

मदों की चूक या मिथ्या कथन भौतिक हैं यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। भौतिकता आसपास की परिस्थितियों में आंकी गई चूक या गलत बयान के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। वस्तुओं के आकार और प्रकृति का संयोजन निर्धारण कारक है।

(ख) महत्वपूर्ण अनुमान

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य संपत्ति का उपयोगी जीवन – प्रबंधन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य संपत्ति के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो संपत्ति की उपयोगिता को बदल सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – प्रबंधन का डीबीओ का अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन धारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य माप – वित्तीय साधनों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें विकासशील अनुमान और धारणाएं शामिल हैं जो इस बात के अनुरूप हैं कि बाजार सहभागी उपकरण की कीमत कैसे लगाएंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी उपलब्ध होने की सीमा तक बाजार अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग करती है। बाजार–देखने योग्य डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आय कर – आय करों के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली राशि और आस्थगित कर संपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में राशि शामिल है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') – परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता के मापन के लिए भविष्य की आर्थिक स्थितियों और क्रेडिट व्यवहार के बारे में जटिल मॉडल और महत्वपूर्ण धारणाओं के उपयोग

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, ग्राहकों की चूक और परिणामी नुकसान की संभावना) ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करते समय कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है:

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद / बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना;
- ईसीएल को मापने के लिए समान वित्तीय संपत्तियों के समूहों की स्थापनाय और
- डिफॉल्ट की संभावना का अनुमान और डिफॉल्ट होने पर नुकसान (डिफॉल्ट के मामले में वसूली योग्य राशि का अनुमान)।

प्रावधान: दायित्व की मान्यता और मात्रा का समय (मुकदमों सहित) के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

(iii) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की कार्यात्मक मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालित होती है, मूल्यों को निकटतम दो दशमलवों तक लाखों में गोल किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा कहा जाए।

3) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मूर्त संपत्ति (पीपीई)

पीपीई (मूर्त संपत्ति) को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में उसका खरीद मूल्य शामिल होता है, जिसमें आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को लाने में सीधे तौर पर कोई भी लागत शामिल होती है। इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए बाद की मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। नतीजतन, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण इसकी लागत पर कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि / नुकसान, यदि कोई हो, ले जाया जाता है।

अमान्यता

पीपीई की एक वस्तु को निपटान पर, या जब भविष्य में उपयोग से कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। पीपीई की मान्यता रद्द होने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की अग्रणीत राशि

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, जब संपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य – प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत वर्क–इन–प्रोग्रेस' के रूप में प्रकट किया गया है। लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है । पीपीई के अधिग्रहण / निर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम जो बैलेंस शीट की तारीख में बकाया हैं, उन्हें 'पूंजीगत अग्रिम' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(ii) अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अमूर्त संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने के लिए सीधे आरोपणीय कोई भी लागत शामिल है। ऐसी संपत्तियों को मान्यता दी जाती है जहां यह संभव है कि संपत्ति के कारण होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे।

परिमित उपयोगी जीवन वाली सभी अमूर्त संपत्तियों को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त संपत्तियों को बाद में इसकी लागत पर कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र होने वाले व्यय को 'विकास के तहत अमूर्त संपत्ति' के रूप में तब तक ले जाया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते।

अमान्यता

एक अमूर्त संपत्ति को निपटान पर या जब उपयोग से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापी गई एक अमूर्त संपत्ति की गैर–मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त है।

(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–द्वितीय में निर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार लिखित डाउन बेसिस (डब्ल्यूडीवी) पर नीचे उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर प्रदान किया जाता है:

- पुस्तकालय की पुस्तकों पर मूल्यह्रास खरीद के वर्ष में / 100% प्रदान किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास संबंधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और प्रासंगिक राज्य

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

आयोग टैरिफ आदेशों के तहत निर्धारित दरों / पद्धति पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

- 5,000 / – या उससे कम रुपये की संपत्ति के संबंध में खरीद के वित्तीय वर्ष में मूल्यह्रास / 100% प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।
- सभी पीपीई और अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो, को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

- **अनुसूची II के अनुसार संपत्ति का उपयोगी जीवन:**

संपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाइयां		
–लैपटॉप / कंप्यूटर	3 वर्ष	5%
–सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष	5%
वाहनों	8 वर्ष	5%
अमूर्त संपत्ति	5 वर्ष	0%

- **सीईआरसी के आदेश के अनुसार संपत्ति का उपयोगी जीवन**

संपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सौर संयंत्र	25 वर्ष	10%

(iv) सरकार और अन्य अनुदान / सहायता

कंपनी सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकती है जिसके लिए कंपनी की परिचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता होती है या कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के माध्यम से कंपनी को प्रदान किया जाता है।

सरकारी अनुदानों को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा, और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर संपत्ति और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लंबी अवधि की संपत्ति खरीदने, निर्माण करने या अन्यथा प्राप्त करने की शर्त के साथ सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है। एक बार आस्थगित आय के रूप में पहचाने जाने के बाद, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। संपत्ति के शेष जीवन पर अनुमानों में परिवर्तन संभावित रूप से पहचाने जाते हैं।

सब्सिडी से संबंधित अनुदान को स्थगित कर दिया जाता है और उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसकी भरपाई करने का इरादा है, व्यय किया जाता है।

ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों (एनआरएसई) के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना और हिसाब में लिया जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत किए गए व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और 'अन्य वित्तीय संपत्ति' के तहत दिखाया जाता है। बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गई सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(v) पट्टे

<u>पट्टेदार के रूप में</u>

कंपनी अनुबंध की स्थापना पर मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार बताता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या:

i. अनुबंध में एक पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है;

ii. कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति के उपयोग से काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ हैं, और

iii. कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए लीज देनदारियों को पहचानती है और अंतर्निहित संपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति का उपयोग करती है।

i.) उपयोग के अधिकार की संपत्ति

कंपनी पट्टे की प्रारंभ तिथि पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को पहचानती है (यानी, अंतर्निहित संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख)। उपयोग के अधिकार की संपत्ति लागत पर मापी जाती है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों को कम किया जाता है और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और लीज भुगतान प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज प्रोत्साहन से कम शामिल हैं। संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर उपयोग की जाने वाली संपत्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है

ii.) <u>पट्टा देयताएं</u>

लीज की शुरुआत की तारीख पर, कंपनी लीज अवधि के दौरान किए जाने वाले लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज देनदारियों को पहचानती है। पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान (मूल रूप से निश्चित भुगतान सहित) कम कोई भी

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त करने योग्य, परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशि शामिल है। कंपनी पट्टा प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। वृद्धिशील उधार दर ऋण की अवधि के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर है यदि ऋण 3 वर्ष तक का है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर ली जा सकती है।

iii.) **<u>लघु अवधि के पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे</u>**

अल्पावधि पट्टों (जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने तक है) और कम मूल्य की संपत्तियों (10,00,000/– रुपये तक की परिसंपत्ति मूल्य) के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टे की अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। लीज अवधि का निर्धारण लीज की गैर–रद्द करने योग्य अवधि दोनों के साथ मिलकर किया जाता है:

क) पट्टे के विस्तार के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए निश्चित है; और

ख) पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से निश्चित है कि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा।

<u>पट्टेदार के रूप में</u>

जब कंपनी पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की शुरुआत में निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि यह स्थिति है, तो पट्टा वित्तीय पट्टा है, यदि नहीं, तो यह परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है या नहीं। यदि किसी व्यवस्था में पट्टे और गैर–पट्टे के घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है। कंपनी "परिचालन से राजस्व" के हिस्से के रूप में लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में परिचालन लीज के तहत प्राप्त लीज भुगतान को पहचानती है।

(vi) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश

- कंपनी लागत पर सहायक, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर बदलाव किया जाता है।

- ऐसे निवेश जहां कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

- यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के निवेश के संबंध में हानि का संकेत है, तो निवेश के अग्रणी मूल्य को उसके अग्रणी

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

मूल्य के साथ वसूली योग्य राशि की तुलना करके हानि के लिए परीक्षण किया जाता है और किसी भी परिणामी हानि को निवेश के अग्रणी मूल्य के विरुद्ध सहयोगी या संयुक्त उद्यम में प्रभारित किया जाता है।

(vii) <u>गैर–वित्तीय संपत्ति की क्षति</u>

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकद–उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य से कम निपटान की लागत और इसके उपयोग में मूल्य से अधिक है। पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि का निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य का निर्धारण करने में, हाल के बाजार लेनदेनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

(viii) नकद और नकद समतुल्य

नकदी में हाथ मे नकदी, बैंक में नकदी, बैंक ओवरड्राफ्ट में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और फॉरेन करेंसी डिपॉजिट शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक जमा (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

(ix) उधार लेने की लागत

योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब संपत्ति ऐसे फंडों के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को कम करने के बाद अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

इस हद तक कि कंपनी आम तौर पर धन उधार लेती है और एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत की राशि उस संपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

(x) विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन, ऐसे लेन–देन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर किए जाते हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः अनुवाद किया जाता है। इस तरह के लेन–देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और अवधि के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुओं के पुनर्माप को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद आरक्षित खाता (एफसीएमआईटीआर) लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधार पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो संबंधित उधार के कार्यकाल में परिशोधित किया जाता है। इरेडा ने इंड एएस 101 के पैरा डी13एए की छूट को अपनाया था, जिसके अनुसार यह शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अनुवाद से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। पिछले जीएएपी के अनुसार पहली इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेनदेन, लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 को दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उस अवधि के दौरान शुरू में दर्ज किए गए या पिछले में रिपोर्ट किए गए से अलग वित्तीय विवरण, एफसीएमआईटी आर खाते में संचित होते हैं, और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा, ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर बारह महीने या उससे अधिक की अवधि होती है।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें (जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर बारह महीने से कम की अवधि होती है) को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर अनुवादित किया जाता है। परिणामी विनिमय उतार–चढ़ाव को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

इंडस्ट्रीज एएस 21 के पैरा 27 के अनुसार, नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर अन्य व्यापक आय में मान्य है, जिस सीमा तक हेजिंग प्रभावी है। तदनुसार, कंपनी नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के अनुवाद के कारण विनिमय अंतर को पहचानती है।

(xi) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों और मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के योग से कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या को शेयर विभाजन/रिवर्स शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए समायोजित किया जाता है, जैसा उपयुक्त हो।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

(xii) प्रावधान

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(xiii) आकस्मिक देनदारियां

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन नोटों में खुलासा किया जाता है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होता है और पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xiv) आकस्मिक संपत्तियां

आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन नोटों में खुलासा किया जाता है जो आम तौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक लाभ के प्रवाह की संभावना को जन्म देती हैं।

आकस्मिक संपत्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक लाभों का प्रवाह वास्तव में निश्चित हो जाता है, फिर ऐसी संपत्तियों और संबंधित आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

(xv) खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट को मुख्य ऑपरेटिंग निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की पहचान चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) के रूप में की गई है।

(xvi) सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियां

सामग्री की पिछली अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत करके ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि सबसे पहले प्रस्तुत की गई अवधि से पहले हुई है, तो पेश की गई सबसे पुरानी अवधि के लिए संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, फिर से बताया जाता है, इस मामले में, लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को व्यवहार्य तिथि के अनुसार समायोजित किया जाता है।

(xvii) कराधान

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ 'कर से पहले लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि आय या व्यय की वस्तुएं जो अन्य वर्षों में कर योग्य

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

या कटौती योग्य हैं और ऐसी वस्तुएं जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के बयान में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है। जहां एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर उत्पन्न होता है, व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव शामिल होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में आस्तियों और दायित्वों की अग्रणीत राशियों और कराधान के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में पहचाना जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर संपत्तियों को आम तौर पर केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम किया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएगा।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के बयान में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित होते हैं जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं, जिस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त होती है।

(xviii) निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो किराया अर्जित करने और/या पूंजी वृद्धि के लिए रखी जाती हैं (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित)। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर शामिल हैं, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और संपत्ति को स्थान पर लाने के लिए सीधे आरोपणीय कोई भी लागत और इसके लिए आवश्यक स्थिति इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले लिया जाता है और निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें संपत्ति की पहचान रद्द की जाती है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास संपत्ति के उस वर्ग के अनुसार किया जाता है, जिससे वह संबंधित है और संपत्ति का जीवन कंपनी में संपत्ति के उसी वर्ग के लिए माना जाएगा।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, नोट में निवेश संपत्ति का उचित मूल्य प्रकट किया जाता है।

(xix) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पावधि मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे कि एक भुगतान वार्षिक छुट्टी) जहां अनुपस्थिति उस अवधि के अंत के बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा, लाभ साझाकरण और देय बोनस प्रदान करते हैं। उस अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–मौद्रिक लाभ का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

ख) पोस्ट–रोजगार लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग कोष में निश्चित योगदान देती है। निश्चित अंशदान के भुगतान के बाद आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कंपनी का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा किए गए योगदानों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है जिससे योगदान संबंधित है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

कंपनी का अंशदान, सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिसे पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि को कर्मचारी की सेवा की अवधि, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना की संपत्ति अलग रखी गई हो।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ बाध्यता (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य घटाया गया है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से वार्षिक रूप से डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता / परिसंपत्ति के पुनर्माप से उत्पन्न बीमांकिक लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

भविष्य निधि, हितैषी निधि, अधिवर्षिता निधि और अंशदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्व को अलग–अलग ट्रस्टों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

भविष्य निधि / सेवा निवृत्ति निधि में कंपनी का अंशदान योग्य कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस प्रयोजन के लिए स्थापित अलग ट्रस्टों को विप्रेषित किया जाता है और लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया जाता है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभः

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुमान के बाद एक वर्ष से अधिक होने या प्राप्त होने की उम्मीद होने पर क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के संबंध में देयता।

पिछले अनुभव से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किए जाते हैं जिसमें इस तरह के लाभ या हानि निर्धारित होते हैं।

(xx) वित्तीय साधन

<u>प्रारंभिक मान्यता और माप</u>

वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए को छोड़कर लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर प्रारंभ में मापा जाता है। वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के बाद के माप को नीचे वर्णित किया गया है।

<u>वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण और बाद में माप</u>

बाद के माप के प्रयोजन के लिए, प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

- कर्ज चुकाने की लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई में इक्विटी उपकरणों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई वस्तुपरक साक्ष्य है कि कोई वित्तीय संपत्ति या वित्तीय संपत्ति का समूह क्षतिग्रस्त है। हानि निर्धारित करने के लिए विभिन्न मानदंड वित्तीय संपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर लागू होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

<u>परिशोधित लागत पर ऋण</u>

ऋण (वित्तीय संपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैंः

क) वित्तीय संपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति रखना है; और

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है।

परिशोधित लागत पर किए गए वित्तीय आस्तियों पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता को मान्यता दी गई है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित और प्रभावी को छोड़कर सभी डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं, जिनके लिए हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी की संपत्तियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय संपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

एफवीओसीआई की वित्तीय संपत्ति में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है और लाभांश आय को छोड़कर इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई रिजर्व के भीतर रिपोर्ट किया जाता है, जिसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। निवेश की मान्यता समाप्त होने पर भी ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण तक ऐसे लाभ और हानि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी इसे इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

वित्तीय संपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय संपत्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय संपत्ति के एक समूह का हिस्सा) को अमान्य कर दिया जाता है (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय संपत्ति और काफी हद तक सभी जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित किए जाते हैं। कंपनी वित्तीय संपत्ति की मान्यता भी रद्द कर देती है यदि उसने वित्तीय संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया है और स्थानांतरण मान्यता रद्द करने के योग्य है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और बाद में माप

वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर बाद में मापा जाता है, डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, जो एफवीटीपीएल में किया जाता है, बाद में लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर। (एफवीटीपीएल)

वित्तीय देनदारियों की मान्यता

एक वित्तीय दायित्व को तब मान्यता दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नए देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों

कंपनी विदेशी मुद्रा संपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के संपर्क में है। कंपनी डेरिवेटिव के उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करती है, जिसमें प्रिंसिपल स्वैप, क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शन, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट आदि शामिल हैं।

डेरिवेटिव्स की पहचान की जाती है और उन्हें उचित मूल्य (एमटीएम) पर मापा जाता है। इसके फलस्वरूप लेनदेन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में लागत के रूप में पहचाना जाता है।

वित्तीय संपत्ति की मान्यता रद्द करना:

वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने या संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को स्थानांतरित करने पर वित्तीय संपत्तियों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

बचाव लेखांकन

डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है सिवाय उन डेरिवेटिव के जिन्हें नकदी प्रवाह हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया गया है, जिनके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। हेज अकाउंटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग रिलेशनशिप को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

– हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच एक आर्थिक संबंध है

– क्रेडिट जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध से होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है

– हेजिंग संबंध का हेज अनुपात वही है जो हेज आइटम की मात्रा से उत्पन्न होता है जिसे इकाई वास्तव में हेज करती है और हेजिंग उपकरण की मात्रा जिसका उपयोग वास्तव में हेजिंग आइटम की मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

कंपनी ने ज्यादातर डेरिवेटिव अनुबंध को कैश फ्लो हेज रिलेशनशिप में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में नामित किया है। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके विरुद्ध विदेशी मुद्रा में नामित ऋण लिखत हैं।

- नकदी प्रवाह हेजिंग कंपनी के कैश फ्लो पोजीशन को विनिमय दर में उतार–चढ़ाव से बचाने और नकदी प्रवाह में परिवर्तनशीलता को निश्चित करने के लिए किया जाता है।
- कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार हेजिंग उपकरणों में प्रवेश करती हैय लिखित सिद्धांत प्रदान करें जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति / नीतियों के अनुरूप हों।
- हेज लेखांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

हेज उपकरणों को अनुबंध की शुरुआत में हेजेज के रूप में नामित और प्रलेखित किया गया है। हेज उपकरणों की प्रभावशीलता का आकलन और शुरुआत में और निरंतर आधार पर किया जाता है। संबंधित बैंकों द्वारा प्रदान किए गए एमटीएम मूल्यांकन/निर्दिष्ट हेजिंग उपकरण के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से को "अन्य व्यापक आय" में "कैश फ्लो हेज रिजर्व" के रूप में मान्यता दी गई है। जब भी होता है लाभ और हानि के विवरण में अप्रभावी हिस्से को तुरंत मान्यता दी जाती है।

जिस समय हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि हेजिंग संबंध अब हेज लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेज लेखांकन संभावित रूप से बंद कर दी जाती है। यदि हेजिंग उपकरण समाप्त हो जाता है या बेचा जाता है, समाप्त या प्रयोग किया जाता है, तो कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता प्राप्त हेजिंग उपकरण पर संचयी लाभ या हानि हेज प्रभावी होने की अवधि तक कैश फ्लो हेज रिजर्व में रहता है। कैश फ्लो हेज रिजर्व में पहले से पहचाने गए संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेनदेन होने पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

हानि

वित्तीय संपत्तियों की हानि

ऋण संपत्ति

कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में बदलाव के आधार पर परिशोधित लागत पर किए गए ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए एक 'तीन–चरण' मॉडल का अनुसरण करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है:

- चरण 1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम है।
- चरण 2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन जिनमें हानि का वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है।
- चरण 3 में ऐसी ऋण संपत्तियां शामिल हैं जिनके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण संपत्तियों के लिए 12 महीने की ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 ऋण संपत्तियों के लिए आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट को देखते हुए नुकसान का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – पीडी अगले 12 महीनों (पीडी के 12 महीने) या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) पर अपने वित्तीय दायित्व पर चूककर्ता की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी डिफॉल्ट किए गए एक्सपोजर पर नुकसान की सीमा की कंपनी की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, प्रकार, और दावे की वरीयता और संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट समर्थन की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

एक्सपोजर ऐट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी उस आकलन तिथि पर बकाया एक्सपोजर की राशि पर आधारित होता है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

12–महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी का निर्धारण करने में दूरंदेशी आर्थिक जानकारी शामिल है। अपेक्षित ऋण हानि की अंतर्निहित मान्यताओं की निगरानी और समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

ऋण के अलावा अन्य वित्तीय साधनों में शामिल हैं:–

- वित्तीय संपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्तियां, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देय शामिल हैं।

ऋण के अलावा गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लेनदेन लागत शामिल है। वित्तीय संपत्तियों की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार को न तो स्थानांतरित किया जाता है और न ही बनाए रखा जाता है, वित्तीय संपत्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी ने वित्तीय संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे दिए गए अनुसार मापा जाता है:

क) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में बैंक में हाथ में नकदी, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और विदेशी मुद्रा जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल शामिल है जो मांग पर चुकाने योग्य हैं और जिन्हें हिस्सा माना जाता है। कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्तियों पर क्षति हानि भत्ता की मान्यता के लिए कंपनी 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता की पहचान करती है। कंपनी प्राप्तियों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर हानि भत्ता निर्धारित करती है, व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरें और भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित की जाती हैं।

ग) अन्य देय

अन्य देय राशियों को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय साधनों के लिए, इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण अग्रणीत राशि लगभग उचित मूल्य है।

(xxi) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें निदेशक मंडल द्वारा और शेयरधारकों की बैठक में क्रमशः अनुमोदित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरण का भाग बनाना

(xxii) उचित मूल्य मापन और प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव जैसे वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि संपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन या तो होता है:

- संपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार के अभाव में, संपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी द्वारा सुलभ होना चाहिए।

एक परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार सहभागियों द्वारा परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग किया जाएगा, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। एक गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप एक बाजार सहभागी की संपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करके या किसी अन्य बाजार सहभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो संपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करेगा।

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करना और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करना।

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 – समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अप्राप्य है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि का अंत।

(xxiii) राजस्व मान्यता

<u>ब्याज आय</u>

ब्याज आय को परिशोधित लागत पर मापी गई सभी वित्तीय संपत्तियों (कंपनी को क्रेडिट बिगड़ा वित्तीय संपत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दे रही है) को छोड़कर। ब्याज आय को इंड एएस 109, वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

का उपयोग करके पहचाना जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को बिल्कुल छूट देती है। ई आईआर की गणना लेन–देन की लागत और शुल्क को ध्यान में रखकर की जाती है जो कि भारतीय एएस 109 के अनुरूप ई आई आर का एक अभिन्न अंग है। खराब क्रेडिट हुआ संपत्ति पर ब्याज आय को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय पर भुगतान के कारण छूट को संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि की प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है और संबंधित ब्याज आय के विरुद्ध घटाया जाता है।

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, उधारकर्ताओं से वसूली (i) आकस्मिक शुल्क (ii) दंडात्मक ब्याज (iii) अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन की चुकौती के क्रम में विनियोजित की जाती हैय सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जा रहा है। एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली पहले बकाया मूलधन और उसके बाद शेष वसूली, ब्याज और अन्य शुल्कों, यदि कोई हो, के लिए विनियोजित की जाती है।

अन्य राजस्व

- राजस्व (उन मदों के अलावा, जिनके लिए इंड एएस 109 वित्तीय उपकरण लागू होते हैं) को इंड एएस 115 के अनुसार मान्यता प्राप्त है – ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व के लिए लेखांकन के एक व्यापक मॉडल की रूपरेखा तैयार करता है। कंपनी इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है।

- ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और राजस्व और लागत, यदि लागू हो, को मजबूती से मापा जा सकता है। राजस्व को अनुबंध के तहत सहमत लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है (उदाहरण के लिए, सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर) और छूट, छूट जैसे परिवर्तनीय विचार के लिए शामिल/समायोजित, केवल उस सीमा तक कि यह अत्यधिक संभावित है कि संचयी राशि में एक महत्वपूर्ण उलटफेर मान्यता प्राप्त राजस्व तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय विचार से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल हो जाती है।

सौर संयंत्र से राजस्व

सौर संयंत्र से होने वाली आय को तब मान्यता दी जाती है जब समय के साथ प्रदर्शन दायित्व पूरा हो जाता है। दी गई छूट को सकल राजस्व की राशि से कटौती के रूप में प्रकट किया जाता है।

फीस और कमीशन से राजस्व

- शुल्क और कमीशन से राजस्व

शुल्क और कमीशन को समय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसी फीस एकत्र करने की संभावना स्थापित हो जाती है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरण का भाग बनाना

- <u>सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्व</u>

  कंपनी अपनी गतिविधियों के अलावा कंपनी और ऐसे संगठन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर विभिन्न सरकारी / गैर–सरकारी संगठनों की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। ऐसी गतिविधियों का विवरण वित्तीय विवरणों के नोट्स के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

  जहां भी इस तरह के समझौता ज्ञापनों के आधार पर ट्रस्ट के तहत कोई धन प्राप्त होता है, उसे नकद और नकद समकक्षों में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे संगठनों से संबंधित ऐसे फंडों से उत्पन्न ब्याज आय सहित किसी भी आय को कंपनी के राजस्व के रूप में नहीं माना जाता है।

  कंपनी द्वारा कार्यान्वित ऐसी योजनाओं से अर्जित सेवा शुल्क को एक समय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे सेवा शुल्क एकत्र करने की निश्चितता स्थापित हो जाती है।

(xxiii) व्यय

खर्चों का लेखा–जोखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है। रुपये 5,00,000 / – तक प्रीपेड खर्च प्रति आइटम लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है जब और जब खर्च / समायोजित / प्राप्त होता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 2: नकद और नकद समतुल्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
I. नकद और नकद समतुल्य		
(क) हस्तगत नकद	-	-
(ख) बैंकों में शेष :-		
(क) बैंकों में चालू खाता		
- भारतीय शाखाओं में	4,084.12	7,785.57
- विदेशी शाखाओं में		
(i) अमरीकी डॉलर में	2.72	2.51
(ii) यूरो में	-	-
(ख) जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से कम)		
अल्पावधिक जमा	-	4,401.25
(ग) बचत बैंक खाता		
- भारतीय शाखाओं में	157.47	909.56
(ग) वसूली के तहत हस्तगत चेक/डीडी और डाक अग्रदाय	-	0.26
(घ) ओवरड्राफ्ट खातों में	9,608.77	18.35
कुल (क+ख+ग+घ)	**13,853.08**	**13,117.48**

• ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।
• उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) के प्रकटीकरण के लिए नोट 38(58एम) भी देखें।

नोट 3: नकद और नकद समतुल्यों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
क. बैंकों के पास चिह्नित शेष		
क) चालू खाते में		
- एमएनआरई	2.15	2.15
- एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉण्ड (देखें नोट 38(32))	352.53	352.53
- इरेडा (बांड और लाभांश खाते पर ब्याज)	80.52	67.11
- एमएनआरई/यूएनडीपी–आईआरईडीए स्कीम फंड्स (नोट 38(31) देखें)	19,523.22	0.00
उप–योग (क)	**19,958.43**	**421.79**
ख) बचत खाते में		
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	71.24	8,994.29
- एमएनआरई/यूएनडीपी– इरेडा योजना फंड (संदर्भ नोट 38 (31))	13,399.77	1,354.65
उप–योग (ख)	**13,471.00**	**10,348.94**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
ग) जमा खाते में (भारतीय रुपए)		
- इरेडा[1]	42.63	40.50
- एमएनआरई	17.25	17.25
- एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉण्ड (देखें नोट 38(32))	928.70	885.75
- इरेडा स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	36,153.30	25,169.00
- एमएनआरई / यूएनडीपी–इरेडा योजना निधि (देखें नोट 38(31))	5,921.98	1,992.92
- ऊर्जा परियोजना तक पहुंचने के लिए डिफाल्ट जोखिम में कमी (केएफडब्ल्यू VI)[2]	924.17	675.68
उप योग (ग)	**43,988.04**	**28,781.11**
घ) जमा खाते में (विदेशी मुद्रा)		
- डॉलर जमा (एडीबी)	-	-
उप योग (घ)	**-**	**-**
उप योग (क)=(क+ख+ग+घ)	**77,417.47**	**39,551.85**
ख) जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)		
- आईएनआर सावधि जमा	4,206.58	0.00
उप कुल (ख)	**4,206.58**	**0.00**
कुल	**81,624.05**	**39,551.85**

कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त धन को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए असंवितरित निधि (उस पर ब्याज सहित, यदि कोई हो) योजना की निर्दिष्ट निधि के रूप में प्रस्तुत की जाती है। देखें नोट 38 (31).

[1]₹ 42.63 लाख की राशि (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 40.50 लाख) बैंक ऑफ बड़ौदा, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में ब्याज सहित एफडीआर के रूप में रखी गई है, दो बॉन्ड धारकों के भुगतान यानी मैसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया के खिलाफ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 / 2009 में पारित आदेश दिनांक 31.7.2009 के अनुसार एम. चुलानी।

[2]पोर्टफोलियो रिस्क रिजर्व अकाउंट (पीआरआरए) की स्थापना के द्वारा केएफडब्ल्यू VI लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कंपनी के समग्र 'एक्सेस टू एनर्जी' पोर्टफोलियो के 70% डिफॉल्ट जोखिमों को कवर करने के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग ऋण सेवा आरक्षित खाता (डीएसआरए) को समाप्त करने के बाद, एनपीए घोषित होने पर, उधारकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 4 : डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव अनुबंध करती है। देनदारियों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव लेन–देन में फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेन–देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि ट्रेडिंग या सट्टा उद्देश्य के लिए।

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
भाग I	सांकेतिक राशियां	उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य – देनदारियां	सांकेतिक राशियां	उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य – देनदारियां
(i) करंसी डेरिवेटिव:-						
मूलधन केवल स्वैप (पीओएस)	825,452.87	50,547.63	15,146.86	824,872.43	36,633.85	18,257.49
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	-	-	-
उप–योग कुल (i)	**825,452.87**	**50,547.63**	**15,146.86**	**824,872.43**	**36,633.85**	**18,257.49**
(ii) ब्याज दर डेरिवेटिव :-						
क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस)	49,016.48	6,857.57	-	49,854.29	3,199.15	-
उप–योग (ii)	**49,016.48**	**6,857.57**	**-**	**49,854.29**	**3,199.15**	**-**
कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**874,469.35**	**57,405.20**	**15,146.86**	**874,726.72**	**39,833.00**	**18,257.49**
भाग II	**31 मार्च, 2023 को**			**31 मार्च, 2022 को**		
	सांकेतिक राशियां	उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य – देनदारियां	सांकेतिक राशियां	उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य – देनदारियां
उपरोक्त में शामिल (भाग I) हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए धारित डेरिवेटिव हैं जो निम्नानुसार हैं:-						
(i) नकद प्रवाह हेजिंग:-						
करंसी डेरिवेटिव (पीओएस)	783,068.24	47,732.37	14,844.15	799,305.46	35,364.09	18,257.49
ब्याज दर डेरिवेटिव (सीसीआईआरएस)	49,016.48	6,857.57	-	49,854.29	3,199.15	
उप–योग (i)	**832,084.72**	**54,589.94**	**14,844.15**	**849,159.75**	**38,563.24**	**18,257.49**
(ii) अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव:-						
करंसी डेरिवेटिव (पीओएस)	42,384.63	2,815.26	302.71	25,566.97	1,269.76	-
ब्याज दर डेरिवेटिव (सीसीआईआरएस)	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ii)	**42,384.63**	**2,815.26**	**302.71**	**25,566.97**	**1,269.76**	**-**
कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**874,469.35**	**57,405.20**	**15,146.86**	**874,726.72**	**39,833.00**	**18,257.49**

जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए नोट 38(36) और 38(37) देखें।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 5 : प्राप्य
व्यापार प्राप्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क कारोबार प्राप्य		
(क) शोध्य माने गए प्राप्य – प्रत्याभूत	-	-
(ख) शोध्य माने गए प्राप्य – अप्रत्याभूत	491.42	452.68
(ग) वे प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(घ) क्रेडिट अक्षम प्राप्य	-	-
उप–योग (क)	491.42	452.68
अक्षमता हानि के लिए भत्ता (ख)	-	-
कुल (क–ख)	**491.42**	**452.68**

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल
31 मार्च 2023 पर

(लाख रुपए में)

विवरण	बिल नहीं किया गया	देय नहीं	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया भुगतान की देय तिथि से					
			6 महीने से कम	6 महीने – 1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से ज्यादा	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माने जाने वाले	331.19	-	160.19	-	-	0.04	-	491.42
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– जिन क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– बिगड़ा हुआ क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माने जाने वाले	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– जिन क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– बिगड़ा हुआ क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2022 पर

(लाख रुपए में)

विवरण	बिल नहीं किया गया	देय नहीं	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया भुगतान की देय तिथि से					
			6 महीने से कम	6 महीने – 1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से ज्यादा	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है*	272.61	-	180.03	-	0.04	-	-	452.68
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– जिन क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिन क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य– क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-

प्रकटीकरण लेन–देन की तारीख से है
बिल न किए गए देय राशियों के विवरण के लिए नोट 38(23) देखें।

नोट 6 : ऋण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर परिशोधन लागत पर	31.03.2022 पर परिशोधन लागत पर
क) ऋण		
(i) सावधि ऋण		
सावधि ऋण	4,707,552.05	3,393,060.62
अर्जित ब्याज और ऋण पर देय	2,235.30	5,159.56
उपार्जित और देय परिसमापन क्षति	26.92	125.38
अर्जित ब्याज लेकिन ऋण पर देय नहीं	2,014.25	1,170.23
फ्रंट एवं शुल्क समायोजन	(16,609.63)	(10,141.49)
परिशोधन लागत पर सकल सावधि ऋण	**4,695,218.90**	**3,389,374.30**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर परिशोधन लागत पर	31.03.2022 पर परिशोधन लागत पर
(ii) अन्य		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	664.69	664.69
एमएनआरई के ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज	254.77	254.77
कर्मचारियों को ऋण	1,749.89	826.31
संबंधित पक्षों को ऋण	-	12.00
अर्जित ब्याज लेकिन स्टाफ ऋण पर देय नहीं	255.90	175.01
अर्जित ब्याज लेकिन संबंधित पार्टी के स्टाफ ऋण पर देय नहीं	20.82	27.98
कुल (क) - सकल ऋण	**4,698,164.96**	**3,391,335.06**
घटाएं: हानि भत्ता ऋण	75,472.64	73,890.29
कुल (क) - शुद्ध ऋण	**4,622,692.33**	**3,317,444.77**
(ख) उपरोक्त का उप वर्गीकरण :		
सुरक्षा वार वर्गीकरण		
(i) मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित		
सावधि ऋण	3,941,012.02	2,499,026.52
कर्मचारियों को ऋण	1,749.89	826.31
संबंधित पक्षों को ऋण	-	12.00
अर्जित ब्याज और ऋण पर देय	2,235.30	5,159.56
उपार्जित और देय परिसमापन क्षति	26.92	125.38
अर्जित ब्याज लेकिन ऋण पर देय नहीं	2,270.15	1,345.24
अर्जित ब्याज लेकिन संबंधित पार्टी के ऋणों पर बकाया नहीं	20.82	27.98
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	664.69	664.69
एमएनआरई ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज	254.77	254.77
(ii) अमूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित	**-**	**-**
(iii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया		
बैंक गारंटी/सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित मियादी ऋण	354,481.58	436,420.85
(iv) असुरक्षित		
सावधि ऋण	395,448.82	447,471.76
कुल (ख) - सकल	**4,698,164.96**	**3,391,335.06**
घटाएं: हानि भत्ता	75,472.64	73,890.29
कुल (ख) - शुद्ध	**4,622,692.33**	**3,317,444.77**
(ग) (आई) भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	1,263,995.26	1,147,658.47
(ii) अन्य	3,434,169.70	2,243,676.59

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर परिशोधन लागत पर	31.03.2022 पर परिशोधन लागत पर
कुल (ग) (I) सकल	**4,698,164.96**	**3,391,335.06**
घटाएं: हानि भत्ता	75,472.64	73,890.29
कुल (ग) (I) - शुद्ध	**4,622,692.33**	**3,317,444.77**
(ग) (II) भारत के बाहर ऋण		
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	-	-
कुल (ग) (II)- शुद्ध	**-**	**-**
कुल (ग) (I) एवं ग (II)	**4,622,692.33**	**3,317,444.77**

31.03.2023 को ₹ 3,95,448.82 लाख के कुल असुरक्षित ऋणों में से (31.03.2022 तक रू ₹ 4,47,471.76 लाख), 31.03.2023 को ₹ 3,95,222.01 लाख के ऋण (31.03.2022 तक) रू ₹ 447,154.80 लाख) इरेडा ऋणों की चुकौती के लिए अभारग्रस्त विशिष्ट राजस्व स्ट्रीम निर्धारित करके डिफॉल्ट एस्क्रो खाते पर विशेष शुल्क के माध्यम से अमूर्त सुरक्षा द्वारा सुरक्षित हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधारकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ऋण वापस ले लिए गए हैं या अदालत/एनसीएलटी के समक्ष लंबित हैं, उधारकर्ताओं को 31.03.2023 तक शेष राशि की पुष्टि की मांग की गई है। 4.68% की पुष्टि (पिछले वर्षः 9.75%) उक्त शेष राशि प्राप्त हो गई है। ₹ 44,87,229.29 लाख (पिछले वर्षः ₹ 3,062,319.72 लाख) की शेष ऋण संपत्ति में से, जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 82.63% ऋण (पिछले वर्षः 68.80%) सुरक्षित हैं मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा, 12.69% (पिछले वर्षः 31.20%) सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और शेष असुरक्षित ऋण हैं।

ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, नोट 38(37) देखें।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 7 : निवेश

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
(क) निवेश		
28 के रूप में इंडस्ट्रीज के अनुसार लागत पर मापा गया सहयोगी में निवेश		
एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड में निवेश (24% ईक्विटी वाले)*	-	-
परिशोधन लागत पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (उद्धत) (6.67% भारत सरकार 2035 एफ.वी. : ₹ 10,000.00 लाख)	9,930.26	9,926.84
कुल - सकल (क)	**9,930.26**	**9,926.84**
(ख) उपरोक्त का उप वर्गीकरण :		
(i) भारत से बाहर निवेश	-	-
(ii) भारत में निवेश	9,930.26	9,926.84
कुल (ख)	**9,930.26**	**9,926.84**
घटाएं: हानि के लिए भत्ता (ग)	-	-
कुल - शुद्ध (घ)=(क)-(ग)	**9,930.26**	**9,926.84**

*(संदर्भित नोट संख्या 38(20) एवं 38(25))

नोट 8 : अन्य वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
सुरक्षा जमा	63.19	61.26
कर्मचारियों को अग्रिम	640.46	499.89
संबंधित पक्षों को अग्रिम	18.75	25.00
अन्य प्राप्य :		
एफडीआर - उधारकर्ता	2,016.65	1,978.73
वाणिज्यिक पत्र	6,899.11	6,899.11
घटाएं: वाणिज्यिक पत्रों पर हानि भत्ता	(6,899.11)	(6,899.11)
जीईएफ -एमएनआरई -संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना (नोट 38(31) देखें)	-	301.06
अन्य	441.52	316.15
कुल	**3,180.56**	**3,182.09**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 9 : वर्तमान कर परिसम्पत्तियां (नेट)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
प्रीपेड आयकर (क)	194,656.78	169,195.33
घटाएं : आयकर का प्रावधान (ख)	180,264.36	156,210.81
कुल (क-ख)	14,392.42	12,984.52

नोट 10 : आस्थगित कर आस्तियां / देयता (नेट)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
लाभ और हानि अनुभाग और ओसीआई		
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
गारंटी आयोग पर अप्रत्यक्ष कर और अन्य का प्रावधान	2,091.89	1,865.24
सेवा कर एवं अन्य का प्रावधान	295.67	277.20
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	175.45	167.26
उपदान का प्रावधान	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हित लाभ का प्रावधान	348.41	290.31
बीमार छुट्टी का प्रावधान	104.34	109.63
सामान भत्ते का प्रावधान	5.44	5.29
विदाई उपहार का प्रावधान	2.77	2.71
निष्पादन प्रोत्साहन का प्रावधान	305.39	202.02
क्षति का प्रावधान	39,363.02	38,888.74
फ्रंट एवं शुल्क – पुस्तकों में आस्थगित	4,894.63	2,953.90
उप कुल	**47,587.00**	**44,762.30**
विलंबित कर उत्तरदायित्व		
मूल्यह्रास	4,574.95	4,907.50
विदेशी मुद्रा हानि अनुवाद अंतर	12,850.32	7,589.05
बंड की लेन–देन लागत	61.37	59.87
ऋण	0.18	-
उप कुल	**17,486.82**	**12,556.42**
कुल	**30,100.18**	**32,205.88**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता	**30,100.18**	**32,205.88**

आस्थगित करों की आवाजाही के लिए नोट 38(29) देखें

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 11 : निवेश संपत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि*
सकल ब्लॉक	
01.04.2021 पर शेष राशि	**8.75**
जोड़	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31.03.2022 पर शेष राशि	**8.75**
जोड़	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31.03.2023 पर शेष राशि	**8.75**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2021 पर शेष राशि	**4.50**
मूल्यह्रास व्यय	0.70
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31.03.2022 पर शेष राशि	**5.20**
मूल्यह्रास व्यय	0.59
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31.03.2023 पर शेष राशि	**5.78**
ले जाने वाली राशि	
31.03.2022 तक	3.55
31.03.2023 तक	2.97

*निवेश संपत्ति (भवन–आवासीय) से संबंधित। नोट 38(19) देखें।

(लाख रुपए में)

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	राशि*
31.03.2022 तक	230.00
As at 31.03.2023	258.16

नोट 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय की जगह	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
<u>सकल ब्लॉक</u>									
01.04.2021 तक शेष	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**572.34**	**55.89**	**92.93**	**65.91**	**0.02**	**32,547.81**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	239.31	-	68.01	194.33	0.11	**501.77**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
घटा : वर्ष के दौरान निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-	-	-	118.93	-	3.49	1.42	-	**123.84**
31.03.2022 तक शेष	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**692.73**	**55.89**	**157.45**	**258.81**	**0.13**	**32,925.74**
01.04.2022 तक शेष	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**692.73**	**55.89**	**157.45**	**258.81**	**0.13**	**32,925.74**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	58.91	73.98	78.67	251.06	0.05	**462.66**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
घटा : वर्ष के दौरान निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-	-	-	16.75	41.76	14.88	22.73	-	**96.12**
31.03.2023 तक शेष	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**734.88**	**88.12**	**221.24**	**487.14**	**0.18**	**33,292.28**
<u>संचित मूल्यह्रास</u>									
01.04.2021 तक शेष	**42.77**	**526.30**	**6,854.34**	**376.94**	**41.22**	**52.64**	**15.94**	**0.02**	**7,910.18**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
मूल्यह्रास व्यय	8.28	132.77	1,729.11	193.47	4.33	12.19	40.70	0.11	**2,120.96**
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय की जगह	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
घटा : निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-	-	-	112.79	-	3.03	0.22	-	**116.04**
31.03.2022 तक शेष	**51.05**	**659.07**	**8,583.45**	**457.62**	**45.55**	**61.80**	**56.42**	**0.13**	**9,915.10**
01.04.2022 तक शेष	**51.05**	**659.07**	**8,583.45**	**457.62**	**45.55**	**61.80**	**56.42**	**0.13**	**9,915.10**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	1.74	-0.04	**1.70**
मूल्यह्रास व्यय	7.49	132.77	1,729.11	151.92	2.92	26.53	115.30	0.09	**2,166.13**
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
घटा : निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-	-	-	14.10	38.90	9.87	12.07	-	**74.95**
31.03.2023 तक शेष	**58.55**	**791.84**	**10,312.56**	**595.44**	**9.56**	**78.46**	**161.39**	**0.18**	**12,007.98**
<u>ले जाने वाली राशि</u>									
31.03.2022 तक	**78.88**	**1,580.42**	**20,807.84**	**235.11**	**10.35**	**95.65**	**202.39**	**-**	**23,010.64**
31.03.2023 तक	**71.39**	**1,447.65**	**19,078.73**	**139.44**	**78.56**	**142.78**	**325.75**	**0.00**	**21,284.30**

अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं की जानकारी के लिए नोट *38(45)* देखें।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 13 : पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
पूंजी का कार्य प्रगति पर – भवन	
01.04.2021 तक शेष	**0.86**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	12,832.42
उधार लेने की लागत पूंजीकृत	-
घटाएं : संपत्ति संयंत्र और उपकरण/निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	-
31.03.2022 तक शेष	**12,833.28**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	1,093.06
उधार लेने की लागत पूंजीकृत	-
घटाएं : संपत्ति संयंत्र और उपकरण/निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	-
31.03.2023 तक शेष	**13,926.35**

I) पूंजी–कार्य–प्रगति की कालप्रभावन की अनुसूची (उस परियोजना सहित जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(क) पूंजी–कार्य–प्रगति में (निर्धारित पूर्णता के भीतर)

(लाख रुपए में)

31.03.2023 तक	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	1,093.06	12,832.42	-	0.86	13,926.35
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(₹ in Lakhs)

31.03.2022 तक	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	12,832.42	-	-	0.86	12,833.28
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(ख) पूंजी–कार्य–प्रगति में (पूर्णता अतिदेय/मूल योजना की तुलना में लागत से अधिक)

(₹ in Lakhs)

31.03.2023 तक	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	12,832.42	-	-	-
परियोजना 2	-			

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

31.03.2022 तक	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-			

i) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के कारण एनबीसीसी परिसर के कब्जे में देरी हुई, इस प्रकार विलंबित के रूप में नहीं माना गया। मूल योजना।

ii) इरेडा ने 06.07.21 को एनबीसीसी बिल्डिंग, किदवई नगर में कार्यालय स्थान और 15.07.21 को एनबीसीसी बिल्डिंग, किदवई नगर में 2 आवासीय फ्लैटों का कब्जा ले लिया है। पुरस्कार के लिए 27.7.2022 को एनबीसीसी–एनएसएल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इरेडा कार्यालय अंतरिक्ष के लिए आंतरिक कार्य।

iii) संपत्ति कर के भुगतान का मामला भी एनडीएमसी के साथ चर्चा के अधीन है और एनडीएमसी द्वारा इरेडा के साथ–साथ अन्य संस्थानों के लिए मांग को अंतिम रूप दिए जाने पर, इसका भुगतान किया जाएगा।

नोट 14 : संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि		
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	**भवन**	**भूमि**	**कुल**
सकल ब्लॉक			
01.04.2021 तक शेष	**2,391.72**	**433.34**	**2,825.06**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2022 तक शेष	**2,391.72**	**433.34**	**2,825.06**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2023 तक शेष	**2,391.72**	**433.34**	**2,825.06**
संचित मूल्यह्रास			
01.04.2021 तक शेष	**854.13**	**9.08**	**863.22**
मूल्यह्रास व्यय	178.10	18.45	196.54
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2022 तक शेष	**1,032.23**	**27.53**	**1,059.76**
मूल्यह्रास व्यय	161.03	18.45	179.48
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2023 तक शेष	**1,193.26**	**45.98**	**1,239.24**
आगे ले जाने वाली राशि			
31.03.2022 तक	**1,359.49**	**405.81**	**1,765.30**
31.03.2023 तक	**1,198.46**	**387.36**	**1,585.82**

संपत्ति के उपयोग के अधिकार के विवरण के लिए नोट 38(12) देखें

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 15 : विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि*
01.04.2021 तक शेष	**-**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	311.16
घटाएं : अमूर्त राशियों में अंतरण	-
31.03.2022 तक शेष	**311.16**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	174.41
घटाएं : अमूर्त राशियों में अंतरण	-
31.03.2023 तक शेष	**485.57**

I) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की कालप्रभावन अनुसूची (उस परियोजना सहित जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(क) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (निर्धारित पूर्णता के भीतर)

(लाख रुपए में)

31.03.2023 तक	अमूर्त संपत्ति अविकसितता की अवधि के लिए में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	174.41	311.16	-	-	485.57
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(लाख रुपए में)

31.03.2022 तक	अमूर्त संपत्ति अविकसितता की अवधि के लिए में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	311.16	-	-	-	311.16
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(ख) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (इसकी मूल योजना की तुलना मे अतिदेय / अधिक लागत का पूरा करना)

(लाख रुपए में)

31.03.2023 तक	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ईआरपी–डी 365 का कार्यान्वयन	735.00	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

31.03.2022 तक	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ईआरपी–डी 365 का कार्यान्वयन	682.80	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

परियोजना (ईआरपी - डी 365 के कार्यान्वयन) को 31.07.2021, को लाइव होना था, लेकिन कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारण जैसे कि (कोविड-19, परामर्श फर्म आदि में उच्च एट्रिशन) से परियोजना में देरी हुई. वित्त वर्ष 2022-23 में इसके गो लाइव होने की उम्मीद है।

नोट 16 : अमूर्त संपत्ति

(₹ in Lakhs)

विवरण	राशि
सकल ब्लॉक	
01.04.2021 तक शेष	**43.99**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31.03.2022 तक शेष	**43.99**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	0.59
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31.03.2023 तक शेष	**44.58**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2021 तक शेष	**33.40**
परिशोधन व्यय	6.11
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिशोधन और समायोजन	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31.03.2022 तक शेष	**39.49**
परिशोधन व्यय	3.64
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिशोधन और समायोजन	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31.03.2023 तक शेष	**43.14**
ले जाने वाली राशि	
31.03.2022 तक	**4.50**
31.03.2023 तक	**1.44**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 17 : अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	-	-
भारत सरकार पूरी तरह से सेवित बांड धन प्राप्य (देखें नोट 38(32))	163,879.20	163,879.20
अन्य प्राप्य	1,171.05	216.92
अन्य अग्रिम	8,692.13	116.69
कुल	**173,742.39**	**164,212.81**

नोट 18 : देय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
देय व्यापार		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	25.25	62.26
(ii) माइक्रो के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	465.90	454.69
कुल	**491.15**	**516.95**

देय व्यापार काल प्रभावन अनुसूची
31.03.2023 तक

(लाख रुपए में)

विवरण	देय नहीं	बकाया बिल नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) माइक्रो, लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस (एमएसएमई)	18.02	6.02	-	-	-	-	**24.03**
(ii) अन्य	88.26	147.91	196.93	-	-	-	**433.10**
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	1.22	-	**1.22**
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	32.80	**32.80**

*जहां भुगतान की कोई देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है उस मामले में लेन–देन की तारीख से प्रकटीकरण किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2022 तक

(लाख रुपए में)

विवरण	देय नहीं	बकाया बिल नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) माइक्रो, लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस (एमएसएमई)	57.05	2.11	-	-	-	-	59.16
(ii) अन्य	229.24	-	188.37	-	5.95	-	423.56
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	1.22	1.88	-	3.10
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	31.13	31.13

*जहां भुगतान की कोई देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है उस मामले में लेन–देन की तारीख से प्रकटीकरण किया गया है।

नोट 19 : ऋण प्रतिभूतियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
बॉण्ड:-		
(I) करमुक्त बॉण्ड - गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)		
(ऋण और अग्रिमों पर पारि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋण) कंपनी के.)		
(i) 8.16% कर मुक्त बॉण्ड	7,575.90	7,575.90
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IA- 2013-14)(13.03.2024 को चुकाने योग्य)		
(ii) 8.41% कर मुक्त बॉण्ड	10,529.14	10,529.14
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IB- 2013-14) (13.03.2024 को चुकाने योग्य)		
(iii) 7.17% कर मुक्त बॉण्ड	28,400.00	28,400.00
(श्रृंखला XIV निजी आईसी- 2015-16) (01.10.2025 को चुकाने योग्य)		
(iv) 7.28 % कर मुक्त बॉण्ड	10,889.06	10,889.06
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IA- 2015-16) (21.01.2026 को चुकाने योग्य)		
(v) 7.53 % कर मुक्त बॉण्ड	12,788.59	12,788.59
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IB- 2015-16) (21.01.2026 को चुकाने योग्य)		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(vi) 8.55% कर मुक्त बॉण्ड	12,307.69	12,307.69
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IIA- 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
(vii) 8.80% कर मुक्त बॉण्ड	23,455.08	23,455.08
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IIB- 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
(viii) 8.56% कर मुक्त बॉण्ड	3,600.00	3,600.00
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IC- 2013-14) (27.03.2029 को चुकाने योग्य)		
(ix) 7.49 % कर मुक्त बॉण्ड	88,426.52	88,426.52
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IIA- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
(x) 7.74 % कर मुक्त बॉण्ड	48,351.53	48,351.53
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IIB- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
(xi) 8.55% कर मुक्त बॉण्ड	3,881.23	3,881.23
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IIIA- 2013-14) (21.01.2034 को चुकाने योग्य)		
(xii) 8.80% कर मुक्त बॉण्ड	14,416.42	14,416.42
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IIIB- 2013-14) (21.01.2034 को चुकाने योग्य)		
(xiii) 7.43 % कर मुक्त बॉण्ड	3,644.42	3,644.42
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IIIA- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
(xiv) 7.68 % कर मुक्त बॉण्ड	7,499.88	7,499.88
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IIIB- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
उप–कुल (क)	**275,765.46**	**275,765.46**
(II) कर योग्य बॉण्ड - गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)*		
(कंपनी के ऋण और अग्रिमों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋण))		
(i) 9.49% कर योग्य बॉण्ड	-	30,000.00
(श्रृंखला IV- 2012-13) (04.06.2022 को चुकाने योग्य)		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(ii) 8.44% कर योग्य बॉण्ड	30,000.00	30,000.00
(श्रृंखला VA- 2013-14) (10.05.2023 को चुकाने योग्य)		
(iii) 9.02% कर योग्य बॉण्ड	25,000.00	25,000.00
(श्रृंखला III- 2010-11 - किस्त II)(24.09.2025 को चुकाने योग्य)		
(iv) 8.12% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड	20,000.00	20,000.00
(श्रृंखला VI A - 2016-17) (24.03.2027 को चुकाने योग्य)		
(v) 8.05% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड	50,000.00	50,000.00
(श्रृंखला VI B - 2016-17) (29.03.2027 को चुकाने योग्य)		
(vi) 8.49% कर योग्य बॉण्ड	20,000.00	20,000.00
(श्रृंखला VB- 2013-14) (10.05.2028 को चुकाने योग्य)		
(vii) 8.51% कर योग्य बॉण्ड	27,500.00	27,500.00
(श्रृंखला VIIA- 2018-19) (03.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	16.79	18.99
	27,483.21	27,481.01
(viii) 8.47% कर योग्य बॉण्ड	59,000.00	59,000.00
(श्रृंखला VIIB- 2018-19) (17.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	16.87	19.06
	58,983.13	58,980.94
(ix) 8% कर योग्य बॉण्ड	100,000.00	100,000.00
(श्रृंखला IX A- 2019-20) (24.09.2029 को चुकाने योग्य)		
घटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	18.27	20.36
	99,981.73	99,979.64
(x) 7.40% कर योग्य बॉण्ड	80,300.00	80,300.00
(श्रृंखला IX B- 2019-20) (03.03.2030 को चुकाने योग्य)		
घटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	35.46	39.28
	80,264.54	80,260.72

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
उप–कुल (ख)	**411,712.61**	**441,702.30**
(III) कर योग्य बॉण्ड - गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (असुरक्षित)*		
(i) 5.98% कर योग्य बॉण्ड	10,600.00	10,600.00
(श्रृंखला XI A- 2021-22) (16.04.2025 को चुकाने योग्य)		
घटा : से अधिक पर लेन–देन लागत	0.59	0.86
	10,599.41	10,599.14
(ii) 7.46% कर योग्य बॉण्ड	64,840.00	-
(श्रृंखला XII A- 2022-23) (12.08.2025 को चुकाने योग्य)		
घटा : से अधिक पर लेन–देन लागत	9.52	-
	64,830.48	-
(iii) 7.85% कर योग्य बॉण्ड	120,000.00	-
(श्रृंखला XII B- 2022-23) (12.10.2032 को चुकाने योग्य)		
घटा : से अधिक पर लेन–देन लागत	17.67	-
	119,982.33	-
(iv) 7.79% कर योग्य बॉण्ड	51,500.00	-
(श्रृंखला XII C- 2022-23) (07.12.2032 को चुकाने योग्य)		
घटा : से अधिक पर लेन–देन लागत	8.00	-
	51,492.00	-
(v) 7.94% कर योग्य बॉण्ड	150,000.00	-
(श्रृंखला XII D- 2022-23) (27.01.2033 को चुकाने योग्य)		
घटा : से अधिक पर लेन–देन लागत	53.95	-
	149,946.05	-
उप–कुल (ग)	**396,850.27**	**10,599.14**
IV) मसाला बांड (असुरक्षित)		
(i) 7.125% ग्रीन मसाला बॉन्ड	-	195,000.00

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
घटा : से अधिक पर लेन–देन लागत	-	153.03
	-	194,846.97
उप–योग (घ)	**-**	**194,846.97**
कुल बांड (क+ख+ग+घ)	**1,084,328.34**	**922,913.87**
भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,084,328.34	728,066.90
भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	194,846.97
कुल	**1,084,328.34**	**922,913.87**

नोट :

1 *इरेडा द्वारा जारी किए गए कर योग्य बांडों में बांडों को फिर से जारी करने के लिए संबंधित बांडों के सूचना ज्ञापन में खंड है।

2 *इरेडा द्वारा जारी किए गए कर योग्य बांडों में बांडों को फिर से जारी करने के लिए संबंधित बांडों के सूचना ज्ञापन में खंड है। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कर योग्य बांड की श्रृंखला XII A, XII B, XII C और XII D को ₹3,86,340.00 लाख (31.03.2022 को समाप्त वर्ष ₹10,600.00 लाख) के लिए जारी किया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 20 : उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(क.) सावधि ऋण-		
(I) बैंकों से		
क. सावधि ऋण – सुरक्षित		
(i) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेराफबाऊ (केएफडब्ल्यू) से – ऋण–V	47,163.17	53,470.35
(ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.12.2018 से 30.12.2027 तक छमाही आधार पर चुकौती 5,263,000 यूरो की 16 किस्तों में और 5,264,000 यूरो की 3 किस्तों में)		
(ii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से – ऋण-III	22,916.67	-
(100% कवर के साथ 90 दिनों तक कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) और प्राप्य पर समान शुल्क द्वारा सुरक्षित।)		
(30.03.2023 से प्रत्येक ₹2,083.33 लाख की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाने योग्य)।		
(iii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से – ऋण-IV	25,000.00	-
(100% कवर के साथ 90 दिनों तक कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) और प्राप्य पर समान शुल्क द्वारा सुरक्षित।)		
(23.04.2023 से प्रत्येक ₹ 2,083.33 लाख की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाने योग्य)।		
(iv) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से – ऋण-IV	250,000.00	-
(100% कवर के साथ 90 दिनों तक कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) और प्राप्य पर समान शुल्क द्वारा सुरक्षित।)		
(22.07.2023 से प्रत्येक ₹2,083.33 लाख की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौती योग्य)।		
(v) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से – ऋण II	100,000.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(27.06.2023 से प्रत्येक ₹8,333.33 लाख की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाने योग्य)		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(vi) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से – ऋण IV- बीओआई	100,000.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2023 से प्रत्येक ₹5,263.15 लाख की 19 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाने योग्य)		
(vii) एनएबीएफआईडी – ऋण I– एनएबीएफआईडी से	110,000.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2024 से प्रत्येक ₹8,333.33 लाख की 36 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाने योग्य)		
(viii) पीएनबी बैंक से – ऋण IV– पीएनबी	16,500.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2023 से प्रत्येक ₹13,600.00 लाख की 10 समान त्रैमासिक किस्तों में और ₹14,000.00 लाख की अंतिम किस्तों में चुकाना होगा।)		
(ix) आईओबी बैंक से – ऋण I– आईओबी	37,500.00	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर कई बैंकिंग व्यवस्था के तहत अन्य उधारदाताओं के साथ समानता के आधार पर पहले शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(तीन वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है, प्रत्येक ₹33,333.33 लाख की दो और ₹33,333.34 लाख की एक। पहली किस्त 31.03.2024 को देय है।)		
(x) आईडीबीआई बैंक से – मीयादी ऋण सुविधा I	30,000.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशि पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(31.12.2023 से प्रत्येक ₹ 2,777.77 लाख की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौती योग्य और अंतिम किस्त 31.3.2028 होगी)		
(xi) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से – ऋण–I*	25,000.00	45,000.00
(ऋण राशि के 100% के अधीन कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (पुस्तक ऋण) के दृष्टिबंधन के माध्यम से पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(22.09.2019 से प्रत्येक ₹ 5,000.00 लाख की 20 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौती योग्य।)		
घटाएं: उपरोक्त पर लेनदेन लागत	0.73	2.12
	24,999.27	**44,997.88**
(xii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई–II) से – ऋण–II*	-	-
(ऋण राशि के 100: के अधीन कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (पुस्तक ऋण) के दृष्टिबंधक के माध्यम से पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(27.08.2021 से प्रत्येक ₹5,000.00 लाख की 20 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाना होगा।)		
(xiii) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से – ऋण-II	131,547.04	131,398.97
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(15.04.2020 से 15.10.2034 तक अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती 6,666,666.67 अमेरिकी डॉलर की 29 समान किस्तों में और 6,666,666.57 अमेरिकी डॉलर की 30वीं किस्त)		
(xiv) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से – ऋण-I	68,380.55	84,299.55
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(22.02.2023 से प्रत्येक ₹3,419 लाख की 21 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाने योग्य)		
(xv) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) – II ट्रेंच–ए से	42,105.26	50,000.00
(100% के सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2022 से प्रत्येक ₹2,631.57 लाख की 19 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाने योग्य)		
(xvi) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से – ऋण-II	56,250.00	60,001.00
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य के प्राप्य पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित।)		
(16 संरचित त्रैमासिक समान किश्तों में चुकाने योग्य। 21.03.2023 को ₹3,751.00 लाख की पहली किस्त और 21.06.2023 से प्रत्येक		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
₹3,750.00 लाख की शेष किस्तें देय हैं।)		
(xvii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से – ऋण–III ट्रेंच–ए	189,460.00	240,000.00
(ऋण राशि के 100% के अधीन कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (पुस्तक ऋण) के दृष्टिबंधन के माध्यम से पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(29.12.2022 से 29.09.2026 तक प्रत्येक ₹12,635.00 लाख की 16 समान त्रैमासिक किश्तों में और दूसरी अंतिम किस्त 29.12.2026 को और अंतिम किस्त 29.03.2027 को ₹6,285.00 लाख प्रत्येक की देय)।		
(xviii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से – ऋण–III ट्रेंच–बी	53,330.00	-
(ऋण राशि के 100% के अधीन कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (पुस्तक ऋण) के दृष्टिबंधन के माध्यम से पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(29.12.2022 से 29.12.2026 तक प्रत्येक ₹3,335.00 लाख की 16 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाने योग्य और 29.03.2027 को ₹3,305.00 लाख की अंतिम किस्त)		
(xix) क्रेडिटानस्टाल्ट फ्यूर विडेराफबाऊ (केएफडब्ल्यू) से–ऋण-VI	14,082.73	12,549.62
(ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.12.2021 से 30.06.2028 तक छमाही आधार पर चुकौती यूरो 1,428,000 प्रत्येक की 6 किश्तों में और यूरो 1,429,000 प्रत्येक की 8 किस्तों में।)		
(xx) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से	110,000.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम समान शुल्क द्वारा सुरक्षित।)		
(30.06.2023 से प्रत्येक ₹6,111.11 लाख की 18 संरचित त्रैमासिक समान किस्तों में चुकाने योग्य)		
(xxi) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से	150,000.00	-
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य के प्राप्य पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)।		
(27.09.2023 से प्रत्येक ₹ 9,375 लाख की 16 संरचित त्रैमासिक समान किस्तों में चुकाने योग्य)।		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(xxii) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से–II ट्रेंच–बी	21,099.42	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर पहले समान शुल्क द्वारा सुरक्षित)।		
(19 त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है। 30.09.2022 को ₹5,263.15 लाख की पहली किस्त और 31.12.2022 से शुरू होकर ₹1,318.71 लाख की 18 समान त्रैमासिक किस्तें)।		
(xxiii) सेंट्रल बैंक –I से	91,666.67	-
मूल राशि के 100: की सीमा तक दृष्टिबंधक के माध्यम से कंपनी के बही ऋण/प्राप्तियों पर प्रथम समान प्रभार		
(29.03.2023 से प्रत्येक ₹8,333.33 लाख की 12 संरचित त्रैमासिक समान किस्तों में चुकाने योग्य)।		
(xxiv) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से अल्पावधि ऋण	50,000.00	-
(100% सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर पहले समान प्रभार द्वारा सुरक्षित, 27.06.2023 को बुलेट चुकौती)।		
उप कुल (क)	**1,742,000.77**	**676,717.37**
ख. सावधि ऋण – असुरक्षित		
(i) क्रेडिटानस्टाल्ट फ्यूर विडेराफबाऊ (केएफडब्ल्यू) से – ऋण–I	17,882.30	17,887.91
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.12.2009 से 30.12.2039 तक अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती यूरो 586,451.79 प्रत्येक की 28 किश्तों में, यूरो 586,963.08 प्रत्येक की 32 किस्तों में और यूरो 586,963 की 1 किस्त में।)		
(ii) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेराफबाऊ (केएफडब्ल्यू) से – ऋण-III	16,110.55	15,783.15
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.06.2020 से 30.12.2049 तक छमाही आधार पर चुकौती 332,000 यूरो की 9 किस्तों में और 333,000 यूरो की 51 किस्तों में की जाएगी।)		
(iii) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेराफबाऊ (केएफडब्ल्यू) से – ऋण-IV	-	18,814.82
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.06.2014 से 30.12.2022 तक अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती 11,111,000		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
30.12.2022 में 11,111,000 प्रत्येक की यूरो की 16 किस्तों में और 11,112,000 यूरो की 2 किस्तों में की जाएगी।)		
(iv) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेराफबाऊ (केएफडब्ल्यू) से – ऋण-VII	14,330.94	13,213.67
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(ऋण की स्वीकृत राशि के आधार पर 15.05.2023 से 15.05.2035 तक प्रत्येक 8,912,000 अमेरिकी डॉलर की 5 किस्तों में और 8,913,000 अमेरिकी डॉलर की 20 किस्तों में चुकौती)		
(v) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई बी आर डी) से –ऋण–III	11,901.26	11,817.16
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(बकाया ऋण के आधार पर 15.04.2022 से 15.10.2035 तक 556,508.17 अमेरिकी डॉलर की 27 किस्तों में और 562,743.60 अमेरिकी डॉलर की 28वीं किस्त में चुकौती)		
(vi) इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (सीटीएफ) से – ऋण-III	4,213.47	3,884.97
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(बकाया ऋण के आधार पर 15.04.2027 से 15.10.2056 तक 51,248.27 अमेरिकी डॉलर की 20 किस्तों और 102,496.55 अमेरिकी डॉलर की 40 किस्तों में चुकौती)		
(vii) कर्नाटक बैंक – I से	50,000.00	-
(45,45,00,000 रुपये की 10 किस्तों में और 45,50,00,000 रुपये की 11वीं (अंतिम) तिमाही किस्तों में चुकाने योग्य। पहली किस्त 29.05.2023 को देय)		
(viii) आईडीबीआई बैंक से अल्पावधि ऋण (ब्याज/7.25% प्रति वर्ष, 23.04.2023 को बुलेट पुनर्भुगतान)	50,000.00	-
उप कुल (ख)	**164,438.53**	**81,401.68**
बैंकों से कुल ऋण (ग=क+ख)	**1,906,439.31**	**758,119.06**
(II) दूसरों से		
घ. सावधि ऋण–प्रतिभूत		
उप कुल (घ)	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
ङ सावधि ऋण–अप्रतिभूत		
(i) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से (33 – 40 संरचित त्रैमासिक किश्तों में चुकौती योग्य।)	4,765.80	5,821.67
(ii) एजेंस फ्रैंकेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) से – ऋण–I	33,453.50	35,557.16
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(31.07.2016 से 31.01.2031 तक 2,333,333.33 यूरो प्रत्येक की 30 किस्तों में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(iii) एजेंस फ्रैंकेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) से – ऋण–II	58,244.94	63,494.93
(30.11.2019 से 30.05.2029 तक अर्धवार्षिक आधार पर यूरो 5,000,000 प्रत्येक की 20 किस्तों में चुकौती।)		
(iv) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से – ऋण–I	167,312.12	177,583.09
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.6.2021 से 20.06.2041 तक 731,720,000 जापानी येन की पहली किस्त और 731,707,000 प्रत्येक जापानी येन की 40 किस्तों में चुकौती।)		
(v) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से – ऋण–II	185,214.60	186,503.31
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.03.2024 से 20.03.2044 तक JPY 731,000,000 की पहली किस्त और 730,975,000 JPY की 40 किस्तों में पुनर्भुगतान।)		
(vi) यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से – ऋण–I	146,365.24	145,062.44
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(ट्रांच I – 26.09.2019 से 26.03.2035 तक छमाही आधार पर 662,000 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में चुकौती)।		
(ट्रांच II – 15.07.2020 से 15.07.2036 तक 1,999636.36 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में और 1,999,636.48 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त में छमाही आधार पर चुकौती)।		
(ट्रांच III–16.02.2021 से 15.08.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर 4,005,375 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में चुकौती)।		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(vii) यूरोपीय निवेश बैंक (ई आई बी) से – ऋण–II	139,778.06	130,596.68
(ट्रांच I – 27.02.2023 से 27.08.2035 तक छमाही आधार पर चुकौती यूएस + 2,263,653.85 प्रत्येक की 25 किस्तों में और यूएस + 2,263,653.75 की 1 किस्त)।		
(ट्रांच II – 09.03.2024 से 09.09.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती 4,200,740.74 अमेरिकी डॉलर की 26 किस्तों में और 4,200,740.76 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त)।		
(viii) भारत सरकार से ऋण	25,692.78	25,584.90
(अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) के लिए – दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना (आईएनआर ऋण)		
(15.10.2010 से 15.04.2035 तक छमाही आधार पर चुकौती यूएस$ 625,000.00 प्रत्येक की 20 किश्तों में और प्रत्येक आईएनआर में देय यूएस$ 1,250,000.00 की 30 किश्तों में।)		
(ix) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से – ऋण–I	200,000.00	200,000.00
(ब्याज/5.60% प्रति वर्ष, 26.03.2024 को बुलेट पुनर्भुगतान।)		
(x) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से – ऋण–II	-	25,000.00
(ब्याज/5.86% प्रति वर्ष, 24.08.2024 को बुलेट चुकौती)#		
उप–योग (ङ)	**960,827.05**	**995,204.18**
दूसरों से कुल ऋण (च=घ+ङ)	**960,827.05**	**995,204.18**
कुल सावधि ऋण (क = ग+च)	**2,867,266.36**	**1,753,323.24**
(ख) मांग पर चुकौती योग्य ऋणः–		
प्रतिभूत		
बैंकों से		
बैंक ऑफ बड़ौदा	-	20,144.23
(बकाया ऋण के 125% की सीमा तक, मानक परिसंपत्तियों से संबंधित बही ऋण और प्राप्य राशियों पर प्रथम परी पासु शुल्क द्वारा प्रतिभूत)		
उप कुल (ख)	**-**	**20,144.23**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(ग) एफसीएनआर (ख) मांग ऋण :–*		
उप कुल (ग)	**-**	**-**
कुल योग (क+ख+ग)	**2,867,266.36**	**1,773,467.47**
भारत में उधार	1,853,973.64	730,264.33
भारत के बाहर उधार	1,013,292.72	1,043,203.12
कुल	**2,867,266.36**	**1,773,467.45**

i) विभिन्न बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार जैसे कि एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी से विदेशी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित कर दिया गया है और उसी की हेजिंग सादे वैनिला स्वैप लेनदेन / मुद्रा ब्याज दर स्वैप / प्रिंसिपल ओनली स्वैप आदि के द्वारा विभिन्न बैंकों के साथ की जाती है, जिनके साथ इरेडा ने अंतर्राष्ट्रीय स्वैप और डेरिवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) मास्टर समझौता / हस्ताक्षर किए हैं। ये डेरिवेटिव लेनदेन सहभागी बैंक के साथ एक परिपक्वता अवधि के लिए किए गए हैं जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम हो सकती है। विदेशी मुद्रा ऋण की हेजिंग विभिन्न अंतरालों पर और ऋण की रेखाओं के तहत आहरण के आधार पर कई किश्तों में की गई है। ब्याज लागत और अन्य वित्तीय शुल्कों के अलावा, विदेशी मुद्रा ऋणों की हेजिंग के कारण, इन ऋणों में हेजिंग / डेरिवेटिव लागत होती है, जो क्रेडिट लाइन के तहत आहरण के अनुसार किश्त के अनुसार होती है, इस प्रकार इन पंक्तियों पर ब्याज की लागू दर क्रेडिट का ऊपर खुलासा नहीं किया गया है।

ii) *01.03.2021 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सावधि ऋण सुविधा I और II को 28.02.2022 तक एफ सी एन आर(बी) मांग ऋण में परिवर्तित कर दिया गया। एफसीएनआर ऋणों की निश्चित ब्याज दर 6.20% प्रति वर्ष थी। और अन्य नियम और शर्तें पूर्ववर्ती सावधि ऋण सुविधा के समान थीं। 28.02.2022 के बाद, एफसीएनआर ऋणों को रुपया सावधि ऋण सुविधा में परिवर्तित कर दिया गया।

iii) कंपनी बांड सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से धन जुटाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने मूल या ब्याज के लिए अपने किसी भी ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने में चूक नहीं की है।

iv) वर्ष के दौरान जुटाई गई धनराशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज / सूचना ज्ञापन / सुविधा समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

v) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

vi) कंपनी द्वारा बैंकों / वित्तीय संस्थानों के साथ फाइल किए गए बही ऋणों के विवरण बही खातों के अनुरूप हैं।

vii) #इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से ऋण – ऋण– II 24.08.2022 को प्री–क्लोज किया गया था।

viii) बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकार से सावधि ऋण। जैसा कि नोट संख्या 20 में उल्लेख किया गया है, मासिक / तिमाही / अर्द्ध वार्षिक अंतराल पर देय 5.60% से 8.30% तक की ब्याज दरों पर बढ़ाया गया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 21 : अधीनस्थ देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर परिशोधन लागत पर	31.03.2022 पर परिशोधन लागत पर
क) अप्रतिभूत		
स्थायी ऋण लिखतों / वरीयता शेयरों के अलावा अन्य		
(i) 9.23% इरेडा कर योग्य अप्रतिभूत	15,000.00	15,000.00
(अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड–श्रृंखला VIII- 22.2.2029 को चुकाने योग्य)		
कम : उपरोक्त पर लेन–देन लागत	22.38	25.15
	14,977.62	**14,974.85**
(ii) 7.74% इरेडा कर योग्य अप्रतिभूत	50,000.00	50,000.00
(अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड - एसआर-एक्स- 08.05.2030 को चुकाने योग्य)		
कम : उपरोक्त पर लेन देन लागत	44.32	48.88
	49,955.68	**49,951.12**
कुल (क)	**64,933.29**	**64,925.97**
ख) स्थान वार वर्गीकरण		
भारत में अधीनस्थ देयताएं	64,933.29	64,925.97
भारत के बाहर अधीनस्थ देयताएं	-	-
कुल (ख)	**64,933.29**	**64,925.97**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 22 : अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	36,754.88	34,602.08
(ख) ब्याज और अन्य शुल्क अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	44,831.04	38,785.50
(ग) अन्य देय :		
एमएनआरई कार्यक्रम निधि	944.85	944.85
एमएनआरई / यूएनडीपी -इरेडा योजना निधि (नोट 38(31) देखें)	2,061.40	3,344.23
जीईएफ -एमएनआरई -संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना (नोट 38(31)देखें)	256.94	255.14
अदावाकृत बांड ब्याज *	80.52	67.11
एनसीईएफ को देय	22.36	89.11
लीज देयता	433.40	459.45
अन्य	48,115.34	5,012.44
कुल	**133,500.73**	**83,559.91**

*इसमें से कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए पात्र नहीं है।

नोट 23 : प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट संख्या 38(8) देखें)		
-छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	697.11	664.59
-उपदान के लिए प्रावधान	-	-
-सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के लिए प्रावधान	1,384.34	1,153.49
-बीमार छुट्टी का प्रावधान	414.57	435.61
-सामान भत्ते का प्रावधान	21.60	21.04
-स्मृति चिन्ह (विदाई उपहार) का प्रावधान	10.99	10.77
अन्य		
-अप्रत्यक्ष कर और अन्य के लिए प्रावधान (गारंटी कमीशन पर)	8,311.71	7,411.15
-वित्तीय साधनों (ऋण) (पर आकस्मिक प्रावधान)*	100,975.48	95,899.91
कुल	**111,815.80**	**105,596.56**

*नॉन फंड एक्सपोजर सहित और स्टेज 3 प्रावधान को छोड़कर।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 24 : अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
अग्रिम में प्राप्त राजस्व		
अग्रिम में प्राप्त फ्रंट एंड शुल्क	2,838.21	1,595.21
अन्य अग्रिम		
अन्य	60.78	25.40
अन्य		
देय भविष्य निधि	58.43	0.06
सांविधिक बकाया	1,288.66	1,613.80
एमएनआरई भारत सरकार का पूरी तरह से वित्त बांड (ब्याज सहित) (नोट 38(32) देखें	165,160.42	165,117.48
विविध देयताएं -अंतर पूंजीकरण (वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण)	2,942.77	5,452.00
विश्व बैंक से पूंजी अनुदान (नोट 38(44) देखें)	425.40	311.16
ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए डिफाल्ट जोखिम न्यूनीकरण निधि (केएफडब्ल्यू VI)[#]	924.17	675.68
कुल	**173,698.86**	**174,790.81**

[#]केएफडब्ल्यू द्वारा केएफडब्ल्यू VI लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कंपनी के ऊर्जा पोर्ट फोलियो तक समग्र पहुंच के 70 प्रतिशत डिफॉल्ट जोखिमों को कवर करने के लिए प्रदान किया गया एक पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके डीएसआरए समाप्त होने के बाद उक्त राशि का उपयोग एनपीए घोषित होने पर, उधारकर्ता की सेवादायित्व, बकाया ऋण के 70 प्रतिशत तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

नोट 25 : इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
6,000,000,000 (पिछले वर्ष 6,000,000,000) रु. 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	600,000.00	600,000.00
कुल	**600,000.00**	**600,000.00**
(ख) जारी, सदस्यता और पूरी तरह से भुगतान किया गया		
रु. 10 के 2,284,600,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्ण भुगतान (पिछले वर्ष : 2,284,600,000 रु. 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर).	228,460.00	228,460.00
पूरी तरह से भुगतान किया गया		
कुल	**228,460.00**	**228,460.00**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

बकाया शेयरों की संख्या का समाधान : -

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर		31.03.2022 पर	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरूआत में इक्विटी शेयर (रु. 10 प्रत्येक का)	2,284,600,000	228,460.00	784,600,000.00	78,460.00
जोड़ें:- वर्ष के दौरान जारी और आवंटित शेयर	-	-	1,500,000,000.00	150,000.00
वर्ष के दौरान वापस लाया गया	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (रु. 10 प्रत्येक का)	2,284,600,000	228,460.00	2,284,600,000	228,460.00

5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	31.03.2023 पर		31.03.2022 पर	
	शेयरों की संख्या	% धारित	शेयरों की संख्या	% धारित
भारत सरकार	2,284,600,000	100	2,284,600,000	100

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

विवरण	31.03.2023 पर			31.03.2022 पर		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% परिवर्तन इस अवधि के दौरान	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% परिवर्तन इस अवधि के दौरान
भारत सरकार	2,284,600,000	100	-	2,284,600,000	100	-

1 कंपनी ने ₹10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग जारी किया है।
2 इक्विटी शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं, जो अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है।
3 इक्विटी शेयरधारकों के पास बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण मतदान अधिकार हैं।
4 कंपनी ने तुलनपत्र की तारीख से ठीक पहले 5 वर्षों की अवधि के लिए नहीं किया है:
क) नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना इक्विटी शेयर जारी करना ।
ख) बोनस शेयर के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना ।
ग) अपने किसी भी हिस्से को वापस खरीदना।
5 कंपनी के पास शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प/अनुबंध/प्रतिबद्धता के तहत जारी करने के लिए कोई इक्विटी शेयर आरक्षित नहीं है।
6 अवैतनिक कॉल (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अवैतनिक कॉलों का कुल मूल्य दिखाते हुए) : शून्य
7 जब्त किए गए शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि): शून्य
8 पूंजी प्रबंधन के लिए : नोट 38 (38) देखें।
9 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार (भारत सरकार) ने 150,000.00 लाख इक्विटी योगदान का निवेश किया है। जिसके कारण इक्विटी शेयर पूंजी 2,284.60 लाख बढ़ी है। नोट 38(43) देखें।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 26 : अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
(क) आरक्षित और अधिशेष		
(i) विशेष आरक्षित	131,710.27	116,155.27
(ii) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित	39,797.48	35,168.37
(iii) सामान्य आरक्षित	191,048.33	142,298.33
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर)	(58,039.59)	(42,156.14)
(v) एनबीएफसी आरक्षित	46,182.69	28,882.69
(ख) प्रतिधारित आय	250.54	138.14
(ग) नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग		
(i) नकद प्रवाह हेज आरक्षित	14,107.22	17,864.65
कुल अन्य ईक्विटी (क+ख+ग)	**365,056.95**	**298,351.31**

*वर्ष के दौरान परिवर्तनों के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें

अन्य ईक्विटी का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया गया है :

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
विशेष आरक्षित		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	116,155.27	104,590.98
जोड़ें: चालू वर्ष अंतरण	15,555.00	11,564.29
घटायें : चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**131,710.27**	**116,155.27**
डिबेंचर शोधन आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	35,168.37	30,539.26
जोड़ें : चालू वर्ष अंतरण	4,629.11	4,629.11
घटायें : चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**39,797.48**	**35,168.37**
सामान्य आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	142,298.33	107,798.33
जोड़ें : चालू वर्ष अंतरण	48,750.00	34,500.00

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
घटायें : चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**191,048.33**	**142,298.33**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(42,156.14)	(63,875.83)
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	(17,889.10)	17,133.73
घटायें : वर्ष के दौरान परिशोधन	(2,005.65)	(4,585.96)
वर्ष के अंत में शेष	**(58,039.59)**	**(42,156.14)**
एनबीएफसी आरक्षित (आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-I सी)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	28,882.69	16,182.69
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	17,300.00	12,700.00
घटायें : वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**46,182.69**	**28,882.69**
प्रतिधारित आय		
वर्ष के प्रारंभ में प्रतिधारित आय	138.14	233.40
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	86,462.83	63,352.65
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(116.32)	(54.52)
घटायें: डिबेंचर शोधन आरक्षित में अंतरण	15,555.00	11,564.29
घटायें: डिबेंचर शोधन आरक्षित में अंतरण	4,629.11	4,629.11
घटायें: सामान्य आरक्षित में अंतरण	48,750.00	34,500.00
घटायें: एनबीएफसी आरक्षित में अंतरण	17,300.00	12,700.00
वर्ष के अंत में शेष	**250.54**	**138.14**
नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग		
नकद प्रवाह हेज आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	17,864.65	25,589.66
हेज उपकरण पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग	(5,021.14)	(10,323.14)
घटायें: उपरोक्त पर आयकर	1,263.72	2,598.13
वर्ष के अंत में शेष (करों का निवल)	**14,107.22**	**17,864.65**
कुल	**365,056.95**	**298,351.31**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

आरक्षतियों की प्रकृति और उद्देश्य

1 **विशेष आरक्षित:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत आयकर कटौती का लाभ उठाने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर पूर्व लाभ के /20 प्रतिशत की विशेष आरक्षित सृजित की गई है।

2 **डिबेंचर शोधन आरक्षित:** डिबेंचर शोधन आरक्षित डिबेंचर/बॉन्ड के मोचन के उद्देश्य से बनाए रखा आय से बनाया गया है। यह आरक्षित कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में निवेशित रहता है।

3 **सामान्य आरक्षित:** विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए समय–समय पर सामान्य आरक्षित का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरित करके बनाया जाता है।

4 **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद लेन–देन रिजर्व (एफसीएमआईटीआर):** विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद लेन–देन अंतर खाता लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधार पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो संबंधित उधार के कार्यकाल में परिशोधित किया जाता है। इरेडा ने पैरा डी13एए की छूट को अपनाया है। पिछले जीएएपी के अनुसार इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग वर्ष। इंडस्ट्रीज एएस 101 के अनुसार, जिसके अनुसार पहली बार अपनाने वाला पहली बार शुरू होने से ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के लेन–देन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेनदेन लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। मार्च को बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर 31, 2018, प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर, उन लोगों से अलग, जिन पर वे वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किए गए थे, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए थे, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद आरक्षित खाते" में जमा होते हैं और परिशोधित होते हैं इस तरह के दीर्घकालिक मौद्रिक मद के शेष वर्ष में, ऐसे प्रत्येक वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर बारह महीने या उससे अधिक की अवधि होती है।

5 **प्रतिधारित आय:** प्रतिधारित आय लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों का प्रतिनिधित्व करती है जो सीधे कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में कम लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों से अंतरण में मान्यता प्राप्त है।

6 **एनबीएफसी आरक्षित:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी(आई) के अंतर्गत सृजित आरक्षित, वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ के 20 प्रतिशत की प्रतिधारित आय से अंतरण का प्रतिनिधित्व करता है।

7 **नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी भाग:** कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के अनुसरण में व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत नामित व्युत्पन्न अनुबंध प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजेज के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी जाती है, इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जब बचाव की वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 27 : ब्याज आय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
(i) ऋण पर ब्याज	329,758.55	265,805.73
कम : छूट	1,895.46	1,325.23
ऋण पर ब्याज (शुद्ध)	**327,863.08**	**264,480.50**
(ii) निवेश पर ब्याज आय		
-भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	670.42	197.38
-वाणिज्यिक पत्रों पर ब्याज	-	-
(iii) बैंकों में जमा राशि पर ब्याज		
-अल्पकालिक जमा-भारतीय मुद्रा	7,778.91	1,149.26
-अल्पकालिक जमा-विदेशी मुद्रा	-	1.80
(iv) अन्य ब्याज आय		
-बचत खाता पर ब्याज	19.10	4.49
(v) डिफरेंशियल इंटरेस्ट	1,051.15	5,488.68
कुल	**337,382.67**	**271,322.13**

वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ब्याज परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

नोट 28 : शुल्क और कमीशन आय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
व्यापार सेवा शुल्क		
(i) शुल्क आधारित आय	2,189.59	8,467.59
(ii) परामर्श शुल्क	23.74	160.27
(iii) गारंटी आयोग	807.39	1,393.60
कुल व्यापार सेवा शुल्क (क)	**3,020.72**	**10,021.46**
सेवा शुल्क		
(i) सरकारी योजना कार्यान्वयन	712.57	617.15
कुल सेवा शुल्क - सरकारी योजना कार्यान्वयन (ख)	712.57	617.15
कुल (क+ख)	**3,733.28**	**10,638.61**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 29 : उचित परिवर्तन मूल्य पर शुद्ध लाभ/हानि

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अलावा लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर शुद्ध लाभ/हानि		
(i) डेरिवेटिव्स		
- विदेशी मुद्रा ऋण के लिए लिए गए डेरिवेटिव कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन	1,242.79	(147.35)
उचित मूल्य परिवर्तन :		
- वास्तविक		
- अवास्तविक	1,242.79	(147.35)
उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल शुद्ध लाभ/हानि	**1,242.79**	**(147.35)**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा अन्य हैं।

नोट 30 : अन्य परिचालन आय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
i) सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व*		
बिजली की बिक्री (क)	2,745.33	2,907.06
घटाएं : ग्राहक को छूट (ख)	54.91	58.14
सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (शुद्ध) (ग=क-ख)	**2,690.42**	**2,848.92**
ii) निवेश की बिक्री से लाभ	-	188.64
iii) अशोध्य ऋण की वसूली	3,148.32	1,138.99
कुल (i+ii+iii)	**5,838.75**	**4,176.55**

*(नोट सं. 38(23) और 38(24) देखें)

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 31 : अन्य आय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डाला गया	-	6.55
स्टाफ ऋण पर ब्याज	94.86	27.77
पीपीई की बिक्री पर लाभ	-	0.24
एसोसिएट में निवेश की बिक्री पर लाभ (देखें नोट 38(25)	-	12.00
अन्य	12.07	1,378.98
कुल	**106.93**	**1,425.54**

नोट 32 : वित्तीय लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
उधार पर ब्याज	118,880.41	70,332.92
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	74,669.99	71,681.80
अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज	5,254.50	5,254.50
अन्य उधार लागत	9,824.44	11,151.81
डधार पर लेन–देन लागत	176.24	297.41
पट्टा दायित्व पर ब्याज	38.24	6.69
कुल	**208,843.82**	**158,725.13**

वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत परिशोधित लागत के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है।

नोट 33 : शुद्ध बदलाव/लेन–देन विनिमय हानि

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
शुद्ध बदलाव/लेन–देन विनिमय हानि	396.92	3.03
एमसीएमआईटीआर का परिशोधन	2,005.65	4,585.96
कुल	**2,402.56**	**4,588.99**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 34 : वित्तीय आस्तियों पर क्षति

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
ऋण*	6,657.91	17,989.84
कुल	**6,657.91**	**17,989.84**

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय लिखतों पर क्षति
अधिक जानकारी के लिए नोट संख्या 38(37(ii)) देखें

नोट 35 : कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
वेतन और मजदूरी	5,177.13	4,693.32
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	492.48	783.50
कर्मचारी कल्याण व्यय	573.54	397.41
मानव संसाधन विकास व्यय	66.13	7.60
कुल	**6,309.29**	**5,881.83**

नोट 36 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास (देखें नोट संख्या 12)	2,166.13	2,120.96
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन (देखें नोट संख्या 16)	3.64	6.11
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास (देखें नोट संख्या 11)	0.59	0.70
संपत्ति के उपयोग के आधार का परिशोधन (देखें नोट संख्या 14)	179.48	196.54
कुल	**2,349.84**	**2,324.31**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 37 : अन्य खर्चे

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
किराया, कर और बिजली	1,481.29	8,768.82
मरम्मत और रखरखाव	592.91	609.60
संचार लागत	127.84	58.16
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	54.02	32.52
विज्ञापन और प्रचार	1,870.93	393.91
निदेशक की फीस, भत्ते और खर्चे	45.60	5.80
लेखा परीक्षक की फीस और व्यय (देखें नोट संख्या 38(28))	49.61	46.07
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	1,146.24	476.47
बीमा	24.21	11.92
अशोध्य ऋण	800.46	1,301.96
क्रेडिट रेटिंग व्यय	169.63	198.02
पीपीई की बिक्री पर नुकसान	13.01	4.33
अन्य व्यय	742.89	1,663.32
कुल	**7,118.64**	**13,570.90**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 38 : खातों के लिए नोट

1. कंपनी अवलोकन

कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। आरबीआई या अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को लागू किया जाता है जब वे लागू होते हैं। आरबीआई मास्टर दिशा–निर्देश डीएनबीआर पीडी 008 / 03.10.119 / 2016–17 दिनांक 01.09.2016, के संदर्भ में, संशोधित इरेडा एक "प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी" है। कंपनी का पंजीकृत पता पहली मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ईस्ट कोर्ट, कोर–4ए, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 है।

22.10.21 को आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन (एसबीआर) फ्रेमवर्क पेश किया। इस ढांचे के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी अभी भी परिवर्तनकाल में हैं और इसलिए उन्हें इस समय ऊपरी परत नियामक ढांचे के अधीन नहीं करने का निर्णय लिया गया है और उस समय तक एनबीएफसी–मध्य परत (एमएल) के लिए कंपनी पर दिशानिर्देश लागू होंगे। यह ढांचा 01.10.2022 से लागू हो गया है। इसके अलावा, इरेडा को आरबीआई द्वारा दिनांक 13.03.2023 के पत्र द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा दिया गया है।

कंपनी के विभिन्न गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और / या बीएसई लिमिटेड (पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में ज्ञात) में सूचीबद्ध हैं। ग्रीन मसाला बॉन्ड्स (10.10.2022 को परिपक्व) लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई आईएफएससी लिमिटेड (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) में सूचीबद्ध थे।

एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के तहत निर्धारित प्रारूप में बैलेंस शीट, इक्विटी में बदलाव का विवरण और लाभ और हानि का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय एएस के अनुपालन के लिए आवश्यक हैं। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय एएस 7 – नकदी प्रवाह विवरण की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

2. भारतीय लेखा मानक (भारतीय एएस) –36 "संपत्ति की हानि" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी, प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर, यह आकलन करती है कि क्या किसी संपत्ति और / या नकदी पैदा करने वाली इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि इस तरह के संकेत मौजूद हैं, तो शुद्ध बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक वसूली योग्य राशि के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति और / या नकदी पैदा करने वाली इकाई की अग्रणीत राशि की तुलना करके संपत्ति मे नुकसान आँका जाता है। उपयोग में मूल्य संपत्ति के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से निर्धारित होता है। चालू और पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी को कोई हानि नहीं हुई है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

3. **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–37 ''प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसम्पत्तियां'' के संबंध में प्रकटीकरण**

क. आकस्मिक देनदारियां:

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
क) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
I) कराधान की मांग:		
आयकर की मांग[1]	23,776.48	21,212.06
सेवा कर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मामले[2]	21,492.48	19,993.88
ii) अन्य[3]	348.69	303.61
ख) वित्तीय गारंटियों को छोड़कर गारंटियां		
i. गारंटियां	48,611.41	66,803.82
ii. आराम पत्र/भुगतान आदेश लिखत जारी किया गया और बकाया	136,654.23	78,579.23
ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
i. इंडिया हेबीटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में सम्पत्ति कर (टिप्पणी 38(26) का संदर्भ लें	अनिर्धारणीय	अनिर्धारणीय

[1]आयकर (आयकर मामले –निर्धारण वर्ष 1998–99 –निर्धारण वर्ष 2009–10):

इसमें निर्धारण वर्ष 1998–99 से निर्धारण वर्ष 2002–03 तक के आयकर मामले शामिल हैं जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर माननीय आईटीएटी को और माननीय आईटीएटी निर्धारण अधिकारी को और निर्धारण वर्ष 2003–04 से निर्धारण वर्ष 2009–10 को माननीय आईटीएटी के निर्देश पर निर्धारण अधिकारी (एओ के रूप में संदर्भित) को वापस भेजे गए थे। एओ ने अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर इन मामलों पर आदेश पारित नहीं किया था। इससे पहले कंपनी ने उपरोक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए उठाई गई मांग के आधार पर विरोध के तहत कर जमा किया था।

पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, दाखिल किए गए रिटर्न के अनुसार देय से ऊपर और अधिक भुगतान की गई मांगें वापसी के योग्य होंगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, उपरोक्त वर्षों के लिए रिफंड देने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था– "इस बीच, प्रतिवादियों को आगे बढ़ने और मूल्यांकन आदेशों को पूरा करने और इसे प्रभावी न करने या कोई कठोर कार्रवाई करने की अनुमति है।" मामले में अंतिम फैसला अभी बाकी है।

[2]सेवा कर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मामले

कंपनी को आयुक्त, अधिनिर्णयन, केंद्रीय कर, जीएसटी पूर्वी दिल्ली से जीएसटी–15/एडजू/डीई/आईआरईडीए/71/2017–18/3706–08 दिनांक 15.03.2022 के माध्यम से मांग/आदेश का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिससे वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लिए इरेडा से ₹ 11,709.11 लाख की राशि की मांग उत्पन्न हुई है। हालांकि कंपनी का तर्क है कि पूरी मांग सीमा से बाधित है, इसने रूढ़िवादी आधार पर ब्याज सहित ₹1,174.80 लाख (पिछले वर्ष ₹1,101.41 लाख) का प्रावधान किया है। मामले में कानून और तथ्यों के आधार पर, ₹ 21,492.48 लाख (पिछले वर्ष ₹19,993.88 लाख) की सेवा कर मांग (ब्याज सहित) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

इसके अलावा, चूंकि कंपनी एक सरकारी उद्यम है, इसलिए इसके लिए किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर परिसीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए जुर्माना का एक आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकटीकरण के लिए विचार नहीं किया गया है। कंपनी ने इस मामले में 15.06.2022 को सीईएसटीएटी, नई दिल्ली में अपील दायर की है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी को अतिरिक्त आयुक्त, अधिनिर्णय, केंद्रीय कर, जीएसटी दिल्ली पूर्व के कार्यालय से, गारंटी शुल्क के तहत सरकार को भुगतान की गई जीएसटी की वसूली पर अवधि के लिए रिवर्स चार्ज आधार पर 01.07.2017 से 26.07.2018 तक के कर के लिए रुपये 1,525.08 लाख जुर्माने की मांग और उस पर लागू ब्याज के लिए रु. 1,525.58 लाख ऑर्डर नंबर डीई/एनपी/आर–174/जीएसटी/एडीसी(एनआर)/005/2022–23 दिनांक 28.02.2023 भी मिला है: जबकि कंपनी उसी के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, कर और उस पर ब्याज के लिए आवश्यक प्रावधान पहले से ही खातों की किताबों में किया गया है, लेकिन जुर्माना प्रकटीकरण के लिए आकस्मिक देयता के रूप में नहीं माना गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा w.r.t. महिला निदेशक की नियुक्ति न करना (58(G) देखें)। लगाए गए ₹ 2.62 लाख के लिए जुर्माना शामिल है। सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी का निदेशकों की नियुक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए प्रावधान के लिए इस पर विचार नहीं किया गया है। इरेडा की सेवा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले भी शामिल हैं। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं आया है।

[3]कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा लगाए गए ₹ 2.62 लाख के लिए जुर्माना शामिल है। महिला निदेशक की नियुक्ति न करना (58(G) देखें)। सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी का निदेशकों की नियुक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए प्रावधान के लिए इस पर विचार नहीं किया गया है। इरेडा की सेवा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले भी शामिल हैं। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं आया है।

ख) आकस्मिक संपत्ति: अनिर्धारित* (पिछले वर्ष अनिर्धारित*)।

*अरुणाचलम शुगर मिल्स लिमिटेड (एएसएमएल) के खिलाफ वसूली की कार्यवाही के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 29.03.2022 के आदेश से कंपनी को ₹710.00 लाख की संपत्ति और वस्तु एवं 18% सेवा कर (जीएसटी) के साथ+ –– एएसएमएल की संपत्ति का निपटान करने में सक्षम बनाया। कंपनी ने पहले ही ₹127.80 लाख की जी एस टी के साथ उक्त बिक्री के लिए ₹177.50 लाख की वसूली कर ली है, जिसे कंपनी द्वारा विधिवत जमा किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के माध्यम से कंपनी को ₹532.50 लाख के शेष बकाया के विरुद्ध ₹23.11 लाख भी प्राप्त हुए। ₹509.39 लाख की शेष राशि आधिकारिक परिसमापक (ओएल) के पास है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा सुरक्षित लेनदारों को बुलाने और कंपनी को शेष राशि प्रेषित करने से पहले श्रमिकों (जो अभी भी अनिर्धारित हैं) के पक्ष में शुल्क तय करने के लिए निर्देशित किया गया था। कंपनी के खातों की पुस्तकों में एनपीए हानि संपत्ति होने के बराबर प्रावधान के खिलाफ ₹0.40 लाख बकाया था (वास्तविक मूल बकाया ₹4840.12 लाख है)।

इरेडा मैसर्स अरुणाचलम शुगर मिल्स लिमिटेड से संबंधित अचल संपत्तियों को बेचने के लिए उचित कदम उठा रहा है, जो कि इरेडा को खुली सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से रु 2,850 लाख है।

4. प्रतिबद्धताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
पूंजी प्रतिबद्धताएः		
पूंजी खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	1,299.53	682.80

5. ऐसा कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिस पर कंपनी का बकाया हो, जो 31.03.2023 को (31.03.2022 को: ₹ शून्य) 45 दिनों से अधिक समय से बकाया हो। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यह जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
1	वर्ष के अंत तक अदत्त मूलधन राशि	25.25	62.26
2	वर्ष के अंत में अदत्त रहा उस राशि पर देय ब्याज	-	-
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	-	-
4	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय, लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ब्याज	-	-
5	वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त रहा ब्याज	-	-
6	आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

6. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–21 ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव'' के संबंध में प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को वर्ष समाप्ति	31.03.2022 को वर्ष समाप्ति
	डेबिट / (क्रेडिट)	डेबिट / (क्रेडिट)
लाभ और हानि विवरण में निवल डेबिट / (क्रेडिट) विनिमय अंतर की राशि	2,402.56	4,589.00
अन्य व्यापक आय के लिए निवल डेबिट / (क्रेडिट) विनिमय अंतर की राशि	22,058.82	(333.53)

7. भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज एएस) –23 "उधार लागत" के संबंध में प्रकटीकरण
₹ निल (पिछले वर्षः ₹ निल)

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण
विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार हैः

- **भविष्य निधिः** 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में योगदान के संबंध में ₹ 251.41 लाख (पिछले वर्ष ₹ 519.69 लाख) के व्यय की पहचान की है और विवरण के लिए प्रभारित किया गया है। लाभ और हानि का जिसमें उप–खंड संख्या के अनुसार ₹ शून्य लाख (पिछले वर्ष ₹ 291.47 लाख) का योगदान शामिल है। खंड संख्या 27ए ए का 28 अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की छूट के नियम और शर्तें, निवेश के मूल्य में कमी

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

के कारण ट्रस्ट को होने वाले नुकसान के लिए। इरेडा के पीएफ ट्रस्ट द्वारा कोई भी राशि (यदि वसूल की जाती है) कंपनी को वापस कर दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4.11.2022 के हालिया आदेश के मद्देनजर, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वास्तविक / उच्च वेतन के आधार पर ईपीएस 1995 पेंशन के संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने का अवसर दिया है।

- **राष्ट्रीय पेंशन योजना / सेवानिवृत्ति लाभ निधि (निर्धारित अंशदान निधि):** 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान के संबंध में ₹ 185.57 लाख के व्यय की पहचान की है (पिछले वर्षः ₹156.29 लाख पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान के संबंध में और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित।

अन्य लाभः

- **अर्जित अवकाश लाभ (ईएल):** प्रति वर्ष 30 दिनों का संचय। सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। एचपीएल सहित अधिकतम 300 दिनों की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर नकदीकरण। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन और कंपनी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार अर्जित अवकाश के लिए ₹72.75 लाख (पिछले वर्ष ₹174.44 लाख आय के रूप में) प्रदान किए हैं।

- **हाफ पे लीव बेनिफिट (एचपीएल):** प्रति वर्ष पूरे 10 दिनों का संचय। सेवा के दौरान कोई नकदीकरण नहीं। ईएल सहित अधिकतम 300 दिनों की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर नकदीकरण। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन और कंपनी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार बीमारी की छुट्टी के लिए ₹37.93 लाख (पिछले वर्षः ₹56.03 लाख) प्रदान किए हैं।

- **ग्रेच्युटी:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन का संचय। निहित अवधि 05 वर्ष है, और 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के बाद भुगतान 20 लाख तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन और 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार, ग्रेच्युटी के लिए ऑन रोल कर्मचारी के लिए ₹ 1,114.80 लाख (पिछले वर्ष ₹1,115.77 लाख) है, जबकि ₹1,188.83 की संपत्ति ₹ शून्य लाख (पिछला वर्ष ₹1,110.95 लाख की देनदारी के विरुद्ध ₹1,167.44 लाख)। वर्ष के दौरान लिया गया व्यय ₹60.17 लाख है (पिछले वर्ष ₹ 72.93 लाख)

- **पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी):** कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन के अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम के लिए निर्धारित लाभ योजनाओं में योगदान करती है। योजनान्तर्गत पात्र पूर्व कर्मचारियों एवं पात्र आश्रित परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। एक्चुरियल वैल्यूएशन कंपनी के 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए पीआरएमबी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार, कंपनी ने ₹136.22 लाख (पिछले वर्ष ₹220.06 लाख) प्रदान किए हैं।

- **सामान भत्ता:** सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं, और वे सामान भत्ता के लिए पात्र होते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन और 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार, सामान भत्ता के लिए कंपनी ने ₹2.82 लाख (पिछले वर्ष ₹3.45 लाख) प्रदान किए हैं।

- **विदाई उपहार:** कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय, कंपनी इस उद्देश्य के लिए बनाई गई नीति के अनुसार कर्मचारियों को विदाई उपहार प्रदान करती है। उपहार का मूल्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के पदनाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने देनदारी में कमी (पिछले वर्ष ₹11.07 लाख) के कारण ₹1.32 लाख का फेयरवेल गिफ्ट प्रदान किया।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ और हानि के विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरणों में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

❖ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)				
प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	31.03.2023	1157.04	435.61	703.71	21.04	1153.49	10.77
	31.03.2022	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19	9.94
ब्याज लागत	31.03.2023	80.56	31.45	47.98	1.52	83.28	0.78
	31.03.2022	69.48	25.77	35.70	1.19	66.61	0.51
चालू सेवा लागत	31.03.2023	58.32	30.42	73.46	1.30	52.95	0.55
	31.03.2022	56.10	28.87	74.00	1.37	47.49	0.59
विगत सेवा लागत	31.03.2023	-	-	-	-	-	-
	31.03.2022	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	31.03.2023	(127.13)	(58.97)	(79.37)	(0.84)	(57.19)	(1.40)
	31.03.2022	-	-	(35.55)	-	(60.75)	-
दायित्वों पर प्रोद्भूत हानि / (लाभ)	31.03.2023	(53.99)	(23.94)	(48.68)	(2.26)	151.81	(0.29)
	31.03.2022	(27.06)	1.88	64.74	0.88	105.95	(0.28)
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	31.03.2023	1114.80	414.57	697.11	21.60	1384.34	10.99
	31.03.2022	1,115.77	435.61	664.59	21.04	1,153.49	10.77

❖ **योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)				
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2023	1167.44	-	-	-	-	-
	31.03.2022	1,019.80	-	-	-	-	-
ओपनिंग निधि में अंतर	31.03.2023	-	-	-	-	-	-
	31.03.2022	-	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	31.03.2023	84.29	-	-	-	-	-
	31.03.2022	71.35	-	-	-	-	-
मृत्यु प्रभार	31.03.2023	(4.84)	-	-	-	-	-
	31.03.2022	(1.16)	-	-	-	-	-
नियोक्ता अभिदान	31.03.2023	69.07	-	-	-	-	-
	31.03.2022	71.35	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	31.03.2023	(127.13)	-	-	-	-	-
	31.03.2022	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2023	1,188.84	-	-	-	-	-
	31.03.2022	1,167.44	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **तुलन पत्र में स्वीकृत राशि**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)				
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	31.03.2023	1,114.80	414.56	697.10	21.60	1,384.34	10.99
	31.03.2022	1,115.77	435.61	664.59	21.04	1,153.49	10.77
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2023	1,188.84	-	-	-	-	-
	31.03.2022	1,167.44	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देनदारी	31.03.2023	-	(414.56)	(697.10)	(21.60)	(1,384.34)	(10.99)
	31.03.2022	-	(435.61)	(664.59)	(21.04)	(1,153.49)	(10.77)

❖ **लाभ हानि के विवरण में स्वीकृत राशि**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)				
चालू सेवा लागत	31.03.2023	58.32	30.42	73.46	1.30	52.95	0.55
	31.03.2022	56.10	28.37	74.00	1.37	47.49	0.59
कटौती लाभ/हानि सहित गत सेवा लागत	31.03.2023	-	-	-	-	-	-
	31.03.2022	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	31.03.2023	80.56	31.45	47.98	1.52	83.28	0.78
	31.03.2022	69.48	25.77	35.70	1.19	66.61	0.51
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित रिटर्न	31.03.2023	84.29	-	-	-	-	-
	31.03.2022	69.65	-	-	-	-	-
वर्ष में स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	31.03.2023	-	(23.93)	(48.68)	(2.26)	(151.81)	(0.29)
	31.03.2022	-	1.88	64..74	-	-	-
आय विवरण में स्वीकृत व्यय	31.03.2023	54.59	37.93	72.76	2.82	136.23	1.33
	31.03.2022	106.63	56.03	174.44	2.57	114.10	1.10
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि	31.03.2023	5.59	-	-	2.26	(151.81)	(0.29)
	31.03.2022	(33.70)	-	-	(0.88)	(105.95)	0.28

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **बीमांकिक अवधारणा**

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)				
छूट दर	31.03.2023	7.38%	7.38%	7.38%	7.38%	7.38%	7.38%
	31.03.2022	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%
वेतन वृद्धि की दर	31.03.2023	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	
	31.03.2022	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	
प्रयुक्त पद्धति	31.03.2023	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC
	31.03.2022						

❖ **परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण**

(लाख रुपए में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,114.80	414.57	697.10	21.60	1,384.34	10.99
0.50% की वृद्धि की वजह से प्रभाव	(41.94)	(12.79)	(30.82)	(0.86)	(47.76)	(0.41)
0.50% की कमी की वजह से प्रभाव	45.07	13.51	33.18	0.93	50.19	0.43
ख) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	**ग्रेच्युटी**	**बीमारी छुट्टी**	**अर्जित छुट्टी**	**बैगेज**	**पीआरएमबी**	**विदाई उपहार**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,114.79	414.57	697.37	21.60	1,384.34	-
0.50% की वृद्धि की वजह से प्रभाव	19.70	13.58	33.37	0.94	50.87	-
0.50% की कमी की वजह से प्रभाव	(19.90)	(12.89)	(31.01)	(0.87)	(48.90)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है। भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –108 के संबंध में प्रकटीकरण: "संचालन खंड"

(i) संचालन खंड

इंड एएस 108 में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, सीएमडी, चीफ संचालन निर्णय मेकर (सीओडीएम) प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और व्यापार खंडों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधन आवंटित करता है। वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को व्यक्तिगत व्यापार खंड में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड करने के लिए लगातार लागू किया जाता है और जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित किया गया है।

कंपनी दो खंडों में काम करती है – नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियाँ और कासरगोड, केरल में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई और ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य संचालन खंड – सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है; इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में संचालित माना जाता है। जैसे कि खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड के रूप में माना जाता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कोई भी बाहरी ग्राहक हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान नहीं कर रहा है।

(iii) भौगोलिक सूचना

संचालन के स्थान के अनुसार बाहरी ग्राहकों से राजस्व और इसकी गैर–वर्तमान संपत्तियों के बारे में जानकारी* संपत्ति के स्थान के अनुसार इस प्रकार हैः –

(लाख रुपए में)

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर चालू परिसम्पत्तियां*	
	31.03.2023 को वर्ष समाप्ति	**31.03.2022 को वर्ष समाप्ति**	**31.03.2023 को वर्ष समाप्ति**	**31.03.2022 को वर्ष समाप्ति**
भारत**	348,304.42	287,415.48	201,165.65	201,807.62
भारत से बाहर	-	-	-	-
कुल	**348,304.42**	**287,415.48**	**201,165.65**	**201,807.62**

*इस राशि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य–प्रगति, निवेश संपत्ति, संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार पूरी तरह से सेवा प्राप्त बांड धन प्राप्य शामिल है।

** ₹1,242.79 लाख (पिछले वर्षः ₹ (147.35)) की राशि शामिल है, जो डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि) से संबंधित है, जिसे बाहरी ग्राहकों से राजस्व के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है।

(iv) प्रमुख उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से होने वाली आय इस प्रकार हैः

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को वर्ष समाप्ति	31.03.2022 को वर्ष समाप्ति
ब्याज आय	337,382.67	271,322.13
शुल्क और कमीशन आय	3,733.28	10,638.61
ऊर्जा की बिक्री (नेट)	2,690.42	2,848.92

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

10. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–24 ''संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण'' के संबंध में प्रकटीकरण

क. सरकार और सरकार से संबंधित निकायों से अन्य के लिए प्रकटीकरण

संबंधित पक्षकार का नाम

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
संबंधित पक्षकार का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)[1]	01.04.2022 से 31.03.2023
श्री चिंतन नवीनभाई शाह	निदेशक – तकनीकी[2]	01.04.2022 से 04.03.2023
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन	निदेशक – सरकारी नामित[3]	01.04.2022 से 25.10.2022
श्री दिनेश दयानंद जगदले	निदेशक – सरकारी नामित[4]	01.04.2022 से 07.02.2023
श्री पदम लाल	निदेशक – सरकारी नामित[5]	07.02.2023 से 31.03.2023
श्री अजय यादव	निदेशक – सरकारी नामित[5]	14.02.2023 से 31.03.2023
श्री शभदर्शन ब्राहमभट	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक[6]	01.04.2022 से 31.03.2023
डॉ. जगन्नाथ सी.एम. जोगीधर	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक[7]	01.04.2022 से 31.03.2023
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक[8]	09.03.2023 से 31.03.2023
श्रीमती रोहीणी रावात	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक[8]	09.03.2023 से 31.03.2023
डॉ. आर. सी. शर्मा	महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022 से 31.03.2023
श्री सुरेंद्र सुयाल	कम्पनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी[9]	01.04.2022 से 31.10.2022
श्रीमती एकता मदान	कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी[9]	01.11.2022 से 31.03.2023

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए

सहयोगी		
संबंधित पक्षकार का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
मैसर्स एम.पी. विंडफार्म्स लिमिटेड	एम.पी. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (25%), कन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड (49.5%), इरेडा (24%) और अन्यों (1.5%) के सहयोग एक संयुक्त क्षेत्र की असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड	01.04.2021 to 26.03.2022^

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
संबंधित पक्षकार का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)'	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री चिंतन नवीनभाई शाह	निदेशक – तकनीकी	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री भानु प्रताप यादव	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2021 से 08.07.2021

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री दिनेश दयानंद जगदले	निदेशक – सरकारी नामित	08.07.2021 से 31.03.2022
श्री शभदर्शन ब्राहमभट	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक[6]	28.01.2022 से 31.03.2022
डॉ. जगन्नाथ सी.एम. जोगीधर	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक[7]	31.03.2022 - 31.03.2022
डॉ. आर. सी. शर्मा	महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री सुरेंद्र सुयाल	कम्पनी सचिव	01.04.2021 से 31.03.2022

^नोट देखें 38(25)

[1] श्री प्रदीप कुमार दास को इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में 06.05.2020 से नियुक्त किया गया है और उन्हें 06.05.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद, एमएनआरई ने समय–समय पर इरेडा के सीएमडी, श्री प्रदीप कुमार दास को निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के पद का विस्तार किया और अंतिम बार 06.05.2022 से बढ़ाया। 06.05.2022 छह महीने की अवधि के लिए जो 05.11.2022 तक वैध था। एमएनआरई ने दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के कार्यालय आदेश संख्या 1/13/2017–आईआरईडीए द्वारा 05.03.2023 से इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास को तीन महीने की अवधि के लिएया नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (तकनीकी), इरेडा के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

[2] श्री चिंतन एन. शाह, निदेशक (तकनीकी) ने 4 मार्च, 2023 (अपराह्न) को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। तदनुसार, वह इरेडा के निदेशक नहीं रहे।

[3] एम एन आर ई ने अपने पत्र दिनांक 31.10.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन, पूर्व जे एस और एफ ए, और एम एन आर ई का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 25.10.2022 को पूरा हो गया है। तदनुसार, श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन को सरकारी पद इरेडा के नामित निदेशक से हटा दिया गया है।

[4] एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340/85/2017–आईआरईडीए दिनांक 7 फरवरी, 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री दिनेश दयानंद जगदाले, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) 7 फरवरी, 2023 से इरेडा के निदेशक नहीं रहे।

[5] एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340/85/2017–आईआरईडीए दिनांक 7 फरवरी, 2023 के तहत श्री पदम लाल, जेएस एंड एफए, एमएनआरई और श्री अजय यादव, जेएस, एमएनआरई को इरेडा के बोर्ड में सरकार द्वारा नामांकित निदेशक नियुक्त किया है। हालांकि, श्री अजय यादव का डीआईएन 14 फरवरी, 2023 को कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त किया गया है। तदनुसार, श्री अजय यादव को 14 फरवरी, 2023 से इरेडा का निदेशक माना जाता है।

[6] नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने आदेश सं. 340–11/1/2018–आईआरईडीए दिनांक 21.01.2022 ने तत्काल प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए इरेडा के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट को नियुक्त किया। हालाँकि, डी आई एन को 28.01.2022 को कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त किया गया है। तदनुसार, उन्हें 28.01.2022.से निदेशक माना जाता है।

[7] नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने आदेश सं. 340–11/1/2018–आईआरईडीए दिनांक 28.03.2022 ने आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए इरेडा के बोर्ड में गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री चेन्नाकेशव मूर्ति जगन्नाथ को नियुक्त किया। हालाँकि, डी आई एन को 31.03.2022 को कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त किया गया है। तदनुसार, उन्हें 31.03.2022 से निदेशक माना जाता है। साथ ही, श्री चेन्नाकेशव मूर्ति जगन्नाथ का नाम 29.09.2022 को एमसीए रिकॉर्ड में डॉ. जगन्नाथ सी. एम. जोड़ीधर के रूप में अद्यतन किया गया है।

[8] नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने आदेश सं. 340–11/1/2018–IREDA दिनांक 06.03.2023 से, श्री राम निहाल निषाद और श्रीमती नियुक्त किया है। रोहिणी रावत, इरेडा के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) के रूप में तीन साल की अवधि के लिए आदेश जारी होने की तिथि या अगले आदेश तक, जो भी घटना पहले घटित हो। हालांकि, दोनों निदेशकों का डीआईएन 09.03.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त किया गया है। तदनुसार, उन्हें 09.03.2023 से इरेडा का निदेशक माना जाता है।

[9] श्री सुरेंद्र सुयाल, (कंपनी सचिव) को बोर्ड द्वारा अपनी 361वीं बैठक में दिनांक 23.05.2022 से प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.10.2022 को श्री सुरेंद्र सुयाल की सेवानिवृत्ति के क्रम में श्रीमती एकता मदान, वरिष्ठ प्रबंधक (निगमित मामले) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और श्री सोम पाल, महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) को 01.11.2022 से मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

कम्पनी के नियंत्रणाधीन न्यास / निधियां

- इरेडा कर्मचारी अभिदान भविष्य निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी परिभाषित अभिदान अधिवार्षिता न्यास (गैर संचालन)
- इरेडा कर्मचारी परोपकारी निधि
- इरेडा विनियम जोखिम प्रशासन निधि (गैर संचालन)

i. संबंधित पक्षकारों को प्रतिपूर्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
अल्पावधिक लाभ		
- बैठक शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को)	45.60	5.80
- अन्य (वेतन)	226.54	262.64
सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ	23.70	23.36
कुल	**296.00**	**291.80**

नोटः

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की भी अनुमति दी गई है। ।
- कार्यकारी निदेशकों के लिए ग्रेच्युटी फंड के लिए योगदान अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी के अनुसार नहीं बनाया गया है।
- बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कार्यकारी निदेशक को अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान किया गया है।

ii. केएमपी को और से ऋणः

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
केएमपी को ऋण		
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	64.98	11.94
वर्ष के दौरान ऋण अग्रिम	2.60	39.30
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान प्राप्त	20.85	5.51
वर्ष के दौरान प्रभारित ब्याज	0.37	23.40
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	7.53	4.15
वर्ष के अंत में शेष	39.57	64.98
केएमपी से ऋण	**-**	**-**

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के प्रमुख नियम और शर्तें:

1. संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन सुरक्षित व सुविधाजनक लेन–देन की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होता है
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और स्टाफ ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं
3. संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. सरकार और सरकारी निकायों के साथ किए गए लेन–देन के लिए प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

सरकार / सरकारी निकायों का नाम	कम्पनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेनदेन की प्रकृति	31.03.23 के दौरान लेन–देन	31.03.22 के दौरान लेन–देन	31.03.2023 को शेष	31.03.2022 को शेष
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय	ऋण पुनर्भुगतान – एमएनआरई के माध्यम से आईडीए	1,977.55	1,877.78	25,692.78	25,584.90
		ब्याज भुगतान	196.38	200.67	-	-
		गारंटी शुल्क भुगतान	8,885.18	9,721.51	-	-
		एमएनआरई की ओर से कर योग्य बॉडों की उगाही	-	-	भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉड सीरीज I : 61,000.00 सीरीज Iए : 22,000.00 सीरीज Iबी: 81,000.00 कुल **:164,000.00**	भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉड सीरीज I : 61,000.00 सीरीज Iए : 22,000.00 सीरीज Iबी: 81,000.00 कुल **:164,000.00**

*वि.व. 22–23 के लिए राशि का प्रतिनिधित्व करता है

इरेडा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। एक ही सरकार के नियंत्रण / संयुक्त नियंत्रण में संबंधित पार्टियों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपए में)

कम्पनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31.03.2023 के दौरान लेन–देन	31.03.2022 के दौरान लेन–देन	31.03.2023 को शेष [विकलन / (उद्धार)]	31.03.2022 को शेष [विकलन / (उद्धार)]
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	577.63	451.93	19,602.80	14,036.43
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का संवितरण	6,144.00	4,498.00	19,602.80	14,036.43
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	89.45	89.45	225.71	315.16
भारतीय जीवन बीमा निगम	किराया – शाखा कार्यालय	7.34	6.92	-	-
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी)	अनुरक्षण प्रभार	134.09	22.57	24.55	10.38
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	इंटरनेट कनेक्टिवटी प्रभार	8.93	9.09	-	(4.50)
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	भाड़े पर लिया गया स्थल	-	20.40	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

सोलर एनर्जी कोरपोरेशन ऑफ इंडिया	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	9.37	9.37
सोलर एनर्जी कोरपोरेशन ऑफ इंडिया सोलर परियोजना	कसारगोड परियोजना	-	181.00	-	-
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कोरपोरेशन	कार्यालय स्वच्छता	29.76	30.16	-	(2.48)
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	ऋण का संवितरण	1,52,991	-	1,52,991	-

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं को ऋण पर ₹3,998.57 लाख (पिछले वर्ष: ₹1,051.06 लाख) का ब्याज और ₹667.08 लाख (पिछले वर्ष: ₹541.38 लाख) के मूलधन का पुनर्भुगतान भी प्राप्त किया है। इसके अलावा, ₹712.57 लाख (पिछले वर्ष: ₹ 617.15 लाख) की राशि भारत सरकार (जीओआई) के शासनादेश के अनुसार कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए सेवा शुल्क के रूप में दर्ज की गई है (नोट 28 देखें)। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान; एनबीसीसी कार्यालय किदवई नगर में इरेडा कार्यालय स्थान के आंतरिक कार्य के लिए 27.07.2022 को एनबीसीसी–एनएसएल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके लिए लगभग कुल ₹1,711 लाख की राशि के लिए बीओक्यू जमा किया गया है।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेनदेन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन को कवर करते हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा और जमा आदि जैसे अन्य लेन–देन भी किए हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका खुलासा नहीं किया गया है। सभी लेन–देन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

11. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और 53(एफ) द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

सहयोगी		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023 को राशि	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	31.03.2022 को राशि	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि
1	ऋण और ऋणों की प्रकृति में अग्रिम	शून्य		शून्य	
क)	सहयोगियों को				
ख)	उन कम्पनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है				

12. भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज एएस) 116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 के प्रारंभिक आवेदन की तारीख के साथ इंड एएस 116 लागू किया है। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 लागू किया है, जिसके तहत 01 अप्रैल, 2019 को बरकरार आय में प्रारंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव को मान्यता दी गई है। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 को लागू होने वाली अपनी सभी लीज व्यवस्था के लिए उपर्युक्त दृष्टिकोण को लागू किया है।

इंडस्ट्रीज एएस 116 के पैरा सी11 के अनुसार, उन पट्टों के लिए जिन्हें इंड एएस 17 लागू करने वाले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उपयोग के अधिकार की संपत्ति की अग्रणीत राशि और प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता की अग्रणीत राशि होगी। पट्टे की संपत्ति और पट्टे की देनदारी उस तारीख से ठीक पहले इंडस्ट्रीज एएस 17 को लागू करते हुए मापी गई थी। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भावना (एकेबी) में पट्टे की संपत्ति के मामले में पट्टे की संपत्ति की अग्रणीत राशि को कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में राशि को आगे बढ़ाया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क) इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में लीज का विवरण

कंपनी के पास मुंबई में ऑफिस स्पेस और केरल में सोलर पार्क लैंड के लिए लीज अनुबंध है। प्रत्येक समझौते और किराये के भुगतान की अवधि अलग–अलग होती है। कंपनी ने उन पट्टों के लिए इंड एएस 116 के तहत माप सिद्धांतों को लागू किया है जिन पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप अल्पावधि पट्टे के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

ख) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

(लाख रुपए में)

परिपक्वता विश्लेषण–संविदात्मक और छूट रहित नकदी प्रवाह	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
एक वर्ष से कम के लिए	105.20	64.29
एक से पाँच वर्ष के लिए	238.17	265.33
पाँच वर्ष से अधिक के लिए	585.30	624.32
कुल बिना छूट वाली लीज देनदारियां	**928.67**	**953.94**
वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल लीज देयताएं	**433.40**	**459.45**
चालू	30.02	26.05
गैर–चालू	403.38	433.40

ग) लाभ या हानि में स्वीकृत राशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
लीज देनदारियों पर ब्याज	38.24	6.69
लीज देनदारियों के मापन में शामिल न किए गए चल लीज भुगतान	-	-
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की सब–लीजिंग से आय	-	-
लीज देनदारियों की स्वीकृति रद्द करना	-	-
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की स्वीकृति रद्द करना	-	-
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के संचित मूल्यह्रास की स्वीकृति रद्द करना	-	-
अल्पावधिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	-
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रभार	179.46	196.54

घ) नकद प्रवाहों के विवरण में स्वीकृत राशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	25.27
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	81.35

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ङ) तुलन पत्र में स्वीकृत राशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,825.05	2,825.06
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों में संवर्धन	-	-
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों का विलोप/स्वीकृति रद्द करना	-	-
वर्ष के अंत में शेष	2,825.05	2,825.06
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की वाहित राशि	1,585.84	1,765.30

च) अन्य प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित खर्च	10.32	8.55

13. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–33 ''आय प्रति शेयर (ईपीएस)'' के संबंध में प्रकटीकरण

क. मूल ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कम्पनी के स्वामियों के कारण वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (लाख रुपए)	86,462.83	63,352.65
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (लाख रुपए)	86,462.83	63,352.65
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,28,46,00,000*	788,709,589**
मूल ईपीएस (क/ख) (रुपए में)	**3.78**	**8.03**

* औसत भरांक (2,284,600,000 *365/365)

** औसत भरांक (784,600,000 *365/365 + 1,500,000,000*1/365)

ख. विरलित ईपीएस

विरलित ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:–

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कम्पनी के स्वामियों के कारण वर्ष के लिए लाभ (हानि) (लाख रुपए)	86,462.83	63,352.65
विरलित आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (लाख रुपए)	86,462.83	63,352.65
विरलित आय प्रति शेयर के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,284,600,000*	788,709,589**
विरलित ईपीएस (क/ख) (रुपए में)	3.78	8.03

* औसत भरांक (2,284,600,000 *365/365)

** औसत भरांक (784,600,000 *365/365 + 1,500,000,000*1/365)

14. **निष्पादन संबद्ध वेतन**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने निष्पादन संबंधी वेतन के लिए ₹935.54 लाख (पिछले वर्षः ₹695.96 लाख) का प्रावधान किया है। अंतर्निहित योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान ₹524.82 लाख (पिछले वर्षः ₹ 810.59 लाख) की राशि का भुगतान किया गया था।

15. **परिसम्पत्तियों पर सृजित प्रतिभूति**

i. **प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई परिसम्पत्तियां**

(₹ in Lakhs)

विवरण	31.03.2023 पर	31.03.2022 पर
हमारे ऋणों और अग्रिमों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार (कम्पनी के बुक ऋण)		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- कर मुक्त बॉण्ड	275,765.46	275,765.46
- बैंकों की उधार राशियां	1,499,207.84	704,298.42
- विदेशी मुद्रा ऋण	192,792.94	197,418.95
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
अस्थायी प्रभार	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां		

इसके अतिरिक्त, 31.03.2022 को ₹ 411,712.61 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्षः ₹ 441,702.30 लाख रुपये) के कर योग्य बांड, ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ii. बुक ऋणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रत्याभूत

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
ऋणात्मक ग्रहणाधिकार (कम्पनी के बुक ऋण)		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- कर योग्य बॉण्ड	4,11,712.61	4,41,702.30
गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

16. कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के अनुसरण में डेरिवेटिव उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस करेंसी स्वैप्स, प्रिंसिपल ओनली स्वैप्स और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत निर्दिष्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में बदलाव को श्कैश फ्लो हेजेज के प्रभावी हिस्सेश में मान्यता दी गई है। हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

17. उधार लेने वाली संस्थाओं की संपत्ति आदि के रूप में रखी गई सुरक्षा के अलावा, कंपनी ने क्रमशः ₹24,935.83 लाख और ₹18,599.32 लाख की एफडीआर और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में जारी गारंटी (पिछले वर्षः ₹ 20,055.86 लाख और ₹16,466.17 लाख) (क्रमशः) रखी।

18. इरेडा की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋणों (बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 40%) पर खुला जोखिम अनुमत है। ओपन एक्सपोजर 31.03.2023 तक ₹188,629.68 लाख (पिछले वर्ष ₹1,94,043.39 लाख) है जो बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 18.62% (पिछले वर्षः 18.60%) है और अनुमेय सीमा के भीतर है।

उक्त ओपन एक्सपोजर में से यूरो 3,03,84,097.05 के लिए आंशिक हेजिंग की गई है, ऋण को 33,726,347.73 यूएसडी के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) से ₹25,566.97 लाख) लेकर ₹27,728.76 लाख (31.03.2022 को 33,726,347.73 यूएसडी के समतुल्य) के लिए आंशिक हेजिंग की गई है। जापानी येन 23,71,500,000 को 1,76,00,564.05 अमेरिकी डॉलर के बराबर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/जेपीवाई) लेकर हेज किया गया है, जिसकी राशि 31.03.2023 को लागू दर पर ₹14,655.87 लाख है (31.03.2022 तकः शून्य)

19. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 40 के अनुसार प्रकटीकरण – "निवेश संपत्ति"

जंगपुरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट

(i) आय और व्यय का विवरणः

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	-	-
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	0.24	0.11

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य :

संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है (कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार) ₹258.16 लाख 31.03.2023 तक (पिछले वर्षः ₹230.00) लाख).

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

20. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 27 – "अलग वित्तीय विवरण"

कंपनी के सहयोगी के संबंध में निम्नलिखित जानकारी है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सहयोगी कम्पनी में निवेश	शून्य	शून्य*

^38(25) नोट का संदर्भ लें

21. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल देनदारियों को हटाना

इंडस्ट्रीज एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार, परिशिष्ट ए "मौजूदा डीकमीशनिंग, बहाली और इसी तरह की देनदारियों में परिवर्तन", डीकमीशनिंग, बहाली या इसी तरह की देयता में निर्दिष्ट परिवर्तनों को संपत्ति की लागत से जोड़ा या घटाया जाना चाहिए, जिसके लिए यह संबंधितय परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास योग्य राशि तब इसके शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से मूल्यह्रास की जाती है। इंडस्ट्रीज एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, एक संपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर निर्धारित की जाती है। डीकमीशनिंग देयता की राशि और सौर संयंत्र से संबंधित अवशिष्ट मूल्य विश्वसनीय रूप से निश्चित नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। हालांकि, प्रबंधन की राय है कि बंद करने की लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का शुद्ध) महत्वपूर्ण नहीं होगी।

22. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और 25.04.2023 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

23. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कंपनी सोलर पावर प्लांट चला रही है। इरेडा और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को ₹ 4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, इरेडा ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.2018 में मार्च 2018 तक ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक टैरिफ ऑर्डर पारित किया और ₹3.83 प्रति यूनिट का निर्धारित

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

किया। तदनुसार, कंपनी ने केएसईबीएल को बिजली की आपूर्ति पर सकल राजस्व की पहचान की है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करना जारी रखा है।

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
		उत्पादित यूनिट (मिल.)	बेची गई इकाई (मिल)	दर प्रति इकाई (रुपए)	कुल (लाख रुपए में)
i)	ऊर्जा उत्पादन	72.09	71.68	3.83	2,745.33
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**			
		उत्पादित यूनिट (मिल.)	**बेची गई इकाई (मिल)**	**दर प्रति इकाई (रुपए)**	**कुल (लाख रुपए में)**
i)	ऊर्जा उत्पादन	76.29	75.90	3.83	2,907.06

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्रियों में शामिल बिल न किए गए राजस्व की राशि	309.29	278.17

क) राजस्व का पृथक्करण

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का पृथक्करण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**राजस्व**		
	प्रचालनों से निवल राजस्व (छूट से निवल, जहां लागू हो)	2,690.42	2,848.92
	परामर्श	23.74	160.27
2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
	घरेलू राजस्व	2,714.17	3,009.19
	अंतरराष्ट्रीय राजस्व	-	-
	कुल राजस्व	**2,714.17**	**3,009.19**
3	**राजस्व स्वीकृति का समय**		
	एक समय में	-	-
	समय के बाद	2,714.17	3,009.19
	कुल राजस्व	**2,714.17**	**3,009.19**

टिप्पणी: केएसईबीएल ऊर्जा की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) कारोबार प्राप्य और संविदा शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्य और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कारोबार प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र)	303.11	272.61

24. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने 2014–15 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ केरल राज्य में कासरगोड जिले के अंबालाथारा सोलर पार्क में स्थित इरेडा की 50 मेगावाट की सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। इसे वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹29,398.48 लाख पर पूंजीकृत किया गया है। बदले में, इरेडा की ओर से एसईसीआई (एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में) ने ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) सलाहकार के रूप में मैसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड को डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग के लिए चुना था। ₹26,929.25 लाख के निश्चित मूल्य पर सोलर पीवी पावर प्लांट और एसईसीआई को देय ₹2,456.32 लाख के 8% प्रबंधन शुल्क (कर सहित) और वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान ₹12.92 लाख ब्याज पूंजीकृत। ₹1,500.00 लाख की राशि (छोड़कर) कर) जिसका भुगतान अक्षय ऊर्जा निगम केरल लिमिटेड (आर पी सी के एल), सोलर पार्क डेवलपर को निकासी शुल्क के लिए अग्रिम के रूप में किया गया था, को वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹812.71 लाख की एक और राशि का भुगतान और पूंजीकृत किया गया था

पीपीए पर इरेडा और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को ₹ 4.95 / केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर हस्ताक्षर किए गए थे। तदनुसार, इरेडा ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.18 में ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, केएसईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 06.02.19 में ₹3.83 प्रति यूनिट की दर से स्तरित टैरिफ को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नानुसार आदेश भी दिया है:

- केएसईबी लिमिटेड रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) पर भुगतान किए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा, जो इस आदेश में निर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित है। कर का दावा करने के लिए, विकासकर्ता केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

- केएसईबी लिमिटेड उपरोक्त के अलावा, सब्सिडी के रूप में प्राप्त राशि, यदि कोई हो, को घटाकर इरेडा / आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गई भूमि पट्टे की प्रतिपूर्ति करेगा।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 में, इरेडा ने आरपीसीकेएल से ₹1,313 लाख का दावा किया था, जिसने दावे और उसके मूल्य के नकारात्मक में जवाब दिया था। इसके अलावा, इरेडा ने निर्धारित टैरिफ की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका के साथ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) से संपर्क किया है जो लंबित है। इसके बावजूद, उत्पादन आय को ₹3.83 प्रति यूनिट की दर से हिसाब में लिया गया है।

कंपनी ने 09.03.2020 को संचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया था। संयंत्र हस्तांतरण और कब्जा 09.03.2021 को किया गया है। सौर परियोजना लीजहोल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए पहले 5 वर्षों तक कोई लीज किराया देय नहीं था। कंपनी ने 28 साल (07.10.2015 से 06.10.2043 तक) की अवधि के लिए भूमि उपयोग के संबंध में रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड (आर पी सी के एल) के साथ एक पट्टा समझौता किया है। समझौते के अनुसार, कंपनी को 06.10.2020 तक भूमि पट्टा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। केएसईआरसी टैरिफ आदेश दिनांक 06.02.2019 के अनुसार, इरेडा आरपीसीकेएल को भुगतान किए गए भूमि पट्टा शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है। इसके मद्देनजर केएसईबीएल को भुगतान किए गए लीज रेंट के लिए 24.03.2022 को प्रतिपूर्ति पत्र भेजा गया है। वही अनिश्चित होने के कारण, उसके लिए कोई संपत्ति सृजित नहीं की गई है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

इसके अलावा, इरेडा ने 05.04.2022 को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की थी और इरेडा इसके द्वारा आरपीसीकेएल को भुगतान की गई कुल लागत की अनुमति के लिए अपने आधार पर दबाव बना रहा है, जो कि ₹2,538.00 लाख है न कि ₹1,225.00 लाख की अनुमति है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 और 64 के तहत लागत–प्लस आधारित टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में, याचिकाकर्ता द्वारा की गई वास्तविक लागत को टैरिफ में पूंजीकृत किया जाना चाहिए और राज्य आयोग अनुमानों के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है। चूंकि समीक्षा केवल सीमित आधारों पर मांगी जा सकती है, इरेडा ने कुछ कानूनी आधारों पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 08.06.2022 को अनुमत द्वितीय अपील दायर करने की कार्यवाही की। डायरी नंबर यानी 2022 का नंबर 18137 दिया गया है। इरेडा ने आरपीसीकेएल द्वारा दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर भर दिया है।

इरेडा ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 120 (2) (एफ) के तहत 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 15 दायर की है, जिसमें 2021 की अपील संख्या 141 में माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2022 की समीक्षा की मांग की गई है। वर्तमान समीक्षा इरेडा द्वारा परियोजना विकास लागत के रूप में किए गए व्यय के मुद्दे पर इस माननीय ट्रिब्यूनल के निर्णय तक सीमित है और प्रतिवादी संख्या 2 – केरल के अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को भुगतान किया गया है। मैसर्स आरपीसीकेएल ने काउंटर जवाब दायर किया है। इसके बाद इरेडा ने प्रत्युत्तर दाखिल किया है। जिरह पूरी हो चुकी है। मामला अब अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अगली तिथि की सूचना अभी नहीं दी गई है।

25. 31.03.2022 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान, ₹24.00 लाख के एक विचार के लिए, कंपनी ने सहायक कंपनी – एमपी विंडफार्म्स लिमिटेड में अपने निवेश को मैसर्स आई–बान रिटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को परिसमापित कर दिया। तदनुसार, इरेडा द्वारा रखे गए ₹ 10/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के पूरे 168,000 इक्विटी शेयरों (प्रत्येक ₹ 10/– प्रत्येक बोनस शेयरों के रूप में आवंटित 48,000 इक्विटी शेयरों सहित) का स्थानांतरण/बिक्री 26.03.2022 को स्थानांतरित की गई थी।

26. सभी आवासीय एवं कार्यालय परिसरों के संबंध में दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ाई गई संपत्ति कर की मांग का भुगतान कर दिया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में संपत्ति कर का भुगतान इंडिया हैबिटेट सेंटर की मांग के अनुसार किया गया है, जो इकाई क्षेत्र पद्धति पर आधारित था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने 1994–2004 की अवधि के लिए कर योग्य मूल्य की गणना के उद्देश्य से सुविधा क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस शुल्क को शामिल करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ एक मुद्दा उठाया है। यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 31.03.2023 तक लंबित था। हालाँकि, बाद में इस मुद्दे को एसडीएमसी और आईएचसी के बीच सुलझा लिया गया और दोनों पक्षों द्वारा याचिका वापस ले ली गई। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 11 अप्रैल 2023 के आदेश के अनुसार, आगे कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई है।

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, इरेडा को निदेशक मंडल की एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति का गठन करना आवश्यक है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों की गणना औसत शुद्ध लाभ का 2% तुरंत खर्च करना होगा। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार अधिसूचित 22.01.2021 से, किसी भी चल रही परियोजना के लिए कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की जाएगी, ऐसे स्थानांतरण का उपयोग तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। किसी चल रही परियोजना के अलावा किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कंपनी कानून के तहत आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, तो अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जा सकता है और खर्च की जाने वाली राशि के विरुद्ध अगले तीन वित्तीय वर्षों में समायोजित किया जा सकता है।

चूंकि वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान अधिसूचना को प्रभावी बनाया गया था, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन किया। तदनुसार, 31.03.2020 तक की अव्ययित सीएसआर राशि को पूर्व–संशोधन ढांचे के अनुसार निपटाया जाना जारी रहेगा।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क. 31.03.2023 तक, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्तमान और पिछले वित्त वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि।	1,057.73	685.34
2	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि[1]	724.41	872.93
3	वर्ष के अंत में कमी / (अधिक)* (1-2)	333.32	(187.59)
4	कैरी फॉरवर्ड (अतिरिक्त) सीएसआर पिछले वर्षों से खर्च करता है	(362.25)	(174.66)
5	चालू वित्त वर्ष में पहले खर्च की गई अतिरिक्त राशि का समायोजन	333.32	-
6	कुल कमी / (अधिक) वर्ष के अंत में आगे ले जाया गया खर्च (4–5)	(28.93)	(362.25)

31.03.2020 के अनुसार कुल अव्यय राशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	प्रारंभिक जमा***	622.97	700.63
ख)	वर्ष के दौरान खर्च किया गया	249.01	77.67
ग)	अंतिम शेष [कमी / (अधिक)] ** (क-ख)	373.96	622.97

ख. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत स्टैंडअलोन लाभ (कर से पहले) के 2% के आधार पर ₹1,057.73 (वित्त वर्ष 21–22 ₹685.34 लाख) के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में माइलस्टोन से जुड़े भुगतान के आधार पर बाद के वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट गैर–व्यपगत होता है, और किसी भी अव्ययित राशि को अगले वर्ष के लिए उपयोग के लिए आगे ले जाया जाता है, जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।

ग. [1]वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि:–

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नकद में	अब भी मामले में भुगतान	कुल	नकद में	अब भी मामले में भुगतान	कुल
		31.03.2023 को समाप्त वर्ष			31.03.2023 को समाप्त वर्ष		
(i)	किसी परिसम्पत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	448.43	275.99	724.41	872.93	-	872.93
(ii)	उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त अन्य	-	-	-	-	-	-
	कुल	**448.43**	**275.99**	**724.41**	**872.93**	**-**	**872.93**

समाप्त वर्ष के दौरान, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं पर ₹697.44 लाख (पिछले वर्षर्ू ₹950.60 लाख) की कुल राशि नकद में खर्च की गई है। वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों में से, ₹448.43 लाख की राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में परियोजना व्यय से संबंधित है और ₹249.01 लाख की शेष राशि पिछले वर्षों (पिछले वर्ष) के परियोजना व्यय से संबंधित हैरू की कुल राशि ₹950.60 लाख खर्च किए गए, जिनमें से ₹872.93 लाख वित्तीय वर्ष 2021–22 के परियोजना व्यय से संबंधित थे और शेष ₹77.67 लाख पिछले वर्षों के परियोजना व्यय से संबंधित थे)।

घ) चालू वर्ष या पिछले वर्ष में सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया था।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ङ. सीएसआर खर्च और अव्यय का विवरणः –

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए

अव्ययित राशि

(लाख रुपए में)

अनुसूची–VII की निर्दिष्ट निधि में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	साल के दौरान राशि खर्च*	जमा शेष
लागू नहीं	1057.73	781.74	275.99

*पिछले वर्षों में अतिरिक्त सीएसआर खर्च की सेटऑफ राशि का समायोजन शामिल है।

अधिक राशि खर्च की गई

(लाख रुपए में)

प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	साल के दौरान राशि खर्च	सी वाई में कमी के खिलाफ राशि समायोजित	जमा शेष
362.25	**-**	**-**	**333.32**	**28.93**

चल रही परियोजनाओं के लिएः

(लाख रुपए में)

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	साल के दौरान राशि खर्च		जमा शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर में अव्ययित खाता		कंपनी का बैंक खाता	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर में अव्ययित
-	-	-	-	-	-	275.99*

*24.04.2023 को जमा किया गया

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए

अव्ययित राशि

(लाख रुपए में)

अनुसूची–VII की निर्दिष्ट निधि में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	साल के दौरान राशि खर्च*	जमा शेष
लागू नहीं	685.34	872.93	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

अधिक राशि खर्च की गई

(लाख रुपए में)

प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	साल के दौरान राशि खर्च	सीवाई में कमी के लिए राशि समायोजित	जमा शेष
174.66	685.34	872.93	-	362.25

चल रही परियोजनाओं के लिएः

(लाख रुपए में)

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	साल के दौरान राशि खर्च		जमा शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर में अव्ययित खाता		कंपनी का बैंक खाता	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर में अव्ययित
-	-	-	-	-	-	-

28. लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक		
• सीमित समीक्षा	-	2.18
• सांविधिक लेखापरीक्षा	9.60	8.73
• कर लेखापरीक्षा	3.20	2.91
• अंतरिम लेखों के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	28.80	24.00
अन्य सेवाएं		
• प्रमाणन शुल्क	3.00	3.25
• डीआरएचपी आईपीओ से संबंधित	5.00	5.00
कुल	**49.61**	**46.07**

*जीएसटी को छोड़कर

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

29. आस्थगित कर – इंड एएस 12 'आयकर' के अनुसार प्रकटीकरण

क. लाभ हानि विवरण में स्वीकृत कर

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के संबंध में चालू आयकर व्ययः		
निम्नलिखित के संबंध में चालू आयकर व्ययः	25,317.27	31,119.55
उप योग (क)	**25,317.27**	**31,119.55**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी भिन्नताओं की उत्पत्ति और उत्क्रमण	2,144.82	(11,088.33)
पहले अस्वीकृत कर हानि, कर क्रेडिट या पिछले वर्ष का अस्थायी अंतर (आस्थगित कर व्यय को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है)	-	-
उप योग (ख)	**2,144.82**	**(11,088.33)**
कुल (ग=क+ख)	**27,462.09**	**20,031.22**
कर व्यय/(बचत) नकद प्रवाह हेज रिजर्व में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि) के प्रभावी हिस्से पर मान्यता प्राप्त और बीमांकिक (लाभ)/हानि (ओसीआई) पर कर (घ)	(1,302.84)	(2,598.13)
कुल कर व्यय (ग+घ)	**26,159.25**	**17,433.09**

ख. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कर

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.12)	(18.34)
नकद प्रवाह हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर प्रभावी भाग पर आयकर	(1,263.72)	(2,598.13)
कुल	**(1,302.84)**	**(2,616.46)**

ग. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाशोधन

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कर और ओसीआई से पूर्व लाभ	108,748.34	72,987.88
लागू आयकर दर (%)	25.17%	25.17%
संभावित आयकर	27,369.78	18,369.59
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
मूल्यह्रास	3.20	(116.66)
आस्थगित मदें और ओसीआई समायोजन	42.93	(1,878.21)
46क का शोधन	1,263.72	2,598.13
क्षति	1,201.38	1,444.43

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

धारा 43ख और अन्यों के तहत निवल निषेध	(11.86)	15.54
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) के अंतर्गत कटौती का लाभ	(5,116.20)	(4,353.05)
सीएसआर व्ययों और अन्यों की गैर–स्वीकार्यता	175.53	239.25
स्थायी परिसम्पत्तियों का समायोजन	3.27	1.03
अन्य कटौती योग्य कर व्यय	-	-
मुहैया कराया गया अतिशेष कर	73.95	91.62
पिछले वर्षों में आयकर	-	1,021.43
पिछले वर्ष के लेखों में समायोजन	1,153.54	-
दंडात्मक ब्याज	-	-
लाभ हानि के स्टैंडअलोन विवरण में कुल कर व्यय	26,159.26	17,433.09
बही आय पर वास्तविक प्रभावी आयकर दर (%)	24.05%	23.88%

घ. आस्थगित कर का आवागमन

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2022 को निवल शेष	लाभ हानि में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31.03.2023 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
गारंटी कमीशन पर कर और अन्य का प्रावधान	1,865.24	226.65	-	2,091.89
सेवा कर और अन्य के लिए प्रावधान	277.20	18.47	-	295.67
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	167.26	8.18	-	175.45
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	-	6.89	(6.89)	-
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	290.31	56.36	1.74	348.41
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	109.63	(5.30)	-	104.34
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	5.29	0.70	(0.56)	5.44
स्टाफ के लिए प्रावधान (मीमेंटो)	2.71	(0.02)	0.07	2.77
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	202.02	103.37	-	305.39
अक्षमता	38,888.74	474.28	-	39,363.02
फ्रंट एंड शुल्क – बुक में आस्थगित	2,953.90	1,940.73	-	4,894.63
कुल	**44,762.30**	**2,830.32**	**(5.63)**	**47,587.00**
विलंबित कर उत्तरदायित्व				
मूल्यह्रास	4,907.50	(332.55)	-	4,574.95

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	7,589.05	5,261.27	-	12,850.32
बॉण्ड	59.87	1.50	-	61.37
ऋण	-	0.18	-	0.18
कुल	**12,556.42**	**4,930.40**	**-**	**17,486.82**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति / (देनदारी)	**32,205.88**	**(2,100.08)**	**(5.63)**	**30,100.18**

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	01.04.2021 को निवल शेष	लाभ हानि में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31.03.2022 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
गारंटी कमीशन पर कर और अन्य का प्रावधान	-	1,865.24		1,865.24
सेवा कर और अन्य के लिए प्रावधान	-	277.20		277.20
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	132.31	34.95	-	167.26
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	-	8.48	(8.48)	0.00
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	250.22	13.43	26.67	290.31
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	95.53	14.10	-	109.63
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	4.43	0.65	0.22	5.29
स्टाफ के लिए प्रावधान (मीमेंटो)	-	2.78	(0.07)	2.71
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	230.87	(28.85)	-	202.02
अक्षमता	35,803.60	3,085.14	-	38,888.74
फ्रंट एंड शुल्क – बुक में आस्थगित	328.68	2,625.21	-	2,953.89
कुल	**36,845.63**	**7,898.33**	**18.34**	**44,762.30**
विलंबित कर उत्तरदायित्व				
मूल्यह्रास	5,197.09	(289.59)	-	4,907.50
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	10,457.34	(2,868.28)	-	7,589.05

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

बॉण्ड	91.99	(32.13)	-	59.87
ऋण	-	-	-	-
कुल	**15,746.42**	**(3,190.00)**	**-**	**12,556.42**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति / (देनदारी)	**21,099.21**	**11,088.33**	**18.34**	**32,205.88**

ड. आगे ले गए कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर हानियां / अप्रयुक्त कर क्रेडिट

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को	समाप्ति की तारीख	31.03.2022 को	समाप्ति की तारीख
आगे ले गए कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर हानियां / अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिनके लिए किसी भी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को स्वीकृति नहीं दी गई है	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं

च. सकल चालू कर और आस्थगित कर जिन्हें सीधे इक्विटी में स्वीकृत किया गया है

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्माप पर आस्थगित कर	39.12	18.34
कैश फ्लो हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ / (हानि) के प्रभावी हिस्से पर वर्तमान कर	1,263.72	2,598.13
कुल	**1,302.84**	**2,616.46**

30. अतिरिक्त सूचना

क) विदेशी मुद्रा में व्ययः

- यात्रा पर ₹15.34 लाख (पिछले वर्षः ₹ शून्य)
- याज और प्रतिबद्धता व्ययः ₹18,944.31 लाख (पिछले वर्षः ₹ 9,119.43 लाख)।

ख) विदेशी मुद्रा में आयः

- ब्याजः ₹ शून्य लाख (पिछले वर्षः ₹ 1.81 लाख)

ग) वर्ष के दौरान, मैसर्स केएफडब्ल्यू ने तकनीकी के लिए ₹48.29 लाख (पिछले वर्षः ₹203.98 लाख) (प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टीए कार्यक्रम के तहत किराए पर लिए गए सलाहकारों को सीधे ₹43.38 लाख और इरेडा को सीधे ₹4.91 लाख

सहित) का भुगतान किया। "भारत में सौर पीवी परियोजना पाइपलाइन के लिए तकनीकी सहायता" आदि के लिए के एफ डब्लू IV लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में इरेडा को 0.60 मिलियन यूरो का सहायता कार्यक्रम (टैप) स्वीकृत किया गया।

घ) वर्ष के दौरान, मैसर्स केएफडब्ल्यू ने टैप के विरुद्ध ₹116.15 लाख (पिछले वर्षः ₹173.93 लाख) का भुगतान किया (प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टी ए कार्यक्रम के तहत किराए पर लिए गए सलाहकारों को सीधे ₹104.34 लाख और करों के लिए इरेडा को सीधे ₹11.81 लाख सहित) क्षमता निर्माण उपायों और इरेडा के लिए संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की लागत के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए के एफ डब्लू VI लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में इरेडा को 1 मिलियन यूरो की मंजूरी दी गई।

ङ) विश्व बैंक ने आई बी आर डी III लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सौर पार्क परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालर के स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सी टी एफ) अनुदान को मंजूरी दी है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सी टी एफ अनुदान के तहत इरेडा को राजस्व व्यय के लिए ₹49.96 लाख और पूंजीगत व्यय (पिछले वर्षः ₹246.92 लाख) के लिए ₹124.59 लाख सहित ₹174.55 लाख जारी किए।

31. एमएनआरई / यूएनडीपी – इरेडा योजना निधि

कंपनी अपनी स्वयं की गतिविधियों के अलावा कथित मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को लागू करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज प्राप्त होने पर हिसाब लगाया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा सृजित आय कंपनी की आय नहीं है और साथ ही ऋण परिसंपत्तियां एमएनआरई से संबंधित हैं, इसे परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रम के बंद होने पर, कंपनी को एमएनआरई के क्रेडिट में जमा राशि (उस पर अर्जित ब्याज सहित) एमएनआरई को सेवा शुल्क, अपरिवर्तनीय चूक, और समझौता ज्ञापन में निर्धारित अन्य बकाया राशि को काटने के बाद स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।

क) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) / पूंजीगत सब्सिडी योजना आदिः इरेडा पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के तहत पंजीकृत पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और पूंजीगत सब्सिडी के कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ओर से यह योजना कार्यक्रम प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा इरेडा को जीबीआई दावेदारों यानी योजना के अनुसार प्रोजेक्ट डेवलपर्स / डिस्कॉम को ऊर्जा उत्पादन के लिए उसी के संवितरण के उद्देश्य से फंड प्रदान किया जाता है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, गतिविधि धन की प्राप्ति और उपयोग है। एमएनआरई द्वारा जीबीआई फंड जारी करने के लिए, इरेडा को एमएनआरई द्वारा जारी फंड की पिछली किश्त के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखापरीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। कथित आवश्यकता का इरेडा द्वारा पूरी तरह से पालन किया जाता है, और अब तक एमएनआरई द्वारा और कुछ भी आवश्यक नहीं किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने योजना के खातों का लेखा परीक्षण नहीं किया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बचत बैंकों / अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग–अलग बैंक खातों में रखी गई अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के साथ–साथ वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त के कारण एमएनआरई को देय राशि, नकद में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष के रूप में दिखाया गया है। और नकद समतुल्य (नोट 3 देखें) और संबंधित देयता को बैलेंस शीट में अन्य वित्तीय देनदारियों (नोट 22 देखें) के तहत दिखाया गया है।

ख) जीईएफ–एमएनआरई–संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) परियोजनाः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूनिडो ने संयुक्त रूप से ऊर्जा रूपांतरण के लिए बायोगैस / बायो–मीथेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचारों और टिकाऊ ऊर्जा को लक्षित करने के लिए जेफ–5 वित्त पोषित औद्योगिक जैविक कचरे से उत्पादन परियोजना को लागू किया है। उक्त परियोजना के तहत यूनिडो परियोजना विकासकर्ताओं के लिए ब्याज दर में 5% की सब्सिडी के लिए धन उपलब्ध कराएगा और इरेडा फंड हैंडलर है। वर्ष के दौरान यूएनआईडीओ के लिए कोई दावा नहीं किया गया है, हालांकि

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

इरेडा को ₹45.92 लाख (01.02.2022 को दावा किया गया) के जीएसटी के साथ 3,40,000 अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त के लिए ₹255.14 लाख की राशि प्राप्त हुई है। नोट 22–अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत अपेक्षित निधि देयता (उपार्जित ब्याज सहित) का खुलासा किया गया है।

32. एम एन आर ई भारत सरकार पूर्ण सेवा बांड

ओ.एम. आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, इरेडा द्वारा जारी संख्या एफ.15 (4)–बी (सीडीएन)/2015 दिनांक 03.10.16 को भारत सरकार के माध्यम से एमएनआरई योजनाओं/ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर, ऑफ–ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल पावर से संबंधित कार्यक्रमों और निगमों और स्वायत्त निकायों में निवेश के लिए उनके द्वारा आय के उपयोग के लिए पूरी तरह से सर्विस्ड बॉन्ड ₹4,00,000 लाख की राशि जुटाने के लिए कहा गया था एम एन आर ई और इरेडा के बीच 25.01.17 को दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के पृष्ठ 5 पर सामान्य खंड का पैरा संख्या I विशेष रूप से परिभाषित करता है कि कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए एमएनआरई बॉन्ड के उधार को संपत्तिध्देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि उधार के साथ–साथ संपत्ति में भी दिखाई देगी, हालांकि इरेडा के उधार/संपत्ति या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इरेडा ने वर्ष 2016–17 के दौरान एमएनआरई की ओर से ₹1,64,000.00 लाख जीओआई फुली सर्विस्ड बॉन्ड जुटाए थे और इसे नोट संख्या 24 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। इसके विरुद्ध विभिन्न योजनाओं/योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार ₹1,63,879.20 लाख की राशि 31.03.2023 (पिछले वर्षः ₹1,63,879.20 लाख) तक वितरित की जा चुकी है। उक्त राशि को नोट संख्या 17 – अन्य गैर–वित्तीय संपत्तियों – के तहत एमएनआरई से वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया गया है। यह राशि एम आई बी ओ आर लिंक्ड डिपॉजिट में रखी गई थी, जिस पर 31.03.2023 तक ₹1,160.42 लाख का अर्जित ब्याज (पिछले वर्षः ₹1,117.48 लाख) नोट संख्या 24 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) 31.03.2023 तक ₹928.69 लाख (पिछले वर्षः ₹885.75 लाख) है जिसे एम आई बी ओ आर लिंक्ड सावधि जमा में रखा गया है और शेष राशि चालू खाते में ₹352.53 लाख 31.03.2023 तक रखी गई है। (पिछले वर्षः ₹352.53 लाख) जो नोट संख्या 3 के तहत – अन्य बैंक शेष संबंधित उप शीर्षों में दिखाए गए हैं।

31.03.2023 के अंतिम वर्ष के दौरान, निवेशकों को भुगतान के लिए भारत सरकार के पूर्ण रूप से सर्विस्ड बॉन्ड पर ₹12,434.70 लाख (पिछले वर्षः ₹12,434.70 लाख) का ब्याज देय हो गया।

33. एमएनआरई से प्राप्त सब्सिडी/प्रोत्साहन और उनकी ओर से संचालित

क. ब्याज सब्सिडी

सरकार की नीति के अनुसार, एमएनआरई ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है। सह–उत्पादन, लघु हाइड्रो, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सोलर थर्मल और अपशिष्ट से ऊर्जा के एमएनआरई कार्यक्रमों को एनपीवी आधार पर और वास्तविक आधार पर सौर और एसपीवी कार्यक्रमों को लागू करने वाले उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है। इन उधारकर्ताओं द्वारा मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन तिमाही आधार पर उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ब्याज सब्सिडी की स्थायी शेष राशि का कार्यक्रम–वार ब्यौरा इस प्रकार है:–

(i) पूर्व में प्राप्त और एनपीवी आधार पर बकाया ब्याज सब्सिडी:–

(लाख रुपए में)

समाप्त वर्ष के लिए	बायो मास सह–उत्पादन	लघु हाइड्रो	उप योग (क)
31.03.2023	215.01	1.83	**216.84**
31.03.2022	215.01	1.83	**216.84**

(ii) पहले प्राप्त ब्याज सब्सिडी और वास्तविक आधार पर बकाया :–

(लाख रुपए में)

समाप्त वर्ष के लिए	सोलर थर्मल सेक्टर	एसपीवी डब्ल्यूपी 2000-01	एसपीवी डब्ल्यूपी 2001-02	एसपीवी डब्ल्यूपी 1999-00	एसपीवी डब्ल्यूपी निर्माण	एसपीवी डब्ल्यूपी 1992-03	त्वरित एसडब्ल्यूएच प्रणाली	उप योग (ख)	कुल योग (क+ख)
31.03.2023	0.04	(51.35)	(136.03)	(6.85)	(2.97)	(41.39)	0.10	**(238.45)**	**(21.61)**
31.03.2022	0.04	(51.35)	(136.03)	(6.85)	(2.97)	(41.39)	0.10	**(238.45)**	**(21.61)**

ख पूंजीगत सब्सिडी

वर्ष के दौरान, ₹3,594.77 लाख (पिछले वर्ष: ₹3,871.38) की राशि एमएनआरई से पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल पूंजी सब्सिडी राशि में से, ₹3,594.77 लाख (31.03.2022 को: ₹3,871.38) पूंजीगत सब्सिडी योजना के नियमों और शर्तों के अनुपालन पर उधारकर्ताओं को दिए गए।

34. डिबेंचर मोचन रिजर्व

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7) (बी) (पप) के अनुसार, कंपनी को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी बांड के 25% तक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता है। कंपनी ने डीआरआर के लिए एक प्रावधान किया है, ताकि टैक्स–फ्री बॉन्ड की संबंधित अवधि के दौरान आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। तदनुसार, 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹4,629.11 लाख की राशि प्रदान की गई है (पिछले वर्ष: ₹4,629.11 लाख)।

35. एनबीएफसी रिजर्व

आरबीआई के परिपत्र संख्या के संदर्भ में डीएनबीआर (पीडी)सीसी.सं.092 / 03.10.001 / 2017–18 दिनांक 31 मई 2018, इरेडा को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत कर पश्चात लाभ के 20% की दर से एनबीएफसी रिजर्व बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, 31.03.2023 को अंतिम वर्ष के लिए, एनबीएफसी रिजर्व के लिए ₹17,300 लाख (पिछले वर्ष: ₹12,700 लाख) की राशि विनियोजित की गई है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

36. वित्तीय विलेखों से संबंधित प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणी द्वारा वित्तीय विलेख

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2023 तक)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकद और नकद समतुल्य	13,853.08	-	-	-	13,853.08
चिह्नित बैंक शेष	81,624.05	-	-	-	81,624.05
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख		-	54,589.94	2,815.26	57,405.20
कारोबारी प्राप्य	491.42	-	-	-	491.42
ऋण	4,622,692.33	-	-	-	4,622,692.33
निवेश	9,930.26	-	-	-	9,930.26
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	3,180.55	-	-	-	3,180.55
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**4,731,771.70**	**-**	**54,589.94**	**2,815.26**	**4,789,176.90**
वित्तीय देनदारियां					
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख		-	14,844.15	302.71	15,146.86
कारोबारी देय	491.15	-	-	-	491.15
ऋण प्रतिभूतियां	1,084,328.34	-	-	-	1,084,328.34
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	2,867,266.36	-	-	-	2,867,266.36
अधीनस्थ देनदारियां	64,933.29	-	-	-	64,933.29
अन्य वित्तीय देनदारियां	133,500.73	-	-	-	133,500.73
कुल वित्तीय देनदारियां	**4,150,519.87**	**-**	**14,844.15**	**302.71**	**4,165,666.73**

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2022 तक)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकद और नकद समतुल्य	13,117.48	-	-	-	13,117.48
चिह्नित बैंक शेष	39,551.85	-	-	-	39,551.85
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख	-	-	38,563.24	1,269.76	39,833.00
कारोबारी प्राप्य	452.68	-	-	-	452.68
ऋण	3,317,444.77	-	-	-	3,317,444.77
निवेश	9,926.84	-	-	-	9,926.84
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	3,182.09	-	-	-	3,182.09

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**3,383,675.71**	**-**	**38,563.24**	**1,269.76**	**3,423,508.71**
वित्तीय देनदारियां					
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख	-	-	18,257.49	-	18,257.49
कारोबारी देय	516.95	-	-	-	516.95
ऋण प्रतिभूतियां	922,913.87	-	-	-	922,913.87
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,773,467.47	-	-	-	1,773,467.47
अधीनस्थ देनदारियां	64,925.97	-	-	-	64,925.97
अन्य वित्तीय देनदारियां	83,559.91	-	-	-	83,559.91
कुल वित्तीय देनदारियां	**2,845,384.17**	**-**	**18,257.49**		**2,863,641.66**

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है

क) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त और मापी गई और

ख) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत प्रदान करने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर पर एक स्पष्टीकरण तालिका के नीचे दिया गया है।

ग) भौतिकता को ध्यान में रखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमा में छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी उपकरण, ट्रेडेड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी उपकरणों (बॉन्ड सहित) का उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर समापन मूल्य का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय उपकरण (उदाहरण के लिए, कारोबार किए गए बांड) जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले सभी इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य होते हैं।

स्तर 3: ऐसी तकनीक जो ऐसे निविष्ट का उपयोग करती है जो रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है जो असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31.03.2023 तक*

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां :-			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	47,732.37
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	6,857.57
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	2,815.26
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**57,405.20**
	-	**-**	
वित्तीय देनदारियां			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव	**-**	**-**	
मूलधान केवल स्वैप	-	-	14,844.15
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	302.71
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**15,146.86**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

संपत्ति और देनदारियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा गया है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है।

(लाख रुपए में)

31.03.2023 तक*	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
कम्पनियों को ऋण	-	-	4,616,389.25
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**4,616,389.25**
वित्तीय देनदारियां			
परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियाँ:			
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	1,084,328.34
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	2,867,266.36
अधीनस्थ देनदारियां	-	-	64,933.29
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**4,016,528.00**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31.03.2022 तक*

(लाख रुपए में)

विवरण	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:–			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	35,364.09
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	3,199.15
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	1,269.76
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**39,833.00**
वित्तीय देनदारियां			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	18,257.49
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**18,257.49**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

संपत्ति और देनदारियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा गया है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है।

(लाख रुपए में)

31.03.2022 तक*	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
मान्यता पर वित्तीय संपत्तिः			
कम्पनियों को ऋण	-	-	3,309,948.30
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**3,309,948.30**
वित्तीय देनदारियां			
मान्यता पर वित्तीय देनदारियाँः			
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	922,913.87
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	1,773,467.47
अधीनस्थ देनदारियां	-	-	64,925.97
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**2,761,307.31**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

III. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग किया जाता है

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया डेरिवेटिव उपकरण के लिए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

महत्वपूर्ण अप्राप्य निविष्ट का उपयोग करके उचित मूल्य माप (स्तर 3)

कर–पूर्व दर जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2023 को समाप्त वर्ष और 31.03.2022 के लिए स्तर 3 वस्तुसूची में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: –

(लाख रुपए में)

विवरण	डेरिवेटिव विलेख	डेरिवेटिव मद
व्युत्पन्न लेखांकन में व्युत्पन्न सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ / (हानि)	1,242.79	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ / (हानि)	17,037.68	(22,058.82)
31.03.2023 को	**18,280.47**	**(22,058.82)**
व्युत्पन्न लेखांकन में व्युत्पन्न सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ / (हानि)	(147.36)	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ / (हानि)	(10,656.67)	333.53
31.03.2022 को	**(10,804.03)**	**333.53**

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएं

हेज सौदे के एमटीएम मूल्य के मूल्यांकन के लिए, इरेडा ने एक पंजीकृत स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार–चढ़ाव, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, ब्याज दर आदि पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

V. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
कम्पनियों को ऋण	4,616,389.25	4,632,998.88	3,309,948.30	3,320,089.79
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**4,616,389.25**	**4,616,389.25**	**3,309,948.30**	**3,320,089.79**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	**वाहित राशि**	**लेनदेन का मूल्य**	**वाहित राशि**	**लेनदेन का मूल्य**
वित्तीय देनदारियां परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां:				
ऋण प्रतिभूतियां	1,084,328.34	1,084,505.46	922,913.87	923,165.46
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	2,867,266.36	2,867,267.09	1,773,467.47	1,773,469.59
अधीनस्थ देनदारियां	64,933.29	65,000.00	64,925.97	65,000.00
कुल वित्तीय देनदारियां	**4,016,528.00**	**4,016,772.55**	**2,761,307.31**	**2,761,635.05**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय संपत्ति और देनदारियों की अग्रणी राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

उधार, कंपनियों को ऋण, ऋण प्रतिभूतियों के लिए उचित मूल्यों की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। स्वयं के क्रेडिट जोखिम सहित अप्राप्य निविष्ट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गैर–वर्तमान उधारों के उचित मूल्य वर्तमान उधार दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह पर आधारित होते हैं। स्वयं के क्रेडिट जोखिम सहित अप्राप्य निविष्ट के उपयोग के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

37. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम को जोखिम प्रबंधन ढांचे, पहचान मापदंड और जोखिम सीमा और अन्य नियंत्रणों के अधीन निगरानी के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और सिद्धांतों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम समिति के पास जोखिम रणनीति के विकास और सिद्धांतों, ढांचे, नीतियों और सीमाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है। जोखिम समिति जोखिम निर्णयों के प्रबंधन और जोखिम स्तर को नियंत्रित करने और बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी का वित्त और खजाना इसकी संपत्ति और देनदारी और समग्र वित्तीय संरचना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के पास तरलता प्रबंधन, फंडिंग, परिसंपत्ति देनदारी बेमेल की समीक्षा करने और विभिन्न जोखिम सहनशीलता सीमाएं स्थापित करने के लिए एएलसीओ और बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति भी है। वित्त एवं राजकोष कंपनी की फंडिंग और तरलता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई के निर्देशानुसार कंपनी के पास एक नामित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है।

कंपनी की गतिविधियाँ इसे बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और उधार जोखिम के संपर्क में लाती हैं। विदेशी मुद्रा देनदारियों के कारण उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा अनावृत्ति से संबंधित कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा जोखिम अनावृत्ति को हेज करने के लिए विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, स्वैप इत्यादि जैसे डेरीवाटिव वित्तीय उपकरणों में प्रवेश किया जाता है। डेरिवेटिव का उपयोग विशेष रूप से हेजिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि व्यापार या सट्टा उपकरण के रूप में। कंपनी में एक विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति और एक विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव प्रबंधन समिति (एफएमसी) मौजूद है और विदेशी मुद्रा उधार पर मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को कम करनेध्कम करने के लिए हेजिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

यह नोट इकाई के संपर्क में आने वाले जोखिम के स्रोतों और इकाई जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है तथा वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन के प्रभाव की व्याख्या करती है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

जोखिम	निम्न से उत्पन्न होने वाला जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति। (ऋण और अग्रिम), व्यापार प्राप्य, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण,	आयु बढ़ने का विश्लेषण क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, साख पत्र, हेजिंग लेनदेन की निगरानी
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, उधार लेने की सुविधाओं और अल्पावधि ऋण/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा विनिमय	विदेशी विनिमय दर के कारण उचित मूल्य या वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप आदि
बाजार जोखिम– ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर लंबी अवधि के उधार	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम– सुरक्षा मूल्य	कमर्शियल पेपर में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधिकरण

क. उधार जोखिम

उधार जोखिम ऋण परिचालन में अंतर्निहित जोखिम है और उधारकर्ताओं की उधार गुणवत्ता में कमी और उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट के जोखिम से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत उधार मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग और उधार जोखिम का मूल्यांकन, अन्य उधार जोखिम शमन उपायों के साथ जोखिम को कम करने के लिए उचित संरचना शामिल है।

कंपनी अपने जोखिम को साझा उधार जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप पोर्टफोलियो में विभाजित करती है, जैसा कि निम्नलिखित क्रम में बताया गया है: –

- सुरक्षित/अप्रतिभूत यानी, इस पर आधारित कि ऋण प्रतिभूत हैं या नहीं।
- प्रतिभूति की प्रकृति अर्थात, यदि ऋण प्रतिभूत किए जाने के लिए निर्धारित हैं तो प्रतिभूति की प्रकृति।
- ऋण की प्रकृति अर्थात, आरई क्षेत्र जिसमें ऋण बढ़ाया गया है।

वित्तीय साधन के शेष जीवनकाल में होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम में परिवर्तन पर विचार करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रारंभिक मान्यता के बाद से उधार जोखिम में काफी वृद्धि हुई है या नहीं, इसका आकलन किया जाता है। यह निर्धारित करने में कि क्या प्रारंभिक पहचान के बाद से डिफॉल्ट का जोखिम काफी बढ़ गया है, कंपनी 30 दिनों से अधिक की देरी को एक प्राचल के रूप में मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी उधार जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य अवलोकन योग्य निविष्ट पर भी विचार करती है।

कंपनी किसी वित्तीय साधन को डिफॉल्ट के रूप में परिभाषित करती है जब उसके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होता है। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन परियोजना के डिफॉल्ट समय, प्रदर्शन/संचालन के आधार पर केस–टू–केस आधार पर किया है।

कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम पर प्रावधान को मान्यता दी है।

संपार्श्विक और अन्य ऋण वृद्धि।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

आवश्यक संपार्श्विक की राशि और प्रकार उधार जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। संपार्श्विक के मुख्य प्रकार हैं एफडीआर/बीजी, प्रमोटर की अचल संपत्ति पर शुल्क और मामले दर मामले के आधार पर कॉर्पोरेट गारंटी।

(क) कंपनी व्यक्तिगत समकक्षों और उद्योग सांद्रता के लिए स्वीकार किए जाने वाले जोखिम की मात्रा पर सीमा निर्धारित करके और ऐसी सीमाओं के संबंध में जोखिम की निगरानी करके उधार जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

i. संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

स्टेज	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान की स्वीकृति के लिए आधार
			ऋण
स्टेज 1	मानक परिसम्पत्तियां	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रतिपक्षकार के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य है या शून्य/नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियां हैं	12 महीने का ईसीएल
स्टेज 2	संवर्धित क्रेडिट जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसम्पत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	जीवनकाल तक संभावित क्रेडिट हानियां
स्टेज 3	ऋण – हानि	ऐसी संपत्तियां जहां चूक की उच्च संभावना है और जहां वसूली की कम उम्मीद है वहां संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया गया है	जीवनकाल तक संभावित क्रेडिट हानियां

ii. **उल्लेखनीय अनुमान और निर्णयन**

वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता

(क) ऋणों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल)

(लाख रुपए में)

स्टेज	परिसम्पत्ति ग्रुप	31.03.2023 को ऋण पोर्टफोलियो	31.03.2023 को ईसीएल
स्टेज I	ऋण	4,390,224.54	51,530.87
स्टेज II	ऋण	161,976.23	49,183.62
स्टेज III	ऋण	151,335.42	74,533.03
	कुल	**4,703,536.19**	**175,247.52**

*वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) को छोड़कर रु. 2,942.77 लाख, जिस पर बराबर की देनदारी बहियों में बनी हुई है।

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत कारोबारी प्राप्य राशियोंके लिए अपेक्षित ऋण हानिः

(लाख रुपए में)

स्टेज	परिसम्पत्ति ग्रुप	31.03.2022 को ऋण पोर्टफोलियो	31.03.2022 को ईसीएल
स्टेज I	ऋण	2,942,541.41	49,710.90
स्टेज II	ऋण	267,394.83	45,519.11
स्टेज III	ऋण	176,825.44	73,286.44
	कुल	**3,386,761.68***	**168,516.45**

*वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) को छोड़कर रु. 5,452.00 लाख, जिस पर बराबर की देनदारी बहियों में बनी हुई है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत कारोबारी प्राप्य राशियोंके लिए अपेक्षित ऋण हानिः

(लाख रुपए में)

आयु (31.03.2023 को)	अदेय	0-30 दिनों के बाद देय	31-60 दिनों के बाद देय	91-120 दिनों के बाद देय	120 दिनों से अधिक के बाद देय	कुल
सकल वहन राशि*	303.11	-	-	-	-	303.11
संभावित हानि दर	-	-	-	-	-	-
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
कारोबारी प्राप्यों की वहन राशि (हानि का निवल)	-	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष	**303.11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**303.11**

*सौर ऊर्जा परिसम्पत्तियों के लिए कारोबारी प्राप्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

(लाख रुपए में)

आयु (31.03.2022 को)	अदेय	0-30 दिनों के बाद देय	31-60 दिनों के बाद देय	91-120 दिनों के बाद देय	120 दिनों से अधिक के बाद देय	कुल
सकल वहन राशि*	272.61	-	-	-	-	272.61
संभावित हानि दर	-	-	-	-	-	-
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
कारोबारी प्राप्यों की वहन राशि (हानि का निवल)	272.61	-	-	-	-	272.61
31.03.2022 को शेष	**272.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**272.61**

*सौर ऊर्जा परिसम्पत्तियों के लिए कारोबारी प्राप्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम अल्पकालिक और दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता है जब और जब वे देय हो जाते हैं।

चलनिधि अंतराल विश्लेषण द्वारा चलनिधि की निगरानी की जाती है। चलनिधि जोखिम को कई रणनीतियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जैसे कि दीर्घकालिक संसाधन जुटाना, अनुमानित संवितरण और परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर संसाधन जुटाना।

(i) वित्तीय व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थीः

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
स्थायी दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	14,700.38	3,173.41
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-	60,000.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	-	13,550.65
अस्थायी दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	48,845.06	-
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	572,500.00	209,999.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-	-
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	168,865.29	200,737.87

कंपनी के पास नकद क्रेडिट (सीसी) / ओवरड्राफ्ट (ओडी) / अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) / कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) के रूप में कुल मिलाकर ₹ 2,93,000 लाख की कार्यशील पूंजी सुविधाएं हैं, (पिछले वर्ष 31.03.2022 : ₹ 3,23,000 लाख) । 31.03.2023 तक कुल कार्यशील पूंजी का उपयोग ₹100,000 लाख (पिछले वर्ष : ₹20,144.23 लाख) है ।

(ii) **वित्तीय देनदारियों की परिपक्वताएं**

नीचे दी गई तालिकाओं में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण किया गया है: वे सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां जिनके लिए संविदात्मक परिपक्वता नकदी प्रवाह के समय की समझ के लिए आवश्यक हैं: –

तालिका में प्रकट की गई राशियां संविदागत छूट रहित नकदी प्रवाह हैं।

31.03.2023 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 माह)	1 माह -2 माह से अधिक	2 माह से अधिक – 3 माह तक	3 माह से अधिक – 6 माह तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उधार राशियां	-	-	52,083.33	37,964.00	103,531.40	112,914.93	458,535.44	990,324.35	369,243.60	878,882.77	**3,003,479.83**
विदेशी मुद्रा देनदारिया	-	-	6,966.38	11,807.55	11,340.60	7,342.52	49,287.09	160,774.66	160,863.41	604,910.51	**1,013,292.72**

31.03.2022 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 माह)	1 माह -2 माह से अधिक	2 माह से अधिक – 3 माह तक	3 माह से अधिक – 6 माह तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उधार राशियां	20,144.23	-	-	4,166.67	51,048.26	33,092.50	270,237.48	518,893.57	251,892.40	568,956.80	**1,718,431.92**
विदेशी मुद्रा देनदारिया	-	-	6,423.27	4,233.00	20,402.98	7,029.47	39,804.71	158,005.99	152,531.84	654,771.88	**1,043,203.14**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के कारण नुकसान की संभावना है। उधार ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास एक समिति है जो समय–समय पर बाजार की स्थितियों, साथियों की चल रही ब्याज दरों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के उधार में फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट उधार दोनों शामिल हैं जो लागू बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा उधार के लिए, कंपनी हेजिंग व्यवस्था करके फ्लोटिंग ब्याज दर के कारण जोखिम को कम करती है। इसके अलावा कंपनी समय–समय पर फ्लोटिंग रेट लिंक्ड पोर्टफोलियो की निगरानी करती है।

विदेशी ऋण देने वाली एजेंसियों से विदेशी मुद्रा उधार लेने से कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर मूवमेंट जोखिम का सामना करना पड़ता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी जोखिम से बचाव के लिए विभिन्न डेरिवेटिव उपकरण जैसे कि केवल मूलधन स्वैप, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप (डेरिवेटिव लेनदेन), फॉरवर्ड अनुबंध आदि के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य, कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वताएं हैं।

I. विदेशी मुद्रा जोखिमः–

कंपनी के पास अपनी संसाधन जुटाने की रणनीति के हिस्से के रूप में विदेशी ऋण देने वाली एजेंसियों से उधार के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है। अस्थिरता के साथ बड़े सीमा पार प्रवाह से इरेडा की बैलेंस शीट विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकती है। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी केवल मूलधन स्वैप, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप आदि (डेरिवेटिव लेनदेन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों में कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वताएं होती हैं।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम जोखिमः

रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैः –

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
	अमरीकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमरीकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
बाहरी देशों में बैंक शेष	2.71	-	-	2.51	-	-
व्युत्पन्न परिसम्पत्तियां						
विदेशी मुद्रा स्वैप संविदाएं	49,613.96	2,921.72	4,869.52	34,596.66	734.97	4,501.37
वित्तीय देनदारियां						
विदेशी मुद्रा ऋण	473,828.80	186,937.19	352,526.72	461,558.81	217,557.92	364,086.40
व्युत्पन्न देनदारियां						
विदेशी मुद्रा स्वैप संविदाएं	14.97	821.45	14,310.44	728.77	3,076.35	14,452.38
विदेशी मुद्रा जोखिम में निवल एक्सपोजर (देनदारियां)	**424,227.10**	**184,836.92**	**361,967.64**	**427,688.41**	**219,899.30**	**374,037.41**
विदेशी मुद्रा जोखिम में निवल एक्सपोजर (परिसम्पत्तियां)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर 5% भारतीय रुपए तक के सापेक्ष विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि (लाभ/(–) हानि) के विवरण पर प्रभाव प्रस्तुत किया गया है।*:-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	कमी	बढ़ोतरी	कमी	बढ़ोतरी
	विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण			
यूएसडी संवेदनशीलता	(508.75)	508.75	(1,041.45)	1,041.45
ई यू आर संवेदनशीलता	2,613.59	(2,613.59)	3,037.72	(3,037.72)
जेपीवाई संवेदनशीलता	6,663.74	(6,663.74)	6,427.55	(6,427.55)

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखना

II. नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिमः

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम फ्लोटिंग ब्याज दरों वाले दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण और बैंकों से फ्लोटिंग ब्याज दर वाले सावधि ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने विदेशी मुद्रा ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार करती है।

कंपनी की निश्चित दर पर रुपये की उधारी परिशोधित लागत पर ली जाती है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

(क) ब्याज दर जोखिम जोखिम

रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए समूह की उधारी का जोखिम इस प्रकार हैः

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परिवर्तनीय दर उधार		
घरेलू	1,056,417.84	264,298.42
अंतरराष्ट्रीय	349,326.81	351,939.26
कुल	**1,405,744.65**	**616,237.68**

(ख) संवेदनशीलता

ब्याज दरों में बदलाव के परिणामस्वरूप लाभ या हानि उधार से अधिकध्कम ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है।

(₹ लाख में)

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की वृद्धि*	(7,028.72)	(3,081.19)
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की कमी	7,028.72	3,081.19

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखना

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण और हेज लेखांकन

कंपनी के पास व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों, जैसे प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित / लागत कटौती उत्पाद आदि अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को रोकने और कम करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

कंपनी केवल प्रिंसिपल स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित / लागत अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों से बचाव के लिए कटौती उत्पाद आदि के रूप में व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है।

हेज अप्रभावीता हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से निर्धारित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हेज आइटम और हेजिंग उपकरण के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियाँ लागू करती है:

– क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए जो हेज्ड आइटम की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्तों के मिलान पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित होती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग उपकरणों का अंतर्निहित जोखिम और अनुमानित राशि हेजिंग वस्तुओं के समान है।

नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में मूवमेंट:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
साल की शुरुआत में संतुलन	12,002.55	22,325.69
हेजिंग उपकरणों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	17,037.68	(10,656.67)
हेज्ड वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा लाभ / (हानि)।	(22,058.82)	333.53
वर्ष के अंत में शेष (करों से पहले)	**6,981.41**	**12,002.55**

बैलेंस शीट पर हेज लेखांकन के प्रभावों का खुलासा:

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

हेज का प्रकार और जोखिम	परिपक्वता तिथियाँ	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकदी प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) केवल प्रिंसिपल स्वैप				
–यू एस डी	15 अक्टूबर 2024 से 09 मार्च 2037 तक	1:1	69.5835	10,672.83
–ई यू आर	30 दिसंबर 2023 से 31 मई 2029 तक	1:1	81.3355	4,413.53
–जे पी वाई	19 जून 2023 से 20 मार्च 2025 तक	1:1	0.6481	695.27

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप				
–यू एस डी	15 जुलाई 26 से 15 अक्टू 26 तक	1:1	67.0752	3,512.76
–ई यू आर	30 जून 24	1:1	81.4	28.12
–जे पी वाई	19 जून 24	1:1	0.5925	117.53

31.03.2022 तक

(₹ लाख में)

बचाव का प्रकार और जोखिम	परिपक्वता तिथियाँ	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकदी प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) केवल प्रिंसिपल स्वैप				
–यू एस डी	15 अक्टू 24 से 09 मार्च 37 तक	1:1	69.5146	2,728.27
–ई यू आर	30 दिसं 22 से 31 मई 2029 तक	1:1	81.7493	(4,763.02)
–जे पी वाई	19 मार्च 23 से 20 मार्च 25 तक	1:1	0.6480	(9,421.19)
(ii) क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप				
-यू एस डी	15 जुलाई 26 से 15 अक्टू. 26 तक	1:1	67.0760	1,883.27
–ई यू आर	30–जून–24	1:1	81.4	(22.76)
–जे पी वाई	19–जून–24	1:1	0.5925	192.46

काल्पनिक राशियों और डेरिवेटिव की वहन राशि के बारे में विवरण के लिए, कृपया वित्तीय विवरणों में नोट 4 – व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण देखें।

लाभ–हानि विवरण तथा अन्य व्यापक आय पर बचाव लेखांकन का प्रभावः–

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में हेज की अप्रभावीता को मान्यता दी गई	हेज्ड आइटम पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)।	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन आइटम
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम	17,037.68	-	(22,058.82)	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2022 तक

(₹ लाख में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हेजिंग 31 उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में हेज की अप्रभावीता को मान्यता दी गई	हेज्ड आइटम पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)।	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन आइटम
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम	(10,656.67)	-	333.53	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा

38. पूंजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधनः

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य नियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी हर समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय को इस तरह से प्रबंधित करती है जिससे पूंजी सुरक्षित रहती है, संतोषजनक व्यवसाय वृद्धि सुनिश्चित होती है, नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और रेटिंग बनाए रखी जाती है।

उद्योग में अन्य लोगों के अनुरूप, कंपनी निम्नलिखित अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती हैः

शुद्ध ऋण (कुल उधार) को कुल श्इक्विटीश से विभाजित किया जाता है जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है।

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार हैः

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ऋृण	4,016,528.00	2,761,307.31
इक्विटी (पूंजी आरक्षित सहित)	593,516.95	526,811.31
ऋण इक्विटी अनुपात	**6.77**	**5.24**

39. बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी करके "धन जुटाने" के लिए सेबी दिशानिर्देशों के तहत प्रकटीकरण आवश्यक हैः

सेबी सर्कुलर संख्या एसईबीआई/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 दिनांक 26 नवंबर, 2018 के अनुपालन अनुसार, इरेडा ने उपरोक्त परिपत्र के तहत दिए गए प्रयोज्यता मानदंड के अनुसार खुद को एक बड़ी कॉर्पोरेट इकाई के रूप में पहचाना है । तदनुसार, निम्नलिखित का खुलासा किया जा रहा हैः

कंपनी का नामः भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

सीआईएनः यू 65100डी एल 1987जी ओ आई 027265

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए रिपोर्ट दाखिल की गई

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तिय वर्ष 2022–23 के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	विस्तृत
2 वर्ष की ब्लॉक अवधि	2022-23, 2023-24
वित्तीय वर्ष 22–23 में की गई वृद्धिशील उधारी (लगभग) (क)	15,793.40*
ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करने के माध्यम से किया जाने वाला अनिवार्य उधार (लगभग) (ख) = (क का 25%)	3,948.35
वित्त वर्ष (ग) में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से ली गई वास्तविक उधारी	3,863.40
वित्त वर्ष 21–22 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी को वित्त वर्ष 22–23 तक आगे बढ़ाया गया (घ) {यदि गणना मूल्य शून्य या नकारात्मक है, तो "शून्य" लिखें}	1,031.75
(घ) की मात्रा, जो (सी) – (ङ) से पूरी हुई है	1,031.75.
वित्त वर्ष 2023 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी, यदि कोई हो, (लगभग) (च)=(ख)–((ग)–(ङ)	1,116.70

* 'द्विपक्षीय / बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण और अल्पकालिक ऋण शामिल नहीं हैं।

पिछले ब्लॉक के संबंध में भुगतान किए जाने वाले जुर्माने का विवरण, यदि कोई होरू शून्य

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	विस्तृत
2 वर्ष की ब्लॉक अवधि	2021-22, 2022-23
वित्तीय वर्ष 22–23 में की गई वृद्धिशील उधारी (लगभग) (क)	455,101.00*
ऋण प्रतिभूति जारी करने के द्वारा की जानेवाली अनिवार्य उधार (लगभग) (ख)= (25% क)	113,775.25
वित्त वर्ष 21–22 (सी) में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से ली गई वास्तविक उधारी	10,600.00
वित्त वर्ष 21–22 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी को वित्त वर्ष 22–23 तक आगे बढ़ाया गया (घ) {यदि गणना मूल्य शून्य या नकारात्मक है, तो "शून्य" लिखें}	लागू नहीं.
(घ) की मात्रा, जो (ग) – (ङ) से पूरी हुई है।	लागू नहीं..
वित्त वर्ष 2023 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी, यदि कोई हो, (लगभग) (च)=(ख)–((ग)–(ङ))	103,175.25**

* द्विपक्षीय / बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण और अल्पकालिक ऋण शामिल नहीं हैं।

पिछले ब्लॉक के संबंध में भुगतान किए जाने वाले जुर्माने का विवरण, यदि कोई होः शून्य

40. कोविड 19 से संबंधित खुलासा

कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में वित्तीय और गैर–वित्तीय संपत्तियों की वहन राशि की वसूली और ईसीएल गणना सहित कोविड –19 से संबंधित महामारी से संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

41. एनसीएलटी के तहत कंसोर्टियम मामला – मेसर्स गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, यूको बैंक और मेसर्स गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के अन्य बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी का पता चला था। यूको बैंक ने 11 मई, 2020 को खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया है और ओबीसी ने 21 जनवरी, 2020 को उक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया है। कंपनी ने ₹10,000.00 लाख का प्रोजेक्ट लोन स्वीकृत किया है, जिसमें से

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ 4,960.61 लाख की राशि है। बकाया 31.03.2023 तक (पिछले वर्षः ₹ 5,107.95 लाख)। उक्त खाता 30.09.2019 से कंपनी की पुस्तकों में एनपीए है। इरेडा की ऋण सुविधा सह–उत्पादन परिसंपत्ति के लिए मौजूदा ऋण से ली गई थी। कंसोर्टियम लीड द्वारा साझा की गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, सह–उत्पादन परिसंपत्ति के प्रति धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया था। उधारकर्ता कंपनी अक्टूबर 2019 से एनसीएलटी के माध्यम से दिवालियेपन की प्रक्रिया में है। धोखाधड़ी वाले लेनदेन और समाधान योजना सहित सभी लेनदेन वर्तमान में आईबीसी के तहत एनसीएलटी मुंबई बेंच द्वारा निर्णय के लिए सूचीबद्ध हैं और सुनवाई चल रही है।

42. प्रकटीकरण – ऊर्जा खरीद करार (पीपीए) मुद्दे से जुड़े एपी मामलों के लिए – 90 दिनों से अधिक की बकाया राशि वाले खाते, लेकिन क्रेडिट बाधित नहीं माने जाएंगे।

कई उधारकर्ताओं ने खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न करने के लिए माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किया है। तदनुसार, उधारकर्ता के बकाया ऋण को चरण प्प् संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही बकाया राशि 90 दिन से अधिक पुरानी हो। हालाँकि, कंपनी ने 31.03.2023 से (पिछले वषर्रू अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के अनुसार खातों की पुस्तकों में ₹ 89,312.93 लाख के बकाया ऋण पर ₹48,510.54 लाख का पर्याप्त प्रावधान किया हैरू बकाया ऋण पर ₹39,543.65 लाख का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के वित्तीय और परिचालन मापदंडों पर विचार करने के बाद ₹ 91,879.22 लाख)। हालाँकि खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आय को नकदध्वसूली के आधार पर इस खाते में दर्ज किया जाता है (यानी, कोई भी श्बकाया और प्राप्त नहीं हुआ ब्याजश उलट दिया जाता है और ब्याज आय के रूप में नहीं लिया जाता है)।

(₹ लाख में)

विवरण	खातों की संख्या	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ई सी एल राशि
31.03.2023 को	7	89,312.93	54,932.69	47,646.73
31.03.2022 को	8	91,879.22	40,041.53	39,543.65

43. इक्विटी डालना

फरवरी 2021 की बजट घोषणा में, माननीय वित्त मंत्री ने कंपनी में इक्विटी के रूप में ₹150,000.00 लाख लगाने की घोषणा की थी। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, भारत सरकार ने ₹150,000.00 लाख की इक्विटी डाली, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी 31.03.2022 को समाप्त वर्ष तक बढ़कर ₹2,28,460 लाख हो गई है। तदनुसार, 1,500,000,000 इक्विटी शेयर 31.03.2022 को सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आवंटित किए गए थे। चुकता इक्विटी पूंजी 31.03.2023 तकरू ₹2,28,460 लाख (पिछले वर्ष में ₹2,28,460 लाख)।

कहा गया है कि इक्विटी के निवेश ने पूंजी आधार को बढ़ाया है और कंपनी को इसका लाभ उठाने और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए उधार देने में सक्षम बनाया है, जिससे भारत सरकार के आरई क्षमता स्थापना के लक्ष्य में योगदान मिला है। वित्तीय विवरणों का नोट 25 देखें।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–20 के संबंध में प्रकटीकरण ष्सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण'')

क) पूंजीगत संपत्तियों के लिए अनुदान

- विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर – माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 (डी365) के विकास के लिए किए गए व्यय, जो अमूर्त संपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को श्विकास के तहत अमूर्त संपत्तिश के रूप में तब तक ले जाया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं। 31.03.2023 तक, कंपनी ने "विकासाधीन अमूर्त संपत्ति" (वित्तीय विवरण के नोट 15 देखें) के तहत ₹485.57 (पिछले वर्षः ₹ 311.16 लाख) की राशि का खुलासा किया है।

- **विश्व बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदानः–**

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों से संबंधित विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। आस्थगित आय का व्यवस्थित आवंटन सॉफ्टवेयर के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से शुरू होगा – माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 (डी 365)।

कंपनी ने 31.03.2023 तक अमूर्त संपत्ति के विकास के लिए अनुदान के रूप में ₹485.57 लाख (प्रतिपूर्ति, विक्रेता को सीधे संवितरण और किए गए खर्चों के लिए विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि सहित) (पिछले वर्ष ₹311.16 लाख) का खुलासा किया है। कंपनी ने उक्त अनुदान को "अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों" के तहत "विश्व बैंक–स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से पूंजी अनुदान" के रूप में प्रकट किया है। (वित्तीय विवरण का नोट 24 देखें)।

ख) राजस्व अनुदान

के एफ डब्लू और इरेडा की क्रेडिट लाइन के लिए उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन हेतु कंपनी को केएफडब्ल्यू और विश्व बैंक से राजस्व अनुदान "तकनीकी सहायता" (टीए) प्राप्त हुआ है, जो कि ऋण का आकलन करने के लिए बाहरी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए 31.03.2023 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्षः ₹429.49 लाख) के लिए ₹214.40 लाख है। कंपनी ने इंडस्ट्रीज एएस 20 "सरकारी अनुदान और सहायता" के अनुपालन में अपने राजस्व अनुदान को संबंधित खर्चों में कटौती के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपनाया है।

निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि का खुलासा करती हैः

(लाख रुपए में)

वर्ष	टीए घटक प्राप्त हुआ	टीए के विरुद्ध किया गया व्यय	लाभ और हानि में पहचानी गई शुद्ध राशि
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	214.40	214.40	-
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	429.49	429.49	-

45. कंपनी के नाम पर न होने वाली अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों का विवरण इस प्रकार है:–

31.03.2023 तक

बैलेंस शीट में प्रासंगिक पंक्ति वस्तु	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	संपत्ति की वस्तु का विवरण (₹ लाख में)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से स्वामित्व में है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
सम्पत्ति प्रयोग करने का अधिकार	कार्यालय परिसर– आईएचसी	172.34	आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक. 12.04.1993	इरेडा सहित आई एच सी में सभी आवंटित संस्थानों के संबंध में इंडिया हैबिटेट सेंटर (आई एच सी) द्वारा त्रिपक्षीय कन्वेयंस डीड /समझौते का निष्पादन खूमि एवं विकास कार्यालय (एल और डी ओ), आई एच सी और आवंटी संस्थानों के बीच, लंबित है। आईएचसी लीज डीड के निष्पादन के लिए एलएंडडीओ के साथ बातचीत कर रहा है। लीज डीड के ड्राफ्ट को एलएंडडीओ ने मंजूरी दे दी है। आई एच सी ने 24.03.23 को सूचित किया कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी प्रभाव से आदेश पारित किया है। इसके अलावा, दो अन्य याचिकाएं भी दोनों पक्षों आईएचसी और एसडीएमसी ने दिनांक 11.04.23 के आदेश के तहत वापस ले लीं। कंपनी त्रिपक्षीय लीज डीड के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ संचार कर रही है.
	कार्यालय परिसर– एकेबी	2,110.10	हुडको द्वारा स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक. 04.12.2006	हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का पालन किया जा रहा है। नवीनतम संचार 16.06.22 को था।
संपत्ति में निवेश	आवासीय फ्लैट	8.75	एचपीएल द्वारा बेचने का समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एलएंडडीओ के साथ किया जा रहा है, इसके बाद डीड का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 23.01.2023 को था।

31.03.2022 तक

बैलेंस शीट में प्रासंगिक पंक्ति वस्तु	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	संपत्ति की वस्तु का विवरण (₹ लाख में)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से स्वामित्व में है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
सम्पत्ति का उपयोग करने का अधिकार	कार्यालय परिसर– आईएचसी	172.34	आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक. 12.04.1993	आई एच सी द्वारा त्रिपक्षीय कन्वेन्स डीड/समझौते का निष्पादन [एलएंडडीओ, आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच,इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटित संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी लीज डीड के निष्पादन के लिए एलएंडडीओ के साथ बातचीत कर रहा है। लीज डीड के ड्राफ्ट को एलएंडडीओ ने मंजूरी दे दी है।
	कार्यालय परिसर– एकेबी	2,110.10	हुडको द्वारा स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक. 04.12.2006	हुडको के साथ संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का पालन किया जा रहा है।
संपत्ति में निवेश	आवासीय फ्लैट	8.75	एचपीएल द्वारा बेचने का समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण एचपीएल द्वारा एलएंडडीओ के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसके बाद डीड का निष्पादन होगा।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46. प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से दिए गए ऋण या अग्रिम, जो हैं:

(क) मांग पर चुकाने योग्य या

(ख) पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना

(₹ लाख में)

उधारकर्ता का प्रकार	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण की राशि या ग्रिम	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम की प्रतिशत	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण की राशि या अग्रिम	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम की प्रतिशत
प्रमोटर	नहीं		नहीं	
निदेशक				
के.एम.पी				
संबंधित पार्टियों				

47. धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

48. हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध।

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

हटाई गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	शेष राशि 31.03.2023 तक बकाया। (₹लाख में)	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो	शेष बकाया 31.03.2022 तक (₹लाख में)	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
एसपीवी पावर लिमिटेड	प्राप्तियों	0.10	-	0.10	-
महाकृष्ण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	प्राप्तियों	0.10	-	0.10	-
ओचा पाइन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.10	-	0.10	-
सुजस एनर्जी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.10	-	0.10	-
विजयश्री केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.10	-	0.10	-
न्यूम पावर कंपनी लिमिटेड	प्राप्तियों	0.10	-	0.10	-

विभिन्न कानूनी मंचों पर प्रवर्तकों / गारंटरों से संबंधित मामलों में वसूली की कार्यवाही के मद्देनजर शेष राशि को बही में रखा जा रहा है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

49. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि

निम्नलिखित दो चार्ज फॉर्मों को छोड़कर सभी फॉर्म समय पर दाखिल किए गए थे, जिन पर एमसीए संस्करण 3 के लॉन्च के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया है। एमसीए ने सीएचजी–1, सीएचजी–4, सीएचजी–6 और सहित फॉर्मों की ई–फाइलिंग को अक्षम कर दिया है। एमसीए 21–वी3 पोर्टल के लॉन्च के कारण 15 अगस्त 2022 से वी2 पोर्टल पर सीएचजी–8।

1. ₹1,10,000 लाख की राशि के लिए बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में शुल्क का सृजन। बीओआई के साथ समझौता 27.07.2022 को निष्पादित किया गया था और तदनुसार फॉर्म दाखिल करने की नियत तारीख 25.08.2022 थी और एमसीए के वी3 पोर्टल पर फॉर्म 26.09.2022 को दाखिल किया गया था।

2. ₹1,50,000 लाख की राशि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजन। पीएनबी के साथ समझौता 29.07.2022 को निष्पादित किया गया था और तदनुसार फॉर्म दाखिल करने की नियत तारीख 27.08.2022 थी और एमसीए के वी3 पोर्टल पर फॉर्म 27.09.2022 को दाखिल किया गया था।

50 अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्तमान और पिछले रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किए गए खातों की किताबों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, खातों की वृद्धियों में कोई और लेखांकन आवश्यक नहीं है।

51. कंपनियों की कई परतों का अनुपालन

कंपनी ने वर्तमान और पिछले रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के तहत निर्दिष्ट कंपनियों की परतों में निवेश नहीं किया है।

52 व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना(योजनाओं) का अनुपालन

वर्तमान और पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

53. उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग.

क. कंपनी ने समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को कोई धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया है (चाहे वह हो) लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया) कि मध्यस्थ करेगा

   i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना।

   ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना

ख. इसके अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी

   i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना।

   ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी की राय है कि एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सेवा वाले बांड (संदर्भ नोट 38(34) के संबंध में प्राप्य धन उपरोक्त प्रकटीकरण के अंतर्गत शामिल नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार के आदेशध्एमओयू के अनुसार है।

54. क्रिकंपनी ने वर्तमान और पिछले रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

55 एकमुश्त निपटान (ओटीएस), बट्टे खाते में डालना (ऋण परिसंपत्तियां)

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, सात (07) ओटीएस स्वीकृत/विस्तारित किए गए (पिछले वर्ष सात (07)), जिनमें से सात (07) ओटीएस पूरी तरह से निपटाए गए (पिछले वर्षः दो (02))। उक्त निपटान ओटीएस के विरुद्ध कुल राशि ₹5,390.92 लाख (पिछले वर्ष ₹916.60 लाख) की वसूली की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,175.34 लाख (पिछले वर्ष ₹204.16 लाख) की आय हुई है और ₹1,504.87 लाख (पिछले वर्ष ₹1) के विकलांगता भत्ते की वापसी हुई है। ,30) 1.76 लाख). कंपनी ने ₹799.76 लाख (पिछले वर्ष ₹1,301.66 लाख) की राशि बट्टे खाते में डाल दी है।

कंपनी ने सात (07) उधारकर्ताओं (पिछले तीन वर्ष (03) के उधारकर्ताओं) से संबंधित ₹0.70 लाख (पिछले वर्षः ₹0.30 लाख) की राशि को 'एनपीए हानि संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत किया है।

56. हालिया लेखांकन घोषणाः

31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2023 से निम्नानुसार लागू होगाः –

क) इंडस्ट्रीज एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतिः–

संशोधनों के अनुसार कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। लेखांकन नीति की जानकारी, अन्य जानकारी के साथ, तब महत्वपूर्ण होती है जब उससे सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

ख) इंडस्ट्रीज एएस 12 – आयकरः –

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि कंपनियां पट्टों और डीकमीशनिंग दायित्वों जैसे लेनदेन पर विलंबित कर का भुगतान कैसे करती हैं। संशोधनों ने इंडस्ट्रीज एएस 12 (मान्यता छूट) के पैराग्राफ 15 और 24 में मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया ताकि यह अब उन लेनदेन पर लागू न हो, जो प्रारंभिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं। कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन कर रही है।

ग) इंडस्ट्रीज एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियांः–

संशोधनों से संस्थाओं को लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को लेखांकन अनुमानों की परिभाषा से बदल दिया गया है। नई परिभाषा के तहत, लेखांकन अनुमान 'वित्तीय विवरणों में मौद्रिक राशियाँ हैं जो माप अनिश्चितता के अधीन हैं'। यदि लेखांकन नीतियों के लिए वित्तीय विवरणों में वस्तुओं को इस तरह से मापने की आवश्यकता होती है जिसमें माप अनिश्चितता शामिल हो तो संस्थाएं लेखांकन अनुमान विकसित करती हैं। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

परिसंपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक लाइन आइटम के लिए 12 महीने और उससे अधिक के भीतर पुनर्प्राप्त/निपटान की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

57. परिसंपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक लाइन आइटम के लिए 12 महीने और उससे अधिक के भीतर पुनर्प्राप्त/निपटान की उम्मीद है

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		कुल
		12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	
I	**संपत्ति**			
क	वित्तीय पूंजी			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	13,853.08	-	13,853.08
	(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	75,298.24	6,325.81	81,624.05
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	258.36	57,146.84	57,405.20
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य	491.38	0.04	491.42
	(II) अन्य प्राप्य	-	-	-
	(ङ) ऋण	747,943.06	3,874,749.27	4,622,692.33
	(च) निवेश	-	9,930.26	9,930.26
	(छ) अन्य वित्तीय संपत्तियां	2,055.16	1,125.41	3,180.56
	कुल (क)	**839,899.28**	**3,949,277.63**	**4,789,176.90**
ख.	**गैर–वित्तीय संपत्ति**			
	(क) वर्तमान कर संपत्ति (नेट)	14,392.42	-	14,392.42
	(ख) आस्थगित कर संपत्ति (नेट)	-	30,100.18	30,100.18
	(ग) निवेश संपत्ति	-	2.97	2.97
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	21,284.30	21,284.30
	(ङ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	-	13,926.35	13,926.35
	(च) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	-	1,585.82	1,585.82
	(छ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	485.57	-	485.57
	(ज) अमूर्त संपत्ति	-	1.44	1.44
	(i) अन्य गैर–वित्तीय संपत्तियां	8,874.15	164,868.23	173,742.39
	कुल (ख)	**23,752.15**	**231,769.29**	**255,521.44**
	कुल संपत्ति (क+ख)	**863,651.42**	**4,181,046.92**	**5,044,698.34**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		कुल
		12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	
II.	**ऋण और शेयर**			
	देयताएं			
क.	**वित्तीय देनदारियों**			
	(क) व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	8,806.72	6,340.14	15,146.86
	(ख) देय			
	(I) व्यापार देय	457.13	34.02	491.15
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	48,105.04	1,036,223.30	1,084,328.34
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	803,668.21	2,063,598.15	2,867,266.36
	(ङ) अधीनस्थ देनदारियाँ	-	64,933.29	64,933.29
	(च) अन्य वित्तीय देनदारियां	92,266.89	41,233.84	1,33,500.73
	कुल (क)	986,637.32	3,179,029.42	4,165,666.73
ख.	गैर–वित्तीय देनदारियाँ			
	(क) प्रावधान	8,799.47	103,016.33	111,815.80
	(ख) अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	5,553.22	168,145.63	173,698.86
	कुल(ख)	14,352.70	271,161.96	285,514.66
ग.	**हिस्सेदारी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	228,460.00	228,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	-	365,056.95	365,056.95
	कुल (ग)	**-**	**593,516.95**	**593,516.95**
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख+ग)	**967,656.68**	**4,077,041.66**	**5,044,698.34**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 तक		कुल
		12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	
I	**संपत्ति**			
क	वित्तीय पूंजी			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	13,117.48	-	13,117.48
	(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	39,551.85	-	39,551.85
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	-	39,833.00	39,833.00
	(घ) प्राप्य			-
	(I) व्यापार प्राप्य	452.64	0.03	452.68
	(II) अन्य प्राप्य	-	-	-
	(ङ) ऋण	627,979.05	2,689,465.73	3,317,444.77
	(च) निवेश	-	9,926.84	9,926.84
	(छ) अन्य वित्तीय संपत्तियां	2,182.17	999.92	3,182.09
	कुल (क)	**683,283.19**	**2,740,225.52**	**3,423,508.71**
ख.	गैर–वित्तीय संपत्ति			
	(क) वर्तमान कर संपत्ति (नेट)	12,984.52	-	12,984.52
	(ख) आस्थगित कर संपत्ति (नेट)	-	32,205.88	32,205.88
	(ग) निवेश संपत्ति	-	3.55	3.55
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	23,010.64	23,010.64
	(ङ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	-	12,833.28	12,833.28
	(च) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	-	1,765.30	1,765.30
	(छ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	311.16	-	311.16
	(ज) अमूर्त संपत्ति	-	4.50	4.50
	(i) अन्य गैर–वित्तीय संपत्तियां	331.67	163,881.14	164,212.81
	कुल (ख)	**13,627.35**	**233,704.29**	**247,331.64**
	कुल संपत्ति (क+ख)	**696,910.54**	**2,973,929.80**	**3,670,840.35**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 तक		कुल
		12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	
II.	**देयताएं और इक्विटी**			
	देयताएं			
क	**वित्तीय देनदारियों**			
	(क) व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	1,920.03	16,337.47	18,257.49
	(ख) देय			
	(I) व्यापार देय	474.69	42.26	516.95
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	225,000.00	697,913.87	922,913.87
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	231,582.56	1,541,884.91	1,773,467.47
	(ङ) अधीनस्थ देनदारियाँ	-	64,925.97	64,925.97
	(च) अन्य वित्तीय देनदारियां	44,655.73	38,904.19	83,559.91
	कुल (क)	**503,633.00**	**2,360,008.66**	**2,863,641.67**
ख	**गैर–वित्तीय देनदारियाँ**	**-**		
	(क) प्रावधान	792.91	104,803.66	105,596.56
	(ख) अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	5,226.05	169,564.76	174,790.81
	कुल (ख)	**6,018.95**	**274,368.42**	**280,387.37**
ग	**हिस्सेदारी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	228,460.00	228,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	-	298,351.31	298,351.31
	कुल (ग)	**-**	**526,811.31**	**526,811.31**
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख+ग)	**509,651.96**	**3,161,188.39**	**3,670,840.35**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

58. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न निर्देशों / परिपत्रों के संदर्भ में प्रकटीकरण

क. समाधान योजनाएं मास्टर निर्देश DNBR-PD-008 / 03.10.119 / 2016–17 दिनांक 01.09.2016 (संशोधित) के अनुसार कार्यान्वित की गईं

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	उधारकर्ता की संख्या	वर्ष के अंत में बकाया मूलधन	ईसीएल के अनुसार हानि भत्ता
2022-23	1	5,565.22	3,349.93
2021-22	3	18,482.15	3,644.38

ख. पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	सीआरएआर (%)	18.82%	21.22%
2	सीआरएआर – टियर I पूंजी (%)	15.71%	17.60%
3	सीआरएआर – टियर II पूंजी (%)	3.11%	3.62%
4	टियर–II पूंजी के रूप में जुटाई गई अधीनस्थ ऋण की राशि (₹ लाख में)	64,933.29	64,925.97
5	सतत ऋण लिखत जारी करके जुटाई गई राशि	-	-

सीआरएआर का निर्धारण टियर I/ टियर II पूंजी और जोखिम भारित संपत्ति (आरडब्ल्यूए) के साथ आरबीआई मास्टर डायरेक्शन DNBR-PD.008 / 03.10.119 / 2016–17 दिनांक 01.09.2016 में उल्लिखित जोखिम भार के अनुसार गणना की गई है।

ग. निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.			विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(1)	निवेश का मूल्य				
	(i)	निवेश का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में		
			-एमआईबीओआर से जुड़ी फ्लेक्सी जमा (उपार्जित ब्याज सहित)	4,142.42	4,401.25
			- भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत) (उपार्जित ब्याज सहित)	10,126.66	10,123.23
			- वाणिज्यिक कागजात (पूरी तरह से अक्षम)	6,899.11	6,899.11
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(क)	भारत में	6,899.11	6,899.11
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(iii)	निवेश का शुद्ध मूल्य			
		(क)	भारत में	14,269.08	14,524.48
		(ख)	भारत के बाहर.	-	-
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास की ओर रखे गए प्रावधानों का संचलन।				
	(i)	प्रारंभिक जमा		6,899.11	6,899.11
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		-	-
	(iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / बट्टे खाते में डालना		-	-
	(iv)	जमा शेष		6,899.11	6,899.11

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

व्युत्पन्न

❖ **फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट / ब्याज दर स्वैप**

(₹ लाख में)

	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	स्वैप समझौतों का राष्ट्रीय सिद्धांत*	874,469.35	874,726.72
(ii)	यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानि	57,405.20	39,833.00
(iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर लागू एनबीएफसी द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता होती है	लागू नहीं.	लागू नहीं
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण**'	नोट देखें*'	नोट देखें'*
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	42,258.34	21,575.51

* राष्ट्रीय प्रिंसिपल समापन तिथियों के लिए आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में सौदे की राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने का संकेत देता है।

**कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) बैंकों (पीएसयू बैंक, निजी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक) के साथ स्वैप समझौते में प्रवेश करती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप समझौते बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के भीतर हैं।

❖ **एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव – शून्य**

❖ **डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और अन्य परिसंपत्ति देनदारी बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों को पहचाना।

(ii) सभी डेरिवेटिव सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देखरेख में किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने डेरिवेटिव उपकरण के माध्यम से ऐसे जोखिम से बचाव के लिए आईएसडीए बैंकों के साथ दीर्घकालिक समझौते में प्रवेश किया है।

(iii) कंपनी केस–टू–केस आधार पर हेजिंग उपकरण अपनाकर विनिमय में उतार–चढ़ाव जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, प्म्क्। ने दो लाइन ऑफ क्रेडिट यानी जेआईसीए –II और केएफडब्ल्यू –VI के लिए दो आईएसडीए बैंकरों के साथ दो हेजिंग डील की है।

(iv) इरेडा के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति है, ऐसी नीति खुले जोखिम की अधिकतम सीमा को परिभाषित करती है जो बकाया विदेशी मुद्रा ऋण के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। इरेडा का विदेशी मुद्रा ऋण खुला एक्सपोजर 31.03.2023 तक 18.62% है (पिछले वर्ष कुल विदेशी मुद्रा ऋण एक्सपोजर का 18.60%)।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

31.03.2023 तक

क्र सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव (पीओएस)	ब्याज दर डेरिवेटिव में क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप शामिल हैं
(i)	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि)		
	हेजिंग के लिए	€ 157,451,031.21 $ 563,635,081.96 ¥ 357,542,86,518.00	€ 1,114,906.03 $ 42,656,837.52 ¥ 2,094,871,635.00
	मूल्य (₹ लाख में)	8,25,452.87	49,016.48
(ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन		
	क) संपत्ति (+) (₹ लाख में)	50,547.63	6,857.57
	ख) देयता (-) (₹ लाख में)	(15,146.86)	-
(iii)	क्रेडिट जोखिम	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर (बकाया मूल राशि के लिए, आंशिक हेज सहित, हेज के रूप में नहीं माना जाता है) (₹ लाख में)	188,629.68	

*नेशनल प्रिंसिपल समापन तिथियों के लिए आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को आईएनआर शर्तों में परिवर्तित करता है।

31.03.2022 तक

क्र सं.	विवरण	मुद्रा संजाद (पीओएस)	ब्याज दर डेरिवेटिव में क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप शामिल हैं
(i)	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि)		
	हेजिंग के लिए	€ 184,100,973.16 $ 589,013,168.84 ¥ 35,754,286,518.00	€ 1,114,906.03 $ 47,322,776.90 ¥ 2,094,871,635.00
	मूल्य (₹ लाख में)	824,872.43	49,854.29
(ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन		
	क) संपत्ति (+) (₹ लाख में)	36,633.85	3,199.15
	ख) देयता (-) (₹ लाख में)	18,257.49	-
(iii)	क्रेडिट जोखिम	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर (बकाया मूल राशि के लिए, आंशिक हेज सहित, हेज के रूप में नहीं माना जाता है) (₹ लाख में)	194,043.39	

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

घ. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुछ वस्तुओं का परिपक्वता पैटर्न

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	1–7 दिन	8–14 दिन	14–30 / 31 (1 महिना)	1 –2 महिने	2 –3 महीने	3 महीने– 6 महीने तक	6 महीने – 1 साल तक	1 वर्ष से ऊपर – 3 वर्ष तक	3 वर्ष और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमा	-	-	-	-	-	4,206.58	-	-	-	-	**4,206.58**
ब्याज सहित अग्रिम	548.78	-	46,302.08	43,721.81	89,567.79	196,153.03	374,282.86	1,068,542.83	750,154.16	2,068,022.15	**4,637,295.49**
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,930.26	**9,930.26**
रुपया उधारी	-	-	52,083.33	37,964.00	103,531.40	112,914.93	458,535.44	990,324.35	369,243.60	878,882.77	**3,003,479.83**
विदेशी मुद्रा संपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	6,966.38	11,807.55	11,340.60	7,342.52	49,287.09	160,774.66	160,863.41	604,910.51	**1,013,292.72**

31.03.2022 तक

(₹ लाख में)

विवरण	1–7 दिन	8–14 दिन	14–30 / 31 (1 महिना)	1 –2 महिने	2 –3 महीने	3 महीने– 6 महीने तक	6 महीने – 1 साल तक	1 वर्ष से ऊपर – 3 वर्ष तक	3 वर्ष और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमा	4.34	5.11	5.93	0.05	-	4,322.00	63.81	-	-	-	**4,401.25**
ब्याज सहित अग्रिम	1,624.69	1,076.70	34,611.51	27,742.40	123,152.32	149,813.62	290,302.58	865,888.60	453,483.29	1,377,929.77	**3,325,625.49**
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,926.84	**9,926.84**
रुपया उधारी	20,144.23	-	-	4,166.67	51,048.26	33,092.50	270,237.48	518,893.57	251,892.40	568,956.80	**1,718,431.92**
विदेशी मुद्रा संपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	6,423.27	4,233.00	20,402.98	7,029.47	39,804.71	158,005.99	152,531.84	654,771.88	**1,043,203.14**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ङ. **जोखिम**

❖ **रीयल स्टेट सेक्टर में परिवर्तन**

(₹ लाख में)

वर्ग			31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
क)	**प्रत्यक्ष प्रदर्शन**			
	(i)	**आवासीय बंधक -**		
		आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित ऋण, जिस पर उधारकर्ता का कब्जा है या रहेगा या जो किराए पर है	-	-
	(ii)	**व्यावसायिक अचल संपत्ति -**	-	
		वाणिज्यिक अचल संपत्तियों (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवार आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदामों की गति, होटल, एल और अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण।). एक्सपोजर में गैर–निधि–आधारित सीमाएँ भी शामिल होंगी	-	-
	(iii)	**बंधक–समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश**	-	-
		क) आवासीय	-	-
		ख) व्यावसायिक अचल संपत्ति	-	-
	बी)	**अप्रत्यक्ष संसर्ग**		
	(i)	नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर फंड आधारित और गैर–फंड–आधारित एक्सपोजर	-	-
रीयल स्टेट सेक्टर में कुल जोखिम			-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ पूंजी बाजार में जोखिम

(₹ लाख में)

	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कॉर्पस विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है	-	-
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए शेयरों/बॉन्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ या व्यक्तियों को स्वच्छ आधार पर अग्रिम	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा होती है अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी	-	-
(vi)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/डिबेंचर बांड या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट्स को ऋण स्वीकृत किया गया	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को ऋण प्रदान करना	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x)	वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए सभी एक्सपोजरः		
	(i) श्रेणी I (ii) श्रेणी II (iii) श्रेणी III	-	-
(xi)	वेंचर कैपिटल फंड्स में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	-	-
	पूंजी बाजार में कुल निवेश	**-**	**-**

❖ **सेक्टोरल एक्सपोजर**

(₹ लाख में)

क्षेत्र	वर्तमान 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए			पूर्व 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ–बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है)	सकल एनपीए (₹ लाख)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ–बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है)	सकल एनपीए (₹ लाख)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत
1. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ						
2. उद्योग						
i) नवीकरणीय ऊर्जा	4,892,817.69	151,335.42	3.09 %	3,538,443.67	176,825.45	4.99 %
उद्योग का कुल (I+II+अन्य)						
3. सेवाएँ						
अन्य						
सेवाओं का कुल **(I+II+अन्य)**						
4. व्यक्तिगत ऋण						
अन्य						
कुल व्यक्तिगत ऋण **(I+II+अन्य)**						
5. अन्य, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)						

❖ **इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर**

एनबीएफसी को पिछले वर्ष की तुलना के साथ चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित खुलासे करने होंगे:

i) इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि – शून्य

ii) शीर्ष 20 इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि – शून्य

iii) उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में अंतर–समूह एक्सपोजर का प्रतिशत – शून्य

❖ **बिना बचाव वाली विदेशी मुद्रा का प्रदर्शन**

इरेडा की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण (बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 40 प्रतिशत) पर खुला एक्सपोजर स्वीकार्य है। 31.03.2023 तक खुला एक्सपोजर ₹188,629.68 लाख (31.03.2022 तक: ₹ 1,94,043.39 लाख) है, जो बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 18.62 प्रतिशत (31.03.2022 तक: 18.60 प्रतिशत) है और अनुमेय सीमा के भीतर है।

उक्त खुले एक्सपोजर में से यूरो 3,03,84,097.05 के लिए आंशिक हेजिंग की गई है। ऋण को आंशिक रूप से प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी / आईएनआर) के जरिए 3,37,26,347.73 अमेरिकी डॉलर के लिए हेज किया गया है, जो कि ₹27,728.76 लाख (31.03.2020 तक) के बराबर है। 2022 USD 3,37,26,347.73 ₹ 25,566.97 लाख के बराबर)। JPY 2,37,15,00,000 को 1,76,00,564.05 अमेरिकी डॉलर के बराबर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (USD/JPY) लेते हुए हेज किया गया है, जो 31.03.2023 को लागू दर पर 14,655.88 लाख रुपये है (31.03.2022 तक: शून्य)).

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

च. मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण

❖ लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण।

सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची 31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	नाम	सेक्टर	संसर्ग (₹ लाख में)	%
	शून्य			

*31.12.2022 को कुल संपत्ति ₹5,59,100 लाख है।

सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची 31.03.2022 तक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	नाम	सेक्टर	संसर्ग (₹ लाख में)	%
	शून्य			

*31.12.2021 को शुद्ध संपत्ति ₹352,156.13 लाख. पूंजी निवेश ₹150,000.00 लाख = ₹502,156.13 लाख।

सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची 31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	नाम	सेक्टर	संसर्ग (₹ लाख में)	%
	शून्य			

*31.12.2022 को कुल संपत्ति ₹5,59,100 लाख है।

सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची 31.03.2022 तक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	नाम	सेक्टर	संसर्ग (₹ लाख में)	%
	शून्य			

*31.12.2021 को कुल संपत्ति ₹352,156.13 लाख. पूंजी निवेश ₹150,000.00 लाख = ₹502,156.13 लाख.

छ. विविध

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरणः**

क्र.सं.	नियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण के विवरण
1	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लि.	एलईआई नंबर	335800AXWFKW4BC99J48

❖ **आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासाः**

कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से 2.62 लाख रुपये का जुर्माना आदेश प्राप्त हुआ है। महिला निदेशक की नियुक्ति न करने पर कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपील दायर की है। इसके अलावा, सुश्री रोहिणी रावत को 9 मार्च, 2023 से इरेडा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

- ❖ कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
- ❖ कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऑफ–बैलेंस शीट एसपीवी नहीं है।
- ❖ **शिकायतों का खुलासाः**

(1) ग्राहक शिकायतें*

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	59	44
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	59	44
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

* बांडधारकों से संबंधित शिकायतें।

कोई शिकायत नहीं डब्ल्यू.आर.टी. 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के साथ–साथ 31.03.2022 के लिए शेयरधारक।

2) एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर सारांश जानकारी

क्र. सं	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1	0
3.	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	1	0
3.1	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
4.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या		00
एनबीएफसी को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें			
5.*	एनबीएफसी को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या	1	0
5.1.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1	0
5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	0	0
5.3	5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद कई शिकायतों का समाधान किया गया	0	0
6.*	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों के अलावा)	0	0

नोटः 1 शिकायत सीधे एक ग्राहक से और 1 शिकायत आरबीआई सीएमएस टीम के माध्यम से प्राप्त हुई थी, दोनों की जांच की गई और उचित उत्तर भेजे गए। हालाँकि, किसी भी स्रोत से कोई रीडायरेक्ट नहीं आया।

एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार:

शिकायतों के आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए					
ऋण और अग्रिम	0	2	200%	0	0
कुल	0	2	200%	0	0
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए					
शून्य	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ज. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग का स्थानांतरण

इरेडा ने कर योग्य/कर–मुक्त/मसाला बांड/बैंक ऋण जारी करके संसाधन जुटाए हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन जारीकर्ताओं के लिए रेटिंग प्राप्त की है। 31.03.2023 तक का विवरण इस प्रकार है:–

❖ **कर–मुक्त बांड/करयोग्य बांड**

स्तर निर्धारक संस्था	साधन/उद्देश्य/मुद्दा	रेटिंग
आईसीआरए लिमिटेड	कर–मुक्त बांड (₹2,00,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2015–16 श्रृंखला XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईसीआरए एएए स्थिर सौंपा गया
	कर योग्य ग्रीन बांड (₹70,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2016–17 श्रृंखला VI-A और VI-B	आईसीआरए एएए स्थिर सौंपा गया
	करयोग्य असुरक्षित बांड (₹10,600.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2021-22	आईसीआरए एएए स्थिर सौंपा गया
इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	कर–मुक्त बांड (₹ 200,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2015-16 श्रृंखला XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईएनडी ए ए+ (सकारात्मक) की पुष्टि
	कर योग्य ग्रीन बांड (₹ 70,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2016-17 श्रृंखला VI-A और VI-B	आईएनडी ए ए+ (सकारात्मक) की पुष्टि
	कर–मुक्त बांड (₹ 86,500.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2018-19 श्रृंखला VIIA और VIIB	आईएनडी ए ए+ (सकारात्मक) की पुष्टि
	कर योग्य टीयर-II उप ऋण (₹ 15,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2018-19 श्रृंखला VIII	आईएनडी ए ए+ (सकारात्मक) की पुष्टि
	कर योग्य बांड (₹ 180,300.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2019-20 श्रृंखला IX-A और IX-B	आईएनडी ए ए+ (सकारात्मक) की पुष्टि
	कर योग्य टीयर II दब बांड (₹ 50,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2020-21 Sr X	आईएनडी ए ए+ (सकारात्मक) की पुष्टि
	कर योग्य असुरक्षित बांड (₹ 10,600.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2021-22	आईसीआरए एएए स्थिर सौंपा गया
केयर रेटिंग्स लिमिटेड	कर योग्य बांड श्रृंखला III–बी और वी (₹75,000.00 लाख)	केयर एए+(सकारात्मक)
	कर मुक्त बांड श्रृंखला–XIII सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (₹75,765.46 लाख वित्तीय वर्ष 13–14)	केयर एए+ (सकारात्मक)
	करयोग्य ग्रीन बांड सीनियर VIए एवं VIबी (₹ 70,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2016–17	केयर एए+ (सकारात्मक)
	करयोग्य असुरक्षित बांड (₹10,600.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2021–22	केयर एए+ (सकारात्मक)
ब्रिकवर्क रेटिंग्स	दीर्घकालिक कर योग्य बांड श्रृंखला III-बी, IV एवं V (₹ 75,000.00 लाख)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर फिर से पुष्टि की
	कर मुक्त बांड श्रृंखला–XIII सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (₹ 75,765.46 लाख वित्तीय वर्ष 13–14)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर फिर से पुष्टि की
	कर योग्य बांड (₹ 86,500.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2020 श्रृंखला VIIए एवं VIIबी	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर फिर से पुष्टि की
	कर योग्य टियर- II उप ऋण (₹ 15,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2018–19 VIII	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर फिर से पुष्टि की
	कर योग्य बांड (₹ 180,300.00 लाख) वित्तीय वर्ष 19–20 श्रृंखला IX-ए एवं IX-बी	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर फिर से पुष्टि की
	कर योग्य टियर II अधीनस्थ बांड (₹ 50,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 20–21 सीनियर X	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर फिर से पुष्टि की

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **बैंक ऋण**

रेटिंग	सावधि ऋण	सावधि ऋणों की रेटिंग करती है
ब्रिकवर्क्स रेटिंग	बीडब्ल्यूआर एएए स्थिर	टर्म लोन कुल ₹10,70,000.00 लाख का है। आवंटन का विवरण: उपलब्ध ऋण में शामिल हैं:: ❖ पीएनबी बैंक टर्म लोन ₹2,70,000.00 लाख ❖ एसबीआई टर्म लोन ₹3,45,000.00 लाख ❖ एसएमबीसी ₹35,000.00 लाख ❖ आरबीएल ₹30,000.00 लाख ❖ यस बैंक ₹50,000.00 लाख ❖ बैंक ऑफ बड़ौदा ₹50,000.00 लाख ❖ बैंक ऑफ इंडिया ₹2,90,000.00 लाख
एक्यूइट रेटिंग और अनुसंधान	एकयूआइट एएए स्थिर	सावधि ऋण कुल ₹ 25,92,000.00 लाख. आवंटन का विवरण: उपलब्ध ऋण/क्रेडिट सुविधाओं में शामिल हैं: ❖ पीएनबी बैंक: टर्म लोन ₹2,10,000.00 लाख ❖ एसबीआई टर्म लोन: ₹6,00,000.00 लाख ❖ एसएमबीसी: ₹35,000.00 लाख ❖ आरबीएल: ₹30,000.00 लाख ❖ यस बैंक: ₹70,000.00 लाख ❖ बैंक ऑफ बड़ौदा: ₹50,000.00 लाख ❖ बैंक ऑफ इंडिया: ₹3,89,000.00 लाख ❖ कर्नाटक बैंक ₹50,000.00 लाख ❖ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ₹2,00,000.00 लाख ❖ एचडीएफसी बैंक ₹50,000.00 लाख ❖ वित्तीय वर्ष 22–23 के लिए बैंक उधार ₹ 7,00,001.00 लाख

❖ **मसाला बांड**

अक्टूबर 2022 में मसाला बांड की परिपक्वता पर, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज और फिच रेटिंग्स द्वारा प्रदान की गई रेटिंग को उनकी संबंधित एजेंसियों द्वारा वापस ले लिया गया था।

❖ **भारत सरकार पूर्णतः सेवायुक्त बांड**

रेटिंग संस्था	साधन/उद्देश्य/मुद्दा	रेटिंग्स
केयर रेटिंग्स लिमिटेड	भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड ₹ 1,64,000.00 लाख वित्तीय वर्ष 2016–17	एएए, स्थिर, फिर से पुष्टि की
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		
आईसीआरए लिमिटेड		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

झ. जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए की एकाग्रता

❖ अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,871,178.54	1,494,371.17
कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	39.75%	44.04%

❖ संसर्ग की संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	2,473,040.81	1,561,850.03
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	52.53%	46.03%

❖ एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	59,061.78	65,234.04

❖ सेक्टर–वार एनपीए

क्र. सं	सेक्टर	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए की आयु का प्रतिशत	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2.	एमएसएमई	-	-
3.	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	3.21%	5.21%
4.	सेवाएं	-	-
5.	असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण	-	-
6.	ऑटो ऋण	-	-
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

नोट – इरेडा कॉर्पोरेट उधारकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में है, इसलिए कुल सकल एनपीए: कॉर्पोरेट उधारकर्ता में दिखाया गया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **एनपीए का आंदोलन**

(₹ लाख में)

विवरण			31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	शुद्ध एनपीए बनाम शुद्ध अग्रिम (%)		1.66%	3.12%
(ii)	एनपीए का मूवमेंट (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक जमा	176,825.45	244,155.27
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	789.22	3,269.73
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती	26,279.24	70,599.55
	(घ)	जमा शेष	151,335.42	176,825.45
(iii)	शुद्ध एनपीए का संचलन			
	(क)	प्रारंभिक जमा	103,539.01	151,022.39
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	696.63	2,903.28
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती	27,433.24	50,386.66
	(घ)	जमा शेष	76,802.40	1,03,539.01
(iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक जमा	73,286.44	93,132.88
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	16,115.25	15,169.05
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती	14,868.66	35,015.50
	(घ)	जमा शेष	74,533.03	73,286.44

नोट 38(42) भी देखें

ञ. आरबीआई परिपत्र संख्या के तहत प्रकटीकरण आरबीआई/2020–21/88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर क्रमांक 102/03.10.001/2020–21 दिनांक 04 नवंबर, 2020।

i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) पर आधारित फंडिंग एकाग्रता

(₹ लाख में)

क्र. सं.	साल	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या	राशि	कुल जमा का प्रतिशत	कुल देनदारियों का प्रतिशत
1	31.03.2023 तक	26	3,021,615.74	लागू नहीं	59.90%
2.	31.03.2022 तक	12	1,938,074.52	लागू नहीं	61.64%

टिप्पणी:

- एक "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष" को एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डीएस की कुल देनदारियों के 1% से अधिक और अन्य गैर–जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के लिए 10% से अधिक के एकल प्रतिपक्ष या जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।
- कुल देनदारियों की गणना इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व और अधिशेष को घटाकर कुल संपत्ति के रूप में की गई है।

ii) शीर्ष 20 बड़ी जमाएँ

(₹ लाख में)

वर्ष	बड़ी जमा राशि	राशि	कुल जमा का प्रतिशत
31.03.2023 तक	लागू नहीं		
31.03.2022 तक			

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

iii) शीर्ष 10 उधारः

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उधार	राशि	कुल जमा का प्रतिशत
1	सावधि ऋण सुविधा IV– एसबीआई	250,000.00	6.22%
2	सावधि ऋण सुविधा – आईआईएफसीएल	200,000.00	4.98%
3	सावधि ऋण सुविधा III – एसबीआई	189,460.00	4.72%
4	जेआईसीए–द्वितीय	185,214.60	4.61%
5	जेआईसीए	167,312.12	4.17%
6	7.94% इरेडा करयोग्य असुरक्षित बांड श्रृंखला XII-D	150,000.00	3.73%
7	सावधि ऋण– पीएनबी	150,000.00	3.73%
8	ईआईबी	146,365.24	3.64%
9	ईआईबी –II से ऋण	139,778.06	3.48%
10	एडीबी से ऋण – II	131,547.04	3.27%

31.03.2022 तक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उधार	राशि	कुल जमा का प्रतिशत
1	सावधि ऋण सुविधा III– एसबीआई	240,000.00	8.69%
2	सावधि ऋण सुविधा – आईआईएफसीएल	200,000.00	7.24%
3	7.125% ग्रीन मसाला बांड	194,846.97	7.06%
4	जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण II	186,503.31	6.75%
5	जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण I	177,583.09	6.43%
6	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से ऋण I	145,062.44	5.25%
7	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण II	131,398.97	4.76%
8	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से ऋण II	130,596.68	4.73%
9	8% कर योग्य बांड (श्रृंखला IX ए– 2019–20)	99,979.64	3.62%
10	7.49% करमुक्त बांड (श्रृंखला XIV किश्त– I-IIए)	88,426.52	3.20%

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

iv) महत्वपूर्ण उपकरण/उत्पाद पर आधारित फंडिंग एकाग्रता

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपकरण/उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देनदारियों का (प्रतिशत)
1.	कर–मुक्त बांड – गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)	275,765.46	5.47%
2.	कर योग्य बांड – गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)	411,800.00	8.16%
3.	मसाला बांड (असुरक्षित)	-	0.00%
4.	अधीनस्थ देनदारियाँ	65,000.00	1.29%
5.	बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित)	1,650,334.84	32.71%
6.	बैंकों से सावधि ऋण (असुरक्षित)	256,105.20	5.08%
7.	दूसरों से सावधि ऋण (असुरक्षित)	960,827.05	19.05%

31.03.2022 तक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपकरण/उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देनदारियों का (प्रतिशत)
1.	कर–मुक्त बांड – गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)	275,765.46	8.77%
2.	कर योग्य बांड – गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)	441,702.30	14.05%
3.	मसाला बांड (असुरक्षित)	194,846.97	6.20%
4.	अधीनस्थ देनदारियाँ	64,925.97	2.07%
5.	बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित)	676,717.37	21.52%
6.	बैंकों से सावधि ऋण (असुरक्षित)	81,401.68	2.59%
7.	दूसरों से सावधि ऋण (असुरक्षित)	995,204.18	31.65%

टिप्पणी:

- एक "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष" को एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डीएस की कुल देनदारियों के 1% से अधिक और अन्य गैर–जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के लिए 10% से अधिक के एकल प्रतिपक्ष या जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल संपत्ति में से इक्विटी शेयर पूंजी में से रिजर्व और सरप्लस को घटाकर की गई है।
- एक "महत्वपूर्ण उपकरण/उत्पाद" को समान उपकरणों/उत्पादों के समूह के एकल उपकरण/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डीएस की कुल देनदारियों के 1% से अधिक और अन्य गैर–के लिए 10% से अधिक है। जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

v) स्टॉक अनुपातः

क्र. सं.	उपकरण/उत्पाद की संख्या	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	कुल सार्वजनिक धन के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कुल देनदारियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल संपत्ति के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधि के % के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)।	लागू नहीं	लागू नहीं
5	कुल देनदारियों के % के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुल संपत्ति के % के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)।	लागू नहीं	लागू नहीं
7	अन्य अल्पकालिक देनदारियां, यदि कोई हों, कुल सार्वजनिक निधि के % के रूप में	3.55 %	3.40%
8	अन्य अल्पकालिक देनदारियां, यदि कोई हों, कुल देनदारियों के % के रूप में	3.20 %	2.98%
9	अन्य अल्पकालिक देनदारियां, यदि कोई हों, कुल संपत्ति के % के रूप में	2.83 %	2.55%

नोटः अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना भारत सरकार के पूर्ण सेवा वाले बांडों को छोड़कर व्यापार देय, अन्य वित्तीय और गैर–वित्तीय देनदारियों के कुल योग के रूप में की गई है।

vi) तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के अलावा, परिसंपत्ति देयता प्रोफाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, तरलता जोखिम प्रबंधन, वित्त पोषण और पूंजी नियोजन, लाभ योजना और विकास अनुमान, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के अलावा, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकदी/खजाना अधिशेष बनाए रखकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

प्रबंधन नियमित रूप से नकदी और नकदी समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और बैलेंस शीट तरलता के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल के आकलन पर विचार किया जाता है। (डीएनबीएस 4क और डीएनबीएस 4ख विवरण प्रस्तुत करने और निगरानी के माध्यम से)। कंपनी पहले से ही तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना और स्टॉक अनुपात के माध्यम से तरलता जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रक्रिया स्थापित करके मौजूदा तरलता जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार करने पर काम कर रही है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ट. आरबीआई परिपत्र संख्या के तहत प्रकटीकरण आरबीआई/2019–20/170 डीओ (एनबीएफसी)। सी.सी. पीडी.सं. 109/22.10.106/ 2019–20 दिनांक 13 मार्च, 2020, भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर:

(₹ लाख में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण	इंडस्ट्रीज एएस 109 के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण	इंडस्ट्रीज एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंडस्ट्रीज एएस 109 के तहत आवश्यक हानि भत्ते (प्रावधान)।	शुद्ध वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	भारतीय एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
परफॉर्मिंग एसेट्स						
मानक	स्टेज 1	4,390,224.54	51,530.87	4,338,693.68	49,401.01*	51,313.48
	स्टेज 2	161,976.23	49,183.62	1,12,792.61		
उप–योग		**4,552,200.77**	**100,714.49**	**4451,486.28**	**49,401.01**	**51,313.48**
गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
रद्दी	स्टेज 3	789.22	92.59	696.63	78.92	13.66
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	स्टेज 3	513.19	51.32	461.88	203.59	(152.27)
1 से 3 वर्ष	स्टेज 3	46,955.18	20,751.98	26,203.20	23,065.24	(2,313.25)
3 वर्ष से अधिक	स्टेज 3	103,074.83	53,634.14	49,440.69	69,078.11	(15,443.97)
संदिग्ध के लिए उपयोग		**150,543.20**	**74,437.44**	**76,105.76**	**92,346.94**	**(17,909.50)**
नुकसान	स्टेज 3	3.00	3.00	-	3.00	-
एनपीए के लिए उप योग		**151,335.42**	**74,533.03**	**76,802.39**	**92,428.86**	**(17,895.83)**
अन्य वस्तुएँ जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ, आदि। जो इंडस्ट्रीज एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	स्टेज 1	185,265.64	260.99	185,004.65	-	260.99
	स्टेज 2	-	-	-	-	-
	स्टेज 3	-	-	-	-	-
उप योग		**185,265.64**	**260.99**	**185,004.65**	**-**	**260.99**
	स्टेज 1	**4,575,490.18**	**51,791.86**	**4,523,698.32**	**141,829.87**	**33,678.64**
	स्टेज 2	**161,976.23**	**49,183.62**	**112,792.61**		
	स्टेज 3	**151,335.42**	**74,533.03#**	**76,802.39**		
	कुल योग	**4,888,801.83**	**175,508.51**	**4,713,293.32**	**141,829.87**	**33,678.64**

* पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान का प्रावधान शामिल है

* ₹939.61 लाख के एनपीए खातों पर आकस्मिक शुल्क (डॉ. बाल.) पर प्रावधान को छोड़कर।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण	इंडस्ट्रीज एएस 109 के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण	इंडस्ट्रीज एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंडस्ट्रीज एएस 109 के तहत आवश्यक हानि भत्ते (प्रावधान)।	शुद्ध वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	भारतीय ए एस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
परफॉर्मिंग एसेट्स						
मानक	स्टेज 1	2,942,541.41	49,710.90	2,892,830.51	43173.62*	52,056.39
	स्टेज 2	267,394.83	45,519.11	221,875.72		
उप–योग		**3,209,936.24**	**95,230.01**	**3,114,706.23**	**43,173.62**	**52,056.39**
गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
रद्दी	स्टेज 3	3,269.73	366.45	2,903.28	326.97	39.47
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	स्टेज 3	28,943.70	6,076.93	22,866.77	20,355.57	(14,278.63)
1 से 3 वर्ष	स्टेज 3	65,614.53	30,419.24	35,195.29	40,610.42	(10,191.18)
3 वर्ष से अधिक	स्टेज 3	78,993.49	36,419.82	42,573.67	48,653.23	(12,233.41)
संदिग्ध के लिए उपयोग		173,551.72	72,915.99	100,635.73	109,619.22	(36,703.23)
नुकसान	स्टेज 3	4.00	4.00	-	4.00	-
एनपीए के लिए उप योग		**176,825.45**	**73,286.44**	**103,539.01**	**109,950.19**	**(36,663.75)**
	स्टेज 1	145,383.05	669.91	144,713.14	-	669.91
अन्य वस्तुएँ जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ, आदि।	स्टेज 2	-	-	-	-	-
	स्टेज 3	-	-	-	-	-
जो इंडस्ट्रीज एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं						
उप योग		**145,383.05**	**669.91**	**144,713.14**	**-**	**669.91**
	स्टेज 1	**3,087,924.46**	**50,380.81**	**3,037,543.65**	**153,123.81**	**16,062.55**
	स्टेज 2	**267,394.83**	**45,519.11**	**221,875.72**		
	स्टेज 3	**176,825.45**	**73,286.44#**	**103,539.01**		
	कुल राशि	**3,532,144.73**	**169,186.36**	**3,362,958.38**	**153,123.81**	**16,062.55**

* पुनर्निर्धारण पर प्रावधान, विशेष कोविड–19 सामान्य प्रावधान शामिल हैं।

603.85 लाख रुपये के एनपीए खातों पर आकस्मिक शुल्क (डेबिट बैलेंस) पर प्रावधान को छोड़कर।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

L. तरलता कवरेज अनुपात पर खुलासाः–

आरबीआई ने 04 नवंबर, 2019 को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर आवश्यकता सभी गैर–जमा स्वीकार करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी पर परिसंपत्ति आकार के साथ बाध्यकारी होगी। दिशानिर्देशों में दी गई समयसीमा के अनुसार, 1 दिसंबर, 2020 से ₹10,000.00 करोड़ और उससे अधिक, न्यूनतम एलसीआर 50% होने के साथ, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए, 1 दिसंबर, 2024 तक 100% के आवश्यक स्तर तक पहुंचने तक। इसके अलावा, एनबीएफसी को तिमाही आधार पर तरलता कवरेज अनुपात से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, इरेडा के तरलता कवरेज अनुपात पर खुलासा इस प्रकार हैः

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए **(लाख रुपए में)**

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2022)		तिमाही 2 (जुलाई–सितम्बर 2022)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसम्बर 2022)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	29,063.50	29,063.50	114,022.42	114,022.42	154,719.32	154,719.32	226,772.45	226,772.45
नकद बर्हिप्रवाह									
2	जमा राशियां (जमा राशि लेने वाली कंपनियां)	-	-	-	-	-	-		
3	अप्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	6,600.79	7,590.90	52,634.66	60,529.86	29,905.28	34,391.08	2,691.86	3,095.64
4	प्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	20,753.88	23,866.96	9,441.18	10,857.36	12,101.25	13,916.44	14,808.12	17,029.34
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से	-	-	-	-	-	-		
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	3,442.90	3,959.34	-	-	3,078.23	3,539.97	3,699.87	4,254.85
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-		
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-		
6	अन्य संविदागत वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	2,810.46	3,232.03
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण देनदारियां	-	-	-	-	-	-		
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**30,797.57**	**35,417.21**	**62,075.84**	**71,387.22**	**45,084.77**	**51,847.48**	**24,010.32**	**27,611.86**
नकद अंतःप्रवाह									
9	प्रत्याभूत ऋण	71,653.25	53,739.94	60,809.59	45,607.19	69,106.70	51,830.02	54,633.43	40,975.07
10	पूर्ण निष्पादक एक्सपोजरों से अंतःप्रवाह	-	-	-	-	-	-		
11	अन्य नकद अंतःप्रवाह	-	-	-	-	50,362.64	37,771.98		
12	**कुल नकद अंतःप्रवाह**	**71,653.25**	**53,739.94**	**60,809.59**	**45,607.19**	**119,469.33**	**89,602.00**	**54,633.43**	**40,975.07**
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		29,063.50		114,022.42		154,719.32		226,772.45
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		8,854.30		25,780.03		12,961.87		6,902.97

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2022)		तिमाही 2 (जुलाई–सितम्बर 2022)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसम्बर 2022)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		328%		442%		1194%		3285%

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2021)		तिमाही 2 (जुलाई–सितम्बर 2021)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसम्बर 2021)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2022)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	8,118.55	8,118.55	23,038.22	23,038.22	28,428.33	28,428.33	119,505.87	119,505.87
नकद बर्हिप्रवाह									
2	जमा राशियां (जमा राशि लेने वाली कंपनियां)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अप्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	3,403.63	3,914.17	2,003.08	2,303.54	6,516.17	7,493.59	2,183.80	2,511.37
4	प्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	8,223.39	9,456.90	6,321.40	7,269.61	8,072.90	9,283.84	2,470.34	2,840.89
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	3,266.32	3,756.27	3,477.65	3,999.29	3,323.31	3,821.81	3,341.93	3,843.22
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदागत वित्तपोषण दायित्व	590.13	678.65	-	-	-	-	2,764.28	3,178.92
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण देनदारियां	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**17,805.99**	**-**	**13,572.44**	**17,912.38**	**20,599.24**	**10,760.35**	**12,374.40**
नकद अंतःप्रवाह									
9	प्रत्याभूत ऋण	50,749.53	38,062.15	64,023.56	48,017.67	111,130.26	83,347.69	89,511.63	67,133.72
10	पूर्ण निष्पादक एक्सपोजरों से अंतःप्रवाह	-	-	-	-	-	-	-	-
11	अन्य नकद अंतःप्रवाह	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**कुल नकद अंतःप्रवाह**	**50,749.53**	**38,062.15**	**64,023.56**	**48,017.67**	**111,130.26**	**83,347.69**	**89,511.63**	**67,133.72**
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2021)		तिमाही 2 (जुलाई–सितम्बर 2021)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसम्बर 2021)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2022)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
13	कुल एचक्यूएलए		8,118.55		23,038.22		28,428.33		119,505.87
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		4,451.50		3,393.11		5,149.81		3,093.60
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		182%		679%		552%		3863%

घ. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त 2020 के अनुसार कोविड–19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे से संबंधित प्रकटीकरण:

(लाख रुपए में)

उधारकर्ता का प्रकार	(क) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है	(ख) योजना के कार्यान्वयन से पहले (क) में उल्लिखित खातों के संपर्क में	(ग) (ख), ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(घ) अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है	(ङ) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि
व्यक्तिगत ऋण	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट व्यक्ति	2	26,687.97	-	-	2,668.80
जिनमें से, एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	2	26,687.97	-	-	2,668.80
कुल	2	**26,687.97**	**-**	**-**	**2,668.80**

(लाख रुपए में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों मंम एक्सपोजर – पिछले छमाही के अंत में स्थिति (क)	(क) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया	(क) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(क) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर – इस छमाही के अंत में स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट व्यक्ति	26,536.47	-	-	17,039.47	9,497.00

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

जिनमें से, एमएसएमई	- -	- - -			
अन्य	26,536.47	-	-	-	9,497.00
कुल	**26,536.47**	**-**	**-**	**17,039.47**	**9,497.00**

ढ. आरबीआई अधिनियम, 1943 के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण नीचे दिए गए हैं

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची
(31.03.2023 को)

(लाख रुपए में)

विवरण			**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
देनदारियों का पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित किंतु अदत्त ब्याज सहित:**			
	(क)	डिबेंचरः प्रत्याभूत	702,508.29	-
		: अप्रत्याभूत	476,817.21	-
		(सार्वजनिक जमाराशियों के अभिप्राय के भीतर पड़ने वाले डिबेंचरों से भिन्न)		
	(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग)	आवधिक ऋण	2,882,033.53	-
	(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार राशियां	-	-
	(ड.)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
	(छ)	अन्य ऋण – ओवर ड्राफ्ट	-	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का ब्यौरा (बकाया सार्वजनिक जमा राशियां जिनमें उन पर उपचित किंतु अदत्त ब्याज शामिल है):**			
	(क)	अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर यानी डिबेंचर के रूप में जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल से भिन्न]:**			
	(क)	प्रत्याभूत	4,302,716.14	
	(ख)	अप्रत्याभूत	395,448.82	
4	**पट्टे पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा**			
	(i)	विविध देनदारों के तहत लीज रेंटल सहित लीज एसेट्स		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

		(क)	वित्तीय लीज	-
		(ख)	प्रचालनिक लीज	-
	(ii)	विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः		
		(क)	भाड़े पर परिसम्पत्तियां	-
		(ख)	पुनःप्रसंस्कृत परिसम्पत्तियां	-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों की ओर अन्य ऋण गणना		
		(क)	वे ऋण जहां परिसम्पत्तियां प्रसंस्कृत की गई हैं	-
		(ख)	उपर्युक्त (क) से अन्य ऋण	-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.	उद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	अनुद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
		अल्पावधिक जमा राशियां (आईएनआर)		4,206.58
		वाणिज्यिक पत्र (अक्षमता जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है)		6,899.11
	दीर्घावधिक निवेश			
	1.	उद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	-
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(vi)	सरकारी प्रतिभूतियां		10,126.66
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

	2.	अनुद्धृत	
	(i)	शेयर	
		(क) इक्विटी	-
		(ख) प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-

ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

6	**श्रेणी**		**राशि (प्रावधानों का निवल) (लाख रुपए में)**		
			प्रत्याभूत	**अप्रत्याभूत**	**कुल**
	1	संबंधित पक्षकार			
		(क) अनुषंगियां	-	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	20.82	-	20.82
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	4,227,222.68	395,448.82	4,622,671.51
		कुल	**4,227,243.51**	**395,448.82**	**4,622,692.33**

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरणः**			
	श्रेणी		**बाजार मूल्य/ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्षकार		
		(क) अनुषंगियां	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	13,647.35	14,333.23
		कुल	**13,647.35**	**14,333.23**

8	**अन्य सूचना**		
	विवरण		**राशि (लाख रुपए में)**
	(i)	सकल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	151,335.42
	(ii)	निवल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	76,802.40
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची
(31.03.2022 को)

(लाख रुपए में)

विवरण			बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारियों का पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित किंतु अदत्त ब्याज सहित:**			
	(क)	डिबेंचरः प्रत्याभूत	734,861.99	-
		: अप्रत्याभूत	280,631.27	-
		(सार्वजनिक जमाराशियों के अभिप्राय के भीतर पड़ने वाले डिबेंचरों से भिन्न)		
	(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग)	आवधिक ऋण	1,764,455.32	-
	(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार राशियां	-	-
	(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
	(छ)	अन्य ऋण – ओवर ड्राफ्ट	20,144.23	-
	(ज)	एफसीएनआर (ख) मांग ऋण		-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का ब्यौरा (बकाया सार्वजनिक जमा राशियां जिनमें उन पर उपचित किंतु अदत्त ब्याज शामिल है):**			**-**
	(क)	अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर यानी डिबेंचर के रूप में जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल से भिन्न]:**			
	(क)	प्रत्याभूत	2,943,863.31	
	(ख)	अप्रत्याभूत	447,471.76	
4	**पट्टे पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा**			
	(i)	विविध देनदारों के तहत लीज रेंटल सहित लीज एसेट्स		
		(क) वित्तीय लीज	-	
		(ख) प्रचालनिक लीज	-	
	(ii)	विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः		
		(क) भाड़े पर परिसम्पत्तियां	-	
		(ख) पुनःप्रसंस्कृत परिसम्पत्तियां	-	
	(iii)	एएफसी गतिविधियों की ओर अन्य ऋण गणना		
		(क) वे ऋण जहां परिसम्पत्तियां पुनः अधिगृहित की गई हैं	-	
		(ख) उपर्युक्त (क) से अन्य ऋण	-	
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.	उद्धृत		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ in Lakhs)

		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	अनुद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
			अल्पावधिक जमा राशियां (आईएनआर)	4,401.25
			वाणिज्यिक पत्र (अक्षमता पूर्ण प्रावधान)	6,899.11
	दीर्घावधिक निवेश			
	1.	उद्धृत		
	(i)	शेयर		
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		9,926.84
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	2.	अनुद्धृत		
	(i)	शेयर		
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

6	श्रेणी		राशि (प्रावधानों का निवल) (लाख रुपए में)		
			प्रत्याभूत	अप्रत्याभूत	कुल
	1	संबंधित पक्षकार			
		(क) अनुषंगियां	-	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	39.98	-	39.98
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	2,869,933.04	447,471.76	3,317,404.80
	कुल		**2,869,973.02**	**447,471.76**	**3,317,444.78**

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण:**			
	श्रेणी		**बाजार मूल्य/ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बुक मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्षकार		
		(क) अनुषंगियां	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	21,227.19	14,328.08
	कुल		**21,227.19**	**14,328.08**

8	**अन्य सूचना**		
	विवरण		**राशि (लाख रुपए में)**
	(i)	सकल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	176,825.45
	(ii)	निवल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	103,539.01
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	-

59. स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) से संबंधित आरबीआई परिपत्र संख्या एनबीएफसी आरबीआई/2022–23/26 डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.20/21.04.018/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल 2022 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण: एक संशोधित नियामक एनबीएफसी के लिए फ्रेमवर्क'

क) एक्सपोजर – टिप्पणी 57 (च) देखें

ख) संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

संबंधित दल / वस्तुएं	माता–पिता (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		सहायक		सहयोगी/संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक@		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार@		अन्य*		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
उधारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,977.55	1877.78	1,977.55	1877.78
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जमा की नियुक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	-	-	-	-	-	2.60	39.30	-	-	172,819.51	14,351.59	1,72,822.11	14,390.89
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल/अन्य संपत्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल/अन्य संपत्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज का भुगतान किया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.38	200.67	196.38	200.67
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	7.53	4.15	-	-	3,998.57	1,051.06	4,006.10	1,055.21
अन्य	-	-	-	-	-	-	250.24	286.00	-	-	9,065.30	9,991.65	9,315.54	10,277.65

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) शिकायतों का प्रकटीकरण – टिप्पणी 57 (ज) देखें

घ) कॉर्पोरेट गवर्नेंस – वार्षिक रिपोर्ट का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुभाग देखें (एजीएम में प्रस्तुत किया जाएगा)

ङ) वाचा का उल्लंघन

कंपनी ने लिए गए ऋणों या कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।

च) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन– शून्य*

*चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2021–22 के लिए आरबीआई की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

छ) लेखापरीक्षकों द्वारा व्यक्त संशोधित राय, यदि कोई हो, पर प्रकटीकरण, विभिन्न वित्तीय मदों पर इसका प्रभाव और लेखापरीक्षा योग्यता पर प्रबंधन के विचार– शून्य

ज) असाधारण प्रकृति की आय और व्यय की मदें – शून्य

60. आरबीआई/202223/29डीओआर.सीआरई.आरईसी.नं.25/03.10.001/2022–23 दिनांक 19.04.2022 के अनुसार निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को दिए गए ऋण का खुलासा।

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निदेशक और उनके रिश्तेदार*	-	-
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएँ	-	-
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार	-	-

*इसमें संबंधित निदेशकों के रोजगार की शर्तों के अनुसार ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

61. आंकड़े लाखों (शेयरों की संख्या को छोड़कर) में निकटतम रुपये (₹) तक पूर्णांकित हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

ह./–
पदम लाल
निदेशक (सरकार नामित)
डीआईएन सं. 10041387

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25.04.2023

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) एवं सीएफओ

ह./–
एकता मदान
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. 23391



इरेडा ने कर्नाटक के बागलकोट जिले के मुधोल तालुक में स्थित मैसर्स ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड की 700 केएलपीडी इथेनॉल परियोजना को वित्त पोषित किया।



शाश्वत ऊर्जा

इरेडा IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 011-24682206-19 फैक्स : 91-11-24682202

कॉर्पोरेट कार्यालय : तीसरा तल, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

दूरभाष : 011-26717400-12 फैक्स : 91-11-26717416

वेबसाइट : www.ireda.in

सीआईएन : U65100DL1987GOI027265

Follow us: www.ireda.in @IREDALimited @IREDALtd @iredaofficial

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218